राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 50 वां दिवस [संख्या 26

शुक्रवार,

दिनांक 22 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में आरम्भ हुई।

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री सभापति : श्री चेतराम।

643. श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम): क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में केसरगढ़ भवन में राजस्थान पत्रिका दैनिक समाचार-पत्र का कार्यालय है? क्या पूर्व में यह सरकारी भवन था और इसमें सरकार के कई कार्यालय क्रियाशील रहे थे? यदि हां, तो कौन–कौन से कार्यालय थे और उन्हें दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह सही है इस भवन को सरकार ने उक्त समाचार-पत्र प्रबंध मंडल को बेच दिया है? यदि हां, तो कितनी राशि में, और इस बेचान के क्या कारण थे? क्या यह भी सही है कि बेचान की राशि अभी तक सरकार को नहीं दी गई है और इसे पुनः क्रेता द्वारा बेचा जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि गत सरकार ने राजनैतिक कारणों, उनके यशोगान करने हेतु यह बेचान गैर-कानूनी निर्धारित नियमों के विपरीत चुपचाप किया था?

(4) क्या बेचान से पूर्व इस भवन (आस प्रेमिसिज) का मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से करा लिया गया था? वह अधिकारी कौन है? इस भवन का मूल्यांकन एवं बाजार मूल्य क्या है?

(5) क्या सरकार इस भवन को पुनः अधिग्रहण करने या बाजार पर खुली बोली (पब्लिक आक्शन) पर बेचने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामपाल उपाध्याय):—(1) (अ) जी हां।

(ब) जी नहीं। केसरगढ़ भवन ठाकुर केसरी सिंह की निजी सम्पत्ति थी।

2

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(स) इसमें राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग किराए पर कार्यरत था। भवन के मालिक द्वारा राजस्थान पत्रिका को उक्त भवन बेचे जाने के फलस्वरूप उक्त भवन में कार्यरत समाज कल्याण विभाग के कार्यालय को राज्य सरकार ने उपलब्ध भवन हिन्द होटल में स्थानान्तरित किया गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने फर्माया कि केसरगढ़ में समाज कल्याण विभाग का दफ्तर था। उसके कब्जे में कितना कवर्ड एरिया था और खुला कितन था? ग्राउण्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सैकिण्ड फ्लोर पर कितने एरिया पर कब्जा था? कितना रेंट देना पड़ता था? और क्या बेचान से पहले इसका वेल्यूएशन करा लिया गया था? इसकी सरकारी कीमत क्या थी और बाजारी कीमत क्या थी?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने उत्तर में निवेदन किया कि केसरगढ़ भवन निजी सम्पत्ति थी। इसलिए इसका वेल्यूएशन करवाना अथवा सरकार का इन्वाल्वमेंट का इसमें कहीं भी होने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक किराये का प्रश्न है- यह किराया 11-1-63 से 7-2-63 तक 12,000) रु. प्रति वर्ष दिया गया, 8-2-63 से 19-4-71 तक 12,240) रु. प्रति वर्ष दिया गया और 20-4-71 से 31-12-78 तक 13,128) रु. प्रति वर्ष दिया गया।

जहां तक क्षेत्रफल का प्रश्न है; वह इस प्रकार है:-

कवर्ड एरिया: ग्राउण्ड फ्लोर 8553 वर्ग फीट
फर्स्ट फ्लोर 6352 वर्ग फीट
सैकिन्ड फ्लोर 267 वर्ग फीट
थर्ड फ्लोर 144 वर्ग फीट

खुला एरिया लगभग 7927 वर्ग फीट

श्री सभापति: श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री चेतराम मीणा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री सभापति: मैं आपको अवसर दूंगा, स्थान ग्रहण करें।

श्री चेतराम मीणा: मैंने निवेदन किया था कि इसका कितने रुपये में बेचान हुआ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि यह सरकार का भवन नहीं था।

श्री चेतराम मीणा : रजिस्ट्रेशन फीस इसकी कितनी आई? क्या इसकी सही वेल्यू रजिस्ट्री में बताई गई? क्या रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी नहीं हुई? क्या पार्टी ने इनकम टैक्स बचाने के लिए चोरी नहीं की? क्या वेल्यूएशन के अनुसार ही रजिस्ट्री हुई है? क्या उसके पास.....

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मैंने यह सवाल पिछले साल उठाया था और इसके बारे में तथ्यों की जानकारी चाही थी....

श्री सभापति : इसके बाद आपको अवसर दूंगा। मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने निवेदन किया है कि यह निजी सम्पत्ति थी इसलिए सरकार का इन्वाल्वमेंट नहीं होता है ।

दूसरे, रजिस्ट्रेशन कितनी राशि का कराया, यह अलग से प्रश्न है। मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जान बूझकर इस बात को छिपाया जा रहा है । पिछली सरकार ने भी इसको छिपाया । एक तरफ तो रजिस्ट्रेशन फीस कम भरी गई है और दूसरी तरफ इनकम टैक्स की चोरी हुई है, इसलिए सदन में जानकारी दी जाए जिससे..

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें ।

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को अधिकार है कि यदि वेल्यूएशन कम हुआ है तो 15 प्रतिशत अधिक परे वह सम्पत्ति एक्वायर कर सकती है । इसलिए सदन में जानकारी दी जाए और जो अनियमितता हुई है उसको ठीक किया जाए ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या भवन मालिक और सरकार के बीच में न्यायालय में कोई मुकदमा चला था ? यदि हां, तो न्यायालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया था ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय से दो बातें क्लीयर करानी हैं । सरकार और पत्रिका के बीच यह मामला नहीं है लेकिन सरकार को जानकारी है । बाई पेन मिस्टेक हो गई है, बाकी सब इनको मालूम है । उसका केसरगढ़ नाम है इस बहाने आप बात छिपायें, यह ठीक नहीं है । आप केसरगढ़ ठाकुर की बात समझकर बात करें । क्या यह सही है कि ठाकुर ने अपना भवन कार्यलय से खाली कराने की कोशिश की तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और 25 हजार रुपये मुकदमा लड़ने में खर्च हो गया ? यदि हां, तो सरकार को भवन खाली करने की जरूरत क्या पड़ी ? दूसरे, आपको मालूम है कि लाखों रुपये की प्रापर्टी है, 25–50 लाख रुपये की प्रापर्टी है । साफ जाहिर होता है कि पुरानी सरकार ने राजस्थान पत्रिका को लाभ पहुंचाने के लिए उसको खाली किया है । क्या आप उचित समझते हैं कि इसकी री-इन्क्वायरी करके जो गलत कार्यवाही हुई है, उसकी रिपोर्ट दें ?

श्री रामपाल उपाध्याय : जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, वेल्यूएशन करके एक्वायर करने की बात क्यों नहीं की । दूसरा यह कहा है कि 25 हजार रुपया विभिन्न स्तरों पर अदालत में राज्य सरकार की तरफ से खर्चा हुआ । आपने यह भी पूछा कि यह भवन कैसे खाली हुआ । तो ता. 23-12-78 को यह आर्डर निकाला :

"The Chief Minister has desired that Hind Hotel, a Government Building lying vacant be immediately allotted to Social Welfare Department for occupancy. The orders may kindly be issued today and thereafter the file be submitted to the Chief Minister for confirmation."

(श्री रामपाल उपाध्याय)

यह आदेश मुख्य मंत्री के डिप्टी सैक्रेटरी के यहां से जारी हुआ, देन एण्ड देयर हिन्द होटल या उसके अन्दर मेडिकल डिपार्टमेंट था। उक्त भवन में वह अक्टूबर 1977 तक रहा, तत्पश्चात् कार्यालय की समस्त शाखायें एवं रिकार्ड को ले जाने में लगभग 15 दिन और लगे। समाज कल्याण विभाग केसरगढ़ में 1963 से 1978 तक था, उसका किराया दिया जा रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं माननीय सदस्यों के कहने के आधार पर कि दरअसल में यह मामला गंभीर है, इस मामले पर 25 हजार रुपये खर्च किए गए। यह लम्बा-चौड़ा मामला है। हिन्द होटल जो अभी स्टोरीड है, काम आ रही है, अभी इतना कहना पर्याप्त है। मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस पे केस की तथ्यात्मक जानकारी कराऊंगा जांच कराऊंगा और जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री **सभापति** : श्री हरिसिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री **दिनेश डांगी** (देसूरी) : Only one supplementary, Sir.

श्री **सभापति** : मैंने डॉ. हरिसिंह का नाम पुकारा है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरि सिंह : इस केसरगढ़ किले को..

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री **सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : इनके कारनामे.....

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपस में बात न करें। डॉ. हरिसिंह।

श्री **हरिसिंह** : केसरगढ़ में समाज कल्याण विभाग का दफ्तर चलता था। अदालत में मुकदमा दायर किया गया....

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, केवल प्रश्न पूछेंगे।

श्री **सम्पतराम** (खैरथल) : आफ़ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री **सभापति** : No. There cannot be any point of order in the Question hour.

श्री **सम्पतराम** : I wante...

श्री **सभापति** :Please resume your seat.

श्री **हरिसिंह** : जब अदालत का फैसला हुआ, केसरीसिंह जी हार गये। सरकार को चाहिये था.....

श्री **बाऊदयाल जोशी** (दौगोद) : प्रश्नकाल में भाषण नहीं।

श्री **सभापति** : आप चेयर को गाईड नहीं करें। मेरी जिम्मेदारी मुझे मालूम है।

श्री **हरिसिंह** : इस केसरगढ़ को ले लेना चाहिये था, लेकिन सरकार ने सब बातों की अवहेलना करते हुए मकान को खाली

(श्री हरिसिंह)

कर दिया क्योंकि खाली होने की स्थिति में केसरगढ़ बेचा जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में मंत्री महोदय साफ बता दें कि अदालत का जो फैसला हुआ उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री विनेश डांगी : मुझे एक प्रश्न पूछना है ।

श्री सभापति : श्री डांगी ।

श्री विनेश डांगी : केसरगढ़ के अन्दर समाज कल्याण विभाग कई वर्षों से चल रहा था । वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल की। चीफ सैक्रेटरी को राइटिंग में दिया कि यह मकान खाली न कराया जाय। यह मकान हमारे लिये पर्याप्त है, हिन्द होटल पर्याप्त नहीं है । किन्तु तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने चीफ सैक्रेटरी को आदेश दिया कि इमीडियेटली खाली किया जाय । श्री कुलिश और श्री केसरीसिंह के बीच में सब लिखा पढ़ी पहले हो चुकी थी। प्रिन्सिपल से खाली कराया गया । क्या सरकार इसे स्वयं लेने का इरादा रखती है ?

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क जयपुर): सवाई मानसिंह अस्पताल के विस्तार के लिये जगह चाहिये थी । मुझे मंत्री महोदय से पूछना है कि क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के विस्तार के लिये ठाकुर साहब केसरगढ़ देना चाहते थे ? ठाकुर साहब और सरकार के बीच बातचीत हुई थी तब सरकार ने कैसे खाली कर दिया ? एस. एम. एस. के विस्तार के लिये बहुत कम जगह ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें ।

श्री शिवराम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्द होटल की बिल्डिंग को समाज कल्याण विभाग के लिये 10 हजार रुपये महीने पर लिया और एक हजार रुपये महीने की बिल्डिंग को खाली किया इसका क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तीन सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं ।

श्री बजारी ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर): सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के लिये हिन्द होटल कितने किराये पर लिया गया है ?

श्री चेतराम : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जांच करायेंगे, कानूनी मुद्दे हैं । अगर गैर कानूनी तरीके से हुआ है तो सरकार 15 प्रतिशत अधिक देकर लेने को तैयार है ? सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि अण्डर रजिस्ट्रेशन हुआ है वैल्थ टैक्स....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वैल्थ टैक्स, इनकम टैक्स भारत सरकार का मामला है । आप स्थान ग्रहण करें । रजिस्ट्रेशन फीस की बात कह सकते हैं ।

श्री चेतराम मीणा : क्या सरकार यह उचित समझती है कि इस भवन को लेने की कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मैं यह जानना चाहती हूं कि यह मुकदमा जिसकी चर्चा हो रही थी, कब से कब तक चला कौन-कौन सी पार्टी के बीच चला ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

दूसरा, क्या सरकार की यह नीति है कि कोई भवन किराये पर ले तो उसे खाली करे ही नहीं, एक्वायर ही करे ?

श्री राज बहादुर (भरतपुर): एक मूल प्रश्न यह था कि यदि यह प्राइवेट प्रापर्टी थी, तो फिर क्या इस पर कैपिटल गेन टैक्स लिया गया, वैल्थ टैक्स लिया गया ? दोनों प्रश्नों के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है ?

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री रामपाल उपाध्याय: जितने विभिन्न प्रश्न अलग अलग माननीय सदस्य महानुभावों द्वारा पूछे गये हैं उन सब से अनेक प्रकार की बातें सामने आईं । मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की मंशा के अनुसार राज्य सरकार के हित में वह सारी कार्यवाही की जायेगी जो की जानी चाहिये। जितनी जानकारी माननीय सदस्य चाह रहे हैं, उतनी सारी जानकारी मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज ।

श्री सूरजपालसिंह: हय भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने किया था....

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है ।

नेक्स्ट क्वैश्चन । श्री रंगजी मीणा ।

ग्राम पंचायत, जाखोदा के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया जाना

644. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरपंच ग्राम पंचायत, जाखोदा, पंचायत समिति, सपोटरा जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया है ? यदि हां, तो क्या उसमें डकैती व एक लड़के को फरार करने का मामला भी सम्मिलित है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री रामपाल उपाध्याय): जी हां, अभियोग में डकैती एवं लड़के की फरारी का कोई मामला घटित होना नहीं पाया गया ।

श्री रंगजी मीणा : माननीय सभापति महोदय, क्या यह सही है कि मुकदमा नं. 15, तारीख 30-6-80 को दर्ज हुआ है 28-3-80 को चालान हुआ है, जेर दफा 365, 392 दूसरा प्रश्न एक केस है बाला केला का उसका अपहरण हुआ है, जेर दफा 353, 332 उसका चालान हो गया । इसकी कापी वहां से की गई है ?

श्री सभापति: माननीय मन्त्री महोदय; उत्तर दें ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मुझे यह प्रश्न पूछना है। माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है जिस मुकदमे का विवरण पूछा गया है वह उनके भानजे का है। क्या इस तरह के केस सदन में आ सकते हैं ? यदि हां; तो मुझे तीन सप्लीमेंट्री पूछने हैं ।

श्री सभापति: केस के बारे में जानकारी माननीय सदस्य प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे तीन सप्लीमेंट्री करने हैं...

श्री हंसराज शर्मा : आपके भानजे के खिलाफ.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया, आपस में बातचीत न करें। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में आसन को सहयोग करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर होगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके बारे में जो व्यवस्था देनी है वह तो आप देंगे लेकिन तथ्यात्मक बात यह है कि जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, एफ. आई. आर. स्वयं माननीय सदस्य ने ही थाने में लिखायी थी। जहां तक सवाल, चालान संख्या वगैरह का है, इस प्रश्न को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो पहली रिपोर्ट दर्ज है वह है दिनांक 25-1-80 का। यह रिपोर्ट 25-1-80 को हरिप्रसाद गुप्ता, सरपंच मसावता द्वारा प्रस्तुत की गई, एक श्री कैलाश के विरुद्ध जो कि प्रश्नकर्त्ता का भानजा है, उसने डी वाई. एस. पी. के समक्ष शराब में धुत श्री कैलाश को पेश किया। इसके बाद कैलाश का डाक्टरी मुआयना कराया गया। डाक्टरी मुआयना कराने पर रिपोर्ट आयी कि कैलाश शराब पीये हुए था। उसके खिलाफ मद्यनिषेध अधिनियम के अन्तर्गत चालान 17-3-80 को अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया जो पैन्डिंग ट्रायल है। सभापति महोदय, उसके बाद विभिन्न कार्यवाही अलग अलग तरीके से अलग स्तर पर चालू की गयी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था, दूसरे दिन दिनांक 26-1-80 को श्री रंगजी विधायक ने डीवाई. एस. पी. करौली के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि दिनांक 25-1-80 को हरिप्रसाद गुप्ता व उसके अन्य साथियों ने उनके भानजे कैलाश का अपहरण कर लिया, उसको जबरदस्ती बस नम्बर आर. जे. यू. 1121 में डाल कर ले गये। इसके बाद में डीवाई. एस. पी. और एडीशनल एस. पी. के आदेशों से थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। 26-1-80 को यह केस 365, 342 व 392 ताजीरातहिन्द में पन्जीबद्ध किया गया। अभियुक्त हरिप्रसाद गुप्ता को अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से दिनांक 5-3-80 को यह कहते हुए हुई कि दिनांक 21-1-80 का मामला बिलकुल निराधार है। अग्रिम जमानत स्वीकार की गयी। अब यह मामला चूंकि सब जुडिस है इसलिये इस पर आगे विचार करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं मैं, किसी को अलाऊ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, आप तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वह मैंने आपको करा दी।

(व्यवधान)

I will not allow any supplementary

श्री रंगजी मीणा : सभापति महोदय, यह 325 और 355 का मामला है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आर्डर आर्डर।

श्री रंगजी मीणा : सभापति महोदय, यह मेरा मानना है। . . .

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप एडिशनल जानकारी चाहते थे वह आपको दे दी, वरना मैं तो इस प्रश्न को शुरू में डिसअलाउ कर देता। जानकारी आ गयी है।

श्री रंगजी मीणा : सभापति महोदय, हरिप्रसाद के विरुद्ध 26-1-80 को . . .

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 645। नेक्स्ट प्रश्न।

ग्राम पंचायतों के ग्रुप सचिव

645. **श्री हंस राज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्राम पंचायतों में जो ग्रुप सचिव लगाये गये हैं उनको प्रत्येक को कितनी-कितनी पंचायतों में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों द्वारा प्रत्येक ग्रुप सचिव को चार या पांच समितियों का काम दिया हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

पंचायत राज मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) ग्रुप सचिवों को तीन या चार पंचायतों में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है।

(2) जी नहीं। अवकाश, स्थानान्तरण अथवा अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाने की दशा में अल्पकाल के लिये अतिरिक्त पंचायतों का कार्य भी ग्रुप सचिवों को दे दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकर्ता श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय को निवेदन है कि समान काम करने वाले लोगों को दो प्रकार के पैसे दिये जा रहे हैं, एक तो ग्राम सेवक कम ग्रुप सचिव को 500 रुपये दिये जाते हैं और ग्रुप सचिवों को 275 रुपये ही दिये जाते हैं ? ऐसा क्यों ? इसके अलावा एक ग्रुप सचिव चार चार, पांच पांच पंचायतों का काम देखता है, यह गलत है। इसके अलावा पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का काम ग्रुप सचिव देखता है। हर आठवें दिन एक बार पंचायत की, और न्याय पंचायत की मीटिंग होती है। इस प्रकार आठ दिन में दो मीटिंग हो गयीं तो एक महीने में 20 मीटिंग हो गयीं। ग्रुप सचिव एक है चार पांच पंचायतों में, यह बिलकुल गलत है। सभापति महोदय, बड़ी छोटी पंचायतें हैं, ग्रुप सचिव उनका काम कर रहे हैं। और काम के बदले अनाज योजना चल रही है उसका काम भी वह करते हैं। इस कारण पंचायतों के काम पेंडिंग हैं और पंचायतों का काम सुचारू रूप से नहीं चल

(श्री हंसराज शर्मा)

रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है व्यवस्था की दृष्टि से कि क्या मंत्री महोदय प्रत्येक पंचायत में आबादी के बेसिस पर एक ग्रुप सचिव नियुक्त करना चाहेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब प्रश्न के दूसरे भाग में आ जाता है। स्थिति यह है, सभापति महोदय, राज्य में 7292 पंचायतें हैं और 2316 ग्रुप सचिवों हैं। इनमें इन पंचायतों को बांटा हुआ है। सभापति महोदय, एक एक ग्रुप सचिव के हिस्से में तीन या चार पंचायतें आती हैं। सभापति महोदय, मैंने प्रश्न के दूसरे भाग में पहले ही स्वीकार किया है कि एक एक ग्रुप सचिव को तीन से ज्यादा पंचायतों में या कभी कभी चार से ज्यादा पंचायतों में काम करना पड़ता है क्योंकि कई बार लोग अवकाश में चले जाते हैं तो अल्प काल के लिये काम करना पड़ सकता है।

श्री भंवरलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : सभापति महोदय, हमने जिस कामना से पंचायत राज की स्थापना की . . .

श्री सभापति : प्रश्न पूछें।

श्री भंवरलाल भारद्वाज : इस संबंध में ही प्रश्न कर रहा हूं। बहुत ही अहम बात है कि

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर! बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री भंवरलाल भारद्वाज: सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि एक ग्रुप सचिव के पास तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं। उनके पास काम होता है इसलिए पंचायतों का काम सन्तोषजनक नहीं हो सकता है। क्या राज्य सरकार हर पंचायत में एक ग्रुप सचिव लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर पंचायत को एक ग्रुप सचिव देना आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, अगर हर पंचायत समिति में एक ग्रुप सचिव रख देते हैं तो पंचायतों पर उनका आर्थिक भार पड़ जायेगा, क्योंकि पंचायतों को ही उनका आर्थिक भार वहन करना पड़ेगा। अभी 2316 ग्रुप सचिव काम कर रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल भारद्वाज : तो, सभापति महोदय; मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है ? स्थिति यह है कि पंचायतों के सैक्रेटरी होते हैं उनके पीछे-पीछे सरपंच लोग घूमते रहते हैं। जब सैक्रेटरी को सरपंच पूछता है कि आप कहां थे तो वह यह कह देते हैं कि मैं फलां पंचायत की मीटिंग में गया था, कभी कहता है कि अमुक पंचायत की मीटिंग में गया था। पंचायतों के नाम बताते रहते हैं। इस प्रकार सरपंच को सैक्रेटरी पर निर्भर रहना पड़ता है। वह कभी समय पर मिलते नहीं हैं . . .

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मैंने जो पूछा था . . .

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। सिर्फ पूरक प्रश्न पूछें। भाषण नहीं दें।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ग्राम सेवकों और ग्रुप सचिवों को समानान्तर काम दिया हुआ है, एक ही काम करते हैं किन्तु ग्राम सेवकों को 500 रुपये दिये जाते हैं और ग्रुप सचिव को 275 रुपये दिये जाते है। ऐसा क्यों।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण नहीं दें।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यही पूछना है कि क्या राज्य सरकार हर पंचायत में एक ग्रुप सचिव लगाने का विचार रखती है ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने हर पंचायत में ग्रुप सचिव लगाने की बात कही है। ग्रुप सचिव हर पंचायत में लगाने से उनके ऊपर अधिक आर्थिक भार पड़ जायेगा। यह आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है· · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण नहीं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय राजस्थान में अलग अलग जगह पर· · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मेरा निवेदन है कि एक ग्रुप सचिव के पास तीन-तीन, चार-चार पंचायतें हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ? दूसरी छोटी और बड़ी पंचायतें भी होती हैं· · · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, एक व्यक्ति के पास तीन चार पंचायतें होने से पंचायतों का काम नहीं होता है। अभी पिछली सरकार द्वारा जो काम के बदले अनाज योजना चल रही है· · · · · ·

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महोदय, इस संबंध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ? हर पंचायत में एक सैक्रेटरी होना चाहिये। अगर पंचायत की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उस समय हर पंचायत को सैक्रेटरी राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ग्रुप सचिव अपना वास्तविक काम करते हैं ? हमारे कोटा में · · · · · · ·

श्री सभापति : अलग से प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, कोटा में ग्रुप सचिवों को पिछले दो महीनों से नौकरी से अलग कर दिया है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो प्रश्न उठाये गये हैं; उनके दोनों पक्ष मैंने इसलिए रखे कि पंचायत के आधार पर यदि सचिव की नियुक्ति की जाय तो उसके दो आधार हो सकते हैं। एक तो पंचायत उसका भार उठाये या राज्य सरकार उसका भार उठाये। जैसा माननीय सदस्य ने कहा यदि इस व्यवस्था में हम परिवर्तन करें तो उसका दूसरा पक्ष यह

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) भी है कि क्या ग्राम पंचायतें उस सीमा में ग्रुप सचिवों का आर्थिक भार उठा सकती हैं। यदि उठा सकती हैं तो, सभापति महोदय, इस समस्या पर इस दृष्टि से सरकार ने विचार किया है पर मौजूदा ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायतें इस स्थिति में नहीं हैं कि वह आर्थिक भार उठा सकें इसलिए यह आपके सामने प्रस्तुत किया। राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि हर पंचायत में ग्रुप सचिव दे। यह अभी सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री हीरा लाल आर्य।

श्री वाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, एक तरफ यह विचार करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने 400 ग्रुप सचिवों को नौकरी से अलग कर दिया है

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। हर सदस्य को सप्लीमेन्ट्री पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरा मुद्दा यह है कि ग्राम पंचायतों में ग्रुप सचिव की कमी है। मंत्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या, माननीय सभापति महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनका कोई समय और ढंग निश्चित करेंगे कि कौनसी पंचायत में कौनसा ग्रुप सचिव किस दिन उपस्थित रहेगा ? ग्रुप सचिव डबल्स रखते हैं तो किस दिन किस समय वह पंचायत में उपस्थित रहेगा, इस तरह की व्यवस्था करने का विचार रखते हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री वाऊदयाल जोशी : एक तरफ आप कहते हैं कि ग्रुप सचिवों की नियुक्ति करेंगे और दूसरी तरफ राजस्थान में 400 ग्रुप सचिवों को नौकरी से अलग कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। प्रश्न 646।

इन्द्रायणी बांध का निर्माण कार्य

*646. **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि इटावा में बन रहे इन्द्रायणी बांध के निर्माण रोलिंग तथा टाम्पिंग में लापरवाही तथा अनियमितता बरती जा रही है जिसके फलस्वरूप बांध के कमजोर रह जाने की आशंका है ; और

(2) क्या सरकार अनियमितता की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी व बांध के निर्माण की सही व्यवस्था करावेगी ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। बांध का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

श्री हीरा लाल आर्य : माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपके

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मंत्री महोदय ने अभी सूचना दी है। सिंचाई उप मंत्री शायद उपाध्याय जी हैं। श्रीमती कमला जी ने कहा था। क्या सिंचाई उप-मंत्री बदल गये हैं, कल और आज में ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : कल बृहत योजनायें और लघु योजनायें थीं। बृहत योजना इनके पास थी, राजस्थान कैनाल वगैरह वगैरह। इसलिए यह बैठे थे यहां।

श्री सभापति : श्री चौधरी। उत्तर दें, माननीय मंत्री जी। आप अपना सप्लीमेन्ट्री पूछ लें।

श्री हीरा लाल आर्य : माननीय सभापति महोदय, अभी जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जो उत्तर है यह गलत है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, मैंने प्रश्न पूछा है कि वहां जो रोलिंग हो रही है, टायरिंग हो रही है, वहां मिट्टी डालकर पर्याप्त सिंचाई नहीं होती, बिना सिंचाई के रोलिंग की जाती है, नम्बर एक। दूसरा, वहां जो मिट्टी डाली जाती है वह इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं, वहां बारीक मिट्टी न डालकर बड़े-बड़े ढेले डाले जाते हैं और उन्हें ठीक नहीं किया जाता। उसमें कमी रह जाती है, ढेले रह जाते हैं। काम में कमी रहने से कभी भी बांध गिर सकता है।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि बांध सुचारू रूप से चल रहा है। माननीय सदस्य बता रहे हैं कि ढेले डाले जा रहे हैं। ढेले नहीं डाले जाते, ढेले डाल कर सिंचाई की जाती है डिपार्टमेंटल और उसके बाद कान्ट्रेक्टर वहां ले जाकर रोलिंग और टायरिंग करते हैं। उसके बाद वहां टेस्ट किया जाता है। उस हिसाब से काम चल रहा है, इसलिए कोई भी खामी नहीं रह गयी है।

श्री सभापति : श्री शिवराम शर्मा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि एक सूचना अधिकारी के द्वारा आपके पास आई है। एक बात माननीय सदस्य महोदय ने कही है। एक दिन में ही एक दूसरे अधिकारी को बताया। इस प्रकार की चुनौती दी है। इसकी इन्क्वायरी कराने की कोशिश करें कि उनकी बात में दम है या नहीं ?

श्री सभापति : 647।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, जो जानकारी दी है, गवर्नमेंट उसका ध्यान रखेगी ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जो जानकारी दे रहा हूं, वह वहां से मालूमात करने के बाद ही है। क्या आवश्यकता है कि आगे जानकारी दी जाय।

श्री सभापति : श्री शिवराम शर्मा।

श्री हीरालाल आर्य : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा जैसा उन्होंने कहा कि पर्याप्त सिंचाई करके रोलिंग होती है। पर्याप्त सिंचाई नहीं करके केवल सूखी मिट्टी पर ही बड़े बड़े ढेले डाले हैं। मैं सही बता रहा हूं। पिछली बार मैं वहां गया था, बड़े बड़े ढेले लाकर मुझे बताये . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शिवराम शर्मा। प्रश्न 647।

दुर्गापुरा शिविर के पुरुषार्थियों को आवंटित भू-खण्ड

647. श्री शिवराम शर्मा (वैनापार्क) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1960 में दुर्गापुरा कैम्प के पुरुषार्थियों को लगभग 200 भू-खण्डों के आवंटन-पत्र जारी किये गये?

(2) यदि हाँ, तो आवंटित भू-खण्डों के नक्शे नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा पास किये जाकर कितने पुरुषार्थियों को कब कब पट्टे दिये गये? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुरुषार्थियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से उन्हें पास शुदा नक्शे व पट्टे दिलाने के लिये नगर विकास न्यास, जयपुर को आदेश देगी?

पुनर्वास मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) सन् 1960 में कलेक्टर पुनर्वास के माध्यम से दुर्गापुरा स्थित खवासजी के बाग पर पुरुषार्थियों को 160 भू-खण्ड आवंटित किये गये थे।

(2) 123 भू-खण्डों के आवंटन सन् 1975 में निरस्त कर दिये गये थे क्योंकि उनमें से 20 ने निर्माण नहीं किया तथा 103 ने अन्य व्यक्तियों को अपने भू-खण्ड बेच दिये। समस्त मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, सन् 1960 में शरणार्थियों को दुर्गापुरा में बसाया। जैसा मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 160 लोगों को भू-खण्ड दिये। कुछ लोगों उन भू-खण्डों को, अनजाने लोगों को, नेनजात पुरुषार्थियों को, जो कि पाकिस्तान से आये थे, बेघरबार होकर आये थे, बहका कर उनके प्लोटों को इधर से उधर कर दिया। जैसा मंत्री महोदय ने बताया, बेच दिये। बेचे नहीं गये हैं उनको वरगलाया गया खिलाफ। तो मंत्री महोदय, तहसीलदार, सांगानेर में जिन लोगों को हटा रहे हैं, उनको हटाये नहीं। जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनकी क्या प्रोपर इन्क्वायरी मंत्री महोदय के पास है? क्या आदेश करेंगे कि तहसीलदार, सांगानेर ने जो कार्यवाही की है उसको नियमानुसार रोका जाय और

श्रीमती कमला : जैसा मैंने निवेदन किया कि शरणार्थियों को जो भू-खण्ड दिये गये थे, अगर उन पर निर्माण कार्य करें और उन पर काबिज हैं तो सरकार प्लॉट पर से उनको नहीं हटायेगी। लेकिन जिस शरणार्थी को भू-खण्ड का आवंटन हुआ उससे किसी दूसरे शरणार्थी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने खरीदा है तो सरकार शरणार्थी के नाम पर दूसरे के नाम पर भू-खण्ड नहीं रहने देगी। इसलिए गलत कार्यवाही की जांच करायी जा रही है, किसने किया है, किसी दूसरे ने बेचा है, किसके खिलाफ पड़ता है, सारी जांच, सरकार के विचाराधीन है। जो नतीजा आयेगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री शिवराम शर्मा : उनको एक्वायर करने की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाये जब तक यह जांच न कर लें कि उन सभी प्लोटों को बेच दिया गया है या नहीं बेचा गया है। कितने प्लॉट के नक्शे यू.आई.टी. ने पास कर दिये हैं?

श्रीमती कमला : मैंने आपसे निवेदन किया था, भाग (2) में कि 123 भू-खण्डों के आवंटन सन् 1975 में निरस्त कर दिये

(14)

(श्रीमती कमला)
गये थे क्योंकि इनमें से 20 ने निर्माण नहीं किया तथा 103 ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों को बेच दिये हैं उनकी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सभापति : श्री हरि सिंह ।

श्रीमती कमला : जिनकी कार्यवाही की जा रही है, उनकी जांच हो चुकी है कि जिनको प्लॉट आवंटन किया गया था उनके पास प्लाट नहीं है। अब जिनको दिया है और उनको रेगुलेराइज किया जाना चाहिए या नहीं, यह दूसरा मामला है ।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर) : कितनों की आई.टी. में रजिस्ट्री नहीं है ? बेकार हो गये हैं ।

श्रीमती कमला : जिन लोगों ने उसके ऊपर मकानात बनाये हैं वे लोग नहीं हैं जिनको जमीन आवंटित की गई है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ये जो मकान बेचे हैं।

श्री सभापति : मकान नहीं, माननीय सदस्य, प्लॉट।

श्री भंवरलाल शर्मा : जी हां, अगर वे किस गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से बेचे गये हैं ?

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, यह सारा मुद्दा सरकार की तरफ से जांच के अधीन है, किसने किसको बेचा है। सिन्धी को बेचने का कोई मतलब नहीं है। अगर वह खुद भी शरणार्थी की केटेगरी में है तो उसके साथ दूसरी तरह की कार्यवाही की जायगी। यदि वह शरणार्थी नहीं है तो उसके साथ दूसरी तरह की कार्यवाही की जायगी । जिन्होंने बेचे हैं, उसका कानूनी मुद्दा क्या बना, और क्या कानूनी मुद्दा सम्भव है ये सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, दुर्गापुरा में शरणार्थियों को जो प्लाट अलॉट हुए थे वे क्या सिन्धी समाज के थे ? एक तो यह और दूसरा यह जानना चाहता हूं जो प्लॉट बेचे हैं क्या वे सिन्धी समाज को ही बेचे हैं ? जिन्होंने बेच दिये हैं, वे कौनसी जगह जाकर बस गये ?

श्रीमती कमला : सिन्धी समाज को बेचने और न बेचने से कोई मतलब नहीं रखता है। शरणार्थी भी हैं लेकिन उस केटेगरी में नहीं आते हैं तो भी रेगुलेराइज नहीं होते हैं।

श्री सभापति : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

राजकीय जनरल हॉस्पिटल, नसीराबाद

648. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद में राजकीय जनरल चिकित्सालय जब से केन्टोनमेंट बोर्ड से हस्तान्तरित हुआ तब से उसमें कोई नया कमरा, थियेटर या अन्य निर्माण कार्य नहीं किया गया ?

(2) क्या उक्त भवन हस्तान्तरित करने से पूर्व सरकार ने नसीराबाद में स्वयं का भवन बनाने हेतु पहले कोई आवश्यक राशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो कब व कितनी तथा इस राशि का क्या हुआ ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता):

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पहले भाग के उत्तर में 'जी हां' कहा है तो इसमें क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केन्टोनमेंट बोर्ड से बना बनाया लिया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : केन्टोनमेंट बोर्ड से सरकार को हस्तान्तरित हुआ तब से अलग कोई निर्माण कार्य कराया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : दूसरा सवाल यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को हस्तान्तरित किया गया, उस समय हमारी सरकार के पास एक अलग हॉस्पिटल बनाने की योजना विचाराधीन थी और पंचवर्षीय योजना में उसके लिये रुपया भी आवंटित हुआ था, वह रुपया नहीं लगा कर यह कहा गया था कि आगे जाकर इसी अस्पताल का विस्तार करने की योजना है। सभापति महोदय, 50 हजार जनता रहती है, न थियेटर है, न लेबोरेटरी है और न कोई लेब टेक्निशियन ही है तो इन सुविधाओं को देखते हुए क्या सरकार कोई सुविधायें देने का विचार रखती है। वह पैसा अस्पताल में खर्च करने का था उसमें अब कम से कम इस अस्पताल को तो विस्तार करने पर विचार करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनसे तीन बेड का अस्पताल लिया था और अभी उसी स्थिति में चल रहा है। इसमें दो लाख रुपया सालाना लगता है। कोई कमी होगी तो उसको पूरा किया जायेगा।

श्री सभापति : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री छोगा राम बकोलिया।

राज्य में बरमान स्थित सूर्य मन्दिर का संचालन

649. श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पर्यटन विभाग की जानकारी में है कि पुरातत्व विभाग ने बरमान स्थित राज्य के सबसे प्राचीन सूर्य मन्दिर के रख-रखाव की कोई योजना हाथ में ली है ?

(2) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इस योजना को पर्यटन विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जाने में क्या कठिनाई है ?

उप-मंत्री, पर्यटन (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां। ये स्थल पुरातत्व विभाग की देखरेख में है तथा इस विभाग द्वारा मन्दिर के रख-रखाव के लिये एक चौकीदार नियुक्त कर रखा है जो सफाई व सुरक्षा का कार्य करता है।

(2) इस स्थल पर पर्यटकों का आवागमन करीब करीब नहीं है। इसलिये पर्यटन विभाग द्वारा इस स्थल के विकास की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह सूर्य भगवान का मन्दिर कौनसी सेन्चूरी का है ?

(16)

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, यह सूर्य मन्दिर 9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 10 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का है।

श्री छोगाराम बकोलिया: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मार्तण्ड का मन्दिर दैसवीं शताब्दी का है कर्नाटक में और उड़ीसा में कोनार्क मन्दिर 12 वीं शताब्दी का है उस पर तो वहां की सरकार के पर्यटन विभाग का पूर्ण ध्यान है, जबकि हमारा यह वरमान का सूर्य मन्दिर नवीं शताब्वी उत्तरार्द्ध और दसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का माननीय मंत्री महोदय ने बताया है और भारत वर्ष में केवल तीन ही सूर्य मन्दिर हैं। यह एक राजस्थान में है जो अति एन्सियन्ट मन्दिर है दूसरी जगहों से, तो क्या इसके रख-रखाव के लिये एक ही चौकीदार उपयुक्त होगा ?

श्री रामपाल उपाध्याय: सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य महानुभाव को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य पर्यटन विभाग करता है और जो कार्य पुरातत्व विभाग करता है उन दोनों को समझने की कोशिश करें। पर्यटन विभाग वहां काम करता है जहां अधिक से अधिक आमदनी हो, और पुरातत्व विभाग ऐसे दुर्लभ स्थानों की रक्षा करता है जिसमें देश की संस्कृति सभ्यता और इतिहास की झलक होती है। यह सूर्य मन्दिर पुरातत्व विभाग की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसके रख-रखाव के लिये एक चौकीदार रखा है। लेकिन पर्यटन विभाग की दृष्टि से उतना महत्व का नहीं है और इसलिये नहीं है कि यह काफी इन्टीरियर में है। रेवदर होते हुए पहुंचा जाता है आबू रोड से। इतना इन्टीरियर में है कि वहां पहुंचना काफी कठिन है। इसी कारण पर्यटन का आगमन नगण्य सा है। पर्यटन विभाग को आमदनी नहीं होती है। जहां पर्यटन विभाग को आमदनी नहीं होती है वहां पर्यटन के आकर्षण का स्थान भी नहीं होता है इसलिये पर्यटन विभाग ने इसके लिये कोई बजट नहीं बनाया है। इसी कारण भविष्य में भी कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया: माननीय सभापति महोदय, एक सप्लीमेंट्री और करना चाहूंगा....

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : सभापति जी, मेरा भी एक निवेदन है....

श्री सभापति : श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यटन विकास के लिये सरकार की निश्चित नीति यह है कि जहां आमदनी हो वही विकास किया जाय, वहां पर ही प्रयास और खर्चा हो या जहां पर पर्यटन के क्षेत्र है, या पर्यटन के विन्दु हैं वहां पर्यटन की सुविधायें हो ? दोनों में से कौनसी नीति है ? केवल आमदनी की दृष्टि से पर्यटन विकास होगा। क्या नीति यह है ? अगर ऐसी नीति है तो विकृत नीति है।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है पर्यटन विभाग की आमदनी भी एक आधार है और आकर्षण भी एक आधार है। मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया....

श्री राजबहादुर: स्पष्ट कीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय: आकर्षण पहला आधार है, और आमदनी दूसरा आधार है। दोनों आधारों के बिना पर्यटन विभाग का

(श्री रामपाल उपाध्याय)
कैसे विकास सम्भव हो, यह एक विचारणीय प्रश्न है। मैंने प्रश्न के उत्तर में बहुत ही नम्र शब्दों में स्पष्ट किया है कि यह स्थान अलग थलग है, इसलिये पुरातत्व विभाग की मंशा के अनुसार रख-रखाव की व्यवस्था की गई है। यह बात जरूर है कि आबू रोड से नीचे जाने पर काफी इन्टीरियर में यह स्थान है और वहां आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता है। फिर भी और व्यवस्था के बारे में यदि कुछ सम्भव हुआ तो विचार किया जायगा। मैं चाहता हूं वह एक आकर्षण स्थल बने और आमदनी का भी स्थल बने।

श्री राजबहादुर : पर्यटन उद्योग एक आधुनिक उद्योग है। मेरा मतलब है जो संसार में पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक स्थान हैं सामग्री है, सम्पदा है उस जगह की, देश की सरकारों का कर्त्तव्य हो जाता है कि वहां पर्यटकों के लिये सुविधायें जुटायें, पब्लिसिटी करें और पर्यटन का एक केन्द्र बनावें। अगर प्राचीनता के हिसाब से ज्यादा महत्व का स्थान है और अति प्राचीन सूर्य मन्दिर है तो उसको उस दृष्टि से देखना चाहिये, जैसे कश्मीर में इतना प्राचीन है तो अवश्य ही आमदनी की दृष्टि से नहीं है बल्कि एक आकर्षण और महत्व की दृष्टि से देखना चाहिये।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, मेरा भी एक निवेदन है।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या यह सही है कि केन्द्र के पर्यटन विभाग के माननीय राजबहादुर जी जब मंत्री थे तो राजस्थान के कई ऐसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करने के लिये और विशेष प्रबन्ध के लिये कहा गया था उस समय आपने क्यों मना कर दिया था?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री घनश्याम तिवाड़ी No. No. Order please. No supplementary.

श्री दिनेश डांगी : Only one supplementary, Sir.

श्री सभापति : No. No. I will not allow any supplementary.

आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : बहुत इम्पोर्टेन्ट है, साहब।

श्री सभापति : No, Please take your seat.

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

650. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिपराली पंचायत समिति की पंचायत रघुनाथगढ़ के सरपंच को सरकारी धनराशि के गबन करने का दोषी पाया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश

(18)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
सीकर ने सरकार को लिखा है कि सरपंच को निलम्बित कर दिया जाय ?

(3) क्या उपरोक्त सरपंच के खिलाफ पुलिस थाना रघुनाथगढ़ में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तथा पुलिस की कार्यवाही में सरपंच दोषी पाया गया है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार जिलाधीश की सिफारिश पर सरपंच को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत राज मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) विकास अधिकारी की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट अपूर्ण होने से, सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अतिरिक्त जिलाधीश सीकर से पुनः जांच करवाई जा रही है। दिनांक 8-8-80 को लिखा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही गबन संबंधी दोषी पाये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) जी हां। जिलाधीश, सीकर ने श्री सीताराम, सरपंच ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ के विरुद्ध पंचायत 'अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) की कार्यवाही करने एवं निलम्बित करने की सिफारिश दिनांक 18-7-80 को की थी।

(3) जी हां। पुलिस अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुआ है जिससे सरपंच के दोषी पाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) सरपंच के विरुद्ध आरोपों की प्रारम्भिक जांच अतिरिक्त जिलाधीश सीकर द्वारा कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सरपंच के विरुद्ध गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए तो सरपंच को निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह बिलकुल गलत है। पुलिस की रिपोर्ट के अन्तर्गत ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दि. 14-12-78 को पांच हजार की सीमेंट भीलवाड़ा से खरीदने का इन्द्राज किया गया और पंचायत के रजिस्टर में इसको लिखा गया। इसकी शिकायत जिलाधीश को की गई इस पर ए. डी. एम. ने इन्क्वायरी की और जिलाधीश, सीकर ने इस पर लिखा कि सरपंच दोषी पाया गया है। उसके बाद भी पांच सौ रुपयों का भुगतान किया गया। अपने स्वयं के लड़के के नाम पर सीमेंट मंगाकर पंचायत में रखी गई....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया चार्ज नहीं लगायें, प्रश्न पूछें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या यह सही है कि अपने लड़के से पंचायत के नाम से सीमेंट खरीदी, जब कि उसका पैसा ब्लैक में दिया, ब्लैक का पैसा देकर उसको पंचायत रजिस्टर में चढ़ाया गया है।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज के अन्दर इस एक पंचायत में ही नहीं, राजस्थान की करीब करीब सभी पंचायतों के अन्दर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं....

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य

आर्डर प्लीज ।

श्री **हनुमानप्रसाद प्रभाकर** : जांच रिपोर्ट जो भेज दी गई है वह अपूर्ण थी। सरपंच के ऊपर क्या-क्या आरोप प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित हुए और आरोपों का विवरण क्या था वह सारा रिकार्ड नहीं भेजा था। इसलिए यह मान कर कि जब तक सारा रिकार्ड, जो सम्बन्धित है, सम्बन्धित पत्रावली है, नहीं देख लिया जाता है निर्णय करना सम्भव नहीं है। इसलिए अतिरिक्त जिलाधीश को, जांच के लिए 8 तारीख को ही लिखा गया है और आज 22 तारीख है। 15 दिन में जांच होकर रिपोर्ट आना सम्भव नहीं है। ज्यों ही रिपोर्ट आएगी, अगर आरोप सही प्रमाणित होते हैं तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : जब जिलाधीश, सीकर ने पंचायत एक्ट के अन्तर्गत उसको निलम्बित करने की राज्य सरकार को सिफारिश की, पूरी जांच हो चुकी थी और जांच करने के बाद ही अतिरिक्त जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट जिलाधीश, सीकर के पास भेजी थी और जिलाधीश ने अब उसको निलम्बित करने की सिफारिश राज्य सरकार को की है तो फिर दोषी सरपंच को निलम्बित क्यों नहीं किया जाता है? राज्य सरकार जब उसको नोटिस देती है तो उसके जबाव में अपनी सफाई देने उसको अधिकार है···

(व्यवधान)

श्री **हनुमानप्रसाद प्रभाकर** : जब तक पत्रावली प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। जैसे ही पत्रावली और जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी और सरपंच का स्पष्टीकरण प्राप्त होगा उसको देख कर फैसला किया जायगा मेरे पास पत्रावली नहीं आई इसलिए मैंने मंगाई है।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न।

क्या यही सही है कि ए.डी.एम., सीकर ने कोई रिपोर्ट भेजी थी कि इसको सस्पेंड कर दिया जाय?

श्री **हनुमानप्रसाद प्रभाकर** : मैंने निवेदन किया है कि रिपोर्ट आने पर उसके औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री **सभापति** : स्थगित प्रश्न। श्रीमती उज्ला अरोड़ा।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सरपंच ने बेटे के नाम से खरीदी···

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : सरकार ने पत्रावली मंगाई है। सरकार का स्पेसिफिक रिप्लाइ है। अब आप स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सरपंच दस हजार रुपया खा गया है, यह जांच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस के सरपंच को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
बचाया जा रहा है। मेरा आरोप है सरपंच दस हजार रुपया खा गया है·······

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, मुझे सहयोग दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैसे सहयोग। सरपंच दस हजार रुपये खा गया है··

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : एक महत्व पूर्ण मुद्दा है, साहब।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पांच मिनट रह गए हैं, स्थगित प्रश्न के बारे में मुझे निर्णय कराना है।····

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय; मेवाड़ के मंत्री होकर इन पर इस तरह के आरोप लगाते हैं····

श्री सभापति : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मेरे पास यह रिपोर्ट है इसमें सरपंच दोषी पाया गया है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज I will not allow any question.

सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

No. I will not allow any question.

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 अगस्त, 1980)

राष्ट्रीय मार्गों पर सड़क एवं पुलियाओं का निर्माण

299. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार की समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सड़क एवं पुलिया बनाने की योजना है? क्या यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में सम्पन्न कराने का विचार है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री रामपाल उपाध्याय) : माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न के विस्तार और लम्बाई को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने स्थगन के लिए निवेदन किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि 17 दिन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पहले मंत्री महोदय ने इसको स्थगित करवाया था और फिर आज स्थगित करवा रहे हैं तो फिर मेरे इस प्रश्न को इसमें लाने की आवश्यकता ही क्या थी? इसमें कितना मनी वेस्ट हुआ है, कितना सदन का टाइम खराब हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछूंगी कि आज इस प्रश्न को सदन में लाने की महत्ता ही क्या रही...

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, तारीख 4-8-80 को यह प्रश्न...

(व्यवधान)

आप माननीय सदस्या विराजें, तो मैं जवाब दूं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्या। माननीय मंत्री कुछ कह रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन कर रहा था...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : जिस तरह का लम्बा प्रश्न है उसी तरह से लम्बा उत्तर दें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप 299 के सम्बन्ध में ही कुछ कह रहे हैं?

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि दिनांक 4-8-80 को यातायात मंत्री जी के नाम से यह प्रश्न आया था। उसके बाद फिर यह पी. डब्ल्यू. डी. के पास आया। हमारे पास आया है जो प्रश्न पूछा गया उसमें 116 राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कितनी सड़कें और फिर कितनी पुलियां हैं इस तरह से बहुत लम्बा प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, कल 23 तारीख हो जाएगी और 25 तारीख को विधान सभा का अधिवेशन समाप्त हो जाएगा, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर कहां से आएगा ? कब आएगा ?

श्री सभापति : स्थगित किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, यह अन्याय है।

श्री सभापति: मजबूर नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके उत्तर के बारे में बता दें। क्या विधान सभा समाप्त होने के बाद उत्तर देंगे? इसकी नीति क्या है, नीति तो बता दें ?

श्री सभापति : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : आपने आश्वासन दिया था।

श्री सभापति : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया माननीय सदस्य, आपको। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि इस तरह से उत्तर टाला जा रहा है। इस सम्बन्ध में नीति क्या होगी? सरकार नीति तो स्पष्ट कर सकती है इस तरह से प्रश्नों को उड़ा देना और विधान सभा का टाइम खराब करना, मंत्री महोदय और सरकार की गलत नीति है। इस तरह

(22)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
से प्रश्नों को नहीं टाला जाय और ठीक प्रकार से कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्या। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बैठ जाती हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बीकानेर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

514. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले के जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है वहां के कौन-कौनसे ग्रामों की हरिजन बस्तियों में व शहरी क्षेत्र के मोहल्लों में बिजली की सुविधा नहीं दी गई है ?

(2) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के मोहल्लों में विद्युतीकरण करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक हरिजन मोहल्लों में यह सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गई ? कृपया गांवों व ऐसे शहरी क्षेत्र की मोहल्लेवार सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के 167 विद्युतीकृत शहरों/ग्रामों की हरिजन बस्तियों में अभी विद्युत की सुविधा नहीं है।

(2) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग नहीं, अपितु विद्युत मण्डल के बजट में इसके लिये प्रावधान रखा जाता है। विद्युतीकृत ग्रामों/कस्बों की ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं से हरिजन बस्तियों में विद्युत सुविधा हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने पर विद्युत मण्डल द्वारा अपने साधनों से हरिजन बस्तियों में विद्युत लाइनों का विस्तार किया जाता है।

जिला बीकानेर में 1980-81 में प्रस्तावित विद्युतीकरण योजना

515. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में सन् 1980-81 में कितने गांवों में विद्युतीकरण किस आधार पर किया जायेगा ?

(2) क्या कोलायत तहसील के ग्राम बरसलपुर, राववाला, भलूरी, गोकुल, चारणवाला, गोगडोयावाला, खारियापा तावतान, गिराजसर, माणकासर, राणासर, सूरजड़ा, अगनेऊ, रणधीसर, नोखा उर्फ देइया, बांगडसर कब तक विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में सन् 1980-81 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत 77 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति के आधार पर 26 ग्रामों का तथा ग्रामीण

(विद्युत् मंत्री)
विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजनाओं के आधार पर 51 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है ।

(2) सन् 1971 जनगणना पुस्तिका के अनुसार तहसील कोलायत में गांगडसर नाम का कोई ग्राम नहीं है । शेष 14 ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत योजनाओं के अनुसार अगले दो वर्षों में प्रस्तावित है।

तहसील छतरगढ़ में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का आवंटन

516. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील छतरगढ़ नं. 2 एवं पूंगल तहसील में ऐसे भूमिहीन काश्तकारों की कुल संख्या क्या है जिन्हें उपनिवेशन विभाग द्वारा एक से अधिक स्थानों पर कई चकों व मुरब्बों में भूमि आवंटित की गई है ? ऐसे काश्तकारों की नामवार, मुरब्बा नम्बर व चकवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या सरकार ऐसे आवंटियों की काश्त की असुविधाओं को देखते हुए रकबा एक जाही करने के आदेश देने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) तहसील छतरगढ़ नं० 2 एवं पूंगल में ऐसे काश्तकारों की कुल संख्या क्रमशः 509 एवं 429 है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अन्य बाधा न होने की अवस्था में, एक जाही करने की स्वीकृति दी जाती है ?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य सेवा में आरक्षण की स्थिति

517. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या मंत्री, कार्मिक विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत शासन में सरकारी सेवाओं में आरक्षण को सख्ती से लागू करने के लिए सभी विभागों को बैक लॉग (Back log) भरने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अब क्या स्थिति है ?

उत्तर

जी नहीं । ऐसे कोई निर्देश प्रसारित नहीं किये गए। फिर भी समय पर सरकारी सेवाओं में आरक्षणों के प्रतिशत सख्ती से भरने के लिए कहा जाता रहा है । वर्तमान में सीधी भर्ती का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

	1975–76		1976–77		1977–78	
	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. जा	अ. ज. जा.
1. राज्य सेवा	9–24	5–8	7–88	3–09	10–47	7–2
2. अधीनस्थ सेवा	14–6	7–26	12–72	7–70	9–10	5–07
3. मंत्रालयिक सेवा	17–85	9–17	16–50	9–77	13–6	7–7
4. चतुर्थ-श्रेणी सेवा	25–07	10–33	26–98	12–42	19–3	11–3

ग्राम काचरी, कोटा की पेयजल व्यवस्था

518. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी), एवं श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, अन्ता, जिला कोटा के ग्राम काचरी का जल पीने योग्य नहीं है, ? यदि हां, तो सरकार द्वारा पीने योग्य पेयजल के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है एवं कब तक ?

उत्तर

ग्राम काचरी में स्थित गांव के पास वाले कुएं का पानी पीने योग्य है, परन्तु बाग वाले कुएं का पानी ज्यादा पीने योग्य है। उक्त ग्राम को अब विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 4 हैण्ड पम्पों द्वारा सन् 1980-81 में पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव हैं।

भेड़ व ऊन विभाग के सरप्लस कर्मचारियों का अन्तर्लयन

519. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1976 में भेड़ व ऊन विभाग से तीस ऊन वर्गीकर्त्ताओं को सरप्लस करके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वरिष्ठ लिपिक पद पर लगाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उनसे जूनियर वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय सहायक के पदों पर पदोन्नत किया गया हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। भेड़ व ऊन विभाग से वर्ष 1976 में आर्थिक कटौती के अन्तर्गत 30 पद समाप्त किये जाने के फलस्वरूप, 29 ऊन वर्गीकर्त्ताओं को अधिशेष घोषित कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन अधिशेष घोषित कर्मचारियों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में व. लि. पद पर समायोजित किया गया था।

(2) ऊन वर्गीकर्त्ताओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में समायोजन होने के पश्चात् भेड़ व ऊन विभाग से उनको कोई संसर्ग नहीं रहता है। कार्यालय सहायक के पदों पर राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 के नियम 27 के अन्तर्गत विभाग के वरिष्ठ लिपिकों को ही वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति दी जाती है। अधिशेष घोषित ऊन वर्गीकर्त्ताओं पर राजस्थान भेड़ व ऊन अधीनस्थ सेवा नियम 75 लागू होते हैं। इन नियमों में कार्यालय सहायक के पदों पर ऊन वर्गीकर्त्ताओं को पदोन्नति दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 79-80 में विभागीय वरिष्ठता के आधार पर 6 वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय सहायक के पद पर अस्थाई पदोन्नति दी गई है।

मोरालिया ब्रदर्स बोन क्रशिग, लघु उद्योग, देवली को स्वीकृत ऋण

520. श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोरालिया ब्रदर्स बोन क्रशिग, लघु उद्योग, देवली, जिला टौंक को राजस्थान वित्त निगम द्वारा कितनी राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई ?

(2) क्या उक्त फर्म को नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण का भुगतान

(श्री चुन्नीलाल)
कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा हां, तो कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

(3) क्या मोरालिया ब्रदर्स बोन क्रसिंग का मालिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति में आता है ? यदि हां, तो उनके लिये स्वीकृत ऋणों पर नियमानुसार ब्याज की दरें क्या है ?

(4) मोरालिया ब्रदर्स बोन क्रसिंग, देवली वालों द्वारा क्रय की गई मशीनरी का भुगतान सीधा पार्टी को किया गया अथवा बैंक को ?

(5) क्या विभाग को यह जानकारी है कि उक्त फैक्ट्री को वर्किंग केपीटल देने के लिये भारत सरकार के प्रधान मंत्री कार्यलय/वित्त राज्य मंत्री के द्वारा आदेश जारी होकर उक्त फर्म को राजस्थान सरकार द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा दी गई है ?

(6) क्या भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उद्योगों के लिये स्वीकृत अनुदान राशि 25 प्रतिशत है और क्या वह राशि मोरालिया ब्रदर्स को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मोरालिया ब्रदर्स बोन क्रसिंग लघु उद्योग देवली, जिला टौंक को राजस्थान वित्त निगम द्वारा रु. 1,60,000 की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई एवं स्वीकृत राशि में से रु. 1.57 लाख की राशि का भुगतान हो चुका है।

(2) उक्त फर्म को सम्पूर्ण ऋण का भुगतान नहीं किया गया है चूंकि भुगतान सम्पति सृजन के आधार पर किया जाता है।

(3) जी हां। उद्यमी अनुसूचित जाति का है। इस ऋण पर पुर्नवित्त प्राप्त होने पर ब्याज दर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत है।

(4) जी। भुगतान पार्टी को किया गया।

(5) जी नहीं। वर्किंग केपीटल हेतु ऋण राज्य सरकार अथवा वित्त निगम नहीं प्रदान करते हैं।

(6) भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जन जाति के उद्योगों के लिये भी अन्य की भांति छः पिछड़े जिलों में 15 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। टौंक इन जिलों में नहीं है। परन्तु राज्य सरकार भी लघु उद्योगों के लिये पूंजी अनुदान राशि देती है। 25 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार अनु. जाति-जनजाति के उन उद्योगों को देती है जिनका पूंजी विनियोजन एक लाख रु. तक हो, चूंकि उक्त उद्योग उस सीमा में नहीं आता, अतः इन्हें ये सिर्फ 15 प्रतिशत राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत किया गया दिनांक 27-3-78 को उक्त उद्योग को 31020 रु. अनुदान के रूप में स्वीकृत किया गया इसमें से 26050 रु. अब तक वितरित किए जा चुके हैं।

ग्राम हनुतपुरा को जल प्रदाय योजना

521. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम हनुतपुरा तहसील विराट नगर में पेयजल योजना स्वीकृति हेतु ग्राम जनता द्वारा जलदाय विभाग को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

2,500 रु. जमा करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्वित कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

जी हां। 2,500 रु. की राशि जन सहयोग के रूप में प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की 1981–1990 के दस वर्षों में सभी ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने की नीति के अनुसार इस ग्राम को भी लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

जिला भीलवाड़ा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

522. श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में भीलवाड़ा जिले के किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है। इस वर्ष किन–किन ग्रामों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है ? पिछले 3 वर्षों में जो लक्ष्य तय किये गये थे उनमें से कितने शेष रहे? यदि शेष रहे, तो क्यों ?

(2) भीलवाड़ा जिले में आज तक कितने बिजली कनेक्शन पिछले वर्ष दिये गये ? इनमें से कृषि के कनेक्शन कितने हैं तथा घरेलू व व्यापारिक कितने हैं ? जिन्होंने गत वर्ष व इस वर्ष आवेदन किया उनमें से कितनों को कनेक्शन दिये जाना शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में भीलवाड़ा जिले में 384 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। चालू वर्ष के लिये 144 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों में से 33 गांवों का विद्युतीकरण करना बाकी है जिनका आवश्यक साधन व सामान के समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका।

(2) भीलवाड़ा जिले में पिछले वर्ष 1,172 कृषि, 2,411 घरेलू तथा 646 व्यापारिक कनेक्शन दिये गये। जिन्होंने गत वर्ष आवेदन किया और उनके कनेक्शन देना शेष हैं, वे हैं कृषि कनेक्शन के 929, घरेलू कनेक्शन के 1,546, व्यापारिक कनेक्शन के 353 तथा अन्य 276, इनके शेष रहने का मुख्य कारण आवश्यक सामान का उपलब्ध न होना तथा उपभोक्ताओं द्वारा समय पर मांग-पत्र की राशि व एल फार्म का जमा न कराया जाना आदि हैं।

राजस्थान नहर से सिंचित भूमि

523. श्री ज्ञानसिंह (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कुल कितनी भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं ?

(2) राजस्थान नहर की सिंचित भूमि में से कितनी भूमि का स्थाई तथा कितनी का अस्थाई और किन-किन श्रेणियों एवं वर्गों के लोगों को आवंटन किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन के अभाव में गत वर्षों में सिंचित योग्य भूमि के खाली पड़े क्षेत्र में खेती नहीं की गई और उपलब्ध पानी का भी पूरा उपयोग नहीं हो सका ?

(श्री ज्ञानसिंह)

(4) गत रबी और खरीफ की फसल में राजस्थान नहर क्षेत्र की कितने एकड़ भूमि में काश्त की गई थी ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना में मार्च, 1980 तक 11,615 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रबंध कर दिया गया है।

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचित भूमि के श्रेणीवार आवंटन की विस्तृत सूचना संलग्न है।

(3) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में अधिकांश सिंचित भूमि विभिन्न कार्यों के लिये आवंटित विवादास्पद भूमि एवं छोटे टुकड़ों को छोड़कर आवंटित की जा चुकी है। वर्ष 1979-80 में सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध पूरा पानी का उपयोग कर लिया गया था।

(4) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में खरीफ 79-80 में 3.44 लाख एकड़ तथा रबी 79-80 में 4.99 लाख एकड़ क्षेत्र में काश्त हुई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

जिला बीकानेर में काम के बदले अनाज योजना में सम्पन्न कार्य

526. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में काम के बदले अनाज योजना में व अकाल राहत कार्य के तहत अलग अलग ग्राम पंचायतों में कितनी कितनी राशि का कार्य हुआ है ?

(2) बीकानेर जिले में अलग अलग पंचायतों में कितने कार्य तालाब खुदाई व सड़क निर्माण के कार्य किये गये तथा पंचायतों को अलग 2 कितना अनाज आवंटित किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि कोलायत तहसील की पंचायतों में चार माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों की लापरवाही के कारण, उनके विरुद्ध अनुशासिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(4) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में मजदूरों की छांव के लिए व चिकित्सा हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? क्या इस क्षेत्र में फेमिन कोड नहीं लागू होता ? यदि हां तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो अकाल राहत कार्य हुये उनकी विस्तृत सूचना पंचायत समितिवार परिशिष्ट में संलग्न है।

(2) बीकानेर जिले में अलग अलग पंचायतों के तालाब खुदाई, सड़क निर्माण के कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये गये हैं उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट में अंकित है। साथ ही जिन जिन पंचायतों को कितना कितना अनाज दिया गया है वह भी परिशिष्ट में अंकित है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि कोलायत तहसील की ग्राम पंचायतों में 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ। अर्द्ध कुशल एवं कुशल श्रमिकों को गेहूं के रूप में वेतन का भुगतान दिनांक 30-6-80 तक का कर

(28)

(अकाल राहत मंत्री)

दिया गया है। कुछ सरपंचों के द्वारा पूर्व में पेशगी दी गई राशि का हिसाब न देने के कारण तथा कार्य का पूर्ण माप न होने के कारण, आंशिक रूप से नकद राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। निम्न ग्राम पंचायतों में केवल नकद राशि का भुगतान उपरोक्त कारणों से बकाया है :—

1. गंडियाला 2. बीठनोक 3. भझू
4. सियाना 5. दियातरा 6. भीकमपुर
7. हदां 8. खिन्दासर 9. नगरासर।

पंचायत समिति के पास नकद राशि भुगतान हेतु प्राप्त है। संबंधित सरपंचगण को नकद भुगतान करने की कार्यवाही विकास अधिकारी, कोलायत द्वारा की जा रही है।

(4) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि मजदूरों को छाया एवं चिकित्सा हेतु बीकानेर जिले में व्यवस्था नहीं की गई। मजदूरों को छाया आदि के लिए स्वीकृत तखमीनों में आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखा गया था और समय-समय पर इस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों को व्यवस्था करने हेतु निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। ग्राम पंचायतों ने छाया की व्यवस्था का स्थानीय परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुये आवश्यक प्रबन्ध किया है। चिकित्सा हेतु जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील में मोबाइल टीमें बनाई जाकर क्यूरेटिव एवं प्रीवेन्टिव चिकित्सा की व्यवस्था की गई। इस अकाल की अवधि में माह जून, 80 तक 4,475 रोगियों की चिकित्सा की गई।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

राज्य में खोले गये विद्यालय

527. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जून, 1977 से अक्टूबर, 1979 तक प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोले गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। विद्यालय खोलने में जो नीति अपनाई गई उसका पूर्ण विवरण भी कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) स्थानीय जनसंख्या, छात्र संख्या, भवन की उपलब्धि, जन सहयोग आदि पर विचार कर वरीयता के आधार पर साधारणतः विद्यालय प्रारम्भ व क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

पंचायत समिति की बैठकें

528. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की बैठक माह में एक बार होनी आवश्यक है? यदि हां, तो क्या राज्य की पंचायत समितियों की हर माह नियमित रूप से बैठक बुलाई जाती रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नियमित रूप से प्रति माह बैठक बुलाने के लिए सरपंचों

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिलाधीश व अन्य अधिकारियों को आदेश देंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (कार्य संचालन) नियम, 1965 के नियम 3 के अनुसार पंचायत समिति के कार्य सम्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य रखा गया है, परन्तु किन्हीं दो बैठकों के बीच का समय 4 माह से अधिक नहीं होगा । उपरोक्त नियमों के अनुसार ही पंचायत समितियां अपनी बैठकें आयोजित करती रही हैं ।

(2) वर्तमान में इस प्रकार के आदेश प्रसारित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (अवधि पर्यवसान) अधिनियम, 1977 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अनुसार 8 अगस्त, 1977 से पंचायत समितियों का विघटन हो जाने के कारण विकास अधिकारियों को पंचायत समितियों का प्रशासक नियुक्त किये जाने की अधिसूचना प्रसारित की जा चुकी है । जिसके फलस्वरूप पंचायत समितियां नियमित रूप से कार्य सम्पादन नहीं कर सकती हैं ।

इस विभाग के परिपत्र संख्या एफ 120 (6) साविप / खाद्य / वि / यो/77/13, दिनांक 2-1-79 द्वारा समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि काम के बदले अनाज योजना में पंचायत समिति स्तर पर समस्त सरपंचों की एक बैठक जो यथा सम्भव 15 दिन में एक बार आयोजित की जाय एवं इस बैठक में काम के बदले अनाज योजना से सम्बन्ध में प्रसारित समस्त निर्देशों से उन्हें अवगत करा दिया जावे । बैठक में पंचायतों द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाना एवं यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान किया जावेगा ।

झालावाड़ भूमि विकास बैंक में गबन

529. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आज से दो साल पूर्व झालावाड़ भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों ने 21 लाख रुपये का गबन किया था ? यदि हां, तो किन्होंने व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन काश्तकारों ने बैंक का ऋण, वापस जमा करा दिया है उनके पास ऋण भुगतान करने की पक्की रसीदें हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों के अपनी रसीदें दिखाकर बयान देने के पश्चात भी बैंक सैक्रेटरी द्वारा किसानों के खाते में रकम अभी तक जमा नहीं की है जिसके कारण उनको पुनः ऋण नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । बैंक कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के अनुसार 2,12,648.96 का गबन ज्ञात हुआ । यह गबन बैंक कर्मचारी श्री रामभरोसे जैन व श्री धर्मप्रकाश द्वारा

(सहकारिता मंत्री)

किया गया पाया गया जिनके विरुद्ध बैंक ने पुलिस में दिनांक 16-5-79 को रिपोर्ट दर्ज करा दी है।

(2) यह सही है कि संबंधित गबन-कर्ताओं ने काश्तकारों को बैंक की पक्की रसीदें जारी की हैं, ऐसे कृषकों की संख्या जांच रिपोर्ट के अनुसार 202 है।

(3) गबनशुदा राशि से संबंधित जिन काश्तकारों को बैंक की पक्की रसीदें जारी की गई थीं उनकी राशि को संबंधित खातों में जमा-खर्च करने के निर्देश समुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा दिनांक 30-6-80 को दिये जा चुके हैं।

यदि ऐसे जमाकर्ता पुनः ऋण की मांग करते हैं तो उनको नियमानुसार ऋण देने में अब बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

तहसील प्रतापगढ़ की सहकारी समितियां

530. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में कितनी सहकारी समितियां हैं एवं प्रत्येक सहकारी समिति में कितने आदिवासी सदस्य हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) इन सहकारी समितियों के कितने सदस्यों पर कितना-कितना ऋण कब से बकाया निकलता है ? अब तक बकाया ऋण की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें है जिनमें यह कहा गया हो कि ऋण राशि की वसूली दुबारा हो रही है ? यदि हां, तो अब सरकार अगला क्या कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में कुल 21 सहकारी समितियां हैं एवं इन सहकारी समितियों में 6,059 आदिवासी सदस्य हैं। सूची समितिवार प्रपत्र (क) में संलग्न हैं।

(2) इन 21 सहकारी समितियों के सदस्यों में जो आदिवासी हैं उनमें निम्न प्रकार से रकम बकाया है :

(1) मियाद में
बकाया 918 सदस्यों पर 4,70,830 रु. हैं।

(2) अवधि पार
बकाया 2,066 सदस्यों में 6,36,576 रु. हैं।

2,984 11,07,406

इस प्रकार 2984 सदस्यों पर कुल 11,07,406 रुपया बकाया रहा है समिति-वार सूची प्रपत्र (ख) में संलग्न है।

वर्ष 1979–80 में स्टाफ के वसूली प्रयत्नों से 3,43,444 रुपया वसूल किया गया है व राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 117/118 के अधीन 2,37,165 रुपये की वसूली हुई। इस प्रकार कुल वसूली 5,80,629 रुपये

(सहकारिता मंत्री)

हुई, जो रकम शेष रही है उसकी वसूली चालू खरीफ फसल से उक्त अधिनियम की धारा 117/118 के अधीन कराये जाने के लक्ष्य फील्ड स्टाफ को निर्धारित कर दिये गये हैं।

(3) किसी भी सदस्य से दो बार रकम वसूली की जा रही हो ऐसी कोई शिकायत की जानकारी सरकार को नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 30 जुलाई, 1980)

वृद्धावस्था पेंशन

202. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की क्या कोई पेंशन बकाया है? यदि हां, तो तहसीलवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नियत समय पर नहीं करने के क्या कारण है?

(3) क्या वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में कोई संशोधन करने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई है उसमें से कुछ व्यक्तियों की पेन्शन बकाया है। जिन व्यक्तियों की पेन्शन बकाया है उनकी जिलेवार व तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) पेन्शन का भुगतान नियत समय पर ही किये जाने का प्रबन्ध है किन्तु जिन व्यक्तियों को पेन्शन का भुगतान नहीं हुआ है उनके कारण भी सूची में अंकित कर दिये हैं।

(3) जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को प्राथमिकता

श्री **सभापति** : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य आप फर्मायें।

श्री **सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने दे रखे हैं हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर सारा टाइम विपक्ष के नेता खराब कर देते हैं इसलिये व्यवस्था दी जाय कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किये जायें।

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना

(श्री सभापति)
है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी के लाखेरी नगर में श्रम कल्याण केन्द्र के भवन की काफी बरसों से मरम्मत नहीं होने के विषय में।

(2) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान नहर के निर्माण हेतु ली गई गई जमीन का आवजा काश्तकारों को न देने के विषय में।

(3) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौडगढ़ में गत मार्च से हुई डकैती व हत्याओं के विषय में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के विषय में।

(4) सर्वश्री रतनलाल ताम्बी, मोहनलाल मोदी व कनकमल मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की उप तहसील बिजौलिया में मकरेडी पंचायत, पटवार हल्का रसूंडा के एक बहुत बड़े भू-भाग को खनिज क्षेत्र घोषित न किये जाने के विषय में।

(5) सर्वश्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम इसरदा में गत 4 अगस्त को रामचन्द्र धोबी पर किये गये घातक हमले के अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार न करने के विषय में।

(6) सर्व श्री रामरघुनाथ चौधरी, महाराम चौधरी, धनश्याम तिवाड़ी व यदुनाथ सिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय के 14 अस्थायी अध्यापकों को सेवामुक्त कर उनके स्थान पर अन्य प्रान्त के व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किये जाने के विषय में।

(7) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के सिनेमा गृहों में चल रही एक फिल्म "ज्योति बने ज्वाला" के एक अंश भारतीय संस्कृति के विपरीत होने के बावजूद इस फिल्म के प्रदर्शन को न रोकने के विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य यदि चाहें तो इन्हें आज विनियोग विधेयक पर हो रही बहस के दौरान चर्चा में उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो रिजेक्ट कर दिये गये है, मैं आप लोगों को दो-दो मिनट का समय दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं और कई महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं सरकार की ओर से। अतः मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मिस्टर पटवा। आर्डर प्लीज। मिस्टर बालचन्द्र, आर्यवीर।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि मैंने परसों एक स्थगन प्रस्ताव दिया था काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको अभी तक चुकारा नहीं हो रहा है। दो स्थगन प्रस्ताव दिये थे एक पत्रकारों की पिटाई से संबंधित स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में क्या व्यवस्था आपकी है ?

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करूं, अध्यक्ष जी से मिल लीजियेगा वह उसके बारे में व्यवस्था देंगे। मेरे सामने यह आये नहीं है, मैं इनको दिखवाऊंगा, क्या स्थिति है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

एक माननीय सदस्य : मेरा 12-8-80 का स्थगन प्रस्ताव था डूंडाणी नदी में जो डूब में आ रहे हैं किसान उनकी सम्पत्ति सही इन्द्राज नहीं हो पाई....

श्री **सभापति** : मैंने उसको दिखवा दिया है।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): सभापति महोदय, मैंने रेजीडेन्ट डाक्टरों की हड़ताल को लेकर दो बार स्थगन प्रस्ताव भेजा है। पिछले चार दिनों में उसका जिक्र नहीं आ रहा है।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, कृपया। मैं आपसे निवेदन करूंगा आपको ध्यान हो तो जब आपका स्थगन प्रस्ताव था तब आसन द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया था, चिकित्सा की जिस रोज डिमाण्ड थी, सरकार इसके बारे में विस्तृत रूप से अपने उत्तर में चर्चा करेगी। चिकित्सा मंत्री ने काफी विस्तृत रूप से जो सरकार की नीति थी, उसके ऊपर प्रकाश डाला था। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रेस न करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय से मैं मिला था। मिलने के बाद वास्तव में हड़ताल की स्थिति बढ़ती जा रही है, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है, उसके बारे में फिर से दिया...

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य एप्रोप्रियेशन बिल पर जब चर्चा होगी, उसमें मैं आपको भाग लेने का अवसर दूंगा। यह उस वक्त आप उठा सकते हैं।

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री **जीतमल जैन** (अलवर): सभापति महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है भारत केमिकल्स है जो जहरीली गैस...

श्री **सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। इसके ऊपर मैंने यह निर्णय दिया है कि इसके बारे में यहां पहले काफी चर्चा हो चुकी है सरकार के द्वारा उत्तर आ चुका है विस्तृत रूप से। एक ही विषय को दुबारा उठाने की अनुमति, माननीय सदस्य मैं आपको नहीं दूंगा।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : सभापति महोदय, फिर दुबारा गैस छोड़ी गई है। अभी पहले की कार्यवाही तो हुई नहीं है, गिरदावरी पूरी हुई नहीं है, किसानों को राहत मिली नहीं और दुबारा हालत खराब कर दी गई है। इस पर दो मिनट का समय दिया जाय, ऐसी स्थिति किसानों की हो गई है सब जयपुर में आये पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गिरदावरी न होने के बाद इस स्थिति पर बोलने के लिए अवश्य मौका दिया जाय। किसान मर रहे हैं।

श्री **सभापति** : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : सभापति महोदय, मोराना में हैजे की बीमारी फैल रही है।

(श्री दाऊदयाल जोशी)
आसन से यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्य सरकार और मंत्री महोदय द्वारा रिप्लाई दिलाया जायगा। आज तक लगातार वहां से खबरें आ रही हैं। लोग मर रहे हैं। मोराना के पास एक गांव और है वहां पर भी लोग रोज मर रहे हैं। राज्य सरकार ने अभी तक कोई सदन को सूचना नहीं दी है।

श्री **सभापति** : मैं आपको जानकारी प्राप्त कर, सूचित कर दूंगा।

आर्डर प्लीज, चार को मैं एक साथ कैसे सुनूंगा। वन, टू, थ्री, फोर श्री वालचन्द्र आर्य। यह आप मुझ पर छोड़िये कि मैं किसे काल करता हूं।

श्री **वालचन्द आर्यवीर** (डग) : मैंने झालावाड़ जिले के रेंजर्स द्वारा पेड़ों की कटाई के बारे में अवैध कटाई के बारे में, स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। मैंने इसको पढ़ा है। आपने जो दिया यह सार्वजनिक महत्व का विषय नहीं है। पेड़ों की कटाई के संबंध में सदन में स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। कोई और सार्वजनिक महत्व का हो।

श्री **वालचन्द्र आर्यवीर** : माननीय सभापति महोदय, यह पेड़ रेन्जरों द्वारा काटे जा रहे हैं इसलिए इसको मैंने सदन में रखा है। रक्षक, भक्षक वन रहे हैं।

श्री **सभापति** : श्री गोपाल पचेरवाल, आरंभ करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपसे पूछना चाहती हूं मैं, जो विषय हमने उठाये हैं जैसे, मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव गौवंश की निकासी के बारे में रखा और उसका उत्तर यह है कि सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। सभापति महोदय, वहां पर आन्दोलन चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, सरकार ने कोई व्यवस्था की या नहीं की, इसके बारे में क्या उत्तर दिया जायगा। गौवंश की निकासी रोक दी जाय, इसके बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था उसकी क्या स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, यह तो कुछ बताने की कृपा करें? मुझे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसके बारे में वह मुझे . . . .

श्री **सभापति** : यह कल के लिये रखा हुआ है, आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल आ रहा है ?

श्री **सभापति** : जी हां, कल।

श्री **सोहनलाल शर्मा** (सरदारशहर) : मैंने एक बीकानेर में . . .

श्री **सभापति** : मैं आपको बताता हूं। मैंने पढ़ा है। आपका बिलकुल काल्पनिक स्थगन प्रस्ताव है अगर ऐसा हो जायगा तो ऐसा होगा, मैं आपको पढ़ कर सुना सकता हूं आप मुझसे मिल लीजिये चेम्बर में। यह बिलकुल काल्पनिक है। आप इसकी भाषा देख लीजिये, स्वयं महसूस करेंगे।

माननीय रामरघुनाथ चौधरी :

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : सभापति महोदय, मैंने जोधपुर के एक प्राध्या-

(श्री **रामरघुनाथ चौधरी**)

पकों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया था, मुझे जानकारी मिली है कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस संबंध में कुछ विधायकों ने दिया है जो कि सरकार की जानकारी को भेजा जा रहा हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरा स्थगन प्रस्ताव जब उनका जवाब आ जाय, तब मुझे मौका दिया जाय। मैं इस पर आज नहीं बोल कर कल, परसों बोलूंगा।

श्री **रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : सभापति महोदय, यह ठीक रहेगा। सरकार के जवाब के बाद ही ठीक रहेगा।

श्री **सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें कल की कार्यसूची आने के बाद ही मैं निवेदन कर सकूंगा।

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : सरकार का जबाब आप न भी दिलावें, सदन में तो कम से कम जवाब आ जाय तब मौका दिया जाय, तो कल या परसों बोल लूंगा, आप जब भी उचित समझें।

श्री **सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें। मैंने यह रिजेक्ट कर दिया है।

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि उनका दिया हुआ है। हमें इकट्ठा ही मौका दिया जाय।

श्री **सभापति** : मैं कार्य सूची देखे बिना....

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : तो मेरा कल के लिये रेफर कर दिया जाय।

श्री **सभापति** : ठीक है।

श्री **हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। एक धोबी को असामाजिक तत्वों द्वारा तेल डाल कर जला दिया गया। मैं यह सारा बताना चाहता था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नही किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को सदन में लिया जावे और मुझे मौका दिया जावे।

श्री **सभापति** : मैंने व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें, मैंने व्यवस्था दे दी है इस पर सदन में, आप कृपया सुना करिये।

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : सभापति महोदय, लाखेरी जिला बून्दी का एक औद्योगिक नगर है। उस औद्योगिक नगर में बहुत बड़ा सीमेंट का कारखाना है। उसमें कार्य कर रहे मजदूरों के लिये सरकार द्वारा सन् 1962 में कल्याण केन्द्र की स्थापना की गई। वह श्रम कल्याण केन्द्र कोटा डिविजन में प्रथम श्रेणी का श्रम कल्याण केन्द्र माना जाता है, और है। जब सन् 62 में इसकी स्थापना की गई तो राज्य कोष से 2 लाख रुपये खर्च किये गये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, मेरी जानकारी के अनुसार 18 वर्ष से लगातार इस श्रम कल्याण केन्द्र के भवन की न कभी पुताई हुई, न कभी मरम्मत कराई गई। आज इसकी छतें, फर्श इतनी खराब हो गई है कि बरसात में टपकती है, और गर्मी के दिनों में फर्श पर कोई आदमी बैठ भी नहीं सकता। जब हवा चलती हैं तो फर्श की मिट्टी इतनी फैल जाती है कि कोई बैठ नहीं सकता।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस केन्द्र को चलाने के लिये जो अधिकारी नियुक्त हैं, जो स्टाफ कर्मचारी नियुक्त हैं उन

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पर 50 हजार रुपये वार्षिक खर्चा आता है। पचास हजार प्रति वर्ष से एक दिन का अनुपात निकालें तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन वहां जाकर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इतना खर्चा कर रही है, और इतना खर्चा करने के बाद अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के कारण इस केन्द्र का लाभ 10 व्यक्ति भी नहीं ले पायें तो फिर इतना खर्चा करने का क्या तात्पर्य है। क्यों इतना राजकीय कोष को बर्बाद किया जा रहा है।

मेरा दूसरा निवेदन है कि वहां पर सिलाई केन्द्र चलाया जाता है, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां खेलकूद प्रतियोगिताओं का सामान भी रखा हुआ है लेकिन वहां प्रशिक्षण के लिये जो अध्यापिकाएं हैं केवल मात्र आज वह यह नहीं कह सकते हैं कि आज हमने इतने लोगों को ट्रेन्ड किया या इतनी महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया। वहां पर केवल दो अध्यापिकाएं हैं उनका वहां आकर बैठ जाना या बायरूम में नहाना-धोना या ऐशो आराम करने के अलावा कोई काम नहीं है।

मैंने देखा है, भवन की चार दीवारी की यह हालत हो गई है कि हाथ से गिर जाय। जितनी भी बैल गाड़ियां पशुओं को लेकर आती हैं उनको वहां पर खड़ा किया जाता है। रात के समय में तो पशुओं का आवास-गृह कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी आवारा पशु होते हैं वह सारे श्रम कल्याण केन्द्र के भवन प्रांगण में चारदीवारी में बैठ जाते हैं और चारदीवारी में तो इतनी टूट-फूट हो गई है कि रात को तो लोग पेशाब करने के उपयोग में लाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे, वहां इतनी बढ़िया टेबल थी, उसका उपयोग किया जाता था वह आज इस हालत में पड़ी हुई है कि उसको आप देखेंगे तो, उस पर 1 व 2 हजार रुपया खर्च किया गया होगा, आज उसको नीलाम भी करेंगे तो कोई 10) रु. में लेने को तैयार नहीं होगा। अधिकारी इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वह ताला खोलते नहीं। जो पत्र-पत्रिकाएं आती हैं उनको अपने बच्चों के पढ़ने के लिये ले जाते हैं। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथम श्रेणी का कोटा डिविजन में यह श्रम कल्याण केन्द्र जिसमें 50 हजार रुपये प्रति वर्ष वेतन और भत्ते पर खर्च किये जा रहे हैं, दो लाख लगाकर जिसका निर्माण कराया गया, उसके बावजूद भी उसका उपयोग नहीं है। वहां मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वहां जो सामान पड़ा हुआ है, खेलकूद व मनोरंजन का सामान सारा बेकार जा रहा है। उसका फिर क्या उपयोग है? तो मैं, आपके माध्यम से राज्य सरकार के श्रम मंत्री जी से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें और इस पर बजट स्वीकृत करें, अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करें, ताकि उसका पुनः जीर्णोद्धार कराया जा सके। उसकी पुताई, मरम्मत, लाइट की व्यवस्था नहीं है। उसकी चारदीवारी, जो खण्डर का रूप ले चुका है, बचाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लाखेरी के मजदूर, सीमेन्ट फैक्ट्री के श्रमिकों के, बच्चों के खेल व मनोरंजन

(श्री गोपाल पचेरवाल)

के लिये जितनी राशि लगाई गई है उनको बचाया जाय उसका जीर्णोद्धार किया जाय, उसमें सामान डलवाया जाय और वहां के कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाय और अच्छे कर्मचारियों को वहां लगाया जाय ताकि उसकी देख-रेख कराई जा सके। यही मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, मैंने एक गंभीर और अहम् किसानों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा उसके लिये सरकार जवाव देने के लिये तैयार नहीं हुई। मेरा निवेदन यह था कि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आज करीबन आठ-दस साल से बहुत से लोगों की जमीनें नहर में, सड़क में, भट्टों में और वन विभाग द्वारा अवाप्त कर ली गई ...

श्री सभापति: लोगों का नम्बर क्या है ?

श्री देवीसिंह भाटी : हजारों की तादाद में काश्तकार हैं।

तो सभापति महोदय, ऐसे हजारों काश्तकार हैं जिनकी दरख्वास्तें कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में विचाराधीन पड़ी हैं और इसके संबंध में जब मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तक ऊपर से लॉ अधिकारी आदेश नहीं देंगे तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक परिवार की विधवा औरत है उसकी सारी की सारी जमीन नहरी वन विभाग के क्षेत्र में है और आज उसके पास एक बीघा भी काश्त के लिये जमीन नहीं है। उसका न कोई संरक्षक है, न लड़का है वह आज अपना पेट पालने के लिए क्या करे यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब किसानों के हित की सरकार है तो कम से कम उस कृषक के लिये तो सोचें। आपको जरूरत है नहर निर्माण करने की, जरूर करो आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं उसकी गांव में और उसका गांव छुड़ाकर 50 मील दूर जाकर उसे अलाट कर रहे हैं तो क्या इन कारणों को देखते हुए सरकार किसानों की मांगों को ध्यान में रखेगी जो लापरवाही से किसानों को परेशान कर रही है ? सभापति महोदय, सिचाई विभाग उसके अन्दर लापरवाही करता रहा है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हजारों प्रार्थना पत्र पड़े हैं। उपनिवेशन विभाग, सिंचाई विभाग को तुरन्त आदेश दे कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर तुरन्त कार्यवाही करे और जिन-जिन की जमीन अवाप्त की गई है उसको जमीन दे। सभापति महोदय, यह गंभीर मसला है। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप विशेष तौर से सरकार को कहें कि वह इसके ऊपर वक्तव्य दे और यह निर्देश जारी करे जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, मैंने प्रतापगढ़ तहसील में 1 जनवरी, 1980 के पश्चात् हुई हत्याओं, बलात्कार के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वैसे जनवरी, 80

(श्री नन्दलाल मीणा)

से ही सारे देश में और देश के सभी प्रान्त में हत्याओं, डकैतियों और बलात्कार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। प्रतापगढ़ तहसील से, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ तहसील के करनाड गांव में रहने वाले एक खेतिहर मजदूर श्री भगवान लाल मीणा को, एम. पी. के रहने वाले श्री गणपतसिंह और श्री लाल के द्वारा अपने घर में कुछ सहयोगियों के साथ हत्या कर दी गई। इस पर प्रतापगढ़ की पुलिस ने कार्यवाही की, कुछ मुल्जिमों को गिरफ्तार किया और जैसा कि सदन में पूर्व में भी मैं निवेदन कर चुका हूं ईमानदार पुलिस अधिकारियों को हटवा कर वहां के प्रभावी कांग्रेसी कार्यकर्त्ता इस हत्या पर पर्दा डालना चाहते हैं। सभापति महोदय, 11-7-80 को भगवान लाल की विधवा पत्नी जयपुर आई और राजस्थान के उप-गृह मंत्री श्री उपाध्याय से उनके निवास स्थान पर मिली। उसकी यह शिकायत थी कि डीवाई. एस. पी. प्रतापगढ़ द्वारा इस केस की इन्क्वायरी की जा रही है परन्तु सरपंच लाल जो कांग्रेसी है, वह यहां पर आया और उप मंत्री श्रीमती भगवती देवी से मिला और इनसे मिलकर यह साजिश की कि डीवाई. एस. पी. प्रतापगढ़ जो इस केस की तफतीश कर रहा है उसके बजाय किसी न किसी प्रकार से आदेश प्राप्त कर यह तफतीश दूसरे अधिकारी को दी जाए। सभापति महोदय, उसके प्रार्थना-पत्र पर मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की? यह अवश्य हुआ कि जब पसाड़ के सरपंच यहां आये थे उन्होंने यहां के मंत्रियों व प्रभावी कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क कर जो प्रतापगढ़ के डीवाई. एस. पी. इसकी जांच कर रहे थे उसके उन्होंने कुछ प्रूफ प्रस्तुत किये थे तथा कुछ गिरफ्तारियां की थीं और कुछ मुख्य मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। परन्तु अब उसकी जांच के आदेश निम्बाहेड़ा डीवाई. एस. पी. को दे दिए हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह जवान आदिवासी विधवा है। उसका एक मासूम बच्चा है उसकी आयु 25 साल के करीब है। उस महिला ने यहां आकर यह मांग की थी, गृह मंत्री को यह निवेदन किया था वह चाहती थी कि जो तफतीश डीवाई. एस. पी., निम्बाहेड़ा को दे दी गई वह वापस डीवाई. एस. पी. प्रतापगढ़ द्वारा की जाए। यह जांच दूसरे को न दी जाए। उसकी रिपोर्ट है जिन लोगों ने उसके पति की हत्या की है उसकी ही जांच डीवाई. एस. पी., प्रतापगढ़ से ही संभव है इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए कहें कि जिस पत्नी के पति की हत्या कर दी गई उस पर सरकार द्वारा पर्दा क्यों डाला जा रहा है इसके बारे में व्यवस्था दें तथा इसकी जांच डीवाई. एस. पी., प्रतापगढ़ द्वारा ही की जाय। उसको जारी रखा जाए। परन्तु इसके पीछे साजिश है। प्रतापगढ़ में कांग्रेसी गया उसने अपने आपको रामलाल गूजर बताया और यह बताया कि मैं उनियारा का एम. एल. ए. हूं। सुरेन्द्र सिंह, जो बड़ी साटड़ी के भारतीय जनता पार्टी के सरपंच थे 21 तारीख को उनकी हत्या कर दी गई है इस हत्या के केस को रफा-दफा करना चाहते थे उन्होंने डेढ़ हजार उस दिन मगवाड़ा से प्राप्त किया जो दैनिक नव ज्योति में भी समाचार छपा है।

(श्री नन्दलाल मीणा)

इसके साथ स्थानान्तरण मामले को लेकर गरीब कर्मचारियों और आदिवासियों को कांग्रेसी एम. एल. ए. बनकर परेशान किया जा रहा है। कभी उनियारा के एम. एल. ए. से न मिला जो शक्ल इनकी है, वह नहीं है। परन्तु लगता है किसी न किसी प्रकार के एजेन्ट इलाके में हैं और वे आदिवासी जनता को परेशान कर रहे हैं। चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है। मार्च, 80 के पश्चात् प्रतापगढ़ तहसील में 51 चोरियां हुई, 9 हत्याएं हो चुकी हैं परन्तु एक का भी चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है। लगता है इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। जैसा कि कल स्थगन प्रस्ताव के जरिये जयपुर की बात कही थी। वहां के प्रभावी लोग, कांग्रेसी लोग केसेज को रफा-दफा करने में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा कि मजदूर, आदिवासी, सरपंच और अबला की जिन्दगी खतरे में है। उसके पास खाने को अनाज नहीं, उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं यह चाहता हूं कि भगवान के हत्या की तफ्तीश जो निम्बाहेड़ा के डी-वाई. एस. पी. को दे दी गई है वह प्रतापगढ़ के डी. वाई. एस. पी. को वापस दी जाए तो हत्यारों को पकड़ा जा सकेगा। जिनके माध्यम से यह साजिश हुई है मैं चाहूंगा कि सरकार उनको चेतावनी दे और जो हत्या, डकैती और बलात्कार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कम से कम सरकार व्यवस्था करे।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी। समय का ध्यान रखें। दो मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, एक ओर जनता पर काफी टैक्स लगाना पड़ता है और दूसरी ओर नॉन टैक्स रेवेन्यू का प्रश्न है। मैंने एक बहुत बड़ा मामला सरकार के सामने रखने की कोशिश की थी। भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया उप-तहसील में मकरेडी पंचायत क्षेत्र है उसमें सात गांव हैं। सात गांवों के सम्पूर्ण क्षेत्र में पट्टी और फरसी का क्षेत्र है। उतने ही क्षेत्र को खनिज क्षेत्र घोषित किया जाए। परन्तु कुछ राजनीतिज्ञों के संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उसको खनिज क्षेत्र घोषित नहीं किया जा रहा है। उसको रेवेन्यू की जमीन मानते हुए काफी लोगों ने उस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। अब वे इस अतिक्रमण को रेगूलेराइज कराना चाहते हैं रेवेन्यू रूल्स के अन्तर्गत। बड़ी तादाद में और जमीनें पड़ी हैं उनको अलाट करना चाहते हैं। मेरी यह मांग है कि यहां पर करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति छिपी हुई है। राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों की एक कमेटी बना कर उसकी जांच करायी जाए। मैं उस कमेटी को सहयोग देने को तैयार हूं, इससे राज्य सरकार के खजाने को काफी रुपया मिलेगा। मकरेडी पंचायत में रेवेन्यू जमीन है जो वास्तव में खनिज सम्पदा से भरपूर है। उसको खनिज क्षेत्र घोषित किया जाए। जब तक उसको खनिज क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही न हो तब तक वहां पर किसी की भूमि का आवंटन न हो और जो अतिक्रमण हुए हैं उनको नियमित करने की कार्यवाही न की जाए। यह मेरी मांग है।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कितना ही बड़ा राजनीतिक प्रभाव काम कर रहा हो उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भील लोग हैं छोटे लोग, सीमान्त कृषक हैं। इससे उनकी रोटी रोजी की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

समस्या हल हो सकती है। यह बाउण्ड्री खोलकर सरकार के खजाने को भी लाभ हो सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आप की मार्फत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, इस अवसर पर खनिज मंत्रीजी नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विशेष गंभीरता से ध्यान दिया जाय। यहां की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान तथा डाकेजनी न हो। आशा है, सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल जेलिया।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मैंने यह स्थगन प्रस्ताव सचिव महोदय को दिया उस समय मुझे भी लगता था कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जायगी। उसका आभास सभापति महोदय के मुखारबिन्द, श्रीमुख से निकले शब्द के रूप में प्रकट हुआ। मैं मानता हूं कि सदन में ऐसी छोटी बातें नहीं उठाई जानी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सिने जगत का कुछ इस तरह का ट्रेण्ड चल गया है कि या तो पुलिस को या महिलाओं को जिस प्रकार से वह प्रदर्शित कर रहे हैं वह मेरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। जयपुर में आज इस तरह के तीन सिनेमा प्रदर्शित किये जा रहे हैं एक तो 'चेहरे पर चेहरा' दूसरा 'कुर्बानी' और तीसरा 'ज्योति बने ज्वाला'....

श्री सभापति : आपने तीनों देखें हैं क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने तो नहीं देखे मैंने केवल उनके पोस्टर देखे हैं मुझे सिनेमा देखे हुए कई वर्ष हो गए। मैं पत्रिकायें मंगवाता हूं पत्रिकाओं में उनका फोटो कहानी और समाचार आदि छपते हैं। पोस्टरों में जो स्थिति देखते हैं वह एक चिन्ता का विषय है। ज्योति बने ज्वाला मैंने सोचा था कि अच्छी पिक्चर होगी जैसे 'गीत गाया पत्थरों ने' 'जागृति' और जैसे 'पूरब और पश्चिम' वैसे ही मैंने सोचा था कि 'ज्योति बने ज्वाला' होगी। मैं उसी नाते पिक्चर हाल में घुस गया यह चिन्ता का विषय है। सभापति महोदय, इस प्रश्न को सदन में रखने का उद्देश्य मेरा एक यह भी है कि इसी प्रश्न को लेकर जोधपुर में एक आन्दोलन हुआ। उन्होंने स्वीकार किया है कि जो विश्वामित्र और मेनका प्रकरण है वह बहुत ही गन्दा है। जिलाधीश ने माना है कि जब तक जोधपुर में यह 'ज्योति बने ज्वाला' चलती रहेगी उस समय तक के लिए यह विश्वामित्र और मेनका का हिस्सा निकाल दिया जाय। मेरा निवेदन है कि 'विश्वामित्र और मेनका' को जिस तरह से उसमें प्रदर्शित किया है जिस तरह से उपस्थित किया है उससे करोड़ों लोगों की जो भावनायें हैं ऋषि विश्वामित्र के प्रति उस पर निश्चित रूप से ठेस पहुंचाता है। मेरा निवेदन है कि जयपुर सहित राजस्थान के समस्त राज्यों और जोधपुर में आन्दोलन चला है। आपकी मार्फत, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस फिल्म पर सेन्सर बोर्ड द्वारा रोक लगाई जाय इसलिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूं। राजस्थान सहित सारे हिन्दुस्तान में 'ज्योति बने ज्वाला' पिक्चर से ऋषि विश्वामित्र और मेनका का हिस्सा है उसको निकाला जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री दाऊदयाल जोशी)
उसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मुझे याद है कि आपकी और मेरी बात हुई थी . . . .

श्री सभापति : मेरी आपकी गोपनीय बात की चर्चा यहां न करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, आपने स्वयं ने यह महसूस किया था कि अगर बलात्कार की घटनाओं के लिए कोई दोषी है तो यह फिल्म जगत है या फिर यह गन्दी पत्रिकायें हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नग्न प्रदर्शन 'कुर्बानी' में किये गये हैं जिस प्रकार से उसमें गुण्डागर्दी प्रदर्शित की गयी है और फिल्म 'चेहरे पर चेहरा' के अन्दर प्रदर्शित की गयी है यह वास्तव में एक चिन्ता का विषय है। इसके कारण ही देश में बलात्कार की घटना बढ़ रही है। दूसरे जिस प्रकार से पुलिस को प्रस्तुत किया है फिल्म जगत में यह भी हास्यास्पद है . . .

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

सारे हिन्दुस्तान की पुलिस को जिस प्रकार से हास्यास्पद ढंग से प्रस्तुत कर उसका अपमान किया जा रहा है वह बड़े गन्दे तरीके से उपस्थित किया गया है, बड़े मजाकिये तरीके से उपस्थित किया जा रहा है। उसके कारण से पुलिस के प्रति जो एक महान मर्यादा व सम्मान का प्रश्न होता है वह लोगों के मनों में नहीं होता . . .

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार तुरन्त 'ज्योति बने ज्वाला' पिक्चर से विश्वामित्र और मेनका 'सम्वाद को निकाले। करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं की इज्जत करते हुए राज्य सरकार ऋषि व महाऋषियों के साथ जो इस तरह से इन पिक्चरों में खिलवाड़ किया गया है उसको निकाले। राजस्थान में जहां जहां पिक्चर चल रही है वहां 'ज्योति बने ज्वाला' से ऋषि विश्वामित्र मेनका का हिस्सा निकाल दिया जाय।

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदय, पहले श्री दाऊदयाल जी सभी सदस्यों को यह फिल्म दिखा दें, फिर निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सीट पर नहीं थे। मैं आपको अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज . . .

श्री मोहनलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव परसों का दिया हुआ है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें, मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : पहले ही समय दे दीजिए।

श्री सभापति : प्रगतिशील दल के नेता

(श्री सभापति)
महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री बालचन्द्र आर्यवीर दो मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** : माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव झालावाड़ रेन्जर द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा कांग्रेस सरकार आज महान नेता संजय गांधी की स्मृति में लाखों रुपये खर्च करके पेड़ों को लगा रही है। 1 और 10 जुलाई के 'पसीना' पत्रिका में छपा है कि झालावाड़ में वहां के रेंजर द्वारा ही पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है यह रुकवाई जाय। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस नेता संजय गांधी के बड़े भक्त हैं तो फिर झालावाड़ में इस प्रकार से जो रेंजर द्वारा अवैध कटाई कराई जा रही है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार लाखों रुपये वृक्षारोपण में खर्च कर रही है तो जो भी वृक्ष रेंजर द्वारा झालावाड़ प्रोपर में कट रहे हैं उनकी कटाई को रोका जाय।

श्री **सभापति** : श्री जीतमल जैन। माननीय सदस्य, कोई नया प्रकाश डालें इस विषय पर तो उचित रहेगा क्योंकि पूर्व में ही सरकार द्वारा वक्तव्य आ चुका है उसके बाद कोई नया प्रश्न प्रकाश में लायें तो उचित रहेगा।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव आज पुनः अलवर स्थित भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स द्वारा विषैली गैस छोड़े जाने के विषय में है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी गिरदावरी के नुकसान के जो आदेश दिये गये हैं वह पूरे नहीं हुए। पिछली 19 अगस्त को पुनः फैक्ट्री द्वारा गैस छोड़ी जाने पर जो बची-खुची फसल थी वह भी बिलकुल नष्ट हो गयी है और लोगों के अन्दर बीमारियां फैल रही हैं। वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी की बीमारी हो गई है। वहां मानव रोग से ग्रसित हैं और पशु जीवन भी उससे त्रस्त है। इसके लिए काफी किसान मेरे यहां आये हुए थे। करीब दस पन्द्रह किसान मेरे पास आये थे। सबसे बड़ी लज्जास्पद और दुखद बात है वह यह है कि वहां पर खेतों में आग लगी हुई है, फसल बिलकुल नष्ट हो चुकी है। मैंने सोचा कि उन किसानों को साथ लेकर मैं मुख्य मंत्री जी से उनको मिला दूं ताकि वह अपनी करुण कहानी और अपना दुःख दर्द मुख्य मंत्री जी को सुना दें लेकिन मुख्य मंत्री जी से मिलना तो भगवान से मिलने के बराबर है। फिर मैंने सोचा कि सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री से ही इस संबंध में उनकी बात करा दूं। गरीब किसान जो कि छोटे छोटे खेत लेकर बैठे हैं की फसल पहले ही अकाल के कारण खराब हो गयी थी और यह फसल भी अगर खराब हो गई तो वे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे इसलिए मैंने कृषि मंत्री महोदया से निवेदन किया कि यहां पर किसान आये हुए हैं आप उनसे मिल लें। तो मुझे बड़े दुःख के साथ

(श्री जीतमल जैन)

कहना पड़ता है यह कितनी लज्जास्पद बात है कि मंत्री महोदया ने कहा कि मेरे पास इस तरह के लोग रोज आते हैं. मेरे पास मिलने का समय नहीं है। मैंने कहा कि यह लोग 150 मील दूर से आये हैं और आपसे मिलना चाहते हैं अपना दुख दर्द सुनाना चाहते हैं। आपके पास नहीं आयें तो फिर किस के पास जायें तो मंत्री महोदया यह कहकर कि मैं इस तरह की बदतमीजी की बात को सुनने को तैयार नहीं हूं सदन के अन्दर आ गई। सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आखिर यह सरकार कितनी बहरी और गूंगी हो गयी है। जो किसानों को सहूलियतें देने का दावा करती है और कहती है कि हम किसानों को राहत देंगे। आज उनके दुःख दर्द की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, मंत्री महोदया। इससे ज्यादा लज्जास्पद बात मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार शीघ्राति-शीघ्र कार्यवाही करें। जब तक सरकार फैक्ट्री के बारे में फैसला नहीं कर लेती कि फैक्ट्री बन्द होगी या अलग जगह शिफ्ट होगी और जब तक किसानों को मुआवजा देने वाली बात तय नहीं हो जाती सरकार को चाहिए कि फैसला लेने के पहले फैक्ट्री इतने दिन के लिए तुरन्त बन्द कर दी जाय नहीं तो सारे किसान बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी प्रकार से उनको बचायें। इसके साथ साथ एक दुखद बात और है कि ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के अन्दर कुछ एक्स्ट्रा कान्स्टीट्यूशनल अथोरिटि बन रहे हैं जिनके माध्यम से ही मंत्री महोदया से बात हो सकती है। मंत्री महोदय से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, जब तक, जो ××× हैं, उनके ठेकेदार उनके पास नहीं पहुंचेंगे तब तक आप बात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के एक्स्ट्रा कोन्स्टीट्यूशनल अथारिटि बनते जा रहे हैं उनको रोकने के लिये मैं चाहूंगा कि आप कुछ कार्यवाही करें....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

मोहन लाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): आपके क्षेत्र में कोई घटना हो जाय आप लोगों को मंत्री महोदय से मिलाने लायें और मंत्री महोदय इस प्रकार का व्यवहार करें तो यह असहनीय व्यवहार होगा। एक विधायक के साथ आये हुये लोगों के सामने राजस्थान के मंत्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह बहुत बुरी बात है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कार्य संचालन संबंधी नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि मैं मंत्री महोदय को मिलने के आदेश दूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या हमारा स्तर इतना गिर गया है कि हमको तमीज से बात करनी भी नहीं आती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदय, अगर कोई नवीन मंत्री होता तो बात समझ में आती लेकिन कमला जी तो

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी):

बहुत पुरानी हैं, वरिष्ठतम मंत्री रही हैं। वह अगर हमारे माननीय सदस्य के लिये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें कि मैं इस प्रकार की बदतमीजी सहन करने को तैयार नहीं हूं तो यह चिन्ता का विषय है। मंत्री महोदय का जो व्यवहार है वह ठीक नहीं है। हमको इस प्रश्न को दूसरे तरीके से उठाना पड़ेगा। यह हमारे विशेषाधिकार का मामला है। हमारे जो अधिकार है उसका मामला है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय, अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगी तो हमें भी दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे और उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : अगर एम.एल.एज. भी मंत्रियों से इस तरह का व्यवहार करने लग गये तो उसका क्या परिणाम निकलेगा।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है...

श्री सभापति : आपका भीलवाड़ा के भू-खण्ड के बारे में है। माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : उसी पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : हां-हां, तो आप दौरा कर आये हैं, उधर का।

प्रारम्भ करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी: जिला भीलवाड़ा की उप-तहसील बिजोलिया की पंचायत सर्किल मकरेडी है वहां सिवाय चक भूमि और गैरमुमकिन पहाड़ की जमीन है। 1500 बीघा जमीन है वह ऐसी भूमि है जिसमें खनिज सम्पदा भरी हुयी है। बिजोलिया में आपको भी जानकारी है कि बहुत बड़ा पटि्टयों का भण्डार है। वह ऐसा एरिया है सारे राजस्थान में बिजोलिया से पटि्टया निकल कर जाती हैं। मेरा निवेदन यह करना है कि इस 1500 बीघा पर कुछ लोग अनधिकृत कब्जा करके अपने नाम अलॉट कराना चाहते हैं यदि उस जमीन का उनके नाम नियमन हो जाता है या अलॉट हो जाती है तो बहुत बड़ी खनिज सम्पदा का नुकसान होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि गैर मुमकिन भूमि काश्त नहीं होती है उस पर अनधिकृत कब्जा नहीं होता है। वह नियमन होने योग्य नहीं है और न वह अलॉट होने योग्य है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की भूमि को, खनिज सम्पदा को नुकसान पहुंचाने की गरज से या किसी आदमी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने की गरज से उस भूमि का नियमन नहीं हो, वह अलॉट नहीं हो। वह खनिज सम्पदा के लिये रिर्जव हो, यही मेरा निवेदन है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सीकर नगर में माहू परिवार के सहयोग से बनाये गये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन में अन्य सरकारी कार्यालय

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री घनश्याम तिवाड़ी सदस्य, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सीकर नगर में

(श्री सभापति)

मारु परिवार के सहयोग से बनाये गये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन में अन्य सरकारी कार्यालय स्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री सभापति : मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आपका नाम पुकारा था आप उपस्थित नहीं थे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। I will not allow. नहीं, माननीय सदस्य। I will not allow. मैंने आपको निवेदन कर दिया है।

श्री हंसराज शर्मा : बहुत महत्व का है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। Not to be recorded.

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत मैं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर में एक ही बालिका विद्यालय है। आज से 10 साल पहले मारु परिवार के सहयोग से एक बिल्डिंग 4 लाख रुपये की लागत से बननी थी जयपुर-बीकानेर रोड पर। उस समय उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया एवं अपने हिस्से के 3 लाख रुपये उसमें लगा दिये। उसके बाद में राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं लगाई और उस कारण से भवन का पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ। उसके बाद वहां पर कुछ लोगों ने चूंकि बाउन्डरी वाल बनी नहीं थी, अतिक्रमण करने शुरू कर दिये। पिछली जनता सरकार के समय उस परिवार ने उस समय के एजूकेशन कमिश्नर श्री विश्नोई से बात की और उनके बीच में एक कान्ट्रेक्ट हुआ। उस परिवार ने यह कहा कि हमने तो अपने हिस्से के 3 लाख रुपये लगा दिये, अब आप अपने हिस्से की राशि लगाकर उस विद्यालय को शुरू करवायें। सरकार ने कहा कि हम इतनी रकम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अब कास्ट बढ़ गयी है। उसके बाद उस परिवार ने 1 लाख 30 हजार रुपया सरकार को और दिया और पार्टी और सरकार के बीच में अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर हुये जिसके हिसाब से अगर पार्टी सरकार को 1 लाख 30 हजार रुपया जमा करा दे तो सरकार बाकी पैसा लगा कर निर्माण कार्य शुरू कर देगी और इसमें विद्यालय शुरू कर देगी। उस कान्ट्रेक्ट के हिसाब से उस पार्टी ने 1 लाख 30 हजार रुपया या 1 लाख 13 हजार हो सकता है। वह राजस्थान सरकार को जमा करा दिया उसके बाद सरकार की ड्यूटी थी कि भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करवा कर उस विद्यालय को प्रारम्भ करवाती। लेकिन

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(46)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसके बाद शिक्षा सत्र शुरू हो गया, सरकार को रुपये भी दे दिया। उस परिवार ने 3 लाख रुपया पहले लगा दिया और 1 लाख 30 हजार रुपया अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद जमा करा दिया, किन्तु आज तक विद्यालय भवन नहीं बना। जो बिल्डिंग बनी थी उसके अन्दर राजस्थान स्टेट रोडवेज और भूमि विकास बैंक का दफ्तर खोला गया। वहां पर विद्यालय भवन की जगह दफ्तरों ने काम करना शुरू किया जिसकी फोटो राजस्थान पत्रिका और दूसरे समाचार-पत्रों में छपी है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि सीकर में एक ही कन्या विद्यालय है जिसकी जो वर्तमान बिल्डिंग है उसके बारे में पी.डब्ल्यू.डी. की रिपोर्ट है कि वह विद्यालय कभी भी गिर सकता है। यह विद्यालय चलाने लायक नहीं है। वहां पर पांच पांच फीट पानी भर जाता है। अब जो भवन बना है उसके अन्दर सरकारी दफ्तर आ गये हैं जो जगह थी वहां अतिक्रमण गया है। जो कमरे बने हैं और जिनमें छतें नहीं हैं उनको लोगों ने सार्वजनिक शौचालय के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया है। इस प्रकार उस परिवार ने 3 लाख रुपया पहले लगाया और 1 लाख 13 हजार रुपया सरकार से अनुबंध के बाद जमा करा दिया। मेरा स्पष्ट निवदन है कि राजस्थान सरकार ने अनुबंध तोड़ा है यह उस परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि सीकर की पूरी जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिये मैं ज्यादा न कहकर मंत्री महोदय से केवल यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न राजनैतिक प्रश्न नहीं है, सारे फैक्ट्स सही हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि दफ्तर हटाकर विद्यालय भवन का निर्माण करें। हो सकता है लागत बढ़ गयी हो लेकिन उसको लगा कर विद्यालय भवन का निर्माण करायें और स्कूल प्रारम्भ करें।

श्री सभापति : शिक्षा मंत्री जी।

(व्यवधान)

इसके बाद मैं आपको वक्त दे दूंगा! वक्तव्य आ जाने दीजिए।

आप प्रश्न पूछ लीजियेगा।

श्री मोहनलाल मोदी: सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर नगर में एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग इन सेठों ने बनायी है। उसमें स्कूल खोलने के बजाय दफ्तर खोले जायं, यह ठीक नहीं है। सरकार उसको अपने कब्जे में लेकर, सरकारी दफ्तरों को हटा कर विद्यालय शुरू करें।

श्री **सभापति** : शिक्षा मन्त्री जी।

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : सभापति महोदय, सीकर नगर में मारु परिवार के सहयोग से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर के लिए एक भवन दान में दिया गया है। यह भवन 10 मार्च, 1978 को हुए एक इकरारनामे के तहत दिनांक 19-5-78 को राज्याधीन लिया गया था। इकरारनामे के तहत दानदाता ने 1,13,538/-रु. राज्य कोष में जमा करा दिये थे। इसी के अनुसार यह राशि विद्यालय भवन के निर्माण में व्यय की जा चुकी है। इकरार नामे के तहत भवन में शेष अधूरे कार्यों को पूरा कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। जिलाधीश सीकर ने दिनांक 30-3-80 के पत्र द्वारा यह सूचित किया कि विद्यालय हेतु चार दीवारी का निर्माण करवाना आवश्यक है। इस कार्य पर 74,000/-रु. का खर्चा आने की सम्भावना है। साथ ही शेष कमरों को पूरा करने हेतु 2 लाख रुपये की आवश्यकता भी बताई गई। राज्य सरकार भवन के शेष

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

अधूरे कार्यो को धनाभाव के कारण पूरा नहीं करा सकी है। इसी कारण यह विद्यालय दान में प्राप्त इस भवन में स्थानान्तरण नहीं हो सका। जिलाधीश, सीकर ने सूचित किया है कि जब तक विद्यालय की चार दीवारी एवं अधूरे कमरों को पूर्ण नहीं करवाया जाता है, विद्यालय नये भवन में नहीं चल सकेगा।

जिलाधीश, सीकर ने दान में प्राप्त भवन को केन्द्रीय सहकारी विकास बैंक एवं जिला यातायात विभाग को कार्यालय चलाने हेतु किराये पर दे दिया है। जिलाधीश, सीकर ने इस भवन को किराये पर दिये जाने का औचित्य यह बताया है कि यह भवन खाली रहने से अनधिकृत कब्जे का डर था। दूसरा, खुला मैदान होने के कारण आसपास के लोग भी गन्दगी फैलाते हैं? भवन किराये पर देने से अनधिकृत कब्जा भी नहीं हो सकेगा और भवन की ठीक प्रकार से सुरक्षा भी हो सकेगी। इसके साथ इस प्रकार किराये के रूप में प्राप्त धनराशि विद्यालय के भवन के निर्माण कार्य में लगा दी जायेगी। दानदाता ने इस सम्बन्ध में न्यायालय में याचिका भी दायर कर रखी है। इस तरह यह मामला अब न्यायालय के अधीन है।

सभापति महोदय, इस सारे प्रश्न को देखने के बाद मेरे मन में यह भावना आई कि दानदाता ने अच्छी भावना के साथ राशि दी है और भवन का निर्माण किया, परन्तु जिस स्कूल को वहां स्थानान्तरित करना है, उसके लिए कितने कमरों की आवश्यकता है, वह हम निश्चित रूप से विचार कर लेंगे। वहां पर कुल तैयार कमरे 7 हैं और अधूरे कमरे 4 हैं और साथ ही बाउण्ड्री भी नहीं है। फिर भी मैं यह मान कर चलता हूं कि जो मकान जिस काम के लिए बनाया गया, जिस उपयोग के लिए बनाया गया, निश्चित रूप से उसी काम में आना चाहिए। मैं सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करता हूं, और सदन को विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न जुड़ा है। जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भवन को पूरा कराने के लिए वह सक्रिय सहयोग करें जिससे कि बोझा राज्य सरकार पर न रहे ताकि इसका कोई और रास्ता जल्दी निकल सके। जहां तक किराया देने का प्रश्न है, मैं सिद्धान्त रूप से सहमत नहीं हूं। इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाये जायें। मैं साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं। अभी की स्थिति में हायर सैकण्डरी स्कूल चल नहीं पायेगा, या तो इसके दो टुकड़े होंगे, एक यहां चले और एक वहां चले। जैसी स्थिति होगी वह देखेंगे। खाली कराने के सम्बन्ध में निश्चित ही विचार हो जाएगा।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी :

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा निवेदन यह है कि इस वक्त 7 कमरे हैं। हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहा है उसे स्थानान्तरित कर दिया जाय। जहां तक विद्यालय के परिसर में बाउण्ड्री बनाने का सवाल है, निर्माण का सवाल है, मैं कोशिश करूंगा, दूसरे सभी लोगों से पैसा लेकर इसमें सरकार को सहयोग करें, चार अधूरी छत हैं। सरकार भी इन चार कमरों की छत बनवा दें। हम इसमें सरकार को पूरा सहयोग करेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सहूलित

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
देखेंगे ।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी ।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा जिनको किराये पर भवन दे दिया है उनको वहां से तुरन्त और अविलम्ब हटाया जाय। ग्राम जनता की भी भावना इससे पूरी होगी । राज्य सरकार की भी मंशा है स्थानान्तरित करने की, लोगों से चन्दा भी वसूल किया जा सकता है आपके काम में हम लोग पूरा सहयोग देंगे इसलिए प्राइमरी स्कूल को छोड़ कर बाकी वहां से हटा दें ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, सीकर के अन्दर हायर सैकण्डरी स्कूल है । वर्षा हो जाती है तो वहां का रास्ता बन्द हो जाता है । उसकी तरफ जाना होता ही नहीं है सेठ ने पैसा लगाकर यह भवन बनाया था । उसके बाद पैसा भी लगाना बन्द कर दिया । सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस स्कूल भवन में सरकारी दफ्तर है उनको वहां से हटाया जाना चाहिये । सरकार सारी स्थिति को देखते हुए पैसा लगायें । हम भी इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि उसको खाली कराने के बाद, दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा करके उस भवन में शिक्षा प्रारम्भ हो जिसके कारण से लड़कियों की पढ़ाई ठीक प्रकार से चल सके ।

श्री सभापति : शिक्षा मन्त्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मुझे बहुत खुशी है कि दो माननीय सदस्यों ने अधूरे काम को पूरा करने में सक्रिय सहायोग देने की बात कही है ।

(व्यवधान)

आप तो उसे अकेले पूरा करवा सकते हैं।

जहां तक खाली कराने का प्रश्न है, इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। जब आप लोगों ने कहा है, कुछ आप शुरू करें, कुछ इधर से शुरू करें कुछ हमारा प्रयत्न होगा इसको पूरा करेंगे। आखिर बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है जिस भावना से यह किया गया है उसका उचित सम्मान बनाये रखना चाहते हैं ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ इनफार्मेशन ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । आसन पैरों पर है ।

श्री त्रिलोक सिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ इनफार्मेशन ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, जनवादी बालाओं का एक डेपुटेशन सरकार से मिलने आया । मैं आपके माध्यम से चीफ मिनस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह डेपुटेशन से मिलें और उनकी समस्याओं पर गौर करें ।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

(श्री सभापति)

शासकीय वक्तव्य

– सरकारी नौकरी के लिये शिक्षित बेरोजगारों की उम्र में वृद्धि

मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया शिक्षित बेरोजगार युवकों की सरकारी नौकरी में 28 वर्ष की आयु से वर्ष 30 की आयु के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। निम्नांकित सदस्यों ने इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी, श्री जयकृष्ण शर्मा श्री घासीराम यादव, श्री ज़ीन मोहम्मद।

मुख्य मन्त्री जी।

समितिका गठन

नामांकन पत्र वापसी के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि जनलेखा समिति प्राक्कलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति के चुनाव के लिये भरे नामांकन-पत्र के विथड्राअल का समय 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन समितियों के चुनाव से नाम विड्राअल का समय शाम के 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

श्री खेतसिंह राठौड़: आज की कार्यवाही समाप्त हो, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : फिर से दुबारा बोल देता हूं।

क्या सदन की सहमति है कि विधान सभा की समितियों के चुनाव से नाम विथड्राअल का समय सदन की कार्यवाही जब तक समाप्त हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री मोहनलाल मोदी : कल तक के लिए रख दिया जाये।

श्री खेतसिंह : राठौड़ : कल तक के लिए नहीं। आज ही होगा फाइनल।

श्री मोहनलाल मोदी : कल तक के लिए करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सरकारी नौकरी के लिये शिक्षित बेरोजगारों की उम्र में वृद्धि

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री कार्मिक) : राजस्थान में विभिन्न सेवाओं, पदों ....

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्री जी नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री जी अस्वस्थ हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप जारी रखें, माननीय मन्त्री जी।

श्री रामपाल उपाध्याय : राजस्थान में विभिन्न सेवाओं पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा दिनांक 3-6-70 तक 25 वर्ष थी उक्त तिथि के पश्चात् उसे बढ़ाकर अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष कर दी गई थी।

विभिन्न पड़ोसी राज्यों से आयु सीमा के बारे में पूछा गया कि उनके यहां राज्यों के लोकसेवा आयोगों द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले पदों पर कोठारी कमीशन की सिफारिश अथवा अन्यथा अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई है अथवा नहीं। प्राप्त सूचनाओं

(श्री रामपाल उपाध्याय)

के अनुसार हरियाणा तथा मध्यप्रदेश में सेवाओं की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में यह आयु सीमा 28 वर्ष है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा व सम्बद्ध परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा कोठारी कमीशन की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए 25 वर्ष से 28 वर्ष कर दी गई है।

इस विषय में राजस्थान लोक सेवा आयोग से विचार मांगे गये थे। आयु सीमा के बारे में उक्त प्रश्न पर परीक्षण किया जा रहा है और मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री **सभापति** : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** (रामगढ़): सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में शिक्षितों की बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जहां तक समस्या का समाधान है वह कोई आपके और हमारे हाथ में इतना नहीं है कि इस समस्या का फौरन हल निकाला जा सके परन्तु आप रात-दिन अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि बहुत से लड़के जो बेरोजगार हैं जिस दिन उनकी 28 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है उस दिन वे आत्म हत्या या दूसरे और तरह कि ऐसे कार्य कर लेते हैं जिनसे उनके परिवार, जो उनको शिक्षा देते हैं वे बहुत ही दुःखी होते हैं। कभी-कभी ऐसी घटनायें उनके पूरे परिवार के लिये दुख का विषय बन जाती है। नौकरी देने का सवाल दूसरा है परन्तु किसी की आयु बढ़ाने का सवाल ऐसा है जो उनके मन को सन्तोष दिला सकता है, इससे उनको दो साल का समय और मिल जाता है इस दो वर्ष के समय में वह कहीं भी नौकरी तलाश करने के बाद अपने आपको नौकरी में खपा सकते हैं। परन्तु एक बात और भी है वह स्वाभाविक भी है कि मनुष्य की जब जवानी होती है तो सोचने का तरीका और होता है जैसे-जैसे उम्र ढलती जाती है तो उसके सोचने का तरीका दूसरी तरह का हो जाता है। इसलिए ऐसे गलत कार्यों की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा अतः, मैंने अपनी ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। एक बड़ा दुःख का कारण यह है कि राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पार्लियामेन्ट की राय भी यही थी। वहां भी मैं देखने गया था वहां पर भी एक प्रश्न आया, सभी पक्षों की राय एक ओर थी कि सरकारी सर्विस में लोगों की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से कहूंगा कि सरकारी सेवा में भर्ती की आयु 28 वर्ष से 30 वर्ष कर दी जावे। रिटायरमेन्ट की आयु के लिए मैं नहीं कहता, आप 55 वर्ष रखो या 50 वर्ष करो परन्तु सर्विस में भर्ती करने की आयु 30 साल करना वाजिब है। मध्य प्रदेश और उतर प्रदेश सरकारों ने इसे मान लिया है इसलिए मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस मांग को जल्दी ही मन्जूर कर लेना चाहिए। जल्दी ही मानकर घोषणा करें कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी सरकारी सेवा में भर्ती की आयु 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष की जाती है।

श्री **सभापति** : श्री घासीराम।

श्री **घासीराम यादव** (मण्डावर) : सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में मैंने भी लिखकर भेजा है। मैं सोच रहा था कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की

(श्री घासीराम यादव)

दशा बहुत ही दयनीय है, थर्ड डिविजन को तो नौकरी मिलती ही नहीं, मास्टरों और कन्डक्टरों में भी थर्ड डिविजन वालों को नहीं लिया जाता है। उनकी हालत बहुत खराब है। किसी ट्रेनिंग में भी उनको नहीं लिया जाता है। मैं समझता हूं कि दो साल आयु बढ़ा दी जाय कम से कम, यदि चार साल बढ़ा दी जाय तो और भी ठीक है, जिससे वह नौकरी तलाश करते रहें और उनको नौकरी तलाश करने का मौका मिले। मैं इसका कोई कारण नहीं समझता कि 28 साल से उम्र क्यों नहीं बढ़ाई जावे। जब प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में और फाइनेन्शियल कार्पोरेशन्स में और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के अण्डरटेकिंग्ज में 32 और 35 साल तक लेते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते ? इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी कम नहीं होगी। सभी जगह उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी केवल पुलिस और मिलिट्री को छोड़ दीजिये, जहां पर फिजिकल फिनोमिना चाहते हैं, उनके लिये तो ठीक है। लेकिन सरकारी सेवा में 32 साल या 35 साल करने से उनको ज्यादा तजुर्बा होगा, रिटायरमेन्ट की आयु आप 55 साल रखिये इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, सही है। मध्य प्रदेश और हरियाणा ने तो ऐसा कर भी दिया है, हमारी सरकार को भी कर देना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने काम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स के बारे में ही वक्तव्य दिया है, लेकिन कुछ डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट होते हैं जब तक इनको लिन्क नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए सदन में वे यह बतायें कि काम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स के लिये 30 वर्ष कर रहे हैं या डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट के लिये करने जा रहे हैं ? माननीय सदस्यों ने डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट के बारे में प्रश्न किया है, इसलिए मन्त्री महोदय यह वक्तव्य दें कि किसी भी सेवा में कण्डक्टर या ड्राइवर की कोई भी भर्ती हो उनके लिये भी आप तीस वर्ष करने जा रहे या नहीं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मैंने जो वक्तव्य दिया है वह किसी प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं सरकार उन पर निश्चित तौर पर गम्भीरता से विचार करेगी। देश में बेरोजगारी की समस्या है उससे निराशा की भावना पैदा होती है। मैंने निवेदन किया था राजस्थान में विभिन्न सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिये इसलिए मेरा निवेदन है कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। सभापति महोदय, मैंने तो आपके जरिये सदन को अवगत कराया कि वहां से भी हम राय ले रहे हैं। जो तथ्यात्मक जानकारी थी वह मैंने सदन के सामने प्रस्तुत की है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने जो निवेदन किया वह उचित है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

आवास मंडल, जयपुर द्वारा बनाये गये भवनों व उनकी छतों में दरार

आवासन मन्त्री श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा बनाये गये भवनों व उनकी छतों में दरारें होने के विषय में वक्तव्य देंगे। माननीय श्री प्रभाकर जी।

(52)

श्री **हनुमानप्रसाद प्रभाकर (आवासन मन्त्री)**: सभापति महोदय, राजस्थान आवासन बोर्ड का निर्माण लास एण्ड प्रॉफिट दोनों को छोड़ कर उचित मूल्य पर उन लोगों को जिन लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं है उन लोगों को मकान की दृष्टि से बनाया गया है। पिछले वर्षों में इसका काफी विस्तार हुआ है। प्रारम्भ में कुछ शहरों को लिया गया उसके बाद 50 हजार की जनसंख्या वाले जो शहर थे उनको सम्मिलित किया गया। मेरी मान्यता है कि राजस्थान आवासन बोर्ड ने निरन्तर अपनी प्रगति की है जो आंकड़े अब तक प्राप्त हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि निर्माण जितना किया जाना चाहिये था जयपुर शहर के अलावा करीब-करीब सभी स्थानों पर पर्याप्त निर्माण हुआ है। हमारे आवासन बोर्ड की कुछ कठिनाइयां भी हैं। उसको हाउसिंग डवलपमेन्ट कार्पोरेशन के द्वारा या जीवन बीमा निगम के द्वारा या डिबेन्चर्स के द्वारा या और अन्य उपायों से अपनी राशि एकत्रित करनी पड़ती है। उसके बाद मकानों का निर्माण किया जाता है। मकानों के अन्दर किस प्रकार का पत्थर काम में लाना चाहिये, किस प्रकार का चूना काम में लाना चाहिये, किस तरह की डिजाइन होनी चाहिये और कई तरह की बातें हैं, इस दृष्टि से जो पैसा लेते हैं, पैसा देने वाला इन सब बातों को देखता है। उनसे बात चीत करनी पड़ती है। उसके बाद यह निश्चित होता है कि जो कुछ वे इन्वेस्टमेन्ट कर रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं। राजस्थान में निश्चित रूप से जयपुर में लाल कोठी और जवाहरनगर की जो कॉलोनियां हैं उनके सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में चर्चा की गई है।

जहां तक ज्योति नगर का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही नहीं कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा ज्योति नगर कॉलोनी में बने फ्लैट्स टूटने जैसे हो रहे हैं और वहां पर रहने वाले लोगों की जान व माल का खतरा पैदा हो गया है। ज्योतिनगर में सन् 1978 में मकान आवंटित कर दिये गये थे इन फ्लैट्स का निर्माण आवासन मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही किया गया है। मकानों में बिजली, सैनीटरी एवं भवन निर्माण से संबंधित कमियों का राजस्थान आवासन मंडल पूर्ण रूप से एक वर्ष तक निराकरण करता है। जो भी शिकायतें प्राप्त हुई उसका समय-समय पर निराकरण राजस्थान आवासन मंडल द्वारा करवा दिया गया है। मकानों में त्रुटियों के कारण कब्जा नहीं लेने का कोई मामला राजस्थान आवासन मंडल को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आवंटन के पश्चात् आवंटियों द्वारा ही मकानों का मेन्टीनेन्स और अपकीप सही प्रकार से किया जाना अपेक्षित है। आवासन मंडल के यह फ्लैट्स बहुत लोकप्रिय हैं। इस कॉलोनी में माकूल किराये पर भी मकान उपलब्ध नहीं हैं।

दूसरे, जवाहर नगर के बारे में कुछ कहूंगा। जवाहर नगर कॉलोनी 1971 में बननी आरम्भ हुई थी। इसमें लग भग 2300 भवन एवं 1300 बहुमंजली फ्लैट्स है। लगभग 2800 भवन एवं फ्लैट्स आवंटित हो चुके हैं और बाकी के 759 फ्लैट्स की लाटरी शीघ्र निकाली जा रही है। इन भवनों एवं फ्लैट्स का निर्माण आवासन मण्डल द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार किया गया है। इन भवनों एवं फ्लैट्स के आवंटियों को कब्जा देते समय जो छोटी-मोटी निर्माण संबंधी त्रुटियां ध्यान में लाई जाती हैं उनको दूर किया जाता है। जवाहरनगर कॉलोनी आवासन मंडल की सर्वश्रेष्ठ कालोनी मानी

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

जाती है। अन्य प्रदेशों के आवासन मण्डल के अधिकारी इसे आदर्श बस्ती मान कर देखने एवं अनुकरण करने आते रहे है। मौके पर शिकायतों के निराकरण के लिए आवासन अभियंता का कार्यालय भी जवाहरनगर में स्थित है एवं शिकायतों का निराकरण कर दिया जाता है। इस बस्ती में मकानों के अच्छे किराये आ रहे हैं यह बहुत साफ सुथरी शुद्ध वातावरण में स्थित है। सभापति महोदय, मैंने प्रारम्भ में जैसा निवेदन किया था कि बहुत बड़े स्तर पर इन मकानों का निर्माण किया जाता है। तो हो सकता है इनमें कुछ कमियां रही हों, वहां पर बड़े स्तर का कार्य हो तो कमियां रहना स्वाभाविक है। एक व्यक्ति का मकान होता है तो वह देख कर बनाता है। जहां हजारों मकानों का निर्माण होता है वहां कमियां हो सकती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि कमियां उसमें रह जाती हैं तो उनको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। एक मूल प्रश्न आया है जहां तक पैसा देने वाली एजेंसियां हैं उनमें जो आधार है, उनमें जो माप-दंड हैं उनसे तो हमारी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं। यह हमारी कठिनाई है। हम आज चाहते हैं कि इसके मापदंड में सुधार हो, हमारी व्यवस्था अच्छी हो, इन बातों को ध्यान में रख कर अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य देंगे तो उन पर विचार करेंगे। इन सब बातों पर विचार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी जो आवासीय योजना बनाने जा रहे हैं, लोगों को कब्जा देना चाहते हैं उसके सम्बन्ध में विचार करने में किसी प्रशासन को आपत्ति नहीं हो सकती है। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आवासन मंडल का गठन किया गया है उसके द्वारा जो भवन बनाये गये हैं, मंत्री महोदय ने कहा कि वह लोकप्रिय हैं और लोगबाग चाहते हैं कि उनको भी मिले। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इन मकानों को बनाने के बाद बहुत सारी शिकायतें आवासन मण्डल को, मंत्री महोदय को मिली होंगी। उन्होंने अपने वक्तव्य में उल्लेख नहीं किया कि कितनी शिकायतें उनको प्राप्त हुईं, उन शिकायतों पर कार्यवाही हुई या नहीं हुई। समय समय पर जितनी कालोनियां बनी हैं उनमें शिकायतें आती रही हैं। कई बार पानी दीवार से गिरता है, रिसता है, जो नालियां बनाई गई हैं वह खराब हैं, इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई होंगी। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, दो तरह की शिकायतें अधिकतर मिली होंगी। एक टैक्निकली क्या गड़बड़ है, तकनीकी रूप से क्या गड़बड़ है, इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई होंगी। दूसरे जो मैटीरियल यूज किया गया है उस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई होंगी। मेरा उद्देश्य केवल इस मामले को उठाने का यही है कि मेरे पास बहुत मामले शिकायत से संबंधित हैं उन्हें मैं इस समय उठाना नहीं चाहूंगा। मेरा उद्देश्य केवल यह बात उठाने का है, सभापति महोदय, मंत्री महोदय बात कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं वह सुन नहीं रहे हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपके दल के व्यक्ति से बात कर रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमने तो यह सुना है कि श्री त्रिलोकसिंह ...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, इस तरह से बात नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : आप इस तरह से बातें करेंगे तो जवाब क्या देंगे ।

इसलिए मेरा उद्देश्य केवल इस मामले को उठाने का यही है कि खराब मैटीरियल यूज करनें से लोगों को तकलीफ होती है । जो मैटीरियल यूज होता है उसमें ईमानदारी वरतनी चाहिए । जो ठेकेदार हैं वह हेरा फेरी करते हैं । आवासन मण्डल की तरफ से सावधानी वरती जानी चाहिए । जो मैटीरियल यूज किया जाता है वह 15 साल के लिए होता है लेकिन वह 5 साल बाद ही खराब हो जाता है इससे नागरिकों को तकलीफ होती है । इसलिए मेरा उद्देश्य है कि जितनी शिकायतें आपको प्राप्त हुई हैं, आप उनको इकट्टा करें और उनपर विचार कर । कितनी-कितनी वर्ष से . . . .

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि आप इस मामलें में क्या सुधार करेंगे ? मैं चाहता हूं आगे आवासन मण्डल ठीक ढंग से काम करें, उसमें कोई गड़बड़ न हो और अधिक से अधिक मकान वनें । कितनी शिकायत प्राप्त हुई हैं उसकी जानकारी दें ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, आवासन मण्डल से मेरा पुराना संबंध रहा है । जब से बना है . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : 30 वर्ष की गड़बड़ी है ।

श्री नाथूसिंह : मैं 1975 के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय, सदस्य आप बातें न करें ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : बराबर यह देखा जाता है कि क्वालिटी ठीक हो और मैटीरियल को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद काम में लिया जाता है । मैंने प्रारम्भ में कहा कि प्रयत्न किया जा रहा है। कोई ऐसी शिकायत जिस कॉलोनी में वड़े स्तर पर हुई तो राज्य सरकार उस पर ध्यान दे पायेगी, बाकी एक-एक मकान के संबंध में कोई शिकायत होगी या नालियों के संबंध में शिकायत होगी तो माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि प्रशासन का राजस्थान आवासन बोर्ड एक स्वायत्त शासी है । वह अपने तरीके से काम कर रहा है । जो वड़ी शिकायत हो, उसके ऊपर प्रशासन सीधी बात करें । मैं समझता हूं यदि वड़ी शिकायतें आयेंगी तो निश्चित रूप से आप बताइये, वहां के जितने अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और व्यवस्था सुधरे इसके लिए प्रयत्न करेंगे । यह बात मैं सब को अवश्य बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अधिकारी बैठ कर बात नहीं कर सके हैं । मुझे जो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए वह मैं प्राप्त नहीं कर सका हूं । समय बहुत कम मिला है जैसे ही समय मिलेगा उनके अधिकारियों से बातचीत करेंगे ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

बड़े पैमाने पर अध्यापकों के स्थानान्तरण

शिक्षा मंत्री, राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये अध्यापकों के स्थानान्तरण करने के विषय के संबंध में वक्तव्य देंगे शिक्षा मन्त्री जी ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (शिक्षा-मन्त्री) : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाचार्य हायर सैकण्डरी स्कूल एवम् उच्च पदों पर स्थानान्तरण राज्य सरकार से किये जाते हैं।

प्रधानाध्यापक, हायर सैकण्डरी एवम् सैकण्डरी स्कूल के स्थानान्तरण निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा किये जाते हैं। इससे नीचे के अध्यापकों के स्थानान्तरण संबंधित सक्षम अधिकारी करते हैं।

राज्य सरकार के स्थानान्तरण की व्यवस्था करने के लिए 23-3-1979 को निर्देश प्रसारित किये हैं। सक्षम अधिकारी केवल इसी के अनुसार स्थानान्तरण करते हैं। अन्य स्थितियों में राज्य सरकार के आदेशानुसार स्थानान्तरण किये जा सकते हैं।

तृतीय श्रेणी व अन्य काफी संख्या में ऐसे अध्यापक हैं जो अपने गृह जिले से बाहर नियुक्त हैं। इसी प्रकार अनेकों अध्यापक वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं तथा स्वच्छ प्रशासन की दृष्टि से उस स्थान से दूर करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः कुछ मुआमलों में किसी अमुक क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरण करना आवश्यक हो जाता है।

पति-पत्नी के लिए स्थानान्तरण की नीति में यह प्रावधान है कि यथा सम्भव उन्हें एक साथ रखा जावे। पदोन्नति पर अथवा प्रशासनिक कारणों से कभी-कभी दोनों में से एक का स्थानान्तरण अन्य स्थान पर हो जाता है। अवसर मिलने पर दोनों को एक साथ रखने का प्रयत्न भी किया जाता है।

कैंसर व हृदय रोग के बारे में स्थानान्तरण नीति स्पष्ट है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उपर्युक्त सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण यदि कोई स्थानान्तरण हो जाता है तो ऐसे मुआमलों में सूचना उपलब्ध कराने पर पुनर्विचार कर लिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी स्थानान्तरण से विशेष पारिवारिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराने पर गुणागुण को देखते हुए पुनर्विचार किया जाता है।

राज्यादेशों से स्थानान्तरण प्रतिवर्ष ही किये गये हैं और यह कोई नई परम्परा नहीं है।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ दिनों पूर्व इस सदन में चर्चा हुई थी और शिक्षा मंत्री को बाध्य होना पड़ा वक्तव्य देने को, मुझे उनके वक्तव्य को सुनकर बड़ी निराशा हुई। न उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बात बताने की चेष्टा की है कि सैक्रेटेरिएट से उन्हीं के नाम से कितने स्थानान्तरण किए गए और उन स्थानान्तरणों का प्रभाव कितनी संख्या पर पड़ेगा तो स्थानान्तरण कितने हो जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि उदयपुर की श्रीमती जोशी हैं, पति की मृत्यु हुए एक साल नहीं हुआ ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । व्यवधान उपस्थित न करें । माननीय सदस्य, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए ...

एक माननीय सदस्य : डिबेट अलाउ की जा रही है ?

श्री सभापति : मैंने संक्षेप में प्रश्न पूछने की इजाजत दी है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : नीति का प्रश्न हो तो पूछें, किसी पर्टीकूलर आदमी के लिए ....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : व्यक्ति का नाम लेकर नहीं कहें, उनका रिश्तेदार है ? उदयपुर से उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने हजारों टीचर्स को बेवर कर दिया, रोजी रोटी से वंचित कर दिया, उनके बारे में कुछ नहीं कहते ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारा मतलब यह था कि कोई नई बात हो, जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ हो और इन्होंने कर दिया हो तो आप उठा सकते हैं । उन्होंने कहा, यहां लगा दिया, यह तो गवर्नमेंट का लुक-आउट है, यह प्रशासनिक मामले हैं उनको कहने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें । चर्चा को प्रारंभ होने दीजिए । उनको बात तो कहने दीजिए । चर्चा प्रारंभ में डिबेट अलाउ नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : पाईंट ऑफ ऑर्डर । क्या इनके भाषण के बाद हमको मौका देंगे ?

श्री सभापति : मैं विचार करूंगा । आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो नीति बनी हुई है उससे हट कर जो ट्रांसफर्स किए गए हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं । मुझे जानकारी है कि इस प्रकार की योजना बनाई गई है कि मंत्रियों के वक्तव्य के पश्चात् कुछ लोग पूरी तरह से लोगों को बोलने नहीं देंगे ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नीति की बात करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । आप अपनी बात कह दें संक्षेप में ।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार का आरोप लगाना कहां तक उचित है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : श्रीमती जोशी का है । श्री ललिता प्रसाद की केंसर से मृत्यु हो गई । एक वर्ष तो पत्नी शायद उस स्थान को छोड़कर भी नहीं जा सकती लेकिन वह वहां से चली गई है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने कहा था कि नीति का प्रश्न हो तो बता दें ;

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अभी जो मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था तो जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है उस पर विशेष चर्चा न करके अगर इस तरह के मामले उनके ध्यान में लाये जायं तो मंत्रीजी ने कहा कि उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। अगर माननीय सदस्य पुनर्विचार की बात कहते हैं ...

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : मंत्री महोदय ने क्लीयर कर दिया।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। इन्ट्रप्शन न करें मैंने उनसे कहा है। बात आरम्भ हो, आपने बीच में टोका-टाकी कर दी।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार के आरोप न लगावें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : नीति का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इस प्रकार का प्रोवोकेशन न दें कि पूर्व योजना बनी हुई है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : सभापति महोदय, किस आदमी का ट्रांसफर हुआ यह नहीं बता सकते।

श्री सभापति : मैंने अलाउ कर दिया है। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। आप कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, मैंने उनसे कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है कि वह कह सकते हैं लेकिन जिन ट्रांसफर्स का उल्लेख किया दोनों ट्रांसफर्स कैंसिल हुए थे.........

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा था ......

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री सभापति : आप सहयोग करें, कृपया आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : जब स्थानान्तरण रद्द हो गया तो फिर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। मंत्री महोदय ने बताया......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय, जब भी किन्हीं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या एडजोर्नमेन्ट मोशन सदन में जाता है, तब

(श्री नाथूसिंह)
माननीय सदस्य को, सभापति महोदय, सम्बन्धित एडजोर्नमेन्ट मोशन के या सम्बन्धित ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछने का अधिकार आपके द्वारा दिया जाता है उसमें वह जो चाहे वह बोले और प्रश्न पूछे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह किसी पर चार्जेज नहीं लगा सकता।

श्री **सभापति** : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री **नाथूसिंह** : सभापति महोदय, यदि वह प्रश्न पूछता है और उसमें कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति के बारे में कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सभापति महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और सभापति महोदय इस प्रकार का निर्णय कर सकते हैं कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। जहां तक किसी व्यक्ति के बारे में किसी का स्थानान्तरण हुआ या नहीं हुआ या कैसे नहीं हुआ, हो सकता है किसी माननीय सदस्य को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो लेकिन उसकी राय से वह यह चाहेगा कि वह उसको उठाये उसकी जानकारी चाहे। माननीय मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य है कि उस उठाये गये प्रश्न को····

श्री **सभापति** : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री **नाथूसिंह** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये या एडजोर्नमेन्ट मोशन के जरिये अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आप सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर ऑर्डर। आप स्थान ग्रहण करें। आप भी माननीय सदस्य भाषण नहीं करें। आपका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया। कौन से नियम के तहत आप क्या व्यवस्था उठा रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करें। आप तो भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि व्यवस्था का प्रश्न है। यह सरकार की तरफ से वक्तव्य है। मैं आप से निवेदन करूं माननीय सदस्य वैसे तो नियमों के तहत कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जा सकता मंत्री महोदय से लेकिन यह सदन की परम्परा रही है सदस्यों को कुछ प्रश्न पूछने की सदन में रियायत दी जाती रही है उस परम्परा की अनुपालना में मैं आपको एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं। लेकिन मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप आसन को सहयोग दें इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाएं। जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं कि उस भाषा पर भी आप संयम रखें जिससे टेम्पर हाई नहीं होवे। आप कुछ कहेंगे और वह कुछ कहेंगे तो इसका कहीं अन्त नहीं होगा और मजबूर होकर मुझे चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो प्रश्न पूछना चाहें एक-दो प्रश्न पूछ लीजिये। यही मेरा आपसे पुनः अनुरोध है और वह भी भाषा पर संयम रखते हुए। क्योंकि इसमें अगर राजनीति लाने की चेष्टा करेंगें। इस पर मानवीय दृष्टिकोण से आप चर्चा करना चाहें तो उचित रहेगा और राजनीतिक भावना से अगर इस पर चर्चा की गई तो निश्चित् रूप से इसके बुरे प्रभाव होंगे और मुझे यहां चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि···

(व्यवधान)

(सभापति)

आपस में बात नहीं करें माननीय सदस्य। तो माननीय सदस्य आप अपनी बात संक्षिप्त में पूछें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की नीति यह रही है कि राजस्थान शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाय किन्तु मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि श्री कुन्दनानी जो कि राजस्थान शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं पति और पत्नी दोनों अलवर में हैं दोनों के स्थानान्तरण वहां से किये जा रहे हैं। श्री सनाढ्य जो महा मंत्री हैं··

(व्यवधान)

क्या हो रहा है, सभापति महोदय, मैं नीति से सम्बन्धित सवाल पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य व्यवधान नहीं डाले मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: सभापति महोदय, राजस्थान शिक्षक संघ के महामन्त्री श्री शिवप्रसाद, उनको राजनीति चलाने की दृष्टि से प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति में यह तय हुआ उनका स्थानान्तरण यहां क्यों हो गया?

(व्यवधान)

ऐसे नहीं है। सारे जिलों में ही इस प्रकार के जो पदाधिकारी है उनके स्थानान्तरण चुन चुन कर कर दिये गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: सभापति महोदय, हार्ट अटैक का सवाल है। ब्यावर से एक श्रीमती जिनका नाम मैं यहां पर नहीं बताना चाहूंगा वह बीमार थी हार्ट पेशेन्ट थी हार्ट अटैक का इलाज वहां के हार्ट स्पेशलिस्ट से लगातार चल रहा था उन्होंने उसका सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट देने के पश्चात स्थानान्तरण हुआ। वहां के विधायक महोदय ने अपनी रिकमन्डेशन दी कि इनका स्थानान्तरण नहीं किया जाय किन्तु मालूम पड़ा कि वह भारतीय जनता पार्टी के जो आफिस सेक्रेट्री है उनकी मां हैं। इसलिए विधायक भी फिर गए और मंत्री महोदय ने उनका स्थानान्तरण कर दिया।

(व्यवधान)

श्री सूरज पाल सिंह: जब यह मिनिस्टर थे तो इन्होंने हजारों ट्रान्सफर किये थे जब उनका खुद का ट्रान्सफर इधर से उधर हो गया तो उनका भी ट्रान्सफर हो गया दोनों का ही ट्रान्सफर हो गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: सभापति महोदय, वहां के सदस्य के कहने से हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : सभापति महोदय मैंने किसी का नाम नहीं लिया यह बिलकुल ×××बोल रहे है ।

श्री सभापति :शब्द ××× को एक्सपन्ज किया जाय सदन की कार्यवाही से ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : सभापति महोदय, मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि मैंने किसी के लिये नहीं कहा–अगर यह सच निकल जाय तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो वह माननीय सदस्य इस्तीफा दे दें ।

(व्यवधान)

श्री **नानालाल** (राज समन्द): सभापति महोदय, यह ××× सूचना देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री सभापति : ××× शब्द को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाय । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । अब आप समाप्त करें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, नीति का संबंध है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पति पत्नी एक स्थान पर रहें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय दस्य ।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं । आप इनको अनुमति दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री बजारी, स्थान ग्रहण करें ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : सभापति महोदय यह असत्य बोल रहे हैं, यह बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : सभापति महोदय, मैं चेलेन्ज से कह सकता हूं अगर मैंने कहा हो तो । अगर यह प्रमाणित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं यह सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । न यह इस्तीफा सदन से देंगे और न आप देने वाले हो।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : मैं देने को तैयार हूं। अगर यह मेरे द्वारा लिखा हुआ स्थानान्तरण के बारे में बता दें तो ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप व्यवधान नहीं डालें।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : सभापति महोदय, आसन को गलत सूचना देकर गुमराह कर रहें हैं ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, जिस आदमी ने मन्त्री पद पर रहते हुए हजारों शिक्षकों के ट्रान्सफर्स कर दिय वह यह कह रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, इन्होंने हजारों ट्रान्सफर कर दिये उनमें से कई लोग मर गये इनको तो फांसी होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । आर्डर आर्डर । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप व्यवधान नहीं डालें आज का इसके अलावा भी बिजनेस है उसको भी टांजेक्ट करना है । आर्डर, आर्डर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आपस में नहीं बोलें । आपस में बात नहीं करें । आप, माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्री सूरजपालसिंह : सभापति महोदय, यह राजनीति का प्रवेश कर रहे हैं गलत सूचना दे रहे हैं । माननीय सदस्य के खिलाफ गलत सूचना दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । Kindly take your seat. Hon. members मैंने आपको निवेदन किया है कि आपके एक-दो सदस्यों को अवसर दूंगा वह भी सरकार से पूछ सकेंगे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई भी माननीय सदस्य कह सकता है, भैरोंसिंहजी कह सकते हैं लेकिन यह आदमी जिसने लाखों रुपयों का नुकसान किया. . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य. . .

(व्यवधान)

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : भैरोंसिंहजी ने इनको हटाया ही इसलिए था. . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री रतनाराम चौधरी : बदले की भावना से भैरोंसिंह ने शिक्षा का पोर्टफोलियो शर्माजी से लिया था . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि कृपया भाषा का तो संयम बरतें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप शीघ्र . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष आपसे सहयोग नहीं करना चाहता···

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में यह सब कुछ हो रहा है। मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं या आपसे सहयोग करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापतिजी, भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी बता दें कि ललितकिशोर जी चतुर्वेदी से फिर विभाग क्यों लिया था ? खुद फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । विपक्ष के नेता बोल रहे हैं आप कृपया सुनें उनको

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह तय कर लिया है कि विरोधी पक्ष का कोई माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ सकता । यह सही है कि उनके साथ बहुमत है। यह भी सही है कि उनके साथ ××× भी ज्यादा है

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, सभापति महोदय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आर्डर की कापी पढ़ता हूं· ·

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : वह जितनी बात कह रहे हैं सब गलत है । एक बात भी सही नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री सभापति)
आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिन क्षेत्रों से बाहर किया गया है· · ·

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इनके कारनामों से बैग भरे हुए है । इनके कारनामों से बैग भरे हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप लोगों ने बहुत बेईमानी की है ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: जगन्नाथ पहाड़िया जिन्दाबाद· · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आपके काबू की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × × केंसल किये जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । आप व्यवस्था कायम करने में सहयोग देंगे ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 11 हजार तबादले किये हैं ····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

(व्यवधान)

× × ×

श्री सभापति : आर्डर प्लीज मैं माननीय मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष के और मुख्य सचेतक विरोधी पक्ष के दोनों से निवेदन करूंगा· · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे से निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभापति महोदय,

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और विरोधी पक्ष के नेता महोदय आपके दल के मुख्य सचेतक से भी निवेदन करूंगा कि आसन को सहयोग दें ।

× × × शब्द व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(64)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो सहयोग दे रहे हैं लेकिन उधर से नहीं दे रहे हैं

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : संवेदनाओं के साथ

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : ×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय श्री कटारिया जी। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह सहयोग कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री सभापति : माननीय जोशी जी आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। मैं निवेदन कर रहा हूं जोशी जी। आप कृपया····

श्री दाऊदयाल जोशी : इस सदन की परम्परा रही है

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री सभापति : रिकार्ड किया जाये। श्री राजबहादुर जी।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि स्थिति को देखते हुए सदस्यों के असंतोष को मिटाने के लिये उनको हस्तक्षेप करना चाहिये। कुछ शांति के शब्द कहने चाहिये जिससे सदन चल सके।

एक माननीय सदस्य : इनको पीड़ा हो रही है।

श्री राज बहादुर : पीड़ा की बात है। सदन नहीं चल रहा है अगर सदन नहीं चलेगा तो प्रजातंत्र का क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : डिमाण्ड है ...

श्री राजबहादुर : डिमाण्ड का सवाल नहीं है मुख्य मंत्री जी को ··

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोई आवश्यकता नहीं है··

श्री राजबहादुर : हाउस को एडजोर्न कर दीजिये।

एक माननीय सदस्य : आप भैरोंसिंह जी को क्यों नहीं कहते।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, हम लोग फाइनेन्शियल कमेटीज के सिलसिले में बाहर गये हुए थे। हाउस के अन्दर बैठे हुए नहीं थे। पूरी क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं हुई लेकिन जो कुछ मालूम हुआ है विरोधी दल के नेता भी जोश में आ गये उन्होंने भी कह दिया××× वे स्वयं भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। माननीय सदस्यों में नाराजगी पैदा हो गई और उससे यह वातावरण बना है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपितकी गई।

××× और +++ चिन्ह वाला लाइनों को पूरे पेज पर फैलादें।

(श्री खेतसिंह राठौड़)
आप भी अपने दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करें और जैसा कि बाबू राजबहादुर जी ने कहा है कि प्रजातंत्र में अपन मिलकर इस प्रकार का वातावरण रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल प्रजातंत्र को मजबूत नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं आपके जरिये से विरोधीदल के माननीय नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त करके आगे की कार्यवाही चलायें।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने इस प्रकरण को यहीं समाप्त करने की अपील की है। मैं समझता हूं और यह मानकर चलता हूं कि इस प्रकरण को समाप्त कराने के लिये, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के सवालों के उत्तर देना और सवालों को सुनना भी सरकारी पक्ष को गंवारा नहीं है। मैं जब आया तो मुझे बताया गया कि आज शिक्षा मंत्रीजी ने विधायकों से आग्रह किया है कि विरोधी पक्ष से जब प्रश्न पूछे जायें तो मेजे थपथपाई जायें...

(व्यवधान)

श्री भैरूसिह गुर्जर : गलत कहते हैं।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : इनके पास क्या सबूत है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सबूत है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : यह बात...

श्री सभापति : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री माणकमल मेहता : इस तरह से लांछन लगा रहे हैं। विरोधी दल के नेता इस तरह की बात कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : केवल आरोप लगाना चाहते हैं।...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय शिक्षा मंत्री, जो मुद्दे....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी उठाये कहां हैं.....

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता : सत्ता पक्ष के लोगों से कहा है न बोलने दें, किस आधार पर कहा है?

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : आपने किये हैं उनको वापस बुलाया है। भरतपुर से बाड़मेर भेज दिया था...

(व्यवधान)

श्री भैरूं सिह गुर्जर : इन्होंने अपने शासन काल में ××× आर. एस. एस. का भवन बनाया है। इसकी जांच कराई जाये। यह कहते हैं। हम लोग चन्दा नहीं लेते। शर्म आनी चाहिये। 10 लाख का कलेक्शन करके जयपुर की न्यू कालोनी में भवन बनाया है। शर्म आनी चाहिये...

(व्यवधान)

सरकार हमारी है, सरकार हमको चलानी है।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)
सरकार चलाना हमारा कार्य है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको रिकार्ड में रखें, काम आयेगी···

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

कृपया स्थान ग्रहण करें, काफी चर्चा हो गई, विस्तार से चर्चा कर ली । यहां हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग ··

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री **वीरेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : यह सहयोग का नमूना है ।

(व्यवधान)

श्री **ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : आपने ट्रान्सफर किये हैं 17 हजार ।

(व्यवधान)

श्री **सी. पी. जोशी** : कहां है सरकार का विषय·········

(व्यवधान)

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : जिले के बाहर दो हजार से अधिक ··

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : शिक्षक का अपमान करते हो ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : ×××

कई माननीय सदस्य : ×××

(व्यवधान)

श्री **दिनेश डांगी** : सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है ।

(व्यवधान)

इससे राज नहीं मिलने वाला है, 17 हजार ट्रान्सफर किये हैं ।

××× अब रोने से राज नहीं मिलने वाला है । कितने चूहे खाकर बिल्ली हज को चली··

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री **वाऊदयाल जोशी** : बाड़मेर, पोकरण ट्रान्सफर किये हैं ।

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज ।

श्री **ईश्वरलाल सैनी** : ट्रान्सफर तो अभी किये ही नहीं हैं, ट्रान्सफर तो अब होंगे ।

(व्यवधान)

श्री **वाऊदयाल जोशी** : शर्म करो, शर्म करो··

श्री **ईश्वरलाल सैनी** : आपने हमारे आदमियों को व अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को जनता शासन में 300-300, 400-400 मील दूर भेजा है और उनकी जगह आर·

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)
एस. एस. व जनसंघ के कर्मचारियों को लगाया है जो आर. एस. एस. का प्रचार करें व शाखाए लगायें ।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : किसी के बाल-बच्चे मेरे . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया आप मेरी बात सुनने का कष्ट करेंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज, माननीय कटारिया जी । मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य गण आपसे निवेदन करूंगा कि विपक्ष के नेता कोई बात कहना चाहते है, उसे सुनें

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : सदन के नेता की बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको क्यों किया आपने । ×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सुनें मेरी बात . . .

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : हम ललित जी को नहीं सुननी चाहेंगे . . .

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ललित कहेगा तो आपको सुनना पड़ेगा. . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : कितने हरिजनों को मारा है, आप क्या करेंगे . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । विपक्ष के नेता कुछ बात कह रहे हैं, उसके बाद उसका उत्तर हो तो मुख्य मंत्री देंगे । माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें । आसन पैरों पर है । आप कृपया मेरी बात सुनें . . . .

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य अगर आप कार्यवाही चलाने के अन्दर सहयोग नहीं देना चाहें तो बात दूसरी । आप सब, सभी से निवेदन कर रहा हूं . . .

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री सभापति)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं ....

(व्यवधान)

श्री **दाऊदयाल जोशी** : हमारे नेता पर इन्होंने आरोप लगाया है, ललितजी पर आरोप लगाया और आप सुनते रहे . . .

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : माननीय जोशीजी । मैं सभी माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि आसन को सहयोग दें । विपक्ष के नेता कुछ बात कह रहे हैं तो उनकी बात सुनें । आपको उत्तर देने के लिए आपके पास पर्याप्त समय हैं । सरकार को समय है. . . .

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । सरकार उत्तर दे सकती है, शिक्षा मंत्रीजी दे सकते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी दे सकते हैं, और कोई सदस्य चाहें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मैं असल में, आसन नहीं चाहता था कि इसको डिबेट का रूप दिया जाय पर करीब-करीब 40 मिनट हम लोगों ने सदन का समय जाया किया ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मैं, आपसे पुनः निवेदन करूंगा मेरे सामने अभी एप्रोप्रिएशन बिल है, जो मुझे पास करवाना है, आप लोगों को पास करना है, एप्रोप्रिएशन बिल आज के बिजनेस के अन्दर है । मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब आसन का सहयोग करें । यह क्या हुआ कि कोई माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए उधर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया । आप में से कोई बोलने खड़े हुए तो इधर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने कहां मचाया । पहले इन्होंने मचाया ।

(व्यवधान)

श्री **गोपाल पचेरवाल** : × × ×

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । आप माननीय सदस्य, अपनी भाषा पर संयम रखें । कृपया . . . .

एक माननीय सदस्य : इधर से नहीं हुआ है . . .

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : ऑर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । आप सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं । आखिर कहीं तो सीरियसनेस आये इस प्रोसिडिंग्स के अन्दर । कहीं तो लगे कि कार्य कर रहे हैं । मैं सत्ता पक्ष को उत्तर देने का, विपक्ष को बोलने का पर्याप्त समय दूंगा । आखिर इसका अन्त कब होगा ? मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, विपक्ष के नेता ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं कुछ नहीं कहूंगा ।

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, आप सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री दिनेश डांगी : ×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । यह जो कहा है एक्सपंज किया जाय, सदन की प्रोसिडिंग्स में से । आसन के प्रति जो बात की, इनको एक्सपंज किया जाय ।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने वाले सदस्य की अभिव्यक्ति का अपलेखन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : पहले मैंने उठाया है । विरोधी पक्ष के सदस्यों, माननीय सदस्यों के लिए ××× वाले कहा है । क्या ये सब सदस्य हैं । उन्होंने जिस परिपेक्ष में कहा है, जिस भावना से कहा है, निश्चित रूप से असंसदीय है । यदि आपका निर्णय सदन की गरिमा के अनुकूल मानते हैं तो मुझ कुछ नहीं कहना, और यदि गरिमा के प्रतिकूल है तो माननीय सदस्य के ये शब्द अपमानजनक हैं. असंसदीय हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय ।

श्री सभापति : मैं प्रोसिडिंग्स देख कर इसके बारे में जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार व्यवस्था दूंगा ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा हूं कि एक्सपंज केवल वही वर्ड्स किये जाते हैं जो अन-पार्लियामेंट्री हैं । उसके अनुसार एक्सपंज करने का अधिकार न चेयर को है और न सदन को है । मैं एक पाइन्ट आफ आर्डर प्रस्तुत करना चाहूंगा । अभी, सभापति महोदय, आपने एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के विरोध में माननीय सदस्य, जो पाली से जीत कर आये हैं, देसूरी से आये हैं ने जिस प्रकार से बेइज्जती करते हुए सभापति महोदय को ये कहा और आसन को यह कहा कि × × × सभापति महोदय, आपने अच्छी व्यवस्था दी कि उनके वर्डस सारे एक्सपंज कर दिये । लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सत्ता पक्ष के सदस्य का व्यवहार और खास तौर से आसन के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित है, आपने डांगीजी को बाई नेम कहा कि डांगीजी आप बैठ जाओ, डांगीजी आप बैठ जाओ, वह बैठे नहीं और उसके बाद आपकी व्यवस्था को उन्होंने चुनौती दे दी । सदन के नियमों में नियम 292 के नीचे व्यवस्था है । वह 292 मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा । इसमें यह है:--

"The Speaker may, if he deems necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof."

(2) If a member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member (naming him) be suspended from

(70)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

service of the House for a period of not exceeding the remainder of the session:

Provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated.

(3) A member suspended under this rule shall forthwith withdraw from the precincts of the House.

सभापति महोदय, आपने उनको नेम किया। नेम करने के बाद यह व्यवस्था रहती है कि या तो माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापस लें या दूसरी व्यवस्था यह रहती है कि यदि आप अपनी व्यवस्था के प्रति स्ट्रिक्ट करते हैं तो आपके सामने केवल एक ही चारा है कि माननीय सदस्य को सदन से सस्पेन्ड करने के लिए एक प्रस्ताव आप हाउस के अन्दर प्रस्तुत करें। वाजिब तो यह होगा कि जब भी सदन में अध्यक्ष महोदय की तरफ से किसी सदस्य को नेम किया जाता है तो मुख्य सचेतक का यह कर्तव्य होता है कि वह अध्यक्ष की ओर से सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य सचेतक को जब तक कोई दूसरे रूल्स नहीं बतायेंगे, उस समय तक उनको जानकारी नहीं होगी। इस कारण जो कुछ उनको रूल्स बतायेंगे, वह भी कहां तक सही होंगे, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि आपने माननीय सदस्य, जो देसूरी से जीतकर आये हैं और जिन्होंने अध्यक्ष, आसन की व्यवस्था की अवहेलना की है, ××× उन सदस्य को आप सदन से बाहर निकलवाने की कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : आन ए पोइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर!

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दूंगा। माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि जिस सेन्स में श्री डांगी का नाम पुकारा था, वह कोई आसन की अवहेलना नहीं कर रहे थे। सदन में इतना शोरगुल था मेरे लिए सम्भव नहीं था कि किसी व्यक्ति को आर्डर कायम करने के लिये मेरी बात मैं कह सकूं. आसन की तरफ देख ही नहीं रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, एक-दूसरे से बातों में उलझे हुए थे, उन्होंने माननीय डांगीजी ने मेरे किसी आदेश की अवहेलना नहीं की · · ·

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने फिर एक्सपंज कैसे किया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य जिस भाषा का आवेश के अन्दर आकर कभी-कभी कोई माननीय सदस्य प्रयोग कर जाते हैं, आपकी बात. · · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये सदन में × × ×

श्री सभापति : अब ××× तो मेरे पास क्या इलाज है · · · ·

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आपने, न माननीय डांगीजी ने कोई आसन की आदेशों की अवहेलना करी। कभी-कभी

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित को गई।

(श्री सभापति)
माननीय सदस्य आवेश का आपने दृश्य देखा ही है, आवेश में आकर उनकी मंशा न होते हुए भी कभी-कभी ऐसी भाषा को कह डालते हैं। यह संदर्भ से मालूम होता है, हाव-भाव से मालूम पड़ता है। कभी-कभी जोश में ऐसी भाषा कह डालते हैं जो कि रिकार्ड के ऊपर रहना उचित नहीं होगा, आगे के लिए कोई प्रोसिडिंग देखे तो उचित नहीं रहेगा। मैंने माननीय डांगीजी की भावनाओं को गलत रूप में नहीं लिया है लेकिन जो शब्द थे उनको एक्सपंज कर दिया है · · · · ·

श्री नाथूसिंह : आपको कैसे पता चला कि उनकी भावना क्या थी ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। उन्होंने आवेश में आकर जो शब्द आसन की व्यवस्था के खिलाफ कहे हैं मैंने उनको एक्सपंज करा दिया है। मैं अब पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि · · · ·

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं इसको उचित नहीं समझता कि वे माफी मांगें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बहुत ताड़ना दे दी, साहब।

श्री सभापति : मैं श्रीमान् माननीय सदस्य, जो कोटा से आते हैं, से और मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा और खास तौर से माननीय मुख्य सचेतक महोदय आपसे निवेदन करूंगा · · ·

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी पार्टी तो नहीं करेगी, आप उनको कहें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय, विपक्ष के मुख्य सचेतक महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आसन को सहयोग दें। काफी हो गया है। आपके पास काफी समय है, आपके पास शासन तंत्र है, आपको उत्तर देने का पूरा अधिकार है। विपक्ष के माननीय सदस्यों की बात मानने के लिए सत्ता पक्ष बाध्य नहीं है लेकिन विपक्ष को अपनी बात कहने का तो अधिकार है। वे अपनी बात कह सकते हैं। आप उनकी बात मानें न मानें यह आपका अधिकार है, आपके ऊपर है। आप भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप पर कोई आरोप लगाते हैं या कोई तथ्य प्रस्तुत करते हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं सदन के सामने तो सभी मेम्बर एक साथ खड़े होकर कहें यह जरूरी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं, और कोई माननीय सदस्य कह सकते हैं जिनको अवसर देने को तैयार हूं मैं, वे अपनी बात कह सकते हैं। मैं चतुर्वेदीजी से निवेदन करूंगा कि आप दो मिनिट में अपनी बात कृपया समाप्त करें।

बड़े पैमाने पर अध्यापकों के स्थानान्तरण

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि जो नीति बनी है, नीति बनी हुई है, उसके अनुसार पति-पत्नी के हिसाब से यथा सम्भव एक ही स्थान पर लाने की बात होती है किन्तु यहां तो डेढ़ सौ पति पत्नी एक स्थान वाले अलग किये गए हैं। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जिसके अन्दर नीति में

(72)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उल्लेख है कि वहां से नहीं बदला जाएगा, ऐसे साढ़े तीन सौ से ऊपर लोग हैं जिनका इस प्रकार की बीमारियों के बावजूद स्थानान्तरण किया गया है। जिले के बाहर दो हजार के ऊपर लोगों का स्थानान्तरण किया गया है। एन.सी.सी. में भाग लेने वाले ऐसे छोटे स्थानों पर भेजे गए हैं जिनकी संख्या 26 से अधिक है। जिनको किसी भी स्थान पर नहीं भेजा जाना चाहिए। जो शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं ऐसे कम से कम 450 लोगों को अपने स्थान से बाहर भेजा गया है ताकि संगठन की गतिविधि नहीं कर सकें। उसमें बाधा पहुंचाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था की है। इसलिए . . .

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज। . . .

माननीय सदस्य, कृपया आप उन्हें अपनी बात कहने दें। यह तो उनके सोचने की बात है, आपके सोचने की बात है। आपको उत्तर देने का पर्याप्त अवसर है। सरकार विपक्ष की बात माने न माने यह आपका अधिकार है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि व्यवधान तो कृपया उपस्थित नहीं करें।

श्री **भैरूसिंह गुर्जर** : आपने एक मिनट के लिए कहा था, एक मिनट पूरा हो गया है।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, मैं आपसे पुरजोर आग्रह करूंगा कि आप स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य अब एक मिनट में समाप्त करें।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : जो सरकारी आदेश दस हजार और ग्यारह हजार के बीच में मंत्री महोदय के स्वयं की इच्छा से और सैक्रेटेरिएट के सहारे किया गया है वह समायोजनों में बदल कर 22 हजार से ऊपर हो जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय जब मेरी बातों का उत्तर दें, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाते कहना चाहता हूं कि बीच में इस प्रकार की चर्चा करते हुए यह कहा कि ललित चतुर्वेदी जब शिक्षा मंत्री था, आपके पास सरकार है आप पता लगायें कि कितने राजकीय आदेश हुए। मैं जानता हूं कि राजकीय आदेशों को बताते समय उसमें स्वयं की इच्छा के आर्डर जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मेरिट के आधार पर इस प्रकार के लोगों, जिनको लाने की दृष्टि से किया गया, का समायोजन करने की कोशिश की गई है। तो नए स्कूल, प्रमोशन, रिक्त स्थान, अपनी इच्छा से हुए वह राजकीय आदेश से हुए नहीं माने जावें। सरकार उनके पास में है, पूरे समय की पूरी इंक्वायरी करें, यह मैं उन पर छोड़ देता हूं।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : पैसा लेकर बीच वाले लोगों ने रिश्वतखोरी करके इस प्रकार के स्थानान्तरण कराये हैं।

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

करीब 15 आदमियों ने प्रस्ताव रखा है, आसन के लिए यह सम्भव नहीं होगा . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ तो बोलेंगे।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है कि मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि 15 आदमियों को अलाउ कर सकूं। तो अगर यह उचित समझें और मेरा अनुरोध विपक्ष के माननीय नेता स्वीकार करें, आपके ही दल के सदस्य हैं...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अधिकतर आपके ही दल के सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि विस्तार से अपने दल की भावना और अपनी भावना कह दें तो उचित होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांच मेम्बर तो कहेंगे ही।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया। माननीय सदस्य आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। I will not allow for more than two minutes.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं एक मिनट में ही समाप्त कर देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। आपके जो आदेश गए हैं क्या उन पर ऐसी भाषा है "निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण कर दिया जाय, जिले से बाहर स्थानान्तरण कर दिया जावे, दूरस्थ स्थानों पर स्थानान्तरण कर दिया जावे।" नम्बर वन।

दूसरा, आपके कार्यकर्त्ता या एम.एल.एज. ने 15 की और बीस की सूची बना कर दी, उसी सूची पर आपने ट्रांसफर किए या नहीं? नम्बर टू।

तीसरा यह कि जिलेवार नीति के खिलाफ कौन-कौन-से ट्रांसफर हो गए, आप उनकी सूची बतावें। थर्ड ग्रेड के, जो नीति बनी हुई है, ट्रांसफर किये उसके अनुसार जिले के अन्दर या जिले के बाहर कितने ट्रांसफर किये गए? विधवाओं के कितने हुए? और जिनके रिटायरमेंट का समय मात्र एक साल, डेढ़ साल, दो साल बाकी था ऐसे कितने लोग ट्रांसफर हुए? ये मेरे कुछ मुख्य प्रश्न हैं। इसके बाद यह कि जितने ट्रांसफर आर्डर निकाले गए उनमें से वापस कितनी संख्या में निरस्त किए गए? इतने उत्तर ही पर्याप्त होंगे।...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापतिजी, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जस्टीफिकेशन दिया कि जो अध्यापक काफी लम्बे समय से दूरस्थ थे या काफी लम्बे समय से एक ही जगह पड़े हुए थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि....

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : पड़े हुए क्या होता है?

सुश्री पुष्पा जैन : उन्होंने कहा है। इसको मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें। जो अध्यापक लम्बे समय से एक स्थान पर पड़े हुए थे दूसरी जगह, जो शायद आपने सुना नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य बातें नहीं करें कृपया। आप जारी रखें।

(74)

सुश्री पुष्पा जैन : कार्यरत थे समझ लीजिए। आप अपनी भाषा में समझिये, मैं अपनी भाषा में बोलूंगी।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जो वास्तव में काफी लम्बे समय से अध्यापक एक ही स्थान पर कार्यरत हैं वह अभी भी वहीं कार्यरत हैं ? उनसे कम समय में कार्यरत हैं, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है ? मन्त्री महोदय ने यद्यपि अपनी दुर्भावना से नहीं किया होगा लेकिन व्यक्तिगत रंजिश दिखाने की खातिर कुछ लोगों ने राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके कि जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं या कोई दूसरी तरह से गुमराह करके आप से वे स्थानान्तरण करवा लिए हैं, इस बात की आपको जानकारी है या नहीं ? नम्बर वन।

नम्बर टू, मंत्री महोदय ने सहृदयता से अभी एक एश्योरेंश दिया कि विशेष परिस्थितियों और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जो स्थानान्तरण हो गए हैं उन पर वे पुनर्विचार करने को तैयार हैं। मैं वापस एक वार पुनः एक आश्वासन ईमानदारी से लेना चाहूंगी आपकी मार्फत, सभापति महोदय, इस सदन में कि उन्हें ऐसे जो उदाहरण पेश किये जायेंगे क्या वास्तव में वह उन पर ईमानदारी से वापस गौर करके स्थानान्तरण निरस्त करेंगे ? नम्बर टू।

नम्बर थ्री, सभापति महोदय, ऐसे क्या विशेष कारण थे कि जिनकी खातिर ऐसे अध्यापकों का स्थानान्तरण करना पड़ा जो आने वाले 30 सितम्बर को रिटायर हो रहे हैं ? आप एक अगस्त को उनका ट्रांसफर कर रहे हैं ? मैं उन विशेष परिस्थितियों को भी जानना चाहूंगी।

सभापति महोदय, मैं एक वात और भी आपकी मार्फत माननीय शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि वे पंचायत मंत्री भी हैं, क्या आपको इस वात की जानकारी है कि आपके विकास अधिकारी, आपके राज्यादेश से जो अभी स्वयं लगे हुए हैं, को करीब 15 दिन भी नहीं हुए उनके द्वारा बीस-बीस की सूची में मास्टरों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं ? आपकी जानकारी में है कि उनके क्या कारण हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

15 दिन के अन्दर तो वे जान भी नहीं सकते कि कौन-कौन सा अध्यापक किस-किस स्थान पर है और उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। उसका कैसा कार्य रहा है। इसकी जानकारी आप स्वयं करें। विशेष तौर से यह बहुत गलत होगा। इस तरीके की धारणा इस तरीके की नीति कायम होगी कि विकास अधिकारी किसी के कहने पर स्थानान्तरण कर दें यह परम्परा उचित नहीं होगी। आप स्वयं जांच कराना आवश्यक समझेंगे ?

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी और श्री बन्सीलाल पटवा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, यह जो स्थानान्तरण किये गये हैं, इनमें से अधिकांश स्थानान्तरण ऐसे हैं टोडारायसिंह के एम.एल.ए. . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टोडा रायसिंह के एम.एल.ए. के नाम से पत्र लिखा है श्रीमन् वह मैं सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है–"उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे गांव पन्द्राहेडा के शिक्षक श्री मुकुटबिहारी शर्मा, सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण कुछ असामाजिक तत्वों ने अकारण ही प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर इस विद्यालय से गेहरू करा दिया है जिससे हमारे गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ की सम्भावनाएं पैदा हो चुकी हैं। हम सभी ग्रामवासी आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सुयोग्य अध्यापक के स्थानान्तरण को तुरन्त आदेश प्रसारित कर स्थगित किया जाय जिससे हमारी होने वाली क्षति न हो। आशा है, श्रीमान् जी ध्यान देकर इस कार्य को सम्पन्न करने की कृपा करेंगे।"

एक माननीय सदस्य : यह कैसे आ गया इनके पास ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पर प्रधानाध्यापक की टिप्पणी इस प्रकार है–"सम्बंधित अध्यापक जिसका स्थानान्तरण मात्र प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर शिकायतन आपके द्वारा कराया गया है, एक कर्मचारी के प्रति घोर अन्याय करना है, अध्यापक जिस संस्था में व विभाग में कार्य करता है उसके लिये सत्यनिष्ठ है। अध्यापक की सेवाएं इस विद्यालय के लिये बहुत उपादेय हैं। विद्यालय के सतत् विकास पर इस स्थानान्तरण से प्रभाव पड़ सकता है। अतः यदि सम्भव हो तो इनकी सेवाएं निरन्तर बना रखने का आदेश दिया जाये।"

सभापति महोदय, इस पर वहां के प्रधानाध्यापक ने लिखा है और सरपंच ने भी अपनी टिप्पणी दी है वह इस प्रकार है–"सम्बन्धित मास्टर का स्थानान्तरण किया गया है सो आपको निवेदन है कि इस बारे में गांव वालों को व बच्चों को काफी नुकसान होगा व गांव में अशान्ति पैदा हो जावेगी। इसलिये इनका स्थानान्तरण कैन्सिल किया जाय।" जिस मास्टर को दो साल नहीं हुए उनका तो आपने स्थानान्तरण किया है परन्तु जो सात साल से है उसका नहीं किया।

इसी तरह से, सभापति महोदय, सरदारशहर का उदाहरण है वह भी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा है–

"राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरदार शहर के तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री मोहम्मद अली को अगस्त, 78 में गम्भीर गबन धोखाधड़ी व अनियमितताओं के आरोप होने से स्थानान्तरित किया गया फिर भी उसने 6 माह तक कार्यभार नहीं संभाला या तत्पश्चात अंकेक्षण होने पर उसके विरुद्ध धोखाधड़ी व अनियमितताओं के आक्षेप सही पाये गये जिन पर कार्यवाही होना शेष है।" परन्तु पिछले दिनों राज्यादेश से उस मोहम्मद अली का स्थानान्तरण पुनः उसी शाला में किया गया है जिससे शाला के रिकार्ड में भारी हेर फेर की आशंका है अतः अल्प-सूचना प्रश्न पूछने का कारण उत्पन्न हुआ। यह आडिट रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में छात्रों के सामान खरीदने व छात्रों के स्कूल शुल्क में गबन करता पाया गया है। सभापति महोदय, उस मोहम्मद अली को सरकार ने वापस वहीं भेज दिया जबकि उसका इस अपराध के आधार पर स्थानान्तरण किया गया था। सभापति महोदय, कुछ और अन्य उदाहरण मैं आपको देता हूं। नवाब अली का सीकर से ट्रांसफर किया गया। कई स्थानान्तरण इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
प्रकार के किये गये हैं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

शर्म आनी चाहिए आपको कि गरीब शिक्षकों की लाश पर अपनी राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी नम्बर है इसमें।

श्री सभापति : मैं आपको दो मिनट का समय दूंगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी: हमारा भी नाम रखिये दो मिनट।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय ने राजस्थान में जितने भी ट्रांसफर किये हैं उनमें कई इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने एक सूची दे दी उसके आधार पर या किसी ने सूची दे दी उसके आधार पर स्थानान्तरण कर दिये गये। यदि राहत देने की दृष्टि से स्थानान्तरण किये जाते तो कोई ऐतराज की बात नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : पहले भी कभी हुए हैं क्या राहत देने की दृष्टि से ?

श्री दाऊदयाल जोशी : बिलकुल हुए हैं।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जायं। लेकिन जनता पार्टी के लोग बोलें इस बात से तकलीफ होती है। इन्होंने अपने काल में कितने स्थानान्तरण किये हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तत्कालीन मुख्य मंत्री के पास गया। उन्होंने यह जवाब दे दिया कि सूर्यनारायण जी चौधरी नाराज हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

मैं निवेदन करूंगा कि आसन से सहयोग करें। आप कृपया जारी रखें।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अपोजिशन पार्टी के लीडर से एक बार जिक्र किया था, स्प्रिंग का, जो स्प्रिंग लगी हुई है, वह निकाली जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी स्प्रिंग तो बुढ़ापे के कारण निकल गई है। अब चाहें तो मैं लगा सकता हूं।

श्री बन्सीलाल पटवा : यदि राहत की दृष्टि से स्थानान्तरण किये जाते हैं तो कोई ऐतराज की बात नहीं है। मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जो छोटे-छोटे स्कूल हैं इन्टीरियर में जिलों से बहुत दूर-दूर स्थानान्तरण कर दिये गये। माण्डलगढ क्षेत्र से आठ स्थानान्तरण ऐसे किये गये, आठ को राजगढ़, चूरू जिले

(श्री बंसीलाल पटवा)

से भेजा गया, एक को तारानगर, चूरू जिले में भेजा गया एक को शेरगढ़, जोधपुर में भेजा गया। जो 2-8-80 को आदेश जारी किये वह भी मैं बताना चाहता हूं :—

1. श्री अमरसिंह, थर्ड ग्रेड, को श्री-माधोपुर से, सीकर जिले से बाहर भेजा गया।

2. श्री मानसिंह, थर्ड ग्रेड को श्री माधोपुर, सीकर जिले से, बाहर जैसलमेर।

3. श्री सूर्यनारायण, थर्ड ग्रेड, मिडिल स्कूल, सिसाड़िया, सीकर से जिले से बाहर डूंगरपुर।

4. श्री गंगाबक्श जाट, थर्ड ग्रेड, मिडिल स्कूल, सान्यास, सीकर जिले से बाहर बांसवाड़ा।

5. श्री राम कुमार सिंह यादव, हायर सैकण्डरी स्कूल, रींगस, सीकर से जिले से बाहर बाड़मेर इनके स्थानान्तरण किये गये।

इसके अतिरिक्त तीन स्थानान्तरण और किये गए।

1. श्री केशवदेव, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाड़ी भरतपुर से स्थानान्तराधीन जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।

2. श्री विद्या प्रकाश, स. अ., राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाड़ी, भरतपुर से स्थानान्तराधीन, जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

3. श्री विष्णु दुबे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रावतपाड़ा, बाड़ी, भरतपुर से स्थानान्तराधीन जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर।

गंगासहाय को...

(व्यवधान)

सीकर से बाड़मेर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बंसीलाल पटवा : ट्रांसफर जोधपुर से किये गये वे इस प्रकार हैं...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बंसीलाल पटवा : एक मिनट साहब।

एक स्थानान्तरण इस तरह से बाड़मेर से अजमेर किया गया है। इस तरह से आउट आफ जिला, एक जिले से दूसरे जिले में जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं, अध्यापक हैं उनका राजनैतिक द्वेष के आधार पर स्थानान्तरण किया गया है। इनकी इस स्थानान्तरण नीति के कारण एक नहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए त्याग-पत्र दे दिये हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जो छोटी आय के अध्यापक हैं उनका गलत तरीके से राजनैतिक आधार पर किसी को जोधपुर किसी को बाड़मेर, माननीय सभापति महोदय, स्थानान्तरण करना सरकार के लिये बड़ी लज्जाजनक बात है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मेरा निवेदन सुनिये। माननीय जोशी जी मैं आपको पढ़ कर सुना सकता हूं श्री गुलाबचन्द कटारिया एक, पुष्पा जैन दो, बंसीलाल पटवा

(श्री **सभापति**)
तीन, घनश्याम तिवाड़ी चार और

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आप मेरा निवेदन सुन लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया नियमों का अध्ययन करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं आपसे पुन निवेदन करूंगा मैं जोशी जी के पश्चात् किसी भी माननीय सदस्य के नाम पर विचार नहीं करूंगा। आप एक दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, कोटा, बूंदी, झालावाड़ की लिस्ट है मेरे पास में। आज तक किसी भी शिक्षा मंत्री ने पंचायत समितियों के तहत पढ़ाने वाले अध्यापकों के तबादलों में अपना हाथ नहीं दिया लेकिन दुर्भाग्य है बूंदी जिले में पंचायत समितियों के तहत पढ़ाने वाले 210 अध्यापकों…

श्री सभापति : ये बूंदी के हैं ?

श्री दाउदयाल जोशी : कोटा, बूंदी के हैं।

210 पंचायत समितियों के अध्यापकों को बूंदी जिले से दूसरे जिलों में भेजा गया जब कि पंचायत समितियां के अध्यापक एक तहसील से दूसरी तहसील एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में भेजे जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस शासन के शिक्षा मंत्री जी ने बूंदी में पंचायत समितियों से लोगों को छांट कर दूसरे जिले की पंचायत समितियों में भेजा है। 200 ऐसे अध्यापक हैं। थर्ड ग्रेड के 107, सैकिण्ड ग्रेड के 17, फर्स्ट के 4। मुझे फर्स्ट और सैकिण्ड ग्रेड की बात नहीं करनी है लेकिन…

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप इनकी बात धैर्यपूर्वक सुनिये।

एक माननीय सदस्य : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। नाम बताइये। ये गलत बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, पंचायत समितियों में ग्रेड होते ही नहीं।

श्री सभापति : आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं एक दो माननीय सदस्यों को अलाउ कर दूंगा फिर माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे बीच में व्यवधान उपस्थित करने से समस्या का हल नहीं होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं बूंदी सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 200 अध्यापकों के ट्रांसफर योजनाबद्ध तरीके से किये गये इसी तरह से कोटा जिले में 266 ट्रांसफर पिछले 27 दिनों में हुए हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिला कर 538 तबादले एक महीने में अपने आप में लज्जाजनक बात है। मैं एक पत्र आपको पढ़ कर सुनाता हूं। वाड़ी, जिला भरतपुर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हरद्वारीलाल दीक्षित ने एक एप्लीकेशन शिक्षा मंत्री जी को दी कि निम्न अध्यापकों से मेरी अदावत चल रही है इसलिये मैं

(श्री दाऊदयाल जोशी)

निवेदन करता हूं कि इन अध्यापकों को तुरन्त बाड़ी से हटा कर दूर भेजा जाय। श्री दीक्षित, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्त्ता के कहने पर जिनके स्थानान्तरण किये गये हैं वे हैं केशवदेव दीक्षित पुत्र श्री दीपचन्द, बाड़ी से अलवर। दूसरे विद्या प्रकाश पुत्र चिरंजी लाल, बाड़ी से जयपुर द्वितीय, विष्णुदत्त दवे पुत्र हेतप्रसाद रावतपाड़ा, बाड़ी से अजमेर ट्रांसफर किया गया।

मेरा निवेदन है कि थर्ड ग्रेड अध्यापक दया के पात्र हैं सबसे गरीब व्यक्ति हैं, जो सबसे ज्यादा निर्धन व्यक्ति हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर हमको विचार करना चाहिये। यह सरकार न्याय नहीं करती है उसके साथ अन्याय कर रही है। अतः मेरा पुरजोर निवेदन है कि आप इन तबादलों को निरस्त करें आप ऐसी व्यवस्था करें कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो मेरे पास प्रमाण हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, घंटी बजा रहे हैं।

जो व्यक्ति 4 महीने बाद रिटायर होगा...

श्री सभापति : यह आ चुका है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार आपने 55 साल के...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, इनको बोलने दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : पाली जिले के सुमेरपुर के अध्यापक हैं जिनके 55 साल के होने में 6 महीने बाकी हैं उनका तबादला पाली से अलवर जिले में कर दिया। सभापति जी, मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि इस प्रकार किये जाने वाले ट्रांसफरों की लोगों में आम चर्चा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय में 15 से 20 हजार का रोज घोटाला...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अब आप विश्राम करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय,

(व्यवधान)

कहते हैं मम्मी के पास जाओ।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है यह जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। यह मम्मी राज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री गोटेवाला। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

(80)

(श्री सभापति)

मैं आपको अवसर नहीं दूंगा। कम से कम जो आश्वासन आपने दिया है उस पर तो रहें I am sorry I will not allow you.

श्री श्रीराम गोटेवाला।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, आप कांग्रेस के माननीय सदस्यों को इजाजत दे रहे हैं। काल अटेन्शन मोशन की सूचना जिन्होंने दी थी उसमें उनका नाम नहीं है उनको भी आप मौका दे रहे हैं तो दूसरे जो विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं वे माननीय सदस्य भी कहना चाहेंगे, क्या उनको भी आप अनुमति देंगे ?

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है हाउस में जो टेन्शन है, उसको देखते हुए कांग्रेस पक्ष के सदस्यों को भी अवसर दिया जाए। कांग्रेस पक्ष से केवल दो सदस्य को मौका दूंगा। विरोधी पक्ष से छः माननीय सदस्य बोले हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

I am sorry. I will not allow it.

माननीय सदस्य आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं रेगूलर डिबेट इस पर अलाउ नहीं करूंगा। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है

(व्यवधान)

मेरी बात सुनें। उन्होंने यह कहा कि आपके 6 सदस्य बोले हैं तो क्या हमारे दो सदस्य ही बोलेंगे ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाय। मैं आखिर सबको अलाउ नहीं कर सकता। यह रेगूलर डिबेट नहीं है।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया था वे माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब कांग्रेस को जवाब देना है तो सिर्फ मंत्री महोदय ही जवाब दे दें वरना सब को बोलने की इजाजत दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मेरा नाम तो आप बोल चुके है . .

श्री सभापति : कृपया सहयोग करें। शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

Not to be recorded अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैंने प्रारम्भ में स्थानान्तरण के प्रश्न पर कुछ बातें कहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि सचिवालय में मेरा जो वक्तव्य टाइप हुआ है उसमें अंकों का क्या समावेश किया गया उस संबंधी जानकारी एक माननीय सदस्य को हो गई है। मुझे इसकी भी बड़ी खुशी है कि मैंने मेरे कार्यालय के पत्रों पर क्या लिखा है उसकी जानकारी कुछ लोगों को मिली। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ऐसे शिक्षक जो केन्सर से पीड़ित है जो टी.वी. से पीड़ित है जो हृदय रोग से पीड़ित हैं वे शिक्षा मंत्री से न मिल कर एक राजनीतिक दल के व्यक्ति से मिलें। शायद उनको उनकी पार्टी से लगाव हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, आप लोगों ने अपनी बात कही तो मैंने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से उसको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए कहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंत्री जी का वक्तव्य शान्तिपूर्वक सुनें। आसन आभारी होगा। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका उत्तर आना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया, बात न करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजनीतिक भाषण नहीं होना चाहिए। हम उत्तर सुनना चाहते हैं, हम राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : कान खोल कर सुनो तो सही।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर यह कहा गया कि शिक्षकों के स्थानान्तरण को नहीं रोका गया तो उदयपुर की सड़क पर तिरंगा झण्डा नहीं फहराने दिया जाएगा। मैं उनको यह कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, यह मर्यादा का पालन हो रहा है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात न करें। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप बात को सुनें। आपने अपनी बात कही। अब उधर की बात भी सुनें।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : हमने भी इनकी सुनी है।

श्री सभापति : वह तो मुझे मालूम है।

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। सत्ता पक्ष ने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना है। आपने आरोप लगाये हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आपने आरोप लगाये हैं। साधारण आरोप नहीं लगाये, गम्भीर आरोप लगाये। जो आरोप नहीं लगाने चाहिए थे इस सदन के

(श्री सभापति)

प्रांगण पर वह आपने बिना पूर्व सूचना के लगाये। आपकी पार्टी के लोगों ने लगाये। इसलिए यह आपका कर्त्तव्य है कि आप अब संसदीय परम्पराओं के अनुसार उनका उत्तर सुनें। मेरा आपसे अनुरोध है–राजनीतिक भाषण सदन के प्रांगण में आपकी तरफ से आपके दल के माननीय सदस्यों की ओर से दिए गए। कुछ फैक्टस भी दिए गए.. .

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

आपके भाषण में राजनीति का समावेश था। मैं सुन रहा था। आसन को कृपया चेलेन्ज न करें। रिकार्ड की बात पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंत्री महोदय, क्या कह रहे हैं उसको सुनें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, मैं यह नहीं चाहता हूं कि शिक्षा के प्रश्न पर . . .

(व्यवधान)

मैं जब उदयपुर गया तो मुझे यह मालूम हुआ। मैं 14 तारीख की रात को एक बजे वहां पहुंचा था तो मुझे मालूम हुआ कि वहां पर एक शिक्षक संघ द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गयी। जिलाधीश कार्यालय के सामने सभा की गयी और यह कहा गया कि झंडा नही फहराने दिया जायेगा। मैं, सभापति महोदय, सदन से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से आपकी इजाजत से सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। यदि उस दिन किसी व्यक्ति को तिरंगा झंडा . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वास्तव में शिक्षक हैं, जो राजनीति से दूर रहना चाहते हैं वे इस सीमा तक पहुंच जायं, क्या कल्पना की जा सकती है। इसी कल्पना के आधार पर . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो हाथ शिक्षकों के खून से रंगे हुए हैं उन हाथों से झंडा नहीं फहराने दिया जायेगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उन्हीं हाथों से झंडा फहरा दिया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या इस प्रकार की नीति जारी रखना चाहते हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप सुनिये तो सही। अंकित न हो।

श्री दाउदयाल जोशी : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप मेरी बात सुनिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो चार्ज लगाया गया है उसका जवाब आना चाहिये, राजनैतिक भाषण नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

आप जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार मैं सरकार को कम्पेल नहीं कर सकता। आपके मनमाफिक उत्तर दिया जावे, इसके लिये आसन सरकार को कम्पेल नहीं कर सकता है। अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग करें, नियमों के विरोध में कोई बात कहें तो मैं उनको रोक सकता हूं, वरना सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। आप शुरू कीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : क्या सम्बद्ध है क्या असम्बद्ध है यह शायद मैं भी जानता हूं। मैं शिक्षकों की बात कर रहा था। शिक्षक इस बात को कहें कि शिक्षक सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। मैं समझता हूं शिक्षकों के स्थानान्तरण का जब प्रश्न आता है तो शिक्षकों की भावनाएं, शिक्षकों की नीतियों को इसके कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि उदयपुर में उस दिन ऐसा वातारवण था जैसा मैंने कहा जिस तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानियां दी गई उस तिरंगे झंडे को फहराने के लिये यदि कोई ऐसी शक्तियां रोकना चाहती हैं तो मैंने उस चुनौती को मंजूर किया . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनसे सुना नहीं जाता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, ऐसे लोगों के तबादले किये हैं जो पुलिस अधिकारियों को एम.एल.एज. को . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

आप प्रारम्भ करें, मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं उस विषय की बात कर रहा था यहां पर शिक्षकों के हितों की हिमायत की बड़ी दुहाई दी गई। कहा गया कि पति-पत्नी को अलग नहीं करना चाहिये, कहा गया कि कैंसर से पीड़ित रोगी को बाहर नहीं भेजा जाना चाहिये, कहा गया टी.बी. के रोगी को बाहर नहीं भेजना चाहिये, कहा गया जिले से बाहर नहीं भेजना चाहिये, कहा गया विधान सभा चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं भेजना चाहिये किन्तु . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपके स्थानान्तरण का नम्बर कितना है?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने कितने किये है, उसकी संख्या का पता है?

श्री सभापति : आप बोलने नही देते हैं। माननीय सदस्य, आप उत्तर आने दीजिये, आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिये, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर आने दीजिये, कृपया।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार के भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। राजनैतिक भाषण नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, मैं इसलिये कह रहा था कि शिक्षकों के हित की बातं यदि राजनीति से प्रेरित होकर नहीं हो तो मैं समझता हूं कि इसके हनन होगा किन्तु यदि केवल राजनैतिक आधार पर किसी प्रश्न को उछालने की नीति हो और असन्तोष पैदा करने की राजनीति भी दल की हो, तो . . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्थानान्तरण का नम्बर तो बताइये ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : आप तो यह कहते हैं कि हम शिक्षकों का गला काट रहे हैं।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

एक माननीय सदस्य × × ×

श्री जेठमल बरबड़ : वह गला काट रहे हैं, आप गला फाड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आप आवेश में न आये, माननीय जोशी जी।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने 538 शिक्षकों के तबादले किये हैं, मेरे यहां।

श्री रामनारायण डूडी : इन्होंने केवल नारा दिया है। चड्डी पहन कर सैल्यूट दिया है, और कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : इतने तबादले कर दिये! यह नहीं चलेगा। . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

आसन को जो आपके सहयोग की अपेक्षा है। आपने जो सहयोग का आश्वासन दिया है वह मिल नहीं रहा है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वह जो कहते हैं आप उन्हें कहने दीजिए, आसन को सहयोग देकर व्यवस्था बनाये रखें। अगर सरकार ने आपकी बात का उत्तर नहीं दिया है तो आपकी बात रिकार्ड में आ जायेगी। मैंने आपके पूर्व में निवेदन किया है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

आप सरकार को कम्पेल नहीं कर सकते हैं। आसन सरकार को कम्पेल नहीं कर सकता है कि आपके द्वारा उठाये गए

× × ×माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)
प्रश्नों का उत्तर सरकार दे। आप चाहते हैं कि वह यहां पर ट्रान्सफर्स को निरस्त करने की घोषणा कर दें। आप चाहते क्या हैं आखिर? आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय को बात करनी चाहिए। यहां कहना चाहिए अभी कहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कोई भी स्थानान्तरण रद्द नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे, पूरे सदन से रहम की दरख्वास्त करता हूं। मुझे 4 घंटे यहां बैठे हुए हो गये हैं। माननीय सदस्य, मेरी भी सीमाएं हैं।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें। मेरे लिए सम्भव नहीं है। मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन में एनासिन की व्यवस्था की जाय।

एक माननीय सदस्य : यह क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : तुम्हारे दल के लोगों के दस्तखत हैं ट्रांसफर के लिए।

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : जनता सरकार में अत्याचार करके इन लोगों ने जो ट्रांसफर किये वह बर्दाश्त नहीं किये जा सकते। इन लोगों ने इस तरह से लोगों के स्थानान्तरण किये, और किस-किस तरह मंत्रियों को कहा, इन्होंने जो बातें कही हैं वह आप कह नहीं सकते। अब आप चिल्लाते हैं। शर्म नहीं आ रही है। इनको शर्म आनी चाहिए सदन में बोलते हुए।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : डूब मरो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा, माननीय कटारिया जी स्थान ग्रहण करें....

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मंत्री जी बोलना चाहते हैं। आप क्यों नहीं बोलने देते हैं?

श्री सभापति : आपको, आसन को सहयोग करना होगा।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, इनको सुनना पड़ेगा जो मंत्री जी कह रहे हैं, हम मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं। उसके बाद अगर इनको कोई एतराज हो तब वह बोलें। इस सदन में यह अकेले ही नहीं हैं। इस सदन में हमारा भी अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

था। शिक्षकों के स्थानान्तरण के प्रश्न को यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो उस पर विचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया, दिनांक 15 अगस्त को शिव कुमार जी सनाढ्य, जो एक शिक्षक संघ के नेता हैं, अपने साथियों के साथ मुझसे उदयपुर में मिले। उस समय भी मैंने उनको कहा था। अगर आप राजनीति से ऊपर रहकर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसमें कुछ प्रश्न मूल मुद्दे के उठे थे। मैंने उनसे कुछ बातें कहीं कि हमारे प्रदेश की जो शिक्षण संस्थाएं हैं मैं उनको कम से कम आर.एस.एस. का साधन आर.एस.एस. का गढ़ नहीं बनने दूंगा। मुझे मालूम है जिस समय यह चर्चा हो रही थी, उनमें से कुछ लोग यहां बैठे हुए, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आर.एस.एस. वाले बिन्दु से अलग हटाकर आते हैं केवल शिक्षकों के हित की बात करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी बातचीत करने में। उसके बाद उन लोगों ने समय की बात कही तो मैंने उनको 25 तारीख को शाम के 6 बजे बात करने के लिए समय दिया और उसे उन्होंने स्वीकार किया है। हम 25 तारीख को शाम को 6 बजे मिलेंगे। मैंने प्रश्न केवल एक ही रखा है क्योंकि मैं सिद्धान्ततः आर.एस.एस. की जो नीतियां हैं और शिक्षण संस्थाओं में आर.एस.एस. के माध्यम के द्वारा जो प्रचारात्मक दृष्टि से फिजा पैदा की जा रही है उससे सहमत नहीं हूं। बाकी मैं सभापति महोदय, स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें हैं, जिससे वास्तव में शिक्षक के मन में पीड़ा है शिक्षक की भावना को यदि ठेस पहुंचती है तो मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

जहां तक स्थानान्तरणों का प्रश्न है, मुझे मालूम है, गए दिनों गए वर्षों में कहने को कहा जा रहा है, बड़े जोर से कहा जा रहा है परन्तु जिले के बाहर के आदेश भी हैं विधान सभा क्षेत्र के बाहर के आदेश हैं। अन्य प्रकार के हैं, और सभी तरह के आदेश हैं।। अगर वह चाहते हैं तो मैं उनको फोटोस्टेट कापी कराके दे सकता हूं। मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है कि कितने शिक्षकों को विधान सभा चुनाव क्षेत्र से बाहर भेजा गया...

(व्यवधान)

जिलों से बाहर भेजा गया। इस तरह के उदाहरण चाहते हैं तो मैं देने को तैयार हूं। जैसा वह चाहें मुझे दें, किन्तु यह ठीक है कि पिछले तीन सालों में कुछ शिक्षकों के साथ जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करने का जब मौका आया तो स्वाभाविक है कि कुछ संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि आपने पिछले ढाई सालों में धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में जिस साम्प्रदायिकता के बीज बोया उसको साफ करना है, उसको एक झटके से साफ करना होगा। मैं एक ऐसी संस्था का सदस्य हूं जो साम्प्रदायिक विचारधारा में झटका करने में नहीं हिचकिचाएगी। मैं उसके लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपकी दया पर नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं यह कह रहा था हर सरकार की अपनी नीति होती है। जनता सरकार की भी नीति थी। संघम् शरणम् गच्छामि की नीति थी। तो मैं यह कहना चाहता हूं संघम् शरणम् गच्छामि की नीति आज नहीं रह सकती है और न रहेगी। यदि किसी प्रकार का संघर्ष होगा, यदि किसी प्रकार की चुनौती दी जाय, यदि किसी प्रकार की संघर्ष की स्थिति पैदा की जायगी तो चुनौती का सामना करने के लिए सरकार तैयार है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि यदि शिक्षक संघ का गठन जैसा मैंने आपसे कहा कि राजनैतिक प्रेरित है यदि और किसी कामों से कुछ है ....

(व्यवधान)

माध्यम बनाया जायगा राजस्थान शिक्षक संघ को तो उसके लिए राज्य सरकार अपने विवेक से काम लेगी। मैं आपके माध्यम से सदन के उन माननीय सदस्यों, जो निश्चित रूप से देश में प्रगतिशील शिक्षा की दृष्टि से, देश में प्रगतिशील वातावरण बनाने की दृष्टि से, देश में समाजवादी विचार धारा को स्थापित करने की दृष्टि से यही सम्प्रदाय एक विहीन समाज के निर्माण की दृष्टि से प्रयत्न करना चाहते हैं, का आह्वान करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके शिक्षा के क्षेत्र को पवित्र बनाये रखिये, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपको कहीं ऐसा लगे मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको मैं हमेशा ठीक करने के लिये तैयार रहूंगा। शर्त केवल एक रहेगी केवल साम्प्रदायिक संगठनों को मेरे हाथ से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी का वहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : यह सदन का अपमान है।

एक माननीय सदस्य : माफी मांगने से पहले, इनको सदन में प्रवेश नहीं दिया जावे।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980

श्री सभापति : विधायी कार्य, विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। श्री जगन्नाथ पहाड़िया, प्रभारी मन्त्री।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी, श्री गुलाबचन्द कटारिया और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं? श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : माननीय सभापति महोदय, जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश हुआ है सदन के सामने यह बजट की प्रक्रिया में आखिरी मौका है कि सदन इस बजट पर और सरकार की नीतियों पर एक बार और अवलोकन कर सकता है। माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में यह आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से कि बजट में "भावी सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम पर प्रकाश डाला जायगा" यह

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

तो हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक मात्र है। पर बजट भाषण में इस संकल्प को यह कह कर टाल दिया गया, सभापति महोदय कि····

(3.20 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति पीठासीन)

संजय गांधी के निधन से, जिस तेज गति के साथ हम काम प्रारम्भ करना चाहते थे उसमें गतिरोध आ गया है। इस साल हम वांछित प्रभावशाली लक्ष्य इंगित नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, इन दो तरह के वाक्यों से सदन के आर्थिक कार्यक्रम के प्रति सदन के विकास के कार्यक्रम के प्रति, राजस्थान की जनता के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। योजना मद में 19.62 प्रतिशत की वृद्धि जरूर की गई है किन्तु आज के इनफ्लेशनरी ट्रेन्ड को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वह सरकार प्राप्त कर सकेगी। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये बिजली, पी. डब्ल्यू., कृषि, शिक्षा सब को शामिल करके 492 करोड़ का प्रावधान किया है, इसमें गत वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत बढ़ोतरी जरूर है किन्तु आज 30 प्रतिशत इनफ्लेशन को देखते हुए सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनमें 24.4 प्रतिशत की कमी जरूर आयेगी। जिस जगह 1000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उस जगह केवल 756 किलो मीटर सड़क ही बन सकेगी। जिस जगह 180 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है स्व. संजय गांधी की स्मृति में वहां 137 लाख पेड़ ही लग पायेंगे। संजय गांधी के निधन पर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए उनके गुणों की प्रशंसा की थी और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प किया था। सदन के सामने यह जो आर्थिक कार्यक्रम पर आधारित बजट पेश हुआ है उसमें श्री संजय गांधी के तथाकथित गुणों का उनके डायमेंशन का, उनकी संकल्प शक्ति का कहीं कोई परिचय नहीं मिलता है। यह बजट जो सदन के सामने पेश किया गया है, केवल एक ब्यूरोक्रेटिक बजट है। पिछले साल के आंकड़ों में थोड़ी वृद्धि करके सदन के सामने पेश कर दिया गया है। क्यों कि इस बजट में नीति निर्धारण का अभाव है, नीति निर्देशों का अभाव है, इससे यह बजट केवल एक मुनीम का चौपड़ा मात्र रह गया है।

माननीय सभापति महोदया, बजट भाषण में और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपेक्षित क्षेत्र, और उपेक्षित वर्ग के बारे में चिन्ता प्रकट की गई है। माननीय सभापति महोदया, इस बजट के आकड़ों से सदन के समक्ष मैं यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इस चिन्ता का व्यावहारिक रूप कैसा आया है। ट्राइबल डवलपमेन्ट एरिया में 1979-80 में 14 करोड़ 76 लाख का प्रावधान था, जब कि 80-81 में इस प्रावधान को घटाकर 14 करोड़ 18 लाख रुपया कर दिया है। पहले से यह क्षेत्र नेग्लेक्टेड है, उपेक्षित है, इस क्षेत्र की जनता इतनी गरीब है, इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, माननीय सभापति महोदया, आज केवल वहीं लोग वहां जाते हैं जो उस क्षेत्र की जनता का शोषण करना चाहते हैं। मनीलेण्डर वहां जाएगा जिसने पीढ़ियों पहले कोई कर्ज दिया, आज उसके ब्याज की वसूली कर रहा है या फिर सरकारी

(89)

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

कर्मचारी जायगा जो कर्मचारी अपने आप को सरकार का मुलाजिम मान कर उस क्षेत्र की जनता का शोषण करता है। माननीय सभापति महोदया, इस शोषण के साथ-साथ जनजातीय विकास में 57 लाख की कमी करके, राजस्थान की जो पापूलर गवर्नमेन्ट है उसने भी इस शोषण में अपना हाथ बंटाया है। माननीय सभापति महोदया, ट्राइबल डवलपमेन्ट का पैसा जो केन्द्र से आता है उसको वहां के क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में लगाना चाहिये। इकानोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सम्पर्क के साधनों सड़कों और रास्तों की जरूरत है। माननीय सभापति महोदया, आज वहां पर स्थिति यह है कि सड़क नहीं होने से, रास्ते नहीं होने से केवल ठेकेदार, जो चीप लेबर सस्ते मजदूर चाहते हैं, जाते हैं या साहूकार जाते हैं या जैसे मैंने पहले निवेदन किया सरकारी कर्मचारी, जो इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र की जनता को अपने लिए खुला चरागाह मानते हैं, वह जाते हैं, कहीं भी वह जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए सम्पर्क साधनों की आवश्यकता है, सड़कों के साधन की आवश्यकता है।

79-80 में इसके लिए 191 लाख का प्रावधान था। 80-81 में बजट में, जो अभी सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसको घटाकर 95 लाख का प्रावधान कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदया, यह 50 प्रतिशत की कटौती सरकार की ओर से की गई इससे यह स्पष्ट होता है, यह संकेत करता है कि नेग्लेक्टेड एरिया, उपेक्षित क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के उत्साह में भी 50 प्रतिशत की कटौती आई है।

क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में स्थाई रूप से परिवर्तन लाने के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जनजाति क्षेत्र की अधिकांश जनता एक फसल पर केवल खरीफ की फसल पर निर्भर है।

आज फेमिन की स्थिति है। जहां पर जिस साल बारिश नहीं होती है वहां के मजदूर को चारों तरफ भटकना पड़ता है। रिलीफ का कार्य इस साल इतना लेट, और इतना कम चला कि जिन पंचायतों में एक एक हजार मजदूर उपलब्ध हो सकते थे उस जगह केवल सौ आदमी राहत कार्य पर लगाये गये।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राहत कार्य, जो अभी चल रहे हैं, को कम से कम अगली फसल तैयार होने तक चालू रखा जायं, कम से कम 15 अक्टूबर तक राहत कार्य चलने चाहिये।

रिलीफ वर्क तो पहले भी, माननीय सभापति महोदया, बहुत चले हैं किन्तु कभी भी स्थायी निदान के लिए क्षेत्र की समस्याओं के स्थायी निदान के लिए, कोई काम नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में हजारों नाके ऐसे हैं जिस जगह 50-60 हजार रुपये में एक एनीकट बन सकता है। एनीकट बनने के बाद मानसून के पानी, पहाड़ियों के झरने के पानी को एकत्र करके साल भर तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इससे आसपास के कुएं हैं उनका जल स्तर ऊंचा होगा और जनजाति क्षेत्र की जनता दूसरी फसल तैयार करने का प्रयास कर सकती है। माननीय सभापति महोदया, जिन गांवों में यह एनीकट उपलब्ध हुए हैं, जिन गांवों में पानी को

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

सुविधा उपलब्ध हुई है उन गांवों की माली हालत प्रत्यक्ष रूप से सुधरी है। महाराष्ट्र की बात मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में सह्याद्रि पहाड़ियों को आज से 20 साल पहले जो सूखा और भूखा क्षेत्र मानते थे ऐसी योजना के अन्तर्गत आने के बाद वह आज साल भर तक हरी-भरी रहती है। उस क्षेत्र के खेतों के गन्ने से आज कम से कम 100 को-आपरेटिव शुगर मिल चला रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, जिस योजना के अन्तर्गत स्थायी असेट्स बनते हैं, जिस योजना के अन्तर्गत दूरगामी प्रभाव पड़ता है उस योजना मद के लिए 79-80 में 13.20 करोड़ रुपये का प्रावधान था, और 80-81 में इस प्रावधान को घटाकर 11.20 करोड़ रुपये रख दिया है। यह जो 109 लाख रुपये की कटौती हुई है, माननीय सभापति महोदया, यह जनजाति क्षेत्र की जनता के लिए एक घोर अन्याय है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो चिन्ता सरकार ने नेग्लेक्टेड वर्गों के लिए, नेग्लेक्टेड सैक्शन के लिए व्यक्त की है उस चिंता में भी 109 लाख आंसू कम पड़ेंगे। माननीय सभापति महोदया, जनजाति विकास के साथ, जैसा पहले मैंने कहा था यह एक ब्यूरोक्रेटिक बजट है। प्लान एक्सपेंडीचर में 109 लाख रुपये की कटौती की है। नान प्लान एक्सपेंडीचर में 79-80 में प्रावधान था 247 लाख रुपये का। 80-81 में उसका प्रावधान बढ़ाकर 287 लाख रुपये कर दिया है। यह 40 लाख की जो वृद्धि हुई है, माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह नान प्लान एक्सपेंडीचर का पैसा किस जगह खर्च होता है? ब्यूरोक्रेटिस हर वक्त यही देखते हैं कि नान प्लान एक्सपेंडीचर का पैसा बढ़ता जाय तो उनकी सुविधा वह बढ़ा सकते हैं। आज नान प्लान एक्सपेंडीचर का पैसा ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट कार्पोरेशन के अफसरों के लिए नयी गाड़ियां, नयी जीपें खरीदने में लगता है। माननीय सभापति महोदया, नयी गाड़ियों में बैठकर जो अफसर उदयपुर और जयपुर के बीच दौड़ लगाते हैं, मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि आदिवासी क्षेत्र की जनता के कितने लोगों को वहां किसी तरह का रोजगार मिल रहा है, किसी तरह का उनका फायदा हो रहा है?

माननीय सभापति महोदया, बड़े-बड़े बंगले लेने में, उनको आलीशान ढंग से फर्निश करने में, एयर कंडीशन कूलर लगाने में, यह नान प्लान एक्सपेंडीचर का पैसा खर्च हो रहा है। जो अफसर आलीशान बंगलों में बैठता है वह जनजाति क्षेत्र की जनता की कैसे कल्पना कर सकता है। जब बाहर की दुनियां में 110 डिग्री की गर्मी पड़ती है उस वक्त ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के अफसर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर जनजाति क्षेत्र की जनता का चिन्तन करते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा आइटम नान प्लान एक्सपेण्डीचर में यह है कि आदिवासी क्षेत्र के छात्रों को स्कूल यूनिफार्म उपलब्ध करानी है। जो व्यापारी कपड़ा सप्लाई करता है ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में, उससे अफसरों को कमीशन मिलता है। जो दर्जी वह कपड़ा सीता है उससे कमीशन मिलता है, और 6 महीने बाद हजारों स्कूल यूनिफार्म खत्म हो जाते हैं, नये आर्डर आते हैं तो नये तौर से कमीशन अफसर लेते हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा नान प्लान एक्सपेंडीचर जब बढ़ता है तो उसके साथ पैरेलल में एक स्थायी

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

इनकम का नया सोर्स अफसरों के लिए खुलता है ।

होली और दीवाली पर अफसरों को बोनस भी मिलता है । माननीय सभापति महोदया, बोनस इस तरह मिलता है साहब के लिए तो कपड़े का व्यापारी टेरेलीन का सूटिंग पेश करता है, और मेम साहब के लिए साड़ियां पेश करता है ।

मिनी ब्लाक्स की स्वीकृति तत्काल केन्द्रीय सरकार ने दे दी है । किन्तु बजट के प्रावधानों में मिनी ब्लाक्स के लिए अभी तक कोई पैसे का प्रावधान नहीं हुआ है । क्लस्टर प्लान भी अभी तक विचाराधीन है । कई सालों से केन्द्रीय सरकार के सामने विचाराधीन है । माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा यह जो विचाराधीन क्लस्टर प्लान है जो मिनी ब्लाक्स के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है इनके लिए आप प्रयास करिये ताकि ट्राइबल एरिया के विकास में कोई तरह की बाधा नहीं आये ।

माननीय सभापति महोदया, कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के लिए यह कहा था, उन्होंने सदन के सामने संकेत दिया था कि आज यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है, इतने सालों से यह उपेक्षित रहा है । और आज के बजट में इन प्रावधानों को देखकर इन फिगर्स को देखकर, आंकड़ों को देखकर यह स्पष्ट रूप से जनजाति क्षेत्र की जनता के सामने आता है कि श्रीमान् पहाड़िया की सरकार भी इस क्षेत्र को उपेक्षित रखना चाहती है ।

कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था, जनजाति क्षेत्र की जनता अपने आप को उपेक्षित मानती है । यह धारणा जब जोर पकड़ गई तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन इस क्षेत्र की जनता राजस्थान से पृथक होकर एक अलग सूबे की मांग करेगी । यह स्थिति राजस्थान में नहीं आये, आसाम जैसी समस्या राजस्थान में पैदा नहीं हो, इसके लिए सरकार के पास एक ही विकल्प है कि जो भी पैसा ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के लिए आता है, मिनी ब्लाक्स के लिए आता है, क्लस्टर प्लान के लिए आता है वह एक एक पैसा वहां के स्थायी निदान के लिए, वहां के इकानामिक इन्फास्ट्रक्चर को पूरा करने के के लिए खर्च किया जाय और तेज गति से खर्च किया जाय ।

सभापति महोदया, एक और उपेक्षित क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा । ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कहा कि "ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति से सीधे संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनके लिए 492 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।"

विकास की बड़ी–बड़ी योजनाओं में ग्रामीण विकास एक भूला हुआ कोना है। ग्रामीण जनता की छोटी–छोटी समस्याओं, छोटी छोटी आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था । केवल पिछले दो साल में फूड फार वर्क योजना में ग्रामीण समाज को मौका मिला कि अपनी इच्छानुसार वह विकास का कार्य कर सका । किन्तु फूड फार वर्क की योजना के बारे में आपका कार्यक्रम बिलकुल मौन है । ग्रामीण जनता सरकार से पूछना चाहेगी कि क्या आप उस योजना को चालू रखना चाहते हैं या इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं या इसके विकल्प में आप कोई दूसरी योजना प्रस्तावित करते हैं ?

फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत ऐसे

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

कई गांव हैं जहां बैलगाड़ी तो क्या, घोड़े और गधे भी नहीं जा सकते थे, वहां आज सड़कें हैं, उस पर सरकारी मोटरें, मंत्रियों की कारें सपाट से जा रही हैं। सदियों से गांवों की जिन गलियों में 5-5 महीने तक कीचड़ रहता था, वहां आज खुरें बन गए हैं और जन साधारण आराम से उधर से निकलता है।

वर्षा के अधूरे कार्य पूरे हुए हैं, स्कूल भवन, और औषधालय, पंचायत भवन की नई सफेद दीवारें हर गांव की शोभा बढ़ा रही हैं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 में 61.64 लाख रुपये का प्रावधान था, 1980-81 में बहुत उदारता से पूरे राजस्थान के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक हजार रुपए का प्रावधान किया है। सभापति महोदया, यह अब कल्पना का विषय बन गया है कि एक हजार रुपए का जो प्रावधान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए इस वर्ष का रखा है यह किस तरह से पूरे राजस्थान में विशाल राजस्थान के 26 जिलों में 234 कम्यूनिटी डवलपमेंट ब्लाक्स हैं, किस तरह से पूरे होंगे ? हर पंचायत समिति को बराबर पैसा मिलता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए तो एक पंचायत समिति का शेयर 4 रुपए 26 पैसे आता है। एक बात और कल्पना करनी पड़ेगी कि 4 रु. 26 पैसे में निर्माण के लिए कितने पत्थर इधर से उठाकर उधर रखे जा सकते हैं, उधर से उठाकर इधर रखे जा सकते हैं ? राज्य सरकार ने एक तरफ तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 रु. 26 पैसे का प्रावधान किया है, दूसरी तरफ फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहा था उस पर रेस्ट्रिक्शन्स लगा कर ग्रामीण विकास की धारा को कुंठित कर दिया है, ग्रामीण विकास की गति केवल धीमी ही नहीं, आपने ग्रामीण विकास पर फुल स्टाप, पूर्ण विराम लगा दिया है। इस पूर्ण विराम का क्या फल हो सकता है, शायद सरकार ने इसका

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अनुमान नहीं लगाया है। ग्रामीण जनता को पुराने चश्मे से ही देखा जा रहा है। ग्रामीण जनता अपने विकास के प्रति न केवल जागरूक है, बल्कि फूड फार वर्क से उत्साहित होकर आज अपने विकास के लिए आंदोलित है। अब वे सरकार के आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई है उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति इस सरकार को करनी पड़ेगी। ग्रामीण जनता सरकार की तरफ से किसी तरह की उपेक्षा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ग्रामीण जनता सरकार के पास कोई रहम की दरख्वास्त लेकर नहीं आ रही है। वह अपनी प्रगति के लिए अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को मनवाने के लिए आन्दोलित है और वह इस सरकार से अपने विकास के लिए पूरी-पूरी मांग करेगी।

जिस फूड फार वर्क योजना के अंतर्गत 110 करोड़ के असेट्स बने हैं, जिस फूड फार वर्क योजना के अन्तर्गत 80 हजार कार्य पूरे हुए, 5 करोड़ कार्य दिवस मेन डेज की मजदूरी ग्रामीण मजदूरों को मिली है इसकी तुलना में आपके आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने असेट्स आप ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण करने जा रहे हैं ? आपके आर्थिक कार्यक्रम में कितने मेन डेज की मजदूरी, ग्रामीण मजदूरों को उपलब्ध करायेंगे ? ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी दर जो 17.7 प्रतिशत

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

बढ़ी है उसको कायम रखने के लिए, मेनटेन करने के लिए आपके पास क्या योजना है ?

सभापति महोदया, राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता के लिए ज्वलन्त प्रश्न है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इन प्रश्नों के बारे में, सरकार क्या विचार रखती है, क्या नीति रखती है, इस सदन को अवगत करायेंगे। ग्रामीण जनता के लिए एक और प्रश्न है वह यह है कि जिन पंचायतों ने ग्रामीण विकास की योजना को क्रियान्वित किया है उसको पुरजोर तरीके से चलाया है उन पंचायतों का आपके प्रारूप में, आपके नक्शे में क्या स्थान होगा ?

1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज की ज्योति प्रज्वलित की थी, राजस्थान पहला प्रदेश था। किन्तु लोकतंत्र की इस बेसिक यूनिट में 13 साल तक चुनाव नहीं हुए। ऐसी शक्तिहीन अवस्था में पंचायतें पड़ी थीं, और उनकी स्थिति बिलकुल दयनीय थी। राजस्थान की जनता नागौर के बाद पंचायत राज को भूल चुकी थी। यह भूल चुकी थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्या होता है, और वह सता के कन्सेप्ट को ही भूल चुकी थी। 1978 में 20 साल बाद लोकतंत्र की इस मूल इकाई को निस्तेज अवस्था से उठाकर पंचायत राज के ओरिजिनल उद्देश्य से प्रेरित किया गया, और ग्रामीण विकास में जुट जाने के लिये इन पंचायतों को पूरी तरह से क्षमता प्रदान की गई थी।

अब मैं आपकी सरकार से जानना चाहूंगा कि आपके आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आपके लोकतंत्र की रूपरेखा में पंचायतों का क्या रोल रहेगा ? क्या स्थान रहेगा ? आप पंचायती राज को किस रास्ते लगाना चाहते हैं ? इसका भी उत्तर सदन के सामने आना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट। सभापति महोदया, फूड फार वर्क और पंचायतों के बारे में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात सामने रखी है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी योजना के लिए केवल भ्रष्टाचार को मापदंड रखने से काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार को ही यदि आप मापदंड मानते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे पहले छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, और इरिगेशन, पी.डब्ल्यू.डी., बिजली इनका क्या होगा ? इनको भी बंद कर दिया जाए, इनके संस्कार ही भ्रष्टाचार में पड़े हैं। दुख की बात है कि पिछले 30 साल में भारत में भ्रष्टाचार एक आक्युपेशनल डिजीज एक व्यवसायिक रोग बन चुका है। योजना की सफलता के लिए, उसको आंकने के लिए, उसके प्रति पब्लिक रेस्पान्स, जन-उत्साह ही होना चाहिए। जिस योजना ने करोड़ों रुपये के असेट्स निर्माण किए हैं, जिस योजना से लाखों मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया है, जिस योजना को ग्रामीण समाज ने स्वीकारा है उसको किसी भी बहाने पर बंद करना उचित नहीं होगा। सरकार का दायित्व हो जाता है कि ग्रामीण विकास के लिए चालू योजना को चालू रखे या उसके विकल्प में कोई नई योजना प्रस्तुत करें जिससे ग्रामीण जनता अपने विकास के प्रति आश्वस्त हो सके। इस आर्थिक कार्यक्रम, जो यहां पर पेश हुआ है, में कोई नयी तरह की रणनीति नहीं दिखती है। हर वक्त थोड़ा थोड़ा सा पैसा बढ़ाने से कोई दिशा नहीं बनती है न कोई नीति का निर्धारण

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

होता है । प्रस्तावित कार्यक्रम में राजस्थान की जनता अपनी खुशहाली के लिये कोई कल्पना नहीं कर सकती है । बजट का कार्यक्रम वास्तव में राजस्थान के विकास में गतिरोध होगा । अगर सदन इस एप्रोप्रिएशन बिल को स्वीकार कर लेता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास पर यह स्थगन आदेश होगा ।

सभापति महोदया, इस बजट में अर्थ का तो घाटा है ही, किन्तु नीति निर्देशों का भी घाटा है, नीति निर्धारण का भी घाटा है । सबसे बड़ी चीज जो यह है कि इस बजट में संकल्पों का भी घाटा है । मैं उन माननीय सदस्यों, जो इस सदन में श्री संजय गांधी की प्रेरणा से जीतकर आये हैं, से पूछना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम राजस्थान की सरकार ने इस सदन के समक्ष पेश किया है उस कार्यक्रम में कहीं पर भी संजय गांधी की नीति का, या उनके संकल्प शक्ति की कोई बात मिलती है क्या ? अगर नहीं दिखती है तो आपका एक ही कर्त्तव्य है कि आप इस दिशाहीन कार्यक्रम को खारिज करके, इस संजय विहीन कार्यक्रम को खारिज करके, सरकार को निर्देश दें कि 30 सितम्बर से पहले पहले एक ठोस कार्यक्रम सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय । यही आपकी तरफ से संजय गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण शर्मा ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : सभापति महोदया, राजस्थान का बजट हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, हमें बड़ी खुशी है कि राजस्थान के बजट में कोई भी ऐसा कर का भार हमारे ऊपर नहीं लगाया गया है जिससे जनता के लिये कोई वेदना की बात हो । बजट प्रजातंत्र में जनता के लिये आवश्यक एक ऐसी चीज है कि वह जनता में प्रजातंत्र के प्रति एक प्रकार से आस्था प्रकट करता है । बजट में जनता के लिये एक प्रकार का दिशा निर्देश होता है । साल भर में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह किस दिशा में जाना चाहती है, क्या क्या जनता के भले के काम करना चाहती है, यह इस बजट का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है । इससे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्य-कलापों का मूल्यांकन किया जाता है । मैं, सभापति महोदया, यह भी कहना चाहता हूं कि यदि सरकार को देश के अन्दर सही तौर पर समाजवादी समाज की स्थापना करनी है, यदि देश के लोगों में प्रजातंत्र में आस्था पैदा करनी है तो हमें उन लोगों की ओर जाना होगा जो इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं । इस देश में ज्यादातर लोग किसान हैं, वह गरीब लोग हैं । जो इस देश के लोगों ने देखा, वह अवसर आया सन् 77 में इस देश की जनता ने मौका दिया दूसरी पार्टी को जो सत्ता के अन्दर आई । माननीय सभापति महोदया, आप भी देखती हैं कि उस पार्टी के लोग हैं बहुत सी बात के लिये उनके दिल के अन्दर दुःख पैदा होता है, तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें इस विधान सभा के अन्दर रखते हैं । उन्हें यह ख्याल था कि जिस जनता ने सन् 77 में सत्ता के अन्दर उनको मौका दिया था वह देश की जनता उनसे इस बात के लिये नहीं पूछेगी कि वे सत्ता में अलग हो सकेंगे । मैं 77 में भी विधान सभा का सदस्य रहा हूं । सत्ता पक्ष के लोगों को, जनता पार्टी के लोगों को यह बात कही थी कि देश में 30 वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता रही । आज देश की जनता ने आपके हाथों में सत्ता सौंपी है। आपके हाथों में जो सत्ता दी है वह इसलिये नहीं दी है कि विधान

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

सभा में बैठ कर केवल सारे दिन एक ही नेता को कोसते रहें। एक ही पार्टी को कोसते रहें, और देश के लिये कोई काम नहीं करें, कार्य-क्रम नहीं करें। देश की जनता के विकास के लिये कोई काम नहीं करें। यह बात सम्भव नहीं हो सकेगी कि ज्यादा दिनों तक इन बातों से आपकी सरकार टिक सके। चाहे कितने भी आयोग गठित कर दें, चाहे और जितने तरह के कार्यक्रम करें, चाहे बदले की भावना से 17-17 हजार ट्रान्सफर एक कलम से कर दें, चाहे इस राजस्थान में जहां 232 विकास अधिकारी हैं वहां 400 विकास अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिये गये, 2000 वैद्य है वहां 2600 ट्रांसफर कर दिये, और 17 हजार तबादले एक ही कलम से कर दिये। इस सरकार के हाथों में सत्ता नहीं रहने वाली है। सत्ता तभी रहने वाली है जब देश के लिये काम करेंगे। यह सवाल आज हमारे समक्ष आया है। आज अगर देश की जनता में प्रजातंत्र में विश्वास पैदा करना है तो देश की जनता के लिये, देश के विकास के लिये, काम करना होगा। काम करेंगे तभी यह सम्भव हो सकेगा कि देश की जनता हमारे अन्दर, सही तौर से प्रजातंत्र के अन्दर, और देश में समाज-वादी समाज की स्थापना के लिये अपनी आस्था प्रकट कर सकेगी।

सभापति महोदया, आज सदन के अन्दर बहुतसी बातें कही गयीं। मैं उस समय भी कहना चाहता था और अब भी कहना चाहता हूं कि जो जो छोटे छोटे अध्यापकों के तबादलों के लिये और छोटे-छोटे कामों के लिये यहां पर जिक्र किया गया मैं उस समय विधान सभा का सदस्य था। रायपुर के एक थर्ड ग्रेड अध्यापक का तबादला जालौर में कर दिया गया था उस पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। आज सरकार को धन्यवाद देना चाहिये जिसने इस बात की घोषणा तो कर दी कि जो आर.एस.एस. में काम करते हैं उस आर.एस.एस. के लिये हमारे अन्दर कोई शाफ्ट कार्नर नहीं है उनका हम काम नहीं करेंगे। पर उस समय, उस सरकार ने इस संबंध में मैंने स्वयं ने प्रस्ताव रखा था कि रायपुर नीम का थाना के पास है। जालौर और बाड़मेर के अन्दर तबादले किये गये। मैंने कहा कि ये गरीब अध्यापक है इनका इतनी दूर तबादला नहीं किया जाये, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने यह बात कही, उस समय विरोधी पक्ष के नेता ने भी इस बात को रखा कि एक कानूनगो था बहरोड़ का जिसका कि तबादला किया, कहां तबादला किया बाड़मेर। उन्होंने कानून बता कर कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि तबादले करे, रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार है कानूनगों के तबादले का पर उस समय की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। आज के विधायक श्री घासीराम यादव और इस समय के पार्लियामेंट के मेम्बर श्री राम सिहजी तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से मिले। हमने कहा कि आप आज परम्परा मत डालो यह सरकार किसी की बपौती नहीं है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर 3 महीने बाद सम्भव है कि हमको बैठना पड़े, और उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं हो। उस समय लोक सभा के चुनाव चल रहे थे, आपने कहा मैं मानता हूं कि अन्याय हुआ है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। इसके साथ साथ बहरोड़ के तबादले किये। उनके संबंध में कहा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने कहा विधान सभा में कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है, राजनीति किसी की बपौती नहीं है। इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारे लिये ही मुश्किल होगा। हमने उधर से बैठे बैठे, विपक्ष से बैठे बैठे कहा था कि तुम्हारे

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

खुद के ऊपर ही यह थूक गिर जायगा, और तुम खुद ही खराब हो जाओगे। आज उन्हें बड़ी वेदना है, बड़ा दर्द है कि थोड़े से अध्यापकों के तबादले हो गये हैं। आर.एस.एस. की शाखायें बंद हो गयी है, इस बात की तकलीफ है, कर्मचारियों की तकलीफ नहीं है। आज बड़ा चिल्ला रहे हैं। उन्हें तकलीफ इस बात है कि गैर कानूनी कार्य उन्होंने किये थे। प्रजातंत्र में सत्ता हथियाने के बाद अपनी पार्टी को सदैव के लिये जीवित रखने के लिये एक गैंग स्थापित किया था पर कुछ देशों के अन्दर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पार्टी बेस हुआ करती है, और दूसरे मुल्क ऐसे हैं जो कम्युनिज्म में विश्वास रखते हैं। पर फासिज्म में विश्वास रखने वाले लोग भी इस देश में द्वेष पैदा करने लगे। उन्होंने जो द्वेष पैदा किया था उसको हमारे शिक्षा मंत्री ने समाप्त करने के लिये अगर थोड़े से गलत कदम उठाये, तो उसके लिये उनके दिल और दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है, और यह सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, यह किसलिये हो रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हमने जो किया है वह सब जनता के सामने चुनावों के समय हमने वायदा किया था, हमने कहा था कि कांग्रेस (आई) पार्टी अगर फिर सत्ता में आ गयी तो देश का विकास वापस उसी गति से चलेगा, देश के लोग उसी प्रकार रहेंगे देश के लोगों के जो असुरक्षा की भावनायें हैं, देश के लोगों के दिलों में जो असुरक्षा की भावना है उसको हटायेंगे। इन सबको दूर करना है इसलिये हम ये कदम उठा रहे हैं, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिये उठा रहे हैं। इन सबको हमें दूर करना है इसलिए जो कुछ भी कदम हम उठा रहे हैं वह हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उठा रहे हैं क्योंकि देश के सामने हमने वायदा किया है लेकिन केवल तबादलों की राजनीति को लेकर हमारी सरकार की जो छवि है उसको धूमिल करने की बात इनके दिलो दिमाग में हमेशा पैदा होती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि हमारे यहां बीस सूत्री कार्यक्रम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। देश के सभी वर्गों के लोगों के लिए चाहे वह हरिजन हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह काम करने वाले श्रमिक हों सभी के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम इस देश के अन्दर चल रहा था और मुझे यह भी खुशी है कि उस बीस सूत्री कार्यक्रम में सबसे अग्रणी मेरा जिला अलवर था जिसमें एक लाख बीघा जमीन हरिजनों को बीस सूत्री कार्यक्रम में अलॉट की थी, लेकिन जैसे जनता पार्टी की सत्ता आई उन्होंने बी- सूत्री कार्यक्रम को हटाया, और देश की जनता के मनों में यह बात पैदा हुई कि बीस सूत्री कार्यक्रम बन्द हो गया, इसलिये जिन गरीबों को हमने जमीनें दी थीं उनसे वहां के दूसरे लोगों ने जाकर जमीन छीन लीं। इसलिए एक काम तो सबसे बड़ा जनता सरकार के राज में यह हुआ कि जिन गरीबों को बीस सूत्री कार्यक्रम में हमने भूमि दी थी उनकी भूमि छिन गयी, और अन्त्योदय के नाम से, जिसके मसीहा हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी हैं, जहां बीस सूत्री कार्यक्रम का नाम आता तो उन्हें दुख होता था और जब अन्त्योदय का नाम आता है तो फूलकर कुप्पा हो जाते हैं कि उन्होंने देश में एक बहुत बड़ी दिशा दी है। एक बच्चा पैदा किया बीस सूत्री कार्यक्रम से और बच्चे को पनपाने की बात तो हो सकती है लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम का छोटा सा बच्चा था उसको खिलाने में उनको आनन्द जरूर आया होगा लेकिन सब बातों को भूल गए, और इस देश की समाज की कैसे रचना करनी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
है उस मामले में वह भ्रम में पड़ गए । यह बात उस समय हुई ।

एक बात और इस बजट में सबसे अच्छी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कही है और मैं समझता हूं कि वह उस बात पर टिकें। "बात कम, काम ज्यादा" की बात उन्होंने कही थी। परन्तु अगर ऐसा नजर आने लगे कि बात भी कम और काम भी अगर कम तो फिर बात नहीं चलेगी । बात भी कम हो और काम अधिक हो तो काम चलेगा परन्तु आज जो स्थिति है उसमें थोड़ा ऐसा जरूर महसूस होता है कि बात भी कुछ कम है और काम भी कुछ कम है । इसके कुछ कारण हैं और वह कारण हम भी समझते हैं कि आज हमारी फाइनेन्शियल पोजीशन, आज हमारी आर्थिक हालत जैसी जनता पार्टी की सत्ता में पैदा कर दी गयी, उस आर्थिक हालत की वजह से काम ज्यादा करने की बात सोची नहीं जा सकती और वह नहीं सोची जा सकती तो उससे काम कम होगा और बात कम के साथ ही साथ काम अधिक होगा । तो काम कैसे अधिक हो सकता है, उसका क्या उपाय है इस संबंध में कुछ मैं मुख्य मंत्री जी से अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं।

इस हाउस के अन्दर जिस समय हाउस चल रहा था कोई डेढ़ साल पहले उस समय कुछ लोगों ने यहां एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी कि राजस्थान के अन्दर शराब बन्दी हो। ठीक है शराब बन्दी होनी चाहिए । बहुत से लोग यह भी कहेंगे कि गोश्त भी बन्द होना चाहिए, गोश्त भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि टेरेलिन का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए । कुछ लोग कुछ खाने पीने के बारे में भी कहेंगे व कुछ लोग पहनावे के बारे में कुछ कहेंगे, कुछ लोग पीने और खाने के बारे में कहेंगे । यह शराबबन्दी की बात कुछ लोगों ने कही, कुछ लोगों के के माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने कहलवाई जो कि राजस्थान के अन्दर अपनी दिनचर्या चलाते हैं । चाहे वह गोकुलभाई भटट हों, सर्वोदयी नेता हो सकते हैं बुजुर्ग नेता हो सकते हैं । राजस्थान सरकार इतना अधिक पैसा शराबबन्दी के नाम से उनको ती है कि वह जिस तरह से चाहते हैं उसको बुरी तरह से खर्च करते हैं । केवल दीवारों पर लिखने से कभी शराब बन्दी नहीं हो सकती । केवल राज्य में बैठकर लोगों से बात करने से शराबबन्दी नहीं हो सकती । मैंने कहीं भाषण दिया, कहीं एक इच्छा जाहिर की कि राजस्थान के अन्दर शराबबन्दी नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने एक लैटर मुझे लिख दिया कि आप जैसे सीनियर कांग्रेसी को ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए । मैं कोई अपने विचारों का बिका हुआ नहीं हूं । मैं कोई गोकुल भाई की तरह नहीं हूं । मैं राजस्थान के लोगों का और राजस्थान की ढाई-तीन करोड़ जनता के भले की बात सोचता हूं और भले की बात सोचने का उत्तरदायित्व राजस्थान की जनता ने मेरे कंधों पर सौंपा है और मेरे दिमाग में सोचने के लिए शक्ति दी है और उन्होंने प्रेरणा दी है । इसलिए मुझे मेरी तरह सोचने का अधिकार है कहने का अधिकार है । मैं मुख्य मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर, हरियाणा के अन्दर, यू.पी. के अन्दर शराबबन्दी खतम हो चुकी है । दिल्ली और हरियाणा में जब शराबबंदी थी तो आप देखें तो मालूम होगा कि काटेज इन्डस्ट्री घर घर में हो गयी और चुनावों के दौरान भी मुझे बताने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

में लज्जा नहीं आती कि 6 बजे के बाद किसी भी गांव में जाकर चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते थे और 6 बजे के बाद नाजायज शराव निकालकर लोग पीते थे और मदहोश हो जाते थे। तो इससे आपका रेवेन्यू गया और लोग तेजी से शराब निकाल रहे हैं और उसको बन्द करने के लिए और पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा।

मैं यह समझता हूं कि लोगों के खाने पर, पीने पर, रहने पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं। आपका जब प्रजातन्त्र है और कुछ लोग जो साधन सम्पन्न हैं वह तो पी सकते हैं और गरीब आदमी नहीं पी सकता। आप कहते हैं कि प्रजातंत्र के अन्दर हमें लोगों के सिद्धान्तों की रक्षा करनी है और कहते हैं कि खाने पीने का, रहने का और बोलने का सबको एक सा अधिकार है उस समय आप किसी को नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति जो साधन सम्पन्न है वह चोरी छिपे पीता रहे उनके ऊपर कोई कानूनी बात नहीं बनती और जो गरीब है, जो कि गरीबी की रेखा के नीचे है, और झोंपड़ी में रहता है वह पीये तो उनके ऊपर मुकदमें बने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसा कानून है तो ऐसे कानून से राजस्थान का भला नहीं होता है, लोगों को मरना पड़ता है, लोग नाजायज शराब निकाल कर मर रहे हैं उस समय हम राजस्थान की तीन करोड़ जनता की तरफ देखें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसकी घोषणा करेंगे कि लोगों को चाहे इसके लिए 60 करोड़ की आमदनी है आप उसको शराबवन्दी को रोकने के लिए, शराबबंदी के प्रचार के लिए, शराबवन्दी की शिक्षा के लिए खर्च कर दीजिए परन्तु लोगों को समझाकर, शिक्षा देकर शराबबंदी कीजिए। कानून के माध्यम से शराबबंदी मत कीजिए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

मैं आपसे एक निवेदन और करता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहेंगे कि पहाड़िया जी आप गांधीवादी हैं। यह गांधीवादी कहलाने वाले सब चले जायेंगे और पहाड़िया जी गांवों में राजस्थान में दूर-दूर तक पानी नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, शिक्षा नहीं होगी और वहां के लोग नाजायज शराब पीकर मरेंगे। उस समय पहाड़िया जी को कहेंगे कि सौ आदमी नाजायज शराब पी कर मर गए इसलिए पहाड़िया जी का यह दोष है। वह क्यों मर गए, वह आपको कहेंगे उस समय यह कोई नहीं कहेगा कि हमारे पहाड़िया जी गांधीवादी थे उन्होंने शराब बन्द कर दी। इसलिए पहाड़िया जी ये थोथे नारे लगाते हैं कि आप गांधीवादी हैं। इसके बारे में आप मानकर चल रहे हैं कि शराबबंदी रहनी चाहिए, मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर आप बहुत कुछ सोचेंगे और समझेंगे।

इसके साथ एक बात और है, मुख्य मंत्री जी राजस्थान के अन्दर बहुत सारी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं। चाहे वह अलवर में हों, चाहे जयपुर में हों, चाहे अजमेर में, और चाहे कोटा और उदयपुर में हों, उन्होंने मकान भी बनवाये हैं। बहुत बड़े दुख की बात है लोगों ने मकान बना लिया 40-40, 50-50 हजार रुपयों में प्लाट खरीदा। बहुत सों ने आधा आधा बीघा जमीन 2-2 हजार रुपयों में खरीद कर मकान बना लिये और वह आपको कन्वर्शन चार्जेज देना चाहते हैं जिससे करोड़ों रुपया आपके खजाने में आयेगा। आपके खजाने में करोड़ों रुपया, मकान जो बन चुके

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हैं उनको लेकर आप जमा नहीं करना चाहते। उन रुपयों को अपने खजाने में जमा करके आप विकास का काम नहीं करना चाहते, सबसे पहले आपका यह कर्तव्य हो जाता है जिन लोगों ने किसी भी तारीख के पहले या किसी भी तरीके से अपने मकान बना लिये हैं उन सबसे कन्वर्शन चार्जेज लेकर खजाने में जमा करें। बहुत बड़ा खजाना आयेगा बहुत बड़ी आमदनी होगी, यह भी एक सोचने की बात है।

इसके साथ मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले नसबन्दी के कार्यक्रम के लिये एक बहुत बड़ी बेचैनी विरोधी दल के लोगों में थी। जिस चीज के लिये राज मिला था वह सरकार उसी तरह से गई। 77 में इस हाउस में कहा था जो वोट है यह आपके वोट नहीं है, यह जनता सरकार के वोट नहीं है। कुछ लोगों में नसबन्दी की नाराजगी थी उस नाराजगी को प्रकट किया है। इसलिये जो कार्यक्रम आपने बनाया है और जिस प्रकार से प्रचार किया जाता है उस पर आपको नजर रखनी है और यह नजर इसलिये रखनी है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर 3 साल के अन्दर आर.एस.एस. के लोगों को बैठाया है। आपको भली भांति मालूम है जितने पब्लिक से अटेच्ड डिपार्टमेंट थे चाहे एजूकेशन हो चाहे हैल्थ हो चाहे इरिगेशन हो उन्होंने आर.एस.एस. के पक्के समर्थक मंत्रियों के पास रखे थे और उन मंत्रियों ने ऐसी चीज पैदा करा दी है जिसकी वजह से दूषित प्रभाव हमेशा होते रहते हैं। मैं तो इसी के साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार ने चाहे देश का विकास न किया हो इसकी कोई बात नहीं, जनता सरकार ने और कुछ ने किया हो, एक बात जरूर कर दी इस देश के अन्दर जो परम्परायें डली हुई थीं उन परम्पराओं को जरूर उन्होंने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से समाप्त कर दिया कि आपने देखा इनके स्कूलों की बात आ रही थी। मैंने पहले भी कहा था; आज भी कहना चाहता हूं, जब लोक सभा के चुनाव हो रहे थे। नवम्बर के अन्दर, भैरोंसिंह जी शेखावत सैकण्डरी स्कूल का उद्घाटन कर के लौट रहे थे। नवम्बर, 79 के अन्दर भैरोंसिंह जी शेखावत ने सैकण्डरी स्कूल का उद्घाटन किया, उन स्कूलों में अध्यापक कहां से होंगे। अध्यापकों की कोई स्ट्रेंथ नहीं। आपको नाम बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे हायर सैकण्डरी स्कूल आज के समय हैं। कोई कहते हैं कांग्रेस सरकार के राज में इन सब स्कूलों में एक-एक अध्यापक है विलासपुर में मिडिल स्कूल है मेरे क्षेत्र में, मैं वहां दौरे पर गया तो देखा कि वहां एक अध्यापक। एक सैकण्डरी स्कूल में गया, वहां तीन अध्यापक। क्यों खोले जब उनका बजट प्रोविजन था नहीं, अध्यापक वहां जा नहीं पाए तो आपके सामने यह दिक्कत आयेगी कि स्कूल तो वे खोल गये, वाह वाही तो ये ले गये परन्तु अध्यापक आपको देने हैं इसलिये उन अध्यापकों का भी ख्याल रखा जाय जिससे वे स्कूल अच्छी प्रकार से चल सकें।

यह भी मेरा आपसे निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

शिक्षा ऐसी चीज है आप तो गये हो दूसरे देशों में, विदेशों में जाते हैं, शिक्षा के बारे में जब कहा जाता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर इतने अनपढ़ हैं। हमारे देश में जब हम देखते हैं हमारे देश का प्रजातंत्र इतना मजबूत है सुदृढ़ है और उसने दिखा

(100)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

भी दिया दूसरे मुल्कों के लिए। सन् 77 में हम को सत्ता से हटा कर और सन् 80 में जो जनता पार्टी सोचती थी कि हम न जाने कितने वर्षों तक सत्ता में रहेंगे। उसको 2½-3 साल में जनता ने हटा दिया, इतना मजबूत हमारा जनतंत्र हो उसके लिये शिक्षा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो आपको बात कही है क्योंकि सरकार के लोग हमेशा देशवासियों को देखते हैं तो हम पालिटिकल आदमी हैं। जब हम विरोध में होते हैं तब तो हम नारे लगाते हैं, रोटी रोजी दे न सके वह सरकार निकम्मी है। तो रोटी और रोजी के लिये यही सवाल है, हम लोगों को सरकार को ज्यादा प्रयत्न करना है रोटी और रोजी के लिये करना है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हों, यह प्रयास हमको करना है। इस देश का किसान खुशहाल होगा और किसान तभी खुशहाल होगा जब किसान के लिये सुविधायें उपलब्ध हों। चाहे ईरिगेशन की सुविधाएं हों, चाहे बिजली की सुविधाएं हों, और बिजली और ईरिगेशन की सुविधाएं यदि किसान को उपलब्ध होंगी तो इससे किसान खुशहाल हो जायगा। उसके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और पढ़ने लिखने से इस देश की खुशहाली बढ़ेगी। इसलिये किसानों के लिये आवश्यक है उसकी ईरि-गेशन के साधन ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराए जायं।

इन्ही शब्दों के साथ मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने सुझाव के रूप में आपको कही हैं, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर।

श्री **राज बहादुर** (भरतपुर): सभापति महोदया, हमने इस सदन में बजट डिमाण्ड्स पारित कर दीं, एप्रोप्रियेशन बिल हमारे समक्ष है। इस समय सर्वोपरि विचार हमारे मन में क्या आता है, सारी कन्ट्रोवर्सीज और विवाद हैं; उससे अलग जायें तो ठोस स्थिति सामने यह आती है कि जो भी प्रावधान हमने रखे हैं, बजट में जिनका उल्लेख है इस एप्रो-प्रियेशन बिल में, हम उनको कार्यान्वित होते हुए देख भी पायेंगे या नहीं। जो प्रावधान रखे हैं, जिन कार्यों के लिये रखे हैं उनका मूल्य क्या उतना रहेगा कि जो आवश्यक व्यय होगा उन कार्यक्रमों को चलाने के लिये उनके लिये पर्याप्त हो इन्टरनेशनल सिचुएशन क्या आती है, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है इकानामी की, यह तो बड़ी बात है। लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है, यूनाइटेड नेशन्स में बहुत साफ-साफ कहा है कि जहां तक इकानामी का सवाल है बहुत पीछे जायगी और इनफ्लेशन और आगे जायगा। इसलिये हम यह भी नहीं कह सकते कि इसका दूरगामी प्रभाव नहीं होगा। भारत डवलपिंग कन्ट्रीज में से है, इनफ्लेशन यहां कुछ अधिक गति से होगा इसलिये जो भी प्रावधान हमने रखे हैं वे अपर्याप्त सिद्ध होने वाले हैं। ऐसा लगता है। फिर एक और बात आती है। अगस्त के अन्त में इस पर हस्ताक्षर होंगे। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल सैंक्शन्स, हैं। फिर जो कन्टीन्यूइंग कार्य और स्कीम्स हैं जो 79-80 में चल रही थी वह होंगी जो फरवरी में मिलनी चाहिए थी वह केवल

(श्री राजबहादुर)

मिलेगी ? यह सब मिल जाने के बाद क्या होगा ? जैसे हुआ करता है स्कीम चालू मानी जाती है, मैटीरियल और इक्विपमेंट लिये जाते हैं, स्टोर और इक्विपमेंट खरीद लिये जाते हैं अनाप शनाप, और वह रखे रहते हैं इस प्रकार इस वर्ष की स्कीम्स और योजनायें हैं उनके साथ भी यही होने वाला है। कम से कम मैं समझता हूं महीना दो महीना एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में लग जाते हैं। अक्टूबर के महीने का अन्त आ जायगा। फिर टेन्डर हैं, कान्ट्रैक्टस हैं प्रक्रिया इस तरह से चलेगी, और चलते-चलते सवाल है कितने दिन या महीने रह जायेंगे स्कीम को पूरा करने के लिये। फिर वही होने वाला है। इस वर्ष की जो स्कीम्स और योजनायें हैं चाहे सड़कों की हों, चाहे पानी की, चाहे बिजली की हों, चाहे स्कूलों की हों, चाहे किसी चीज की हों, पहले तो यह देख लें कितनी कार्यान्विति कर पायेंगे। मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं सुझाव दूंगा वे अपने मन में निश्चित कर लें उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं ? कौनसी चीज ऐसी है जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने वर्तमान साधनों से, अपने सीमित साधनों में पार करना चाहते हैं। यदि पार करना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा कि हमारी इकानामी को सबल बनाने के लिये क्या चेंजेज है। जिनको सर्वोच्च प्रायोरिटी प्राथमिकता देनी है हमारे यहां बेकारी की समस्या है, बढ़ती हुई महंगाई है ये सब समस्या चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं। एक साधारण आदमी का जीना दूभर कर दिया है इनमें उसको राहत पहुंचाने के लिये क्या प्राथमिकता दे पायेंगे ? वे अपनी खुद की योजना देख लें जहां हमारे देश की योजनाएं हैं मेरे ख्याल से चौदह हजार करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं उनके लिये भी कहा जा रहा है कि अचीव नहीं हो पायेंगी। 348 करोड़ के ऊपर हमारी राजस्थान की योजना बनाई गई है। इस मुख्य बात का श्रेय भी लिया गया है कि शासक दल ने और मुख्य मंत्री जी ने कि 291 करोड़ से 57 करोड़ की राशि योजना की ओर बढ़ा दी है। 57 करोड़ में इनफ्लेशन कितना खा जायगा ? साथ में हमारी जो प्रक्रियायें हैं वे भी पूरी कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे ? जो लिखा गया है वह मिल पायेगा या नहीं मिल पायेगा ? मैं निवेदन करूंगा कल सुना था, मैं तो यहां था नहीं, झुंझनू और चूरू के भाइयों को आश्वासन दिया गया, जवाहर लाल नेहरू कैनाल की योजना से पानी लेने के विषय में, उसको इन जिलों में ही सिंचाई के लिये उपयोग में लाने का प्रयास किया जावेगा। इन स्कीम्स पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। फिर एक बात साफ है वह पानी हो या कुछ और वह मिलने वाला नहीं है – बिना जल के साधनों के जो जल स्त्रोत हैं उनको काबू में नहीं करेंगे तो राजस्थान एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाला है। बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना इण्डस्ट्रियलाइजेशन के राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। आप खुद ही देखें 8 मिलियन एकड़ फीट पानी रावी और सतलज से मिलता है उसको आप चार मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिये चाहे झुंझनू का सवाल हो और चाहे चूरू का सवाल हो – पानी लाने का यह कदम नहीं उठाया तो यह वर्ष भी चला जायगा। यदि वे नहरें बन चुकी जिनके द्वारा रावी व्यास का पानी जमुना से हरियाणा ला रहा है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है इसलिये अगर आप उन नहरों

(श्री राजबहादुर)

में शामिल होना चाहते हैं तो जो पानी आपका है इस वर्ष उसके लिये प्रयत्न कर लीजिये । हरियाणा के श्री भजन लाल जी से चाहे मिल लीजिये, चाहे पंजाब के मुख्य मंत्री जी से मिल लीजिये और चाहे केन्द्र के मंत्री जी से मिलिये । मैं समझता हूं इस समय सतलज-जमुना लिंक कैनाल और ओखला बैराज जिसका रिमाडलिंग हो रहा है उसकी तरफ पूरा पूरा ध्यान देना होगा । हमने बरकत साहब से भी कहा था जब वे चीफ मिनिस्टर थे, बरकत साहब गंगा-जमुना का पानी लेने की कोशिश में शामिल होइये – जमुना में 17 पर्सेन्ट से 22 पर्सेन्ट हिस्सा एक तरह से टेन्टेटिव भी मान लिये जाने की बात थी उसको दोहराना है । पाकिस्तान और भारत का मामला है – बंगला देश वाले गंगा का पानी नहीं लेने देते हैं । गंगा बेसिन में हमारा प्रान्त भी है । काफी जगह छोटी छोटी नदियों पर बान्ध बन रहे हैं वहां पर यानि उत्तर प्रदेश में अवसर बीतता चला जा रहा है, और नदियों जहां हैं वहां बिजली भी जा रही है---पानी और बिजली दोनों का सम्बन्ध है इसलिये इस वर्ष में आप क्या चेष्टा करने वाले हैं ? यह बहुत गम्भीर प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना है ।

इसके साथ दूसरी चीज कहना चाहता हूं वह है इसी प्रकार की योजना डेजर्ट रिक्लेमेशन और रेविन रिक्लेमेशन की है । इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा । दूसरी चीज है कमिटमेंट होते जा रहे हैं और इस साल के अन्त तक ये सब फाइनल होने वाले हैं । दूसरी तरफ पेट्रो केमिकल इण्डस्ट्रीज का मामला भी चल रहा है । इधर आप केवल मास्टरों के ट्रान्सफर्स में फंसे रहे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है । मैं भी ट्रान्सफर्स के बारे में कहूंगा उसके लिये दर गुजर तो नहीं करूंगा, आपको सुनना भी चाहिये और हमको कहना भी चाहिये लेकिन आप इन बातों में न पड़ कर काम करिये । अभी बड़ी अच्छी बात कही नारा दिया " बात कम और काम ज्यादा" और अब बात ज्यादा और काम कम हो रहा है । यह बहुत गहरी बात कही अभी माननीय सदस्य ने । यह भी कही किसी ने कहा है आप निर्णय नहीं कर पाते हैं यह इम्प्रेशन मत दीजिये । आपकी पार्टी का चुनाव का नारा था Elect a Government that works. Now say for yourself "Are you a government that is working? काम चलाते नहीं हैं, काम चलता नहीं है यह आम चर्चा है आपके कानों तक आ जाय तो उस पर भी ध्यान देना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : यह तो आपका अहसास है ।

श्री राज बहादुर : यह मेरा अहसास नहीं है - दुनियां से पूछें । इस बात पर मुझे पुराना एक शेर याद आ गया,

"सुन तो सही जहां में है मेरा फंसाना क्या ।
कहते हैं तुझको खल्क-ए-खुदा गायबाना क्या ।"

(व्यवधान)

तेरी पीठ पीछे तुझे क्या कहते हैं, उसको सुनो । मैं तो आपको सहयोग देने को तैयार हूं, आपके और मेरे तो पुराने सम्बन्ध भी हैं लेकिन ये तो नहीं देंगे । हम देश को किस प्रकार शान्ति से चला पायेंगे, आज के वातावरण से मुझे तो लगता है डेमोक्रेसी

(श्री राजबहादुर)

खतरे में है। जहां एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं हो तो हम कैसे अपनी अपनी बात कह सकते हैं। मैं ज्यादा न कह कर आज प्रधान-मंत्री जी ने स्वयं ही जो कहा है वहं कहूंगा कोई छोटी मोटी बात नहीं, गहरी बात कही है जो कुछ कहा है उसमें से दो-तीन बातें नोट की हैं - प्रेस कान्फ्रेंस से या अन्य जगहों से।

"Anarchy and indiscipline in every aspect of country's life"

उनका ही है, मैंने नहीं दिया है कोटेशन है

"Anarchy and indiscipline in social and political life of the country, and also growing corruption in political bureaucratic machinery."

ये उनके शब्द हैं। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा है, गान्धीवादी स्प्रिट से कहा है अपनी कमजोरियों को ज्यादा देखो, दूसरों की कमजोरियों को मत देखो। एक बात मुझे जैसे आदमी को भी सताती है। मैंने भी एक पाप किया है। मैंने दो केसेज में कहा है कि इनके ट्रान्सफर मत करो, एक तो बूढ़ा है इतना तो दोषी मैं भी हूं, लेकिन रुकवाना है या नहीं, रुकवाना है यह तो मुख्य मंत्रीजी की मर्जी पर है लेकिन दोषी अवश्य हूं। दोष क्यों मानता हूं यह मेरी कल्चर की बात है। सरकार ने 17 हजार ट्रान्सफर्स किये हैं ऐसा कहा गया है यहां पर्चा दिया गया उसमें लिखा है। यह राजस्थान शिक्षक संघ, जिला भरतपुर के पर्चे में वे लिखते हैं, पूरी बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि कड़वो है लेकिन यह अवश्य है कि राजनैतिक प्रतिशोध के रूप में 17 हजार अध्यापकों के ट्रान्सफर किये जा चुके हैं और उसके विरोध में वह शिक्षक यह करेंगे और वह करेंगे। ये अलग बातें हैं। इन्होंने कहा है 17 हजार ट्रान्सफर आर्डर्स की सरकार ने किये; उधर आपने भी कहा 17 हजार जनता सरकार ने किये थे, अब सच्चाई कहां है इस पर गहराई से सोचने की बात है। मैंने तो कहा मैं दोषी हूं - राजनैतिक व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, पोस्टिंग्स में, प्रमोशन्स में, नियुक्तियों में और स्थानान्तरण में, उनके कहने से यदि महसूस नहीं होता तो कभी कोई इस प्रकार की राजनीतिज्ञों को शिकायत भी नहीं करनी चाहिये। जिसके साथ अन्याय हुआ है आप उसे उचित नहीं समझते हैं तो मिनिस्टर के ध्यान में ला दीजिये। कभी कायदा यह होता था कि किसी एम. पी. या एम. एल. ए. की सिफारिश नहीं होगी, सम्पतराम जी कह रहे थे अभी तो यहां हैं नहीं कि किसी राजनेता ने एक ट्रांसफर के लिये कहा उन्होंने एक पत्र उन नेता महोदय को लिखा और पूछा कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं यह आदमी कैसा है। अन्त में यह चिट्ठी स्वर्गीय लाल बहादुर जी के पास पहुंची। यह बात ध्यान देने की है कि मात्र इस बात पर उक्त नेता महोदय को पार्टी टिकट चुनाव में नहीं दिया गया। तो हमारी परम्परा तो यह है और हम चाहते हैं कि भैरोंसिंह जी की पार्टी पर हमारा असर हो तो शुरुआत क्यों न करें Charity begins at home हर आदमी में भलाई बुराई होती है। पूर्ण कोई नहीं है। भले से भले में कुछ बुराई छुपी रहती है और बुरे से बुरे में कुछ न कुछ भलाई होती है, हम सब में भलाई बुराई का सम्मिश्रण होता है किसी अंग्रेजी के कवि ने कहा है।

(श्री राजबहादुर)

"In man whom men condemn as ill.

I find so much of goodness still.

In man whom men proclaim divine.

I find so much of sin of blot.

That I hesitate to draw a line between the two.

Where god has not."

अगर आपने ट्रान्सफर किये हैं केवल इसलिये कि जन-प्रतिनिधि ने कहा है तो फिर जन-प्रतिनिधि के कहने से क्या-क्या करेंगे। जन-प्रतिनिधि आये हैं, ट्रान्सफर के लिये नहीं आये हैं। मेरा तो मानना है कि इस तरह करके न तो ट्रान्सफर कराने वाले का भला करते हैं और न ट्रान्सफर करने वाले का। शासन को जो कुछ शान्ति के साथ करना है, वह करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं हम राजनीतिज्ञों को, एम. एल. एज. को, एम. पीज. को, मंत्रियों को, मंत्री तो स्वतन्त्र है, ट्रांसफर्स प्रमोशन, पोस्टिंग्स आदि में नहीं पड़ना चाहिये। यह पालिटिकलाइजेशन है.....

(व्यवधान)

मैं आर. एस. एस. के उतने ही विरोध में हूं जितने आप हैं, इसलिये नहीं कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी है। एक पुरानी दकियानूसी विचारधारा है उसको वह समयानुकुल नहीं है। लेकिन वह उसको पकड़ चुके हैं, लेकिन क्यों पकड़ा? जैसे आपने प्रॉहिबीशन लगाया तो वह न लगाकर लोगों में न पीने की भावना को जाग्रत कीजिये। वह साम्प्रदायिक भावना कैसे आ गई और ये भाई अछूत हो गये, आर. एस. एस. बनने से, मैं ऐसा नहीं मानता।

मैं मानता हूं, कोई आदमी बुरा नहीं है, किन्तु यह स्पष्ट है यदि राजकीय सेवाओं में राजनीति और राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप हुआ तो कमाल हो जायेगा। आज भी आपको इन ट्रांसफरों ने कआस उत्पन्न कर दिया है। क्या आप इस कआस से कुछ भला कर पायेंगे। Will cosmos be created out of this chaos? And how you will do it? Only God could do it. एक पक्ष ने गलती की है तो दूसरा पक्ष भी जान बूझकर गलती करता है। But two wrongs cannot make one right. जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ईश्वर ने भले बुरे की पहचान नहीं की, सबको भले और बुरे का मिक्स्चर बनाया है, इसलिए आप सबको लेकर चलें और सबको कन्डेम कर दें। यहां यदि आप ऐसा वातावरण पैदा कर दें कि ये आपके दुश्मन हैं, पाकिस्तान-हिन्दुस्तान में बंट रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि अगर इन्होंने बहुत ट्रांसफर किये थे तो ये भी पछताये होंगे, अपनी गलतियों के लिए। अब 17 हजार आदमी ट्रांसफर हुए हैं तो आप भी अवश्य पछतायेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं या ट्रांसफर्स पर बोल रहे हैं।

श्री **राजबहादुर** : आपको मेरी बात नापसन्द है, आपके अभी जयकिशनजी ने इतनी सारी बातें कहीं तो आपको कुछ नहीं। मैं एप्रोप्रिएशन की बात कह रहा हूं, मैं उसी पर बोल रहा हूं, मैं विषय से अन्यत्र नहीं बोल रहा हूं, मैं विषय पर ही चल रहा हूं।

कारण क्या है कि मैंने कहा कि आपको क्रिया-

(श्री राजबहादुर)

न्वित योजनाओं को करना है आपका एप्रोप्रिएशन बिल का क्या मतलब है, एक आप पर्टीकूलर फण्ड मुझे दीजिए, ताकि प्रोग्राम को कर संकू । वह करने के लिए मशीनरी चाहिए, उसको आपने पालिटिकलाइज किया तो आप नहीं कर पायेंगे और आप पालिटिकलाइज कर रहे हैं । आपने अगर किसी प्रभाव के अन्तर्गत कुछ ट्रांसफर्स किये हैं, मैं क्या कहूं, अगर आपके विरोध में हूं; इसका जिक्र मैं खाली इसलिए कर रहा हूं कि इसको ख्याल में रखेंगे ताकि अनियमित ट्रांसफर न हों । आपने एक ट्रांसफर भरतपुर से सिरोही किया है । क्लास फोर्थ का आदमी है । मैंने कहा कि मैं चाहता हूं यह सरकार इसकी कोई नीति बनाये, यह टैस्ट है, पहाड़िया जी का टैस्ट है, चीफ मिनिस्टर का कि क्या कोई नीति रखेंगे ? मैं सिरोही की बात जो कह रहा हूं उसका मुझे ऐतराज है । मुझे ऐतराज उस आदमी के लिए नहीं है, मुझे ऐतराज है कल्चर के लिए, मुझे ऐतराज है संस्कृति के लिए जिसमें ये ट्रांसफर हुए हैं । यह माना जाता है कि हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, मेरा उस कल्चर से ताल्लुक रहा है । मैं कहना चाहता हूं, इनका टैस्ट इसमें है कि क्या इस कयास से वे आर्डर करेंगे । सवाल तो यही है, सवाल यह है कि यहां कोई सिद्धान्त आपने नहीं रहने दिया ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : उनकी नीति नहीं थी. कोई भी उन्होंने अंट शन्ट ट्रांसफर किये हैं, गरीब लोगों को परेशान किया । हमारी नीति है, हमारी नीति एजूकेशन मिनिस्टर ने साफ कर दी कि हमारी नीति यह है कि जो खुदपरस्ती का जमाना था उसको हम ठीक करेंगे । ये डंके की चोट पर कहा है ।

श्री राजबहादुर : मैंने माना कि आपकी बात हो सकती है लेकिन देश को ऊंचा ले जाने वाली बात यह नहीं है । लेकिन मैंने जो बात कही है, मेरी बात सुनें । उन्होंने किया, हजार बार गलत किया लेकिन दो गलतियों से एक सही बात नहीं बनती है । Two wrongs cannot make one right आपको आर्डर लेना पड़ेगा । आप जो आर. एस. एस. वाले हैं, उनको चार्जशीट कीजिए, उन्हें कहिये कि पालिटिकल पार्टी के मैम्बर कैसे बने हैं वह ?

(व्यवधान)

मैं तो इनके सामने कह रहा हूं, इस बात को । अगर कोई आर.एस.एस. का आदमी है, आप टीचर्स की क्यों कहते हैं आपके आर.एस.एस. और आनन्दमार्गी राजस्थान में मशहूर थे । आनन्दमार्गी लोग यहां मौजूद हैं, कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है । आनन्दमार्गी कौन थे । यहां आनन्दमार्गी थे या नहीं थे ? यहां बड़े-बड़े ऑफिसर थे, राजस्थान में बड़ी संख्या थी उनकी । तो आर.एस.एस. वाले तो बड़ी-बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं । उस विचारधारा वालों से दुश्मनी मत करिये । कोशिश करिये कि वह यह माने कि वह जो विचारधारा है ठीक नहीं है । मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उनके साथ बदले की नीति बरती जावे उसका हम इंतजाम करेंगे लेकिन यह कहना कि चूंकि वह आर.एस.एस. का है, इसी आधार पर मत जाइये उसका ट्रान्सफर करने के लिये । आप उसे चार्जशीट करिये, चार्जशीट करके डिसमिस करिये लेकिन आप सारे लोगों का ट्रांसफर करें और इस बेसिस पर करें कि आर.एस.एस. के हैं तो क्या 17 हजार के 17 हजार लोग आर.एस.एस. के हैं । आपसे बार बार कहा गया कि इस प्रश्न पर चर्चा होने दीजिये । कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिये मैं जानता हूं, ...

श्री अहमद बक्श सिन्धी : 17 हजार की बात गलत है।

श्री राजबहादुर : अहमद बक्श जी ने यह जो बात कही कि अगर ये नम्बर दे देते कि इतने ट्रांसफर हुए हैं तो शायद आप ही बन्द हो जाते। अगर ये होता, तो मैं इसीलिए कहता हूं, पहाड़ियाजी को बहुत अदब के साथ, बहुत प्यार के साथ कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री हैं, इनका टेस्ट इसमें है कि यह मेहरबानी करके नियम बनाइये, हम किसी क्लास फोर्थ के व्यक्ति को, किसी क्लास थ्री के व्यक्ति, को, जो रिटायरमेंट पर आ गया है, को उसके घर से दूर ले जायेंगे, तो अन्याय होगा। जो भी नीति अच्छी लगे आपको आप रखिये लेकिन कोई नीति हो तो सही आप यू.पी.एस. सी. से कन्सल्ट कीजिए, और पी.एस.सी. से कन्सल्ट कीजिए। आप यहां इस सदन की कमेटी बना लीजिए लेकिन नियम बना लीजिए और नियम और सिद्धान्त बनाने के बाद आप उसको निभाइये और फिर चाहे खुदा खां भी आ जायं, तो उन खुदा खां को भी मत सुनिये आप। चाहे फरिश्ता भी आ जाय, मुझ जैसे या अहमद बक्श जी जैसे, तो भी मत मानिये। मैं तो खैर फरिश्ता नहीं हूं, अहमद बक्श जी फरिश्ते हो सकते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वह भी आ जायं तो भी मत सुनिये। आप यदि मेरी यह बात सुनेंगे आप भी आराम से रहेंगे। हम भी आराम से रहेंगे जो बेचारे सर्विसेज में हैं वे भी आराम से रहेंगे। आप इस बात को मानते क्यों नहीं। इस बात को आप लोग दूर करिये, मैं कहता हूं Don't create an impression that you are prisoner of indecision or non performance. This is something which is abnormal... यह सोचिये आज क्या है बर्निंग प्राब्लम, प्राइसेज, है। क्यों है प्राइसेज की प्राब्लम, दो फैक्टर्स हैं बड़े भारी। प्राइस राइज और इन्फ्लेशन हुआ है, वह क्यों हुआ है, इसको सोचें। इसलिए है कि हमारा कोई एक्शन नहीं, उनको कन्ट्रोल करने के लिये हमारी ओमीशन एण्ड कमीशन्स की गलतियां अनेक हैं। एक तरफ हम पूंजीपतियों को, बड़े बड़े इण्डस्ट्रियलिस्टों के फायदे के लिए बजट बना दें। क्लीयर बात है यह। सरकार ऐसा बजट बना दे तो प्रोटेक्शन मिल जायगा। दूसरी तरफ आप क्या करें कि आप कोई किस्म का कोई एक्शन लेना चाहें प्राफिटियर्स को बन्द करने के लिए, होर्डिंग को बन्द करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को बन्द करने के लिए, वह अगर नहीं करेंगे तो प्राइसेज नीचे नहीं आयेंगे। आपने तो इन चोरों को खुली छूट दे दी है। हमारा कार्यक्रम किस तरह है, यह आपकी नीति क्या है....

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आजकल छापे लग रहे हैं।

श्री राजबहादुर : क्या? छापे लग रहे हैं पीठ पर इसलिए लग रहे हैं कि फलां दल का यह है, यह फलां दल का है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Excuse me. मेरा जो टाइम इन्ट्रप्शन में ले लिया, उसके लिए माफ कर दीजिए। एक और बात मैं कहूंगा, अनएम्प्लायमेंट के बारे में। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, जब सुना, एक माननीय सदस्य ने कहा कि अनएम्प्लायमेंट की बात हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में है? आप सोशल आर्डर बदलिये। आपने

(श्री राजबहादुर)

रिक्रूटमेंट की एज बढ़ा दी, 28 साल से 30 कर दी Is it not a mere palliative? यह कोई इलाज नहीं है सिर्फ एक हल्की सी दवा है। इससे मरीज ठीक नहीं होने वाला है। आप 28 से 30 कर दीजिए, आप बेरोजगारों की गिनती बढ़ा दीजिए। आप यह करिये कि उनके आल्टरनेटिव एवेन्यूज क्या हैं। अगर कोई रास्ता नहीं है तो आप चाहें 28 के बजाय 30 कर दीजिए, चाहें 50 कर दीजिए एजुकेटेड अनएम्प्लायमेंट मिटने वाला नहीं है। इसका गुर यह है कि आपको इण्डस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। एक काम और करना पड़ेगा, जो आपके बस का है, कोआपरेटिव्ज बनायें, जो काम ठेकेदार से कराते हैं सड़कों के ऊपर, बिजली का, मिस्त्रीगिरी का नहरों का और बिल्डिंग बनाने का, उन्हें दीजिए यह काम। कोआपरेटिव के जरिये से यह काम कराने की कोशिश करिये। अनएम्प्लायमेंट इसलिए है कि, मैट्रिक करने के बाद हर नौजवान सरकार से नौकरी चाहता है, उसका पैतृक पेशा कुछ भी हो। खाती का लड़का 40 रुपये एक दिन में कमा सकता है लेकिन खाती का लड़का मैट्रिक होने के बाद घर से गया, बी.ए. हो गया तो खानदान से गया और गांव से गया और अगर एम.ए. हो गया तो अपने आप से गया। यह हालत हो गयी है। इसलिए, मैं विनती करूंगा कि आप देख लें, जो भेद है, ब्ल्यू कालर में और व्हाइट कालर में उसे मिटाना है मिट्टी का काम करने वाले को काम दीजिए और कलम के काम करने वाले से ज्यादा मजदूरी दीजिये जो भेद पड़ गया है, कलम और कुल्हाड़ी और फावड़े का काम करने वालों में उसको मिटा दीजिए आज हाथ से काम करने वाले को कोई नहीं पूछता न पैसा उसके पास है, न पगार उतनी है, न ?ज उतनी है, न मजदूरी उतनी है न तनख्वाह उतनी है, न इज्जत उतनी है आज जितने हाथ से काम करते हैं, आज जितना मिट्टी का काम करते हैं आज जितना गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, मैला उठाने का काम करते हैं, उतनी ही उनकी बेकदरी है उतनी ही गरीबी है। जब तक यह भेद नहीं मिटायेंगे तथा जो रिवोल्यूशन की रूह और स्प्रिट है वह नहीं आयेगी यह समस्यायें हल न होंगी। हमारे दिमाग से तैयार होती है पैदा होती है क्रान्ति की भावना न लम्बे नारों से हो सकती है न जोर जोर से बोलने से। मैं विनती करूंगा कि अनएम्प्लायमेंट के बारे में। हमारे मुख्य मंत्रीजी तथा शिवचरण जी आपस में बात कर रहे हैं ध्यान से यह मेरी बात सुन लें। उनको इसके लिए कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे एजुकेटेड अनएम्प्लायमेंट दूर हो सके इसके लिए इस बजट में जो करने जा रहे हैं वह नगण्य है।

एक बात म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कहना चाहूंगा। आप पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज नगरपालिका नरकपालिका बनी हुई है मैंने पहले भी कहा था कि ये नगरपालिकाएं नरकपालिकायें बनी हुई हैं। इन नरकपालिकाओं में जहां सड़ांद फैला रखी है इसकी ओर तो ध्यान दें। बड़े बड़े शहरों के बारे में जब 138 करोड़ रुपये वाले विश्व बैंक के कर्ज की चर्चा होगी उस पर बयान होगा तब डिस्कस करेंगे अभी तो इतना सा इशारा करके ही छोड़ देता हूं।

दूसरी बात आक्ट्राय के बारे में निवेदन करूंगा। आक्ट्राय में काफी भ्रष्टाचार है। आप इस आक्ट्राय को जल्दी से जल्दी खत्म करिये खत्म नहीं कर सकते तो तोल से कर दीजिए यूनिफार्म कर दीजिए सारे प्रदेश में इतना

(श्री राजबहादुर)

तो कर ही सकते हैं। सेल्स टैक्स के बारे में कितनी चर्चा है। इसमें एक ओर चोरी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। जितने लूप पोल्स हैं उनको आप प्लग करिये।

इसके बाद मैं एक विनती और करूंगा आप यह नहीं भूलिय कि शासक दल वाले चुनाव तो जीत कर आये हैं। जब जनता पार्टी आई थी तो व भी जीत कर आये थे। मैं घटना सुनाऊंगा। जब वे जीत गए और उनमें से कुछ बड़े-बडे उनकी पार्टी के नेता जो मेरे पुराने दोस्त थे मुझसे मिलने आए। बहुत लम्बी-चौड़ी बात हुई। इन्दिराजी ने यह किया, वह क्या। उन्होंने कहा कि हम केपसूल निकालेंगे, यह करेंगे वो करेंगे,। मैंने उनसे कहा कि हम तो कांग्रेस वाले चुनाव हार गए। हार हमें हजम करनी पड़ेगी क्योंकि हम चुनाव हार गए हैं। आप जीते हो लेकिन आप जीत हजम नहीं कर पा रहे हो। वही मैं आपसे कहता हूं कि तुम जीत हजम करो। तुम मैजोरिटी में आ गये हो, तुम्हारा उसूल क्या है। फिर कहूंगा कहते हैं तुम को खलक खुदा गायबाना क्यों, जरा यह सोचिये।

इसलिये मैं विनती करूंगा कि जीत के नशे में होश मत गवांइये आपने वायदा किया था उन्हीं बातों पर आपकी गवर्नमेंट आई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है। हर किसी इण्डीजुअल से पुछिए। आप बस में, रेलों में सफर करिये आपको मालूम होगा कि लोग क्या कहते हैं अरे साहब यह क्या हुआ या तो लोग खामोश हो जाते हैं। या फिर अपना दुखड़ा रोते हैं। इसलिए ज्यादा काम्प्लीकेसी में मत आइये इस बात को सोच लें। आपकी तरफ से एक साहब कहने लगे कि उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा मैं अब तर्क दे सकता हूं, कोई बात रख सकता हूं लेकिन समझ तो परमात्मा ही दे सकता है। समझ की बहुत आवश्यकता है। बिना समझ के गाड़ी चल नहीं सकती। अण्डरस्टेंडिग चाहिये अण्डरस्टेंडिग और कॉम्प्रीहेंशन के बिना विजन नहीं हो सकता है।

विजन के बिना विल नहीं हो सकती और विल भी हो तो बिना कैपेसिटी के काम नहीं चल सकता है आज जो कुछ भी बाते कर रहे हैं वह इस पीढी के लिये नहीं, इस जनरेशन के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी क्या करेगी अगली पीढी के काम आएगा। जो जो स्कीम लेना चाहते हैं बिजली की, पानी की सडकों की, कारखानों की आज यह हमारे लिये नहीं है। पंडितजी ने भाखरा बनाया वह अपने लिए नहीं बनाया था, अपनी पीढ़ी के लोगों के लिये नहीं बनाया था हम लोगों के लिए बनाया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन अभी एक मिनट में खत्म कर देता हूं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि विल और केपेसिटी होनी चाहिए। अण्डरस्टेंडिग, विजन, विल एण्ड केपेसिटी टू डिलीवर दी गडस, जब, तक यह नहीं आने वाली है, मैं बहुत खेद के साथ निवेदन करूंगा कि आप आगे नहीं चल पायेंगे। यह हैवी डोज आफ डेफिसिट फाइनेंसिग और यह आपका लो टैक्स इस पर ज्यादा क्रेडिट मत लीजिए। इतना ही लीजिए कि हमें इन चीजों पर दुबारा देखना पड़े।

(श्री राजबहादुर)

आप प्रोहिबिशन को स्क्रेप मत करिये। अभी कुछ लोगों ने कहा, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय नहीं है। लेकिन मैं विनती करूंगा, प्रोहिबिशन को स्क्रेप मत कीजिए। ऐसी कोशिश करिये कि जिससे प्रोहिबिशन भी स्क्रेप न हो और राज्य की आय भी बढ सके। आप गोकुल भाई को बेचारों को क्यों गाली देते हैं। वे वयोवृद्ध नेता हैं हमारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा नेतृत्व किया था। आज आप उनके लिए अपमानजनक बातें कहें तो अच्छा नहीं लगता। यह मैं आपसे कहूंगा ....

श्री देवेन्द्रसिंह : उनको पैसा मिल रहा है।

श्री राजबहादुर : उनका अपमान मत कीजिए। मत दीजिए पैसा। पैसा देकर अपमान करना यह कहां की भलमानसी है।

श्री देवेन्द्रसिंह : इस काम के लिए उनको पैसा मिलता है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : आप पैसा भी दे रहे हैं और अपमान भी कर रहे हैं। आखिर वहें पैसा देते हैं वह काम के लिए देते हैं। आप मुफ्त में नहीं देते, भीख नहीं देते हो।

आखिरी बात कहूंगा। मुझे अखबारों में इस संदर्भ में पढ़ने को मिला। मैं उसकी कटिंग लाया हूं :—

"One of the Government employees attributed the non-performance of the bureaucracy to large scale transfers of officers; as was done by the Janta Government which had demoralised them Most officers were reluctant to take decisions, being unsure of their future. It is, therefore, felt that unless the bureaucracy is reassured that it would not be victimised, its performance may not show any improvement despite entreaties or threats."

यह मैं इसलिए कह रहा हू कि एप्रोप्रियेशन बिल है। आप काम करना चाहते हैं। अगर आत्म-विश्वास पैदा नही होगा, अपने में विश्वास नहीं है, आत्म विश्वास पैदा नहीं होगा तो काम नहीं। होगा मुझे तजुर्बा है 23 वर्षों का बल्कि 26 वर्ष का अनुभव है एज ए मिनिस्टर, मैं आपको कहता हूं कि जो कम करने वाले हैं उनमें बेजा एव न निकालिये,

It is a bad carpenter who quarrels with his tools. मैं आपको कहता हूं कि वह खराब खाती है जो अपने औजारों से लड़ता-झगड़ता रहता है। इसलिए उन्नति करने के लिए please create a new atmosphere डिसीजन लेने की हिम्मत, हौसला मोरेलिटी रखिये। मोरेलिटी से मतलब है नैतिक साहस। आपकी ओर जनता देखती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोलते है, आप क्या सोचते हैं और इससे आप प्रान्त को, सारे प्रदेश को ऊंचा ला सकेंगे, इसी में आपकी सफलता है। केवल शासन करने में या कुर्सियां सम्भालने में सफलता नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं क्या उपलब्धियां हैं, उसको जनता देखती है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने समय दिया।

श्री सभापति : श्री इन्दोरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

मुख्य मंत्री द्वारा, जो वित्त मंत्री भी हैं, 80-81 का अनुमानित आय-व्ययक पत्रक सदन में प्रस्तुत किया था उस पर विचार विमर्श किया गया। यह आय-व्ययक शोषणविहीन समाज की रचना की तरफ एक कदम है। मैं बजट को संकट मोचन बजट कहता यदि इसमें नवीन कॉलेज खोलने का प्रोवीजन होता। इस बजट में हर पहलू पर, शोषित, पीड़ित और समाज का दबा हुआ जो तबका है उसको ऊंचा उठाने की तरफ एक दिशा निर्देश दिया गया है। राजस्थान और विशेष कर जिस जिले से मैं आया हूं, वहां की मूल भूत समस्या है वह पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य महानुभाव अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पेयजल का भारी संकट है और चूंकि चूरू जिला पिछड़ा हुआ जिला है, वह हमेशा से उपेक्षित रहा है। विकास की दृष्टि से उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह आवश्यक भी है कि मैं उन विशेष बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। प्रशासक के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं एक कान का पक्का और दूसरा हृदय की विशालता। जब तक राजस्थान के अन्दर जिलेवाइज मास्टर प्लान बना करके काम नहीं किया जाएगा तो हम विकास की लक्ष्य पूर्ति तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकेंगे। यहां बैठे हुए दो सौ प्रतिनिधि जो सभी जनता के मतों से चुन करके यहां आए हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें से हरएक को यह पूछा जावे कि तुम्हारे क्षेत्र की सबसे मूल भूत समस्या क्या है और उस क्षेत्र के ऐसे काम किये जावें जहां से कि वह चुन कर आया है। चूंकि जिस क्षेत्र से जो व्यक्ति चुन कर आया है उसको क्षेत्र की विशेष जानकारी होती है, यह स्वाभाविक है, इसलिये इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कुछ भी मत दो लेकिन दो तीन काम ऐसे करें जिससे आम जनता सीधा का सम्बन्ध हो। जैसे कि आज बसों की स्थिति है। बसों में बैठ कर सफर करने वाला यात्री बस के अन्दर अव्यवस्था के बारे में जो बातें बताता है वह बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचे हुए व्यक्तियों के कानों तक नहीं पहुंच सकती उनके कानों तक पहुंचने का जरिया यह सदन है, यह निर्वाचित माननीय सदस्य हैं जो अपने-अपने क्षेत्र की बात कहते हैं। आज मंहगाई है। मंहगाई पर यदि नियंत्रण नहीं किया जायेगा तो जनता माफ नहीं करेगी। . .

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय दो घण्टे के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : तो मैं यह कह रहा था, आम जनता में जो मंहगाई के कारण रोष और आक्रोश है, वह इस सदन को, इस सरकार को समझना चाहिये। क्योंकि आम जनमानस जो है, वही अन्तोगत्वा एक परिणाम का सूचक होता है। इसलिये जिन चीजों पर हम प्रदेश स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं, उन पर तो हमें करनी चाहिये और जिनका सम्बन्ध केन्द्र से है उसके लिये हमें

(श्री जयदेवप्रसाद इंदोरिया)

उन्हें आगाह करना चाहिये।

इसके लिये जरूरी है कि जैसे वितरण व्यवस्था है वितरण व्यवस्था को सुधारने का काम प्रशासक का है। प्रशासक अपने प्रशासन में जब तक नियंत्रण कड़ाई से नहीं करेगा, तब तक वितरण व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। गेहूं है, चीनी है, सीमेंट है, जिस पर आपका नियंत्रण है, उसको कम से कम अवधि के भीतर, उचित मात्रा में, समानता के आधार पर वितरण व्यवस्था यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से बाधा नहीं आयगी। हम यहां आज बैठे हुए लोग यदि वास्तविक स्थिति से सरकार को अवगत नहीं करायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने अधिकारों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं।

अस्पताल में लाखों रुपयों की एक्स-रे मशीनें अभी तक डिपो में बन्द पड़ी हुई हैं। एक्स-रे मशीन काम में आ सकें, रोगियों के लिये उपयोग में आ सके, इस तरह की हमें व्यवस्था करनी चाहिये और उन व्यवस्थाओं से ज्यादा से ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको लाभ पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था मैं शीघ्र करनी चाहिये। यह ऐसी चीज है, जिसमें कोई नये सिरे से अर्थ राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ राशि व्यय हो चुकी, सरकार का पैसा लग चुका है और वह बन्द पड़ी है, उनको सिर्फ चालू करने की आवश्यकता है।

ऐसे कई अस्पताल हैं जहां लेडी डाक्टर्स नहीं हैं। लेडी डाक्टर्स के अभाव में जो प्रसव सम्बन्धी अव्यवस्था है उससे लोगों में एक बहुत बड़ा भारी आक्रोश है। तो मैं चाहता हूं जहां महिला चिकित्सालय है, वहां जल्दी से जल्दी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जो एक वातावरण दूषित किये जाने की चेष्टा है, जो हो रहा है, उसको हम दूर कर सकें।

इस बजट में, जो चूरू-लिफ्ट-इरिगेशन योजना है जो पहले कांग्रेस सरकार ने मंजूर की थी उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कल यह बताया गया है कि उस पर भी ध्यान दिया जायगा, यह बहुत प्रसन्नता की बात है क्योंकि मैं इस क्षेत्र से आया हूं रतनगढ़ क्षेत्र में अनेक गांव हैं मुश्किल से 15 या 20 गांवों में पेयजल की व्यवस्था है तो इतने बड़े भू-भाग में ग्रामवासियों को पेयजल से वंचित रखना, मैं समझता हूं, आज के लोकतांत्रिक जीवन में न तो उचित है और न श्रेयस्कर ही है। इसीलिये जो चूरू लिफ्ट इरिगेशन योजना और जो सीवा योजना है उसके द्वारा लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जिन गांवों के अन्दर सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, मिडिल स्कूल खोलने का निर्णय किया था और जो इन्सपेक्टर्स और प्रधानाध्यापकों के आदेश पहुंच गये थे, उसके बाद भी वह नहीं खोले जा सके, दूसरी जगह खोल दिये गये तो मैं शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जो पहले आदेश हो चुके हैं, जिन स्कूलों के, सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूलों के, वहां पर वह जरूर खोले जायं क्योंकि यह साहूकारी का तकाजा है। यदि दुकानदार वाकई दुकान पर बैठता है और दुकान चलाना चाहता है तो लोग उसको कहेंगे कि आप कम से कम अपनी हुण्डी का भुगतान तो कीजिये। यह तो हुण्डी है, आदेश

(श्री जयदेवप्रसाद इंदोरिया)

है, इसलिये मैं चाहता हूं कि जिन गांवों में सैकण्ड्री, हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के पुराने आदेश हो चुकें हैं उस हुण्डी का भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिये, वहां स्कूल खोलने चाहिये। यह मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा।

एक बात, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर अकाल के समय काफी रुपया खर्च हुआ है, पिछले वर्षों में। और जहां अर्थ व्यय हो चुका है, उन सड़कों को पूरा करने की तरफ कम से कम ध्यान देना चाहिये और एक न्यूनतम लम्बाई तक, एक योजनाबद्ध तरीके से उसको पूरा करने का काम हाथ में लेना चाहिये। मैं नहीं कहता कि एक ही जिले में सैंकड़ों किलोमोटर सड़कें बनादें। लेकिन ऐसी सड़कें जिनके ऊपर बहुत कम धनराशि व्यय होने पर जनता के उपयोग में आ सकती है, तो उन सड़कों को कम्पलीट करना चाहिए।

मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपका ध्यान पुनः इसी बात पर आकर्षित करना चाहता हूं, आपने इस बजट के माध्यम से सब का संकट हरण करने की चेष्टा की है। तो कम से कम मेरे संकट को दूर करने की कोशिश करें और मैं विशेष रूप से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि रतनगढ़ में आप कॉलेज की व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से आपका बजट संकटमोचन बजट होगा। मैं सभापति महोदया, के माध्यम से इस सदन में बैठे हुए समस्त सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, चाहें पक्ष के हों या विपक्ष के हों, और विपक्ष वालों को ज्यादा जानकारी है, रतनगढ़ में, कॉलेज के सम्बन्ध में, मैं चाहत था, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री भैरोंसिंह जी इस बजट पर जब पिछली बार बोले तो मेरी इच्छा थी कि उनके बोलने से पहले मुझे अवसर दिया जाये, लेकिन वह अवसर नहीं मिला। क्योंकि माननीय श्री भैरोंसिंहजी को इस सम्बन्ध में काफी और मैं समझता हूं, अधिकृत रूप से जानकारी है, क्योंकि दो दफा कालेज खोलने की घोषणा की थी तो मैं आप सब लोगों को इस बात के लिये निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को आप मेरी तरफ से निवेदन करें कि एक ही तो कॉलेज मांग रहा हूं। मैं कोई राज नहीं मांग रहा। राज आप आराम से कीजिये। हम हृदय से आपके साथ हैं। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप रतनगढ़ क्षेत्र में कुछ भी नहीं करें तो भी हमें मंजूर है। लेकिन एक कॉलेज अवश्य आप खोलें।

मुझे उम्मीद है कि अपने कोमल हृदय से जब आप उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से इसकी घोषणा करेंगे मैंने कई दफे उनको टटोलने की चेष्टा की लेकिन वो मधुर मुस्कान के साथ मौन हो जाते हैं। मैं सदन के माध्यम से····

(व्यवधान)

नहीं, वह करेंगे, मुझे विश्वास है वह करेंगे और अपने मौन को तोड़ेंगे। मेरा यह आत्म विश्वास है, भगवान् की प्रेरणा है लेकिन यह मैं नहीं कह सकता कि इसको देख सकूंगा या नहीं देख सकूंगा। मैं इसको देख सकूं यह निर्भर करता है माननीय पहाड़िया जी पर·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं घंटी के बाद कभी नहीं बोलता।

श्री सभापति : माननीय विपक्ष के नेता।

श्री देवीलाल : सभापति जी ·· ···

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता प्रतिपक्ष) सभापति महोदया सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे आज पूर्णतया स्वस्थ हैं और सदन में उपस्थित हैं।

सभापति महोदया, इस एप्रोप्रियेशन बिल में या इस बिल के पहले जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया उस बजट में यदि दो बातों का हम विश्लेषण करना चाहें तो मेरा विश्वास है कि गहराई से देखने के बाद भी यह दो बातें नहीं मिलती। किसी भी राज्य सरकार का बजट इस बात का द्योतक होता है कि जनता के सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान बजट के माध्यम से किस प्रकार और किस सीमा तक किया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद सरकार ने इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया और जब ध्यान नहीं दिया तो उनके समाधान की बात करना मैं आवश्यक नहीं समझता।

सभापति महोदया, बार-बार इस बात की चर्चा की जा रही है कि जनता पार्टी के शासन में अमुक प्रकार के भाव रहें, अमुक प्रकार से कार्य किये गये और उस कारण से सरकार के सामने साधनों का या सामान्य बातों का अभाव आता है। मैं सभापति महोदया, इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया इसकी चर्चा यदि आंकड़ों से करना चाहें तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आधार पर भी मैं वह सारे आकड़े इस सदन में पेश कर सकता हूं जनता पार्टी ने अपने ढाई साल के शासन में क्या किया वह आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूं जो हम करना चाहते थे और नहीं कर पाये लेकिन आकड़ों से जन-मानस का कोई समाधान नहीं होता। जन-मानस का समाधान, जन मानस की क्या प्रतिक्रिया है उसको समझने से होगा। माननीय सदस्य नाराज होंगे यदि आज मैं यह कहूं कि जनता में जाइये, एक बात निश्चित रुप से जनता आपको कहेगी कि इस राज से जनता पार्टी का राज बहुत भला था।

एक माननीय सदस्य : हमने तो नहीं सुना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिए। मैं यह समझता था कि मेरे कहने से यही प्रतिक्रिया होगी अगर आप इस संबध में नहीं बोलते तो मैं ऐसा समझता हूं, पहाड़िया जी नाराज होते इसलिये आपको व्यक्तिश: सब को अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करनी चाहिये। यह स्वाभाविक है, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जनमानस में एक प्रतिक्रिया चल रही है। कई बार कांग्रेस के मित्र जब चिन्ता करते हैं कि पहाड़ियाजी से काम चलने वाला नहीं है सभापति महोदया, मैं इसी बात की चेष्टा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जनता पार्टी के हित में तो यही है कि पहाड़िया जी मुख्य मंत्री बने रहें। यह बात सही है कि राजस्थाना के हित में नहीं है, जनता पार्टी के हित में है। मेरा विश्वास है कि जब तक पहाड़िया जी का शासन रहेगा, राजस्थान की जनता पार्टी को सुबह-शाम याद करती रहेगी। इसलिय मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी में किसके पास शासन रहे जो जनता पार्टी के हित में हो तो वह पहाड़िया जी के पास रहना चाहिये जब राजस्थान का सवाल आता है तो, सभापति महोदया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हुं कि राजस्थान का हित इस सरकार के हाथों

(114)

(**श्री भैरोंसिंह शेखावत**)
में सुरक्षित नहीं है। एक छोटी सी बात है पहाड़िया जी खड़े हो कर कहते हैं गवर्नमेंण्ट 6 तारीख से बनी प्रभाकर जी कहते हैं 18 तारीख से बनी है, एक बहुत बड़ा विवाद है समझ में नहीं आता गवर्नमेंट कब बनी मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों में विवाद है। एक कहते हैं 18 तारीख को सरकार बनी है पहाड़िया जी बार बार कहते हैं.....

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर: मंत्री मंडल के बारे में कहा है।

श्री भैरो सिंह शेखावत: पहाड़िया जी कहते हैं 6 तारीख को बनी मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार के बारे में विवाद हो कि गवर्नमेंट कब बनी....

श्री सभापति: ऑर्डर ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: यह कहां से बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सभापति महोदया, मैं इसलिए कह रहा था जिस व्यक्ति को अपने जन्म का पता नहीं जिस सरकार को यह पता नहीं कि कब बनी थी उस सरकार का क्या कार्यक्रम होगा और वह राजस्थान का क्या हित कर सकती है, क्या काम कर सकती है यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है।

पहाड़ियाजी ने बड़ी वेदना से कहा कि राजस्थान विकास की दृष्टि से पीछे है। मैं समझता हूं यह वेदना सबको है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान बहुत पीछे है। मैंने पीछे रहने के कई कारण इस सदन में पहली बार, प्रस्तुत किये थे जितना विनियोजन राजस्थान में होना चाहिये वह नहीं हुआ। राजस्थान विकास की दृष्टि से इसलिये पीछे रहा। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान जितना बड़ा है, बड़ी इकाई के रूप में हम उसका विकास करना चाहेंगे यह संभव नहीं है। आपको याद होगा कि पंजाब 1966 में जब पंजाब आर्गेनाइजेशन एक्ट अन्तर्गत पंजाब और हरियाणा दो राज्य बने, तब हरियाणा बहुत पीछे था। हरियाणा ने पिछड़ेपन के कारणों से पंजाब से अलग होने का आन्दोलन चलाया। अन्ततोगत्वा आन्दोलन सफल हुआ। हरियाणा एक अलग राज्य बना। जिस समय हरियाणा बना हम से पीछे था आज वह हरियाणा हम से आगे बढ़ गया है। कारण केवल यह है कि भारत सरकार ने कुछ ज्यादा पैसा दे दिया उस सरकार ने ज्यादा इन्वेस्टमेंन्ट किया लेकिन उसने सारे राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांट कर उन इकाइयों के आधार पर अपना राज्य चलाया, अपना शासन चलाया जिसके कारण उस क्षेत्र का विकास हो गया पंजाब के समय जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे सरकार उनको भूल चुकी थी उनका अब विकास हो गया। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान 26 जिलों में बटा हुआ है। जैसलमेर अकेला ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल केरल राज्य के क्षेत्रफल के बराबर असेम्बली कान्स्टेटियूएन्सी के बराबर एक राज्य है। इतना बड़ा क्षेत्रफल है। राजस्थान के 11 जिले ऐसे हैं जिनको डेजर्ट या सेमी डेजर्ट के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है। राजस्थान के कुछ जिले ऐसे

(श्री भरोंसिह शेखावत)

हैं जिनकी सीमा बड़ी होने के कारण वहां पर केवल समस्याएं शहर की ही सामने आती हैं और केवल उनका ही हल हो पाता है, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इस ओर जनता पार्टी की सरकार का ध्यान गया। यह सही है कि हमने निर्णय विलम्ब से लिया। परन्तु पूरा विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हमने निर्णय यह लिया कि इस राज्य में चार और नये जिले बनाये जाएं एक धोलपुर, एक बारां, एक हनुमानगढ़ और एक दौसा। इस प्रकार चार जिले बनाये जाएं। आज जयपुर जिला है उसमें शहर की ही इतनी समस्याएं हैं कि जयपुर जिले का प्रशासन उनकी समस्याओं में उलझा रहता है, इस कारण ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। धोलपुर और भरतपुर इन दोनों की दूरी में अन्तर है। इसके अलावा धोलपुर की अपनी समस्याएं है। इन समस्याओं का समाधान भरतपुर में रह कर नहीं किया जा सकता है इसी प्रकार से हनुमानगढ़ और गंगानगर है। हनुमानगढ़ में जिस प्रकार से विकास होता जा रहा है, जिस गति से विकास होता जा रहा है, गंगानगर में वैसे सारे क्षेत्र का विकास होता जा रहा है, इस विकास की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर इस सारे जिले को नियन्त्रित करने का, विकास का काम तेज गति से चल सके, यह संभव नहीं है। इसलिए हनुमानगढ़ को अलग से जिला बनाने का सोचा गया। इसी प्रकार से कोटा जिले में बारां को अलग से जिला बनाये जाने का निर्णय लिया गया। कहां कोटा और कहां बारां बारां से आगे बढ़ कर यदि आप शाहबाद और किशनगढ़ तक चले जाएं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या ये गांव कोटा जिले के क्षेत्र में आते हैं। इस कारण आपने देखा होगा कि जितनी भी मध्य प्रदेश की सीमा कोटा क्षेत्र के गांवों के पास आती है, वे सारे के सारे गांव पिछड़े हुए रह गये। मैं चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी आप राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, राजस्थान के हर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, राजस्थान के विकास में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो, इस प्रकार की व्यवस्था आप करना चाहते हैं तो आप इन चार जिलों को जल्दी से जल्दी बना दीजिए। इसके साथ-साथ दो जिले और हैं। एक तो प्रतापगढ़ से इस प्रकार की मांग है, उदयपुर जिले के विभाजन की मांग है। दूसरे इस प्रकार की मांग है इसमें कोई ज्यादा विशेष खर्चा नहीं आने वाला है जिस खर्च के कारण हम जिले नहीं बना सकें। हरियाणा का मुझे याद है—एक हिसार जिला था, उस अकेले हिसार जिले के चार जिले बन गये एक रोहतक जिला था, उस रोहतक के दो जिले बने गये। कुरुक्षेत्र अलग जिला बन गया। सोनीपत, पानीपत अलग-अलग कर दिए गए। आज जिस-जिस राज्य में जहां-जहां विकास करने की स्थिति आ रही है, छोटी इकाइयां बना कर उस सरकार ने उसे अपने विकास का माध्यम बनाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह कोई मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। मेरा खुद का ढाई वर्ष का अनुभव है। पिछले 20-30 वर्ष से मैंने राजस्थान में विकास की स्थिति को देखा है। उस आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अगर जयपुर जिला छोटा बनेगा तो दौसा क्षेत्र का भी विकास होगा, भरतपुर जिला छोटा बनेगा तो धोलपुर का भी विकास होगा। गंगानगर में हनुमानगढ़ जिला अलग बनेगा तो उस क्षेत्र की प्रशासनिक दृष्टि से समुचित व्यवस्था भी हो सकेगी और उसका विकास भी होगा। इसी प्रकार बारां

(116)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यदि अलग जिला बनेगा तो कोटा के पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा। मैं चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी आप चाहें घोषणा न करें लेकिन स प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और राजस्थान के इन जिलों का विभाजन करें नये जिले किस प्रकार बनेंगे इसकी भी चिन्ता करें।

सभापति महोदया, अभी रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में रतनगढ़ में कॉलेज खोलने के लि कहा। मैं केवल रतनगढ़ की ही बात नहीं कह रहा हूं। यदि आपने फैसला कर लिया है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसको बदलना है तब तो मैं आपसे विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यदि विकास की दृष्टि से समझते हैं तो जनता पार्टी ने 13 कॉलेज खोलने की बता कही है। उन 13 कालेज के जो स्थान हमने तय किए हैं आप यदि उन स्थानों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है हो सकता है कि उन स्थानों का चयन करने में हम से भूल हो गयी हो, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधा के संबंध में किसी प्रकार का भ्रम रह गया हो तो आप उस भ्रम को निकाल दें लेकिन यह मान कर चलें कि राजस्थान में अगर 13 कॉलेज खुले तो उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र का गरीब व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। वरना स्थान-स्थान पर कॉलेज न खुलने से हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र का गरीब तबका नजदीक में कॉलेज न होने से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेगा और जो धनवान है, जो किसी दूसरी जगह अपने बच्चे के लिए पढ़ाई का खर्च कर सकता है, वह शिक्षा ले लेगा। मुख्य मंत्री जी, आपने प्रारंभ में ही गरीबों के हितों की चिन्ता की है। आप जो यह कॉलेज खोल रहे हैं यह अमीरों के लिए नहीं खोल रहे हैं। जहां जहां कॉलेज खोलने की बात कही गयी है व कॉलेज वहां ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर आप गंभीरता से विचार करें। सभापति महोदया, कोटा में इन्जीनियरिंग कॉलेज की बात हमने कही। हो सकता है कि किसी कारण से इन्जीनियरिंग कॉलेज की बात को खतम किया जाए क्योंकि वहां से जनता पार्टी के विधायक चुन कर आए हैं। मेरा विश्वास है, आप अगर राजनीतिक आधार पर कोई विचार नहीं करेंगे तो आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कोटा का जिस प्रकार से इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट हो रहा है, उस डवलपमेंट से कोटा से लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्पलोयमेंट मिले वहां से यह मांग आती है। उस मांग की पूर्ति के लिए दो आधार हैं एक तो हमारे पास लेबर फोर्स कितना है स्किल्ड लेबर कितना है, अनस्किल्ड लेबर कितना है, इसके साथ साथ इन्जीनियरिंग ग्रेजुएटस कितने हैं, इस आधार पर विचार किया जाएगा तो कोटा क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट का लाभ मिलेगा। कोटा के पढ़े-लिखे लोगों में जो बेकारी आ रही है, उस बेकारी का समाधान होगा। मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, इस प्रश्न के ऊपर भी आप गंभीरता से विचार करें। यदि आपने गंभीरता से विचार किया तो मेरा मानना है कि आप इस संबंध में इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज की सख्त आवश्यकता है।

सभापति महोदया, हम ने एक योजना बनायी थी ग्रामीण क्षेत्र के विकास की। हर क्षेत्र में से हमने आबादी के आधार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्रामों का चयन किया। 13 ग्राइटम्स वहां पर शुरू में होंगे। इस प्रकार हमारा प्रयास यह था कि उस क्षेत्र में बैंक की शाखा हो, ग्राम सड़क से जुड़ा हुआ हो, उस गांव में पोस्ट ग्राफिस हो, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल हो। पशु चिकित्सालय हो, एलोपैथिक डिस्पेन्सरी हो। इस प्रकार से 13 ग्राइटम्स शामिल कर के हम ने ग्रामीण विकास केन्द्र की स्कीम बनायी थी जिसको लोगों ने कहा town of tomorrow. यह कोई राजनैतिक ग्राधार नहीं किया गया। केवल जनसंख्या के ग्राधार पर इनको लिया गया। जहां जनसंख्या कम पड़ती थी कोई क्षेत्र ऐसा है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर के गांवों की जनसंख्या कम है, इस कारण से, जनसंख्या के ग्राधार पर कोई क्षेत्र वंचित रह गया तो वहां जनसंख्या के ग्रनुपात में रिलेक्सेशन दे दिया। मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी ग्राप इसकी कम से कम घोषणा कर दें। ग्राप की वाहवाही होगी ग्रौर राजस्थान के हर जिले में कम से कम बीस, तीस, पन्द्रह, ग्राठ सेन्टर होंगे, जिन सेन्टर्स में हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, बिजली पहुंचेगी, पीने के पानी का प्रवन्ध करना पड़ेगा, बैंक की सुविधा होगी। यह सब उपलव्ध करना होगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कौनसी राजनीति ग्रामीण विकास के मसले पर ग्रा गई जिसके कारण इस स्कीम्स को राज्य सरकार नहीं ले रही है।

सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि स्टेट का हर ग्रादमी इसके लिए चिन्तित है कि बेकारी का समाधान किस प्रकार से किया जाये। फूड फोर वर्क योजना थी ग्राज ग्राप माने या न माने लेकिन पिछले 2 वर्षों में काम के बदले ग्रनाज योजना के ग्रन्तर्गत केपीटल ग्रसेट्स तैयार हुये। मैं दुबारा कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान में फूड फार वर्क चल रहा था, गांवों में बेकारी समाप्त हो गयी थी। ग्राज कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, श्री शिवचरण जी माथुर मेरी इस बात के गवाह होंगे कि जिस प्रकार का ग्रकाल जो इस वर्ष पड़ा है ऐसा ग्रकाल राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं पड़ा। लेकिन इस भंयकर ग्रकाल की स्थिति में भी यह फूड फार वर्क की देन थी कि किसी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। उस समय भी गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा था। उस रोजगार का कारण यह फूड फार वर्क था। इस फूड फार वर्क के . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, कांग्रेस ने भी 30 वर्षों तक किसी को भूख से मरने नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रच्छा किया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक ग्राध नहीं 8 साल तक ग्रकाल पड़ा। 8 साल तक एक बूंद पानी जैसलमेर में नहीं वरसा उसके बावजूद भी एक भी ग्रादमी को भूख से नहीं मरने दिया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं ग्रापको इन्सिस्ट नहीं करना चाहता, माननीय नेता महोदय, सिर्फ यह बता रहा हूं कि सन् 69 की जो विभीषिका थी, जो ग्रकाल 67-68 का ग्रकाल था वह ग्रकाल भी इस ग्रकाल से कम नहीं था, 23 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वाल्वड थे। मैं ग्रापको याद दिला रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आपने प्रश्न पूछा ही है। इस सदन के कई माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि जब सुखाड़िया जी मुख्य मंत्री थे राजस्थान के तो कांग्रेस के लोगों ने एक ज्ञापन दिया था प्रधान मंत्री को। उस ज्ञापन में इन बातों का उल्लेख किया गया था पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, जानवर काफी संख्या में मर गये। मुझे पता होता कि श्री प्रद्युम्नसिंह जी उसकी जानकारी करना चाहेंगे तो ज्ञापन की प्रति मेरे पास है, मैं सदन के अन्दर उसको भी पेश कर देता। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : दूसरा जो ज्ञापन दिया था उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। जो फूड फार वर्क में घोटाले हुये। वह ज्ञापन भी आप पेश करें। मैं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि वे इसकी जांच करवायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री गोटेवालाजी मैं आपकी तरफ से मुख्य मंत्री जी से कह देता हूं एक ही बात नहीं सब बात कह देता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी बात तो आप मत कहें। मैं तो खुद ही कह लिया करता हूं। मेरे ऊपर तो मेहरबानी करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मंत्री बनाया जाय इसकी बात नहीं करूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी सिफारिश नहीं चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चाहे किसी सरपंच ने घोटाले किये हों, चाहे किसी विधायक ने घोटाले किये हों, चाहे किसी मंत्री ने घोटाले किये हों, चाहे मुख्य मंत्री ने घोटाले किये हों, मैं, पहाड़िया जी, आपसे इस बात के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार आपके पास है, यदि किसी मिनिस्टर ने घोटाले किये हैं, तो प्रोसीक्यूशन करें। यदि श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने किये हैं तो उनका प्रोसीक्यूशन कराइये। जनता पार्टी के किसी मिनिस्टर ने किये हैं तो उनका प्रोसीक्यूशन कराइये। सरकार आपके हाथ में है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको भ्रष्टाचार को सिद्ध करके भ्रष्ट को सजा देने का अधिकार है। सजा आप दे नहीं पाते सिर्फ हाउस में चर्चा करना चाहते हैं, वह तो ठीक नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भी किसी को सजा नहीं दे पाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने इस सदन में भाषण दिया था कि कांग्रेस वालों की नाक में से निकलवा लेंगे। इस सदन में घोषणा की थी कि कांग्रेस वालों की . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाक में से निकला लेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कल मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी के खिलाफ निश्चित रूप से आरोप लगाये थे उनको ललितकिशोर जी ने चुनौती भी दी थी। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, उन्होंने कहा कि आर.एस.एस. के भवन 77 के पहले बन गये थे और श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास ने कहा था कि सारा सीमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट का लगाकर के इन भवनों को बनाया गया था। इन्जीनियर्स से चंदा इकट्ठा किया गया। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अनुरोध करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि आज इसके बारे में जांच की घोषणा करें। इससे कम से कम तथ्यों का तो पता लगेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने कल भी इस चुनौती को स्वीकार किया था।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय को बोलने दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पर्सनल एलीगेशन है, सभापति महोदय

श्री सभापति : आपका समय आयेगा तब आप बोल लीजियेगा।

श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी : मैंने चेलेन्ज किया था। मैंने कहा था कि इन्क्वायरी करायें, सरकार आपके पास है। आज फिर श्री श्रीराम गोटेवाला ने करेक्टर एसेसिनेशन करने का प्रयत्न किया यह किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अगर यह सही है तो मैं चेलेन्ज करता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम भी यही मांग कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री प्रद्युम्नसिंह और श्री श्रीराम गोटेवाला ने कहा था कि नाक से निकलवा लूंगा।

(व्यवधान)

वहीं तो मैं कह रहा हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा था कि कांग्रेस वालों की नाक में से निकाल लूंगा, यह कहा था भ्रष्टाचारियों की नाक से निकलवा लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन से रह गये जिनकी नाक से भ्रष्टाचार नहीं निकलवाया। आप नाम बता दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं कहता हूं परन्तु आपने सीधा सवाल पूछा है। मुख्य मंत्री बनने के बाद आपने बड़ी बड़ी घोषणायें कीं। बड़ी चौपड़ पर पहला भाषण दिया था भ्रष्टाचार के बारे में विपक्ष के नेता महोदय। उसके बाद यहां भी दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नाम ले लीजिये, जिन राजनेताओं के खिलाफ आपने कार्यवाही की कोई कांग्रेसी दोषी पाया कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की सिवाय 4 अधिकारियों को छोड़ कर जो भी फिर आपके राज के अन्दर ही बहाल होकर आ गये। इरिगेशन डिपार्टमेंट के थे। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था। आपने सदन में घोषणा की थी मैं सस्पेंड कर चुका हूं। आज रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि आपने घोषणा करने के बाद उनको सस्पेंड किया। आपने यहां पर कहा कि मैं पहले सस्पेंड कर चुका हूं। आज प्रोसिडिंग्स निकाली जाय हाउस की और तथ्यों को निकाल लिया जाय आपने चार अधिकारियों को छोड़कर जो नार्मली एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट हर राज्य के अन्दर हर शासन के अन्दर कार्यवाही करता है वह की। आपने कोरा भाषण दिया। आपने कोई करप्शन के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि आपने प्रोटेक्शन दिया, मेरा चार्ज नहीं है। लेकिन जिस दम्भ के साथ और जिस जोश के साथ घोषणा की थी उसमें बिलकुल असफल रहे यह मेरा निश्चित मत है। यही मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी। मुझे खुशी है। मैं कहना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि जयपुर, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य इन दोनों को चिन्ता हो रही है कि मैं बेरी कमीशन का कोई उल्लेख क्यों नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप करें, कोई चिन्ता नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारा उल्लेख करें हमें चिन्ता नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप करिये। जो फैक्टस हैं वह तो किसी से छिपे नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कहिये। आप ख्वाहमख्वाह सस्पेंस क्रियेट कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कमीशनों का जो हश्र हुआ है हिन्दुस्तान के अन्दर वह किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ कमीशन की कार्यवाहियां हुई, कमीशनों के अन्दर वही काम राजस्थान के अन्दर हुआ। बेरी साहब या फिर कानसिंह जी, इन दोनों के अलावा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ राजस्थान के अन्दर जिसको जांच का काम सौंपा जा सकता था। लोगों को राजनैतिक दृष्टि से हरेस करने के लिये लोगों को राजनैतिक रूप से बदनाम करने के लिये इन दोनों कमीशनों की राजस्थान में नियुक्ति की गयी थी। सभापति महोदया, मैं इतनी ही बात कह सकता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कानसिंह जी ने जो अन्त में कहा उनकी रिपोर्ट भी देखें...

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह कहा है कि भैरोंसिंह जी प्रेशर डालते हैं पोलिटिकली और गलत काम करवाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छी बात कही है। सभापति महोदय, मैं जयकृष्ण जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आप कानसिंह जी की बात पर विश्वास करते हैं क्या?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कहा कि नहीं? कानसिंह को लगाया कि नहीं?

एक माननीय सदस्य : मैं तो आपकी बात पर बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो उनसे केवल यही पूछ रहा हूं कि कानसिंह जी की बात पर विश्वास किया या नहीं किया?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो आप जाने कि क्या बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता था कि भ्रष्टाचार की चर्चा करने का प्रश्न यहां इसलिये आया कि माननीय सदस्य कई बार इधर बैठने वालों पर आरोप लगाते हैं। सभापति महोदय, मेरे पर भी आरोप लगे हैं। डेढ लाख रुपया लगाकर राजस्थान में या जयपुर में बंगला बना लिया। मुख्य मन्त्री महोदय मैं आपको अधिकार दूंगा कि मैंने डेढ़ लाख, लगाकर बंगला बना लिया, बंगला 50 हजार का है 25 हजार का है या 5 हजार में, तैयार हुआ है वह अपने कब्जे में कर लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं 30 वर्ष से राजस्थान विधान सभा का सदस्य रहा हूं। राज्य सभा का भी सदस्य रहा हूं। राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का मुख्य मंत्री भी रहा हूं। क्या मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं अपने लिये कोई मकान बना सकता। मैं अपने गांव में कोई मकान बना लूं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को चुनौती देकर कहता हूं कि मेरे गांव में चले जायं, जयपुर में आ जायं मेरे जयपुर में रहने का कोई मकान हो तो आप बता दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आप बीच में जोर से नहीं बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप लगायें तो सही लगायें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूं गा एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने 80 हजार की गाड़ी खरीदी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह अधिकार देता हूं कि 80 हजार की गाड़ी यदि मेरे नाम से, मेरे रिश्तेदारों के नाम से, मेरी पत्नी या लड़की के नाम से, मेरे भाई के नाम से, मेरे परिवार के किसी आदमी के नाम से मिल जाय तो उसको जब्त कर लें। गाड़ी में बैठना हो तो मैं ऐसा समझता हूं कि मैं यदि किसी कांग्रेस के सदस्य को भी गाड़ी के लिए कह दूं कि पांच दिन के लिए गाड़ी चाहिए तो वह मना नहीं करेगा। जिस गाड़ी में मैं बैठ कर आता या जाता हूं उसके लिए इस प्रकार का इल्जाम न लगायें। माननीय गोटेवाला जी ने कहा है कि हमने ज्ञापन दिया है। मैं आज आपको कहता हूं, अब तक राजस्थान में या हिन्दुस्तान में किसी ने नहीं कहा होगा मेरे खिलाफ यदि एक भी आपको ज्ञापन मिल जाय, शिकायत मिल जाय, तो उसकी आप प्रासिक्यूशन करायें। कोई इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं है। मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है।

श्री शिवचरण माथुर : आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, माथुर साहिब, इस बात से इन्कार नहीं करता। कई नीति संबंधी मसले ऐसे होते हैं जिसमें मतभेद हो सकता है।

श्री शिवचरण माथुर : वह हमने राष्ट्रपति जी को जाकर स्वयं दिया था। आपकी नीतियों के खिलाफ दिया था। मैं आपके विरुद्ध तो नहीं कहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पर्सनल आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नीति का प्रकटीकरण तो सदन में भी होता है और बाहर भी होता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 30 वर्ष के राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार के नाम पर अगर कोई मुझे एक पिन भी मेरे शरीर में चुभो देगा......

कई माननीय सदस्य : आपके लिए किसी ने नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन में कहा है। अखबारों में छपा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पर्सनल आपके लिए किसी ने नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। हमारी नीतियों के बारे में किसी प्रकार का मतभेद भले ही

(122)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा हो लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में हमने जो आदर्श प्रस्तुत किये हैं, कम से कम उसको तो लोग स्वीकार करते हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करवाई। मैं माननीय पहाड़िया जी को कहता हूं, बेरी कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देख लें मैंने कभी यह नहीं चाहा है कि मेरे किसी विरोधी को मैं फांसी के तख्ते पर लटका दूं। मैंने जूडिशियल इन्क्वायरी कराई। सजा ही देनी होती तो मैं कहूंगा कि वह बेरी कमीशन की रिपोर्ट उठा कर देख लें।

(व्यवधान)

आपको बेरी कमीशन पर विश्वास नहीं है। जिस कमीशन की डेट एक्सपायर हो गई थी आपने उसका एक्सटेंशन क्यों किया है। मैं तो चाहूंगा बेरी कमीशन के सारे मसलों पर पहाड़िया जी एक्शन लें। मैंने विधान सभा में भी मसले उठाये हैं। जयसमन्द झील का मसला था उसकी जूडिशियल कमीशन को रिपोर्ट दी। आप उसके आधार पर ध्यान करके देखें। कई मसले पुराने थे। मैंने जान बूझकर इसीलिए छोड़ा कि अगर विण्डिक्टिवनेस से काम करूंगा तो लोग यह समझेंगे कि आज से 20 वर्ष पहले कोई बात कह दी तो आज उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने को तैयार बैठे हैं।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि पहले आप भ्रष्टाचार के मामले से शुरू करते हैं। अनाप शनाप चार्ज लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं ऐसा कहता हूं, शासन आपके हाथ में है। हमारे पास भी कई प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं क्या हो रहा है। मैं एक ही मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको कि माननीय पहाड़िया जी जानते हैं। उनका एक इसी प्रकार का घपला है इसको सभी जानते हैं...

(व्यवधान)

फर्टीलाइजर का मामला है इसमें पहाड़िया जी दोषी नहीं हैं न मंत्रि-मण्डल का कोई सदस्य दोषी है लेकिन कमीशन कितना है। फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ाई। जून के महीने में फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ाई उस बढ़ी हुई कीमत का पैसा कहां गया?

एक माननीय सदस्य : व्यापारियों की जेब में।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : व्यापारियों की जेब में।

यह कीमत जो बढ़ाई थी, वह इसलिए नहीं बढ़ाई थी कि कीमत व्यापारियों की जेब में जाय। कीमत बढ़ाई, जब बजट पेश किया गया था। हिन्दुस्तान के वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की थी.....

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनट माननीय सदस्य, आपको पहले का इतिहास बता दूं यह हवाई डिबेट हो रही है।

(व्यवधान)

अगर विपक्ष के नेता चाहें तो मैं बोलूंगा नहीं तो नहीं बोलूंगा। एक दफा पहले भी ऐसा ही हुआ था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, सन् 73 के साल में ऐसा हुआ था।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सरकार ने रोक लगाई थी, व्यापारी जाकर कचहरी से स्टे ले आये। अन्ततोगत्वा हाई कोर्ट ने व्यापारियों के पक्ष में इस बात का फैसला दिया था, मैं यह याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष के नेता महोदय को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बड़ी खुशी है कि व्यापारियों के प्रतिनिधि यहां बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो बनिये का बेटा हूं, वह तो मैं रहूंगा ही। मैंने तो यह याद दिलाया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो ठाकुर हो नहीं सकते। सिंह इनके भी लगा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, जो व्यापारी वर्ग से आते हैं, के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार ने जो कीमत बढ़ाई वह सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी वह व्यापारियों की जेब में चली गई। किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिला। वह दोनों तो लाभ से वंचित हो गये। लाभ मिल गया व्यापारियों को। आपकी यह योजना ठीक है तो आप बतायें तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह योजना नहीं है यह तो आपकी आदत है, किसी विषय को डाइवर्ट करके ट्विस्ट करके रखने की। आस पास में लोग भटकते रहें और आपको सुनाते रहें। मैंने तो जो कानूनी स्थिति थी, जो लीगल पोजीशन थी, हाई कोर्ट में सरकार मुंह की खा चुकी थी, वह बताई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस समय बजट आता है और बजट में नये टैक्स का अनाउन्समेण्ट होता है, उन प्रोडक्ट्स की अगर कीमत सरकार बढ़ाती है तो बिलकुल वही पद्धति इस पर लागू होती है। जिस समय बजट बढ़ेगा। सेल्स टैक्स और टैक्स बढ़ने वाले होते हैं तो उस दिन की स्टाक पोजीशन देखिये। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने पैट्रोलियम प्रोडक्ट और फर्टीलाइजर बैग्स चैक किये। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर उन्होंने कमा लिया, फर्टीलाइजर बैग्स पर उन्होंने कमा लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं जिनके पास बैग्स पड़े थे उन्होंने उनको बैक डेट में बेच दिया। किसानों को बढ़ी हुई कीमत में बेचे। थोड़ा बहुत रिलेक्सेशन किया। अब सभापति महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि पहाड़िया जी खड़े होकर यह कह दें कि हमने कीमत व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिये बढ़ाई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सदस्यों की भी जिस प्रकार की भावना है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जान बूझकर व्यापारियों के खजाने को भरने के लिए और किसानों के खजाने को लूटने के लिए सारी व्यवस्था की थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज राजस्थान और हिन्दुस्तान के कोने-कोने में व्यापारी बैठा हुआ है। सरकार एक दफा मुंह की खा चुकी है। हाई कोर्ट ने व्यापारियों के पक्ष में फैसला किया था। यही मुझे निवेदन करना है कि जो सबसे बड़े व्यापारियों के हित साधक हैं, जिनके ऊपर यह आरोप हैं, जिसको अगर मना भी करें तो कोई मानने को तैयार नहीं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हैं, जो व्यापारियों के पोषक हैं, आज वे ही आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं।

श्री सम्पतराम : मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया है, आप संविधान को बदल सकते हैं, आप कानून को बदल सकते हैं, सारी शक्ति आपके हाथ में है, हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ था गवर्नमेन्ट के इण्ट्रेस्ट के तो क्या कानून नहीं बदला जा सकता था ? सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह सम्भव नहीं था कि आदेश की पुनरावृत्ति न करें किसान पिटते रहें और व्यापारियों की जेब में पैसा जाय, तो यह कोलेबोरेशन कैसे हुआ ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, कोलेबोरेशन की तारीफ में इसको नहीं ले सकते।

श्री सम्पतराम : जब संविधान को बदला जा सकता है तो कानून को क्यों नहीं बदला जा सकता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोलेबोरेशन का जो आरोप लगाया है, यह कोई व्यापारियों से से सांठ-गांठ नहीं थी।

श्री सम्पतराम : हिन्दुस्तान की जनत और गरीब किसान यह समझते हैं। There is collaboration betwe.n the Government and the merchants.

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : चांदी की कीमतों के बारे में क्या हुआ उसका मालूम है ? उस झगड़े में पड़ना चाहते हैं ? आपकी पुरानी सरकार ने, जार्ज फर्नान्डिस ने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रश्न के कारण व्यापारी वर्ग सारा उछलकर सामने आया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप कहीं यह भाषण माणक चौक चौपड़ पर मत दे देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे मुझे तो लाभ नहीं होगा लेकिन पहाड़ियाजी को लाभ होगा। गरीबों का शोषण करके व्यापारियों को लाभ दिया, क्यों हुआ, कैसे दिया जा सकता है, इसका पता चल गया। मैं यह चाहूंगा कि इस सारे मसले की जांच करायें। जिन जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास खाद के कट्टे 1 तारीख से 6 तारीख तक थे, कितनी बिक्री हुई, पहले कितनी बिक्री हुई, जिस समय कीमतें बढ़ीं उस समय कितनी थी। दो तीन दिनों में सारी सेल दिखा कर वही कट्टे अपने पास रख लिये और फिर उनको बढ़ी हुई कीमतों में बेच दिया। दूसरी बात, मैं यह समझता हूं कि इन व्यापारियों से किस प्रकार से पैसा वसूल किया जावे, इसकी चिन्ता नहीं है प्रद्युम्नसिंहजी को और श्री रामजी को।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बीजू पटनायक के पास किसकी जेब में गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत बीजू पटनायक को और बंसीलाल को क्यों याद कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : 12 आदमियों को देश का सारा सोना दे दिया। माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, इस प्रकार से बात को आप ट्विस्ट कर रहे हैं पुराने तरीकों से, इससे लाभ नहीं हो सकता आपको...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप खुद समाप्त हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रद्युम्नसिंहजी गये, मैं उनको यह कहना चाहता था कि बीजू पटनायक को याद करने की आवश्यकता नहीं, चौधरी बंसीलाल को याद करने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव कमीशन को भी याद करने की आवश्यकता नहीं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये कमीशन तो आपने ही बिठाये, उनका क्या हश्र हुआ यह भी आपको मालूम है...

(व्यवधान)

आपको जनता ने क्या दिया है, कमीशन के नतीजों के अन्दर, 110 सीटों की बात करते थे, हिन्दुस्तान में भी 110 सीटें नहीं मिलीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य जब यहां बैठते हैं तो...

(व्यवधान)

प्रद्युम्नसिंहजी...

(व्यवधान)

कर रहे हैं तो क्या उत्तर देंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं एक मसला और है, मन्त्री महोदय को बोध नहीं देता, शराबबन्दी की बड़ी चर्चा चलती है, मुझे लगता है कि राजस्थान में प्रोहिबिशन को सरकार स्क्रेप करने वाली है और एक तारीख से पहले करने वाली है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी इच्छा पूरी कर देंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी इच्छा तो नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप आप ही ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में कहने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। मोरारजी भाई और मास्टर आदित्येन्द्र के दबाव में आकर आपने यह किया, पूरा का पूरा मन्त्रिमण्डल एक तरफ था कि इसको नहीं किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय शराबबन्दी के हालात क्या थे और आज कौन से हैं ? मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं शराबबन्दी के प्रश्न को भैरोंसिंह ने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, यह डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है। महात्मा गांधी ने इसको विशेष महत्व दिया, पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इसको विशेष महत्व दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार प्रोहिबिशन को स्क्रेप करना चाहती है तो मैं यह मानकर चलूंगा कि महात्मा गांधी को स्क्रेप करना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहती है। यदि प्राहिबिशन को,·····

श्री श्रीराम गोटेवाला : आजकल गांधी जी के नाम पर आर. एस. एस. के लोग तालियां बजा रहे हैं, बड़ा परिवर्तन आया है, व्यापारियों के सिवाय जिन्होंने गांधी जी को याद नहीं किया कभी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहाड़िया जी ने कहा मैंने 353 करोड़ की योजना का आकार बनाया और सदन में तालियां बजवा दीं। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं, सभापति महोदय,···

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया, विरोधी दल के माननीय नेता बाहर कुछ और कहते हैं और यहां कुछ दूसरी बात कहते हैं। बाहर कहते हैं, शराबबन्दी नहीं होनी चाहिये यहां आकर गांधीजी की दुहाई देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सभापति महोदया, इधर बैठने वाले पहाड़िया जी के लिये बाहर कुछ कहते हैं और अन्दर तालियां बजाते हैं लेकिन याद रखिये आपका नम्बर नहीं आने वाला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खेतसिंहजी ने जो आरोप लगाया उसको स्वीकार कर रहे हैं, आचरण वही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहाड़िया जी सब जानते हैं, उसको बार-बार क्या कहना गोटेवालाजी के साथी कहते हैं, शपथ लेते हैं, कि पहाड़िया जी के मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं होंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद भैरोंसिंह जी का नम्बर आने वाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इनसे पूछ लीजिये कि शपथ खाई है या नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: सभापति महोदया, मैंने तो एक ही शपथ खाई है कि सदन के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादार रहूंगा। उसके अलावा दूसरी कोई शपथ नहीं खाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, अभी तक मुख्य मंत्री जी इस धोखे में थे। मैं कह रहा था कि योजना बनाने का प्रस्ताव आया राजस्थान में। मुझे यह कहना होगा कि यहां बजट में काफी पहले 253 करोड़ रुपये की योजना थी और वह 360 करोड़ रुपये की हो गयी। जब तक उसके लिये साधन नहीं होंगे तब तक वह नहीं होगा। इन सबके लिए मेरी जानकारी है। मुख्य मंत्री जी वायदा करके आये हैं कि वह शराब बन्दी राजस्थान में समाप्त कर देंगे। मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करें यदि वायदा करके आये हैं तो सदन के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। सदन की मीटिंग 25 तारीख तक हो रही है। मुख्यमंत्री 25 तारीख के पहले खास तौर से जब एप्रोप्रियेशन का बिल सदन में प्रस्तुत किया जाय, उस समय इस बात को घोषणा करेंगे। यदि आज घोषणा नहीं करते हैं तो मोरेलिटी के नाते आपको अधिकार है कि 30 मार्च, 1981 तक करें। आप सदन को विश्वास में लेकर चलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदया, एक तरफ शराब बन्दी, एक तरफ परमिट देने की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू हुई है। उसका उदाहरण अन्य राज्यों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
में नहीं है । मैं एक्साइज डिपार्टमेंट का एक ग्रार्डर यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक्साइज डिपार्टमेन्ट ने कोशिश की कि जहां-जहां परमिट धारी हैं, जिला स्तर पर, उप-खण्ड स्तर पर, बड़े शहरों के स्तर पर दुकाने खुलें । मैं समझता हूं इन दुकानों के ग्रन्दर लिमिटेड नम्बर जो परमिट होल्डर के हैं उनको शराब बेचने का काम है। राजस्थान में गंगानगर शुगर मिल इस प्रकार की दुकानें चला सकती है । लेकिन गंगानगर शुगर मिल को दुकानें न देकर के प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को दी । प्राइवेट कान्ट्रक्टर को कैसे दे दी गई ? यह सरकार का ग्रादेश है जिस ग्रादश में इस बात का उल्लेख है कि यदि प्राइवेट कांट्रेक्टर को दिया जायेगा जो लास्ट ईयर, जिस समय शराब बन्दी हुई थी, उस समय जो कान्ट्रेक्टर था, उस कान्ट्रेक्टर को लाइसेन्स दिया जायगा यदि वह कान्ट्रक्टर नहीं मिलता ......

श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह ठीक कह रहे हैं । लेकिन प्राइवेट कान्ट्रेक्टर को ग्रापके वक्त में दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरे वक्त में नहीं दिया है । ग्राप क्यों नाराज हो रहे हैं ।

श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़ : ग्राप हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। ग्राप ही करते थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, फर्टीलाइजर के प्रश्न पर व्यापारी कूद कर ग्रा गये । शराबबन्दी के प्रश्न पर ठेकेदार कूदने लगे । मेरी समझ में नहीं ग्राता कि स्थिति क्या है । मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि उसमें लिखा कि गंगानगर शुगर मिल को पूछे वह नहीं है तो दूसरे को दें । और किन को दिया जाय ? उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की कि जिस समय कान्ट्रेक्ट समाप्त हुग्रा या शराबबन्दी हुई, उस समय जो कान्ट्रेक्टर था उसको दिया जाय ।

सभापति महोदया, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति चिरंजी लाल है उसने सारे राजस्थान में ग्रपने भाई-भतीजों के नाम से ऐसा मेनुपुलेशन किया कि जो लास्ट कान्ट्रेक्टर था उसको नहीं मिला। लेकिन उसने सारे राजस्थान में कान्ट्रेक्ट लेने की व्यवस्था की । मुख्य मंत्री जी, मैं ग्राप पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं, प्रभाकरजी पर भी चार्ज नहीं लगाता हूं लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिन व्यक्तियों ने ठेका दिया है उन्होंने पैसा लिया है । ग्राप ग्रब चाहें तो ग्रापको कोई रोक नहीं सकता । जिन लोगों ने ज्ञापन दिया है वह मैं देने को तैयार हूं। ग्राज ग्राप जांच कराइये कि ग्रजमेर के ग्रन्दर जो कान्ट्रेक्ट ले सकता है, उसकी रात को शादी थी। दूसरे दिन एप्लीकेशन देनी थी । रात को शादी में से उठ कर ग्रजमेर पहुंचा । नरपत सिंह उसका नाम था । उस व्यक्ति को कान्ट्रेक्ट नहीं दिया गया, दूसरे व्यक्ति को दिया गया । ग्राप चाहें ग्राबू में चले जायें, सिरोही में चले जायें, जहां जहां भी दुकानें खुली हैं वहां एक ग्रादमी के मैनुपुलेशन से खुली हैं । मैं उन लोगों की एप्लीकेशन्स, जो एप्लीकेशन मेरे पास ग्राई हैं, देने को तैयार हूं लेकिन मिसालें छोटी नहीं हैं । ग्रापको जांच करानी चाहिए।

सभापति महोदया, ग्रब तीसरी किस्म के लो बोल रहे हैं । व्यापारी बोल गये । ठेकेदार बोल गये । अब मैं राज्य सरकार के सामने दूसरा प्रश्न रखना चाहता हूं

(128)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर आपकी किस्म कौनसी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही है हमारी और आपकी ।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : मैं आपकी हर बात का जवाब दे सकता हूं . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : आपके पीछे तो कुछ हैं मेरे पीछे 135 हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आपके पीछे 135 होते तो पहाड़िया जी नहीं आते ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था मैंने जो प्रश्न अभी रखे हैं उन प्रश्नों के ऊपर तो मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर परसों परले दिन हमारे सहकारिता मंत्री जी ने बड़े जोर से भाषण दिया। अखबारों में भी छपा कि इस बार किसानों को 92 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना है। यह घोषणा मुख्य मंत्री जी ने भी की थी। उस समय मैंने मुख्य मंत्री जी को पूछा था कि फर्टीलाइजर सीड या उपकरणों के अतिरिक्त आप लोगों को नकद देंगे या नहीं ? मुख्य मंत्री जी उस समय मौन रहे प्रभाकर जी भी मौन रह गये । मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने अपनी सरकार के माध्यम से असेसमेंट दिया है उन किसानों को जिनको को-आपरेटिव सोसायटीज से को-आपरेटिव बैंक्स से लोन नहीं मिल सकता । आज सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पूरे राजस्थान के किसान को-आपरेटिव लाइजशन में शामिल हो गये हैं। ऐसी बात नहीं है कई गरीब किसान ऐसे हैं जो को-आपरेटिव सोसायटीज के मेम्बर नहीं हैं । को-आपरेटिव बैंक्स से कर्जा मिलता है तो वह कर्जा उन किसानों को नहीं मिलता जो को-आपरेटिव सोसायटीज के सदस्य नहीं हैं उनके लिये हर वर्ष कर्जे की व्यवस्था की जाती । इस बार भी 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी उन गरीबों को कर्जा देने की । आवश्यकता इसलिये थी कि गये वर्ष भयंकर अकाल था। जो चीज सीमित थी, उसको बेचकर खा गये । उस समय लोगों की आवश्यकता थी कि नकद में कर्जा दिया जाये । 24-7-80 को केबिनेट की मीटिंग में इसको कैंसिल कर दिया गया । उसके बाद किसी किसान को कर्जा नहीं मिला । भारत सरकार से कह रहे हैं कि भारत सरकार हमको कर्जा देने की व्यवस्था करे। मैं समझता हूं पहाड़िया जी आपने गरीब किसानों के साथ अन्याय किया । आप उनको कर्जा देते, अकाल पीड़ित लोगों को समय पर कर्जा मिलता तो बहुत अच्छा होता । उसकी वजह से खेत नहीं बो सके, वह बोते ।

एक तरफ तो किसान का सवाल है और दूसरी तरफ मैंने प्रश्न खड़ा किया था कि 60 करोड़ रुपये की पूंजी केवल जयपुर उद्योग में है, इसको राजस्थान सरकार अपने कब्जे में लें । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है उससे कोई सरकार का गुप्त समझौता है जयपुर उद्योग को नहीं लिया । जयपुर उद्योग को नहीं लिया जाय, यह इससे भी पता लगता है कि जयपुर उद्योग ने अपने सारे फंड जो पब्लिक फंड थे, जिसमें 76 लाख रुपये के अपने राजस्थान के शेयर हैं जिनके ऊपर माइन्स डिपार्टमेंट की रायल्टी भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के चार्ज हैं, सैल्स टैक्स की बकाया हैं, और ड्यूटी करोड़ों रुपये की बकाया है, अब उसको लेने में इनिशियेटिव लेते। मेरा विश्वास है कि पत्राचार पाठ्यक्रम जो चल रहा है, रोज चिट्ठी लिखते हैं भारत सरकार को बाद में चिट्ठी लिखते हैं कि जयपुर उद्योग राजस्थान को दिया जाये, लेकिन आपकी चिट्ठी अखबारों में पहले छपती है लेकिन जयपुर उद्योग के बारे में नहीं। जयपुर उद्योग की सिस्टर कन्सर्न है भारतीय ओवरसीज प्राईवेट लि., इस भारतीय ओवरसीज प्राईवट लि. ने जितना भी स्टाक वहां दिया जितना भी सीमेंट बनता था, वह सीमेंट आपने ट्रांसफर कराया। सीमेंट की कीमत बी. ओ. पी. एल. को मिलती थी। बी. ओ. पी. एल. का जयपुर उद्योग के सीमेंट का पैसा जमा नहीं हुआ जयपुर उद्योग उससे तबाह हो गया। जयपुर उद्योग का पैसा बी. ओ. पी. एल. की संस्था खा गई। टोटल अमाउण्ट जो जयपुर उद्योग का बी. ओ. पी. एल. के खाते में जमा है वह 4 करोड़ 72 लाख रुपये। 4 करोड़ 72 लाख रुपये संस्था खा गई।

जनता पार्टी ने उस संस्था और संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ 7 केसेज क्रिमिनल रजिस्टर्ड कराये। हमने उनके कागजात जब्त करने की कोशिश की। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि अब कह दिया गया है कि उन केसेज में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उधर जो बैंक वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अनअथोराइज वे में जयपुर उद्योग को कर्जा दिया है। बैंक मिल गया। जयपुर उद्योग मिल गया, बी. ओ. पी. एल. मिल गया और जनता के सारे पैसे को हड़पने का षड्यन्त्र करते हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला: सभापति महोदया, एक सैकिंड, जयपुर उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इस जयपुर उद्योग में जोइंट मैनेजमेंट बैंक बोर्ड का है, कांग्रेस सरकार के जमाने का है, विरोधी दल के नेता महोदय को 28 महीने का समय मिला। उन्होंने इसके अन्दर क्या कार्यवाही की? आज भारत ओवरसीज के बारे में आप बता रहे हैं 28 महीने में आप डाइरेक्टर्स को नहीं पकड़वा सके, आप क्या कार्यवाही करवा रहे थे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सभापति महोदया, एक बात....

श्री खेतसिंह राठौड़: आपने कहा जो 7 केसेज हमने रजिस्टर करवाए हैं, हमने उनके खिलाफ कार्यवाही की। और मुझे शक है कि अब उसमें गड़बड़ी हो रही है, उस में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, ख्वाहमख्वाह आप हवा बना रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: आपने कार्यवाही करके कोई दूसरा मैन्युपुलेशन किया होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: 7 केसेज चोरी के बनें या डाके के?

श्री खेतसिंह राठौड़: केसेज रजिस्टर हमने करवाए थे, हमने मालूम कर लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: पूछ लो।

श्री खेत सिंह राठौड़: आप पूछ आओ। आप तो पैदा भी नहीं हुए, उस वक्त हम जवाब देते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि व्यापारी बोल चुका, कान्ट्रेक्टर बोल चुका, अब उद्योगपतियों के लोग बोलेंगे।

(130)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि वे बार-बार इस बात को कहते हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको चुना है। जनता के हितों का जहां तक सवाल है हम बातें करते हैं। विरोधी दल के नेता महोदय, निश्चित रूप से किसी ग्रुप को रिप्रेजेन्ट करते हैं, मैं उस बारे में बात नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार की भाषा वह काम में लेते हैं कि व्यापारियों के प्रतिनिधि बोल चुके, अब उद्योगपतियों के प्रतिनिधि बोलेंगे, अब शराब ठेकेदारों के प्रतिनिधि बोलेंगे, इस प्रकार की भाषा का वह प्रयोग न करें, वह संजीदा आदमी हैं उनके जिम्मे . . . .

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेहरबानी करके उनको आदेश दें कि यहां पर जो सदस्य आए हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, एक विशेष वर्ग के नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम नहीं बोलेंगे, जादू वह जो सर पर चढ़कर बोले, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री श्री राम गोटेवाला : × × × नई बीमारी और चालू है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने पूछा कि जयपुर उद्योग के संबंध में हमने क्या किया। आपको मालूम है जिस समय कांग्रेस पार्टी ने शासन छोड़ा उस समय आलोक जैन, जयपुर उद्योग के चेयरमैन थे और जब जनता पार्टी का शासन आया तो आलोक जैन उसके चेयरमैन नहीं रहे, और फरवरी. . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ और आप विश्राम करें।

(6.02 सांय)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति पदासीन)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप गलत बात कहने से उनको रोकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, मैं समझता हूं जिस समय हमारे हाथ में सत्ता आई उस समय आलोक जैन, जयपुर उद्योग के चेयरमैन थे और फरवरी, 1978 में जहां तक मुझे स्मरण है, उन्होंने त्याग-पत्र दिया और उसका सारा संचालन राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। आप जानते हैं, आपकी ही जाति के हैं, बराया साहब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं. . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी जाति के तो सभी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि वह बड़े आनेस्ट अधिकारी हैं, यह भी जानते हैं कि हमने उस आदमी को वहां लगाया। अब कोई गड़बड़ हुई है, जैसे आप कहते हैं बहुत गड़बड़ हो गई तो हमने नहीं की होगी बराया साहब ने की होगी। आप उनसे पूछ लेना, आपके पास में मकान उनका है, रोज मिलते-जुलते भी रहते हैं, कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है।

मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सात मुकदमों में यदि आपने सख्ती से काम करना शुरू कर दिया तो जयपुर उद्योग को पैसा मिलेगा, जो लोग पब्लिक

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के नाम पर नियुक्त किए गये जिनसे पैसा ले लिया उनको पैसा मिलेगा और सारी व्यवस्था में अपने आप परिवर्तन आएगा जिस परिवर्तन को लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब इस सारे मामले में जो मैंने सारा एप्रोप्रिएशन बिल देखा, और सब कुछ देखा माननीय राज बहादुर जी भाषण देकर चले गए, महंगाई का प्रश्न उन्होंने खड़ा किया । मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्य महंगाई से चिंतित हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के । महंगाई जिस गति से बढ़ रही है, मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था है ? आप व्यवस्था के लिए केवल एक बात कहेंगे, हम उनको मिनी मीसा में गिरफ्तार करेंगे लेकिन आपका ही एक भाषण है जिसमें आपने कहा है, आपकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन कम हुआ है । इसलिए महंगाई बढ़ी है । अब मैं एक बात कहना चाहता हूं एक तरफ दलील देते हैं जनता पार्टी को दोषी ठहराने के लिए कहते हैं प्रोडक्शन कम हुआ इसलिए महंगाई बढ़ी । दूसरी तरफ आप दोष देते हैं कि व्यापारी होर्डिंग और प्राफिटियरिंग कर रहे हैं इसलिए महंगाई बढ़ी है । मैं तो आपसे कारण पूछना चाहता हूं कि महंगाई क्यों है ? यह तो छोड़ो, इस महंगाई की रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था है ? लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध हों इस सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? इस संबंध में आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि महंगाई का भूत जिस तरह से बढ़ रहा है, और बढ़ता गया तो आप यह न कहें कि मैं कोई धमकी दे रहा हूं, आप यह सोचें कि मैं उस प्रकार का काम करने वाला हूं, जनता अपने आप उभरेगी, जनता में अपने आप बगावत होगी । गुजरात में कोई जनता पार्टी ने नहीं किया और एक बार आंदोलन किया, सभा की और सभा का रेस्पान्स मिला, सारे गुजरात में महंगाई के विरूद्ध आंदोलन खड़ा हुआ । आज अनेक राज्यों में इस प्रकार की स्थिति चल रही है । मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस महंगाई की रोकथाम के लिए यदि कोई कोशिश नहीं की तो देश की शांति व व्यवस्था की हालत जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं आसानी से सुधार नहीं आएगा, इस पर आपको चिन्तन करना पड़ेगा ।

अभी प्रभाकर जी जिस समय ट्रान्सफर्स के मामले में बोल रहे थे, बड़े जोश से बोल रहे थे, धन्यवाद है उस जोश के लिए तो । घोषणा कर गए कि मैं आर.एस.एस. को समाप्त करके रहूंगा । मैं तो केवल उन से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री रहा, और विधान सभा का 20 वर्ष तक सदस्य रहा, मुझे आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि अध्यापकों में 20,000 टीचर्स आर. एस. एस. के हैं। आपको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 20–25 हजार स्थानान्तरण आपने किए, उनके आपने आर. एस.एस.का ठप्पा लगा दिया । प्रचार मैं नहीं करना चाहता, प्रचार आप कर रहे हैं, प्रचार मैं नहीं करना चाहता कि आर. एस. एस. के आदमी बढ़े प्रभाकरजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि 20 हजार पर आज आपने आर. एस. एस. की छाप लगाकर उनको बढ़ा दिया । उदयपुर में जब आप गए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
तो मास्टर्स आपके पास आए जिनके सामने आपने माफी मांगी, वे कोई लंबे-चौड़े आदमी नहीं थे......

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) : मैं चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आप सिद्ध कर दें, मैंने माफी मांगी तो जो सदन कहे वह मैं करने को तैयार हूं, इस तरह का आरोप विपक्ष के नेता को नहीं लगाना चाहिए.......

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आरोप नहीं है ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस तरह के गलत आरोप लगाने की आपको आदत है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ××× हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आॅर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें । विपक्ष के नेता ने एक बात कही, और माननीय शिक्षा मंत्री ने उसका प्रतिवाद कर दिया, बात यहीं समाप्त हुई । उन्होंने कहा मैंने कोई माफी नहीं मांगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आज तीन दिन पहले मुख्य मंत्री ने भाषण दिया, मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मुख्य मंत्री ने इसी सदन में इस बात की घोषणा की कि मैं स्थानान्तरण के मामले में राजनीति का प्रवेश नहीं होने दूंगा हालांकि सभापति महोदय, समाचार पत्रों में यह आया है कि स्थानान्तरण होंगे तभी तो पता लगेगा कि सरकार चल रही है । तो, सभापति महोदय, मुझे दो फार्मूले समझ में नहीं आये । मैं तो जो हाउस में मुख्य मन्त्री जी ने कहा है उसको ज्यादा महत्व देता हूं । उन्होंने कहा कि स्थानान्तरण के मामलों में राजनीति का प्रवेश नहीं होने दिया जायगा । यह बात, सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी के विवेक पर छोड़ता हूं । सभापति महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री के यहां से दस हजार टीचर्स के ट्रान्सफर्स की डिजायर डाइरेक्टोरेट में पहुंची है । पंचायत समितियों में नहीं कह सकता हूं । दस हजार टीचर्स की डिजायर पहुंच गयी, तब आप मानकर चलें कि एक ट्रान्सफर अगर टीचर का होता है, मतलब दस हजार का ट्रान्सफर अगर वह करना चाहते हैं तो आपने 25 हजार टीचर्स के ट्रान्सफर कर दिये । आज माननीय सदस्य चाहे इस बात को स्वीकार करें या नहीं करें पर आज सभी माननीय सदस्यों के घर पर बिना चाहे टीचर्स की भीड़ चक्कर काट रही है । आप, मुख्य मन्त्री जी, अगर मेरी चुनौती स्वीकार करें तो आप भेज दें पुलिस डिपार्टमेन्ट को और कलेक्टर को इस बात का पता लगाने कि आज जयपुर शहर में अधिक से अधिक टीचर्स और उनके साथी चक्कर काट रहे हैं । करीब पांच हजार टीचर्स जगह-जगह घूम रहे हैं, जगह-जगह कैम्प लगा रखे हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि····

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री सभापति : ××× शब्द को एक्सपन्ज किया जाय। माननीय सदस्य जोशी जी, आप इस प्रकार के शब्द का प्रयोग न करें This should be expunged.

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

मैंने उस शब्द को सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दिया है। माननीय जोशी, मैं आपको बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार के शब्द सदन में काम में नहीं लावें। इन्होंने जो शब्द कहे हैं वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन कर रहा था.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आॅर्डर, आॅर्डर।

एक माननीय सदस्य : इसका फैसला होना चाहिये।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : सभापति महोदय, इनको इसके लिये सदन के सामने माफी मांगनी चाहिये।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरूंसिह शेखावत : तो, सभापति महोदय, जो लोग स्थानान्तरण कराना चाहें वह चाहे विधायकों के यहां या मन्त्री महोदय के पास पहुंचते हैं और कई दुःखी लोग हमारे पास आते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक सदस्य ने कहा कि ×××।

श्री सभापति : मैंने उसको एक्सपन्ज कर दिया है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। ऑर्ड

श्री भैरोंसिह गुर्जर : सभापति महोदय, इन्हें माफी मांगनी चाहिये। माननीय सदस्य पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं आपको हाथ जोड़ कर, सभापति महोदय, प्रार्थना करना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने इस प्रकार के शब्द माननीय सदस्यों के लिये काम में लिये, उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये कि × × × आप इन्हें कहें कि वह हाउस में सभी सदस्यों से माफी मांगे। यहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। उन्होंने ऐसी गलत बात कही है इनको. सदन के माननीय सदस्यों से माफी मांगनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण करें।

(134)

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : इनको माफी मांगनी चाहिये ।

श्री **सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : सभापति महोदय, जब आज सुबह देसूरी से आने वाले माननीय ने कुछ शब्द हाउस में बोले तो आपने उनको एक्सपन्ज कर दिया। उस समय विरोधी दल के नेता महोदय ने यह कहा था कि इनको सस्पेन्ड किया जाना चाहिये हाउस से और इनको हाउस से निकालना चाहिये । यहां पर रूल बता रहे थे । अभी जब दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि ×××

(व्यवधान)

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : इनको माफी मांगनी पड़ेगी। हम इनको दबेलवार नहीं हैं। हम इनका दिया हुआ नहीं खाते हैं।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर, आर्डर आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री **खेतसिंह राठौड़**: सभापति महोदय, विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि वह दुखी हैं तो दुखी तो अब उन्हें पांच साल तक रहना पड़ेगा क्योंकि जनता ने हमको पांच साल के लिये चुन कर भेज दिया। विरोधी दल के नेता महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि वह हमें यहां पर हाउस में रूल्स की शिक्षा देते हैं वह अपने पार्टी के सदस्यों को दें।

(व्यवधान)

श्री **सूरजपाल सिंह** : सभापति महोदय, जब जनता पार्टी के राज में 17 हजार टीचर्स का ट्रान्सफर किया तब आपने नहीं कहा ।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर, आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदय, आपने शब्दों को एक्सपन्ज कर दिया । इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये, यह ठीक है । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ...

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो शब्द काम में लिये इससे हमारी भावना को ठेस पहुंची है। इसके लिये उनको माफी मांगनी चाहिये । आखिर इस प्रकार हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे । सदन के सभी माननीय सदस्यों के दिल को ठेस पहुंची है, उनकी भावना को ठेस पहुंची है, आप चाहें तो मुझे बाहर निकाल दें सदन से, पर उनको सदन में कहना चाहिये कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : आप चाहें तो मुझे सदन से बाहर निकाल दें, लेकिन हमारी भावना को ठेस पहुंची है । यह बहुत अन्याय होगा ।

(व्यवधान)

आप व्यवस्था दीजिये ।

श्री **सभापति** : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री **अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : सभापति महोदय, जब माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया है, उन्होंने यह शब्द बोले है तो इन्हें हाउस के माननीय सदस्यों से माफी मांगनी चाहिए ।

श्री **सभापति** : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा ही खेद का विषय है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हाउस में किया गया है यह बहुत ही खेदजनक है । विरोधी दल के नेता ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये । माननीय सदस्य जोशीजी, आपको.....

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : दिनेशराय डांगीजी ने सुबह माफी मांगी हो तो आप कहें तो माफी मांगने का......

श्री **सभापति** : मैं माफी मांगने को नहीं कहता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य के लिये आगाह करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि आप कृपया संयम बरतें । इस प्रकार के असंसदीय शब्द का प्रयोग न करें । इस प्रकार के डेलीबरेट रिमार्क नहीं देवें । यही मेरी व्यवस्था है ।

आगे की कार्यवाही शुरू की जाय ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदय, मैं अध्यापकों के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था..

(व्यवधान)

आप परेशान क्यों होते हैं ।

तो, सभापति महोदय, पहले तो अध्यापकों पर नजला उतरा, अब यह डाक्टरों पर नजला उतरेगा । आज मेडिकल डाइरेक्टोरेट से 456 डाक्टरों के स्थानान्तरण के तो आर्डर इश्यू हो गये है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा.......

श्री **हरिसिंह** : सभापति महोदय, जब जनता पार्टी की सरकार ने हजारों अध्यापकों के ट्रान्सफर किये थे आज जब कांग्रेस सरकार में ट्रान्सफर्स हो रहे हैं तब इनको जयपुर के अध्यापकों की बड़ी जानकारी है । सभापति महोदय, उस वक्त एक हिण्डौन के अध्यापक का इन्होंने ट्रान्सफर कर दिया था जिसका कि कैंसर का इलाज देहली में हो रहा था, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने उसका ट्रान्सफर फलासिया कर दिया था । आपने गंगापुर के सदस्य वैद के कहने से उसका ट्रान्सफर किया था, तब आपको यह ध्यान नहीं आया क्या ? वह बेचारा यहां आज जयपुर में भीख मांग रहा है ।

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य । कृपया शान्त रहें ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, टीचर्स से पीछा छूटा, तो अब डाक्टरों पर नजला उतरेगा । करीब 800 डाक्टरों के ट्रान्सफर होने के प्रपोजल्स हैं । उनमें से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
लगभग 456 डाक्टरों के तो डाइरेक्टोरेट से ग्रार्डर इश्यू हो गये हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्रापके पास नम्बर इतना कहां से ग्राया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास कहां से यह नम्बर ग्राया, यह ग्राप कौन हैं मुझे पूछने वाले ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर,ग्रार्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, ग्रकेले ग्रलवर जिले से 192 ट्रान्सफर्स हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रापस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेडिकल डिपार्टमेन्ट से ग्रलवर में टोटल 192 ट्रान्सफर्स हुए हैं जिनमें से 81 डाइरेक्टोरेट लेवल से हुए हैं ग्रौर 111 सी. एम. एण्ड एच. ग्रो. लेवल से हुए हैं । ग्रब ग्राप ग्रन्दाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के ट्रान्सफर्स हुए हैं । मैं ग्रापको एक उदाहरण पेश करता हूं कि एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट का जयपुर से सैक्रेटेरिएट से ग्रार्डर इश्यू हुग्रा है कि इसको इस तहसील से उस तहसील में लगा दिया जाय । ग्रब ग्राप देखें कि जिस व्यक्ति की 100–125 रुपये की तनख्वाह है उसका किसी से झगड़ा हो गया तो वह छोटा कर्मचारी किसी का क्या नुकसान कर सकेगा, पर उस गरीब की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

ग्रब जा नहीं सकते, लेकिन लोग परेशान होकर यहां ग्रा गये । मैं सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे कर्मचारियों को ही ग्राप विरोधी मत मानें । सारे कर्मचारियों को ग्राप इस प्रकार से देखें कि सब हमारे विरोधी हैं ग्रौर सब लोग ग्रार. एस. एस. के हैं ग्रौर इसलिए सब का स्थानान्तरण किया जाय इससे नुकसान राज्य को होगा । एक माननीय प्रभाकर जी ने सरपंचों के खिलाफ हथौड़ा चलाया उसका रिजल्ट ग्राज ग्रनुभव कर सकते हैं ग्रौर उनको स्थिति की जानकारी नहीं है कि जो तलवार चला रहे है उसका ग्रसर क्या होगा दस सरपंच हमारे पक्ष के निलम्बित हो जायेंगे, बीस सरपंच हट जायेंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन सरपंचों पर तलवार लटका देने का ग्रर्थ यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों के माध्यम से जो विकास हो रहा है उस विकास की एजेन्सी को समाप्त कर दिया जायगा...

श्री बनवारीलाल : विनाश हो रहा है ।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विनाश हो रहा है या विकास हो रहा है यह तो सभी जानते हैं. . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक निवेदन कर रहा हूं ग्रापसे. . . .

श्री सभापति : ग्रार्डर, आर्डर ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा निवेदन तो सुन लें. . . .

श्री सभापति : ग्राप भी मेरा निवेदन सुन लें कि सदन की कार्यवाई का समय 7 बजे

(श्री सभापति)

तक बढ़ाया है और मुख्य मंत्री जी का भी उत्तर होना है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष के नेता को अपनी बात समाप्त करने दीजिए ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है इसका तो इलाज कराओ ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात सुनें तो सही ।

श्री सभापति : किस नियम के तहत कह रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी श्री श्री राम जी गोटेवाला ने कहा कि सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है तो यह संसदीय शब्द हैं क्या ?

श्री सभापति : यह असंसदीय नहीं हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा: इस तरह के रिमार्क्स करना वाजिब है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह असंसदीय नहीं है और इसलिए नहीं है कि सौ सौ चूहे खाकर श्री श्रीराम जी हमेशा हज को गये हैं इसलिए असंसदीय नहीं है। आपने अच्छी व्यवस्था दे दी। हमें इसमें आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे स्थानान्तरण किये, यहं सरपंचों के निलम्बन की कार्यवाही चल रही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के आने वाले माननीय विधायकों से कहूंगा, बनवारीलाल जी से नहीं कहूंगा जो धौलपुर से आते हैं। वह धौलपुर का विकास कर रहे हैं। गांवों में जो विकास होता है वह सरपंचों की एजेन्सी के मार्फत होता है, और उनके खिलाफ सारी कार्यवाही चल रही है। कम्युनिटी डवलपमेन्ट में जब तक पब्लिक का इनवाल्वमेन्ट नहीं होगा, पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव्ज का इनवाल्वमेन्ट नहीं होगा उस समय तक जिस लार्ज स्केल का कम्युनिटी डवलपमेन्ट करना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। इसलिए मैं श्री प्रभाकर जी से निवेदन करूंगा कि राजनैतिक विद्वेष से सजा देते हैं तो सजा दे दो लेकिन सब के सर पर तलवार मत लटकाओ। जिसको सजा देनी हो दो, मुझे चिन्ता नहीं है लेकिन जो हवा हमने बनाई है उसको खतम करने की कोशिश मत कीजिए ।

सभापति महोदय, अंत में दो बातों का उत्तर देना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने उस रोज अपना उत्तर देते समय दो बातें कही हैं। एक तो यह कही थी कि मुख्य मंत्री जी आये नहीं उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब था। मैं समझता हूं कि यदि मुख्य सचेतक जी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो वह सदन में सूचना दे देते कि मुख्य मंत्री जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है और वह सदन में नहीं आ सकते. लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने सदन में यह सूचना दी कि मुख्य मंत्री जी अपने चेम्बर में बैठे बैठे सब बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने यह भी कहा था कि वह बीमार हैं लेकिन क्योंकि उनकी

(श्री, खेतसिंह राठौड़)
डिमाण्ड है इसलिए रिलाई वही देंगे। आप तो हर मामले को ट्विस्ट करते हैं।

एक माननीय सदस्य : ट्विस्ट करने की आदत पड़ गयी है।

श्री **राम रघुनाथ चौधरी** : ट्विस्ट का मजा ही और है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदय, मेरी एवसेन्स में उन्होंने दो बातें कहीं कि मुझे जुखाम था, और इस कारण से मैं इनफेक्शन फैलाना नहीं चाहता.....

श्री **खेतसिंह राठौड़** : यह कब कहा? किस ने कहा?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: जिस समय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे उस समय में आप ध्यान तो देते नहीं, शक्ल देखते रहते हैं।

एक बात यह कही कि मैं यहां कम्युनल इनफेक्शन फैला रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मुख्य मंत्री जी ने मेरी किस बात से धारणा बनाई कि मैं कम्युनल इनफेक्शन फैला रहा हूं। क्या मैंने मुरादाबाद का उल्लेख कर दिया, क्या मैंने इलाहाबाद का उल्लेख कर दिया, क्या मैंने दिल्ली का उल्लेख कर दिया। उस उल्लेख से आपकी कैसे धारणा बन गयी कि मैं साम्प्रदायिकता का जहर यहां फैला रहा हूं। आप पहाड़िया जी बात कह सकते हैं और मुझे शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी सदन में कहा कि ढाई वर्षों में जैसलमेर और बाड़मेर जिले के मुसलमानों को जितना आराम मिला है वह न सुखाड़िया जी के जमाने में मिला और न हरिदेव जी जोशी के जमाने में मिला और न बरकतुल्ला साहब के जमाने में मिला।

श्री **विष्णु प्रकाश भण्डारी**: वोट लेने थे।

श्री **खेतसिंह राठौड़**: फिर भी हार गये।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : खेतसिंह जी, आप भी हारे थे। आप तो बहुत अच्छा काम करते थे, क्यों हारे? कांग्रेस ने आपको दो बार टिकट नहीं दिया.....

श्री **खेतसिंह राठौड़**: दो बार कहां एक बार।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं....

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आप भी तो हारे हैं।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: हम हारे हैं, हम कब मना कर रहे हैं। आपके राम कशोर जी व्यास श्रीमती उजला अरोडा जी से हारे, और वह यहीं बैठी हैं। जरा सर तो ऊंचा करो......

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य नें बढ़ाई की, लेकिन आपने वह बात नहीं सुनी कि जनता सरकार ने एक आदेश निकाला था और उसमें यह कहा था कि जो भूमि का नियमन कर दिया गया है उसको रद्द करके नया आवंटन किया जाय तो आपने शरणार्थियों को तो जमीन आवंटित की, और जो भूमि हीन लोग थे जिनको भूमि मिली थी उनके खिलाफ बेदखल की कार्यवाही कर दी।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय सभापति महोदय, अच्छा हुआ माननीय सदस्य ने याद दिला दी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 57 हजार शरणार्थी पाकिस्तान से आये थे। उन 57 हजार शरणार्थियों के अन्दर ऐसे शरणार्थी भी थे कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिन्होंने हमारी फौज के साथ खड़े होकर दुश्मन से मुकाबला किया था। उनमें 31 आदमी ऐसे हैं, सभापति महोदय, कि जिनको हिन्दुस्तान की फौज ने इस बात का सर्टिफिकेट दिया, प्रमाण पत्र दिया था कि यह अपनी जान जोखम में डालकर राष्ट्र के साथ खड़े हुए, उन लोगों ने हमारी फौज को रास्ता बताया, और ये सब कुछ हुआ। जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की सेना का साथ दिया, जो लोग हिन्दुस्तान में आये, उन शरणार्थियों को आज तक हम बसा नहीं पाये। मैं श्री रामरघुनाथ जी की स्थिति को जानता हूं। वह नहीं चाहते कि यह वहां पर बसे। जैसलमेर, बाड़मेर या शिव में वह लोग नहीं बसें, वह यह चाहते हैं। यह मैं मुख्य सचेतक महोदय को भी बताना चाहता हूं, कि आखिर उन लोगों को कहीं न कहीं आपको रिहेबिलेटड करना पड़ेगा, चाहे आप उनको राजस्थान कैनाल पर ले जाइये...

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा था कि, रामरघुनाथ जी यह नहीं चाहते। मैंने उस समय भी जब स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए निवेदन किया था कि, इन लोगों को आप कहीं बसाइये लेकिन जिन लोगों की भूमि का नियमन करके रोटी-रोजी दी है और छिपने के लिये स्थान दिया उसको मत छीनो। इनको बसाओ लेकिन जहां जमीन हो। मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी की रोजी-रोटी छीनकर उनको दे दी जाये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी बात स्पष्ट थी आप रिकार्ड में देख लें।

श्री **अमीन खां** : सभापति महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में 4500 भूमिहीन आदमी तहसील चौहटन और शिव के थे। उन आदमियों में 2001 आदमी अनुसूचित जाति और जन-जाति के हैं जो कि कदीम से हिन्दुस्तान के ही निवासी हैं। उनके पास एक भी इंच जमीन नहीं है। मेरे खुर्द के गांव में शरणार्थियों के 200 घर बसाये हैं और कोई झगड़ा नहीं है और सहानुभूति से रहते हैं। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के समय फौजी आफिसर की सहायता की है वह ठीक है लेकिन हम लोगों ने भी ऊंट दिये हैं फौजियों को मदद दी है। हमें बेदखल करना और उनको देना यही हमारी आवाज है और यही अन्याय है।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : शरणार्थियों का सारा श्रेय आप ले रहे हैं, ऐंज इफ, सब कुछ आपने ही किया है। यह कांग्रेस की सरकार थी जिस समय पाकिस्तान से झगड़ा हुआ और वह वहां से आये, और उनको हमने बसाया। उनके कैम्प्स खोले, उनको राशन दिया, उनकी हैल्थ बनाई, और उसके बाद में उनको बसाने का काम भी हमने किया और एक सिटिजनशिप का काम रह गया था वह आपने किया बाकी कुछ नहीं किया।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने सारा क्रेडिट ले लिया।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : सारा हमने नहीं लिया।

श्री **सभापति** : कुछ आपके लिये भी छोड़ा है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : और क्रेडिट लिलो, मेरा कहना, मुख्य मंत्री जी, केवल इतना ही है कि सारे वातावरण में भ्रम पैदा हो रहा है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिन शरणार्थियों को सिटीजनशिप के राइट्स मिल गये, जो गांव में रहने वाले हैं उनके बराबर के अधिकार हैं, वे अधिकार लोग उनको देना नहीं चाहते। गांव में जमीन का अलॉटमेंट होता है, लोगों का क्लेम यह है कि हम कदीमी हैं, यह शरणार्थी हैं। सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने यह जो कम्युनल इन्फेक्शन की बात पैदा की है मेरा निवेदन है मुख्य मन्त्री जी यदि जिम्मेदारी से बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। हमने पिछले 2½ सालों में जितने मुसलमानों को पेन्शन दिलाई है आपने 10 वर्ष क्या, 15 वर्ष क्या, 25 वर्ष में उतने मुसलमानों को पेन्शन नहीं दिलाई। हमने बैंकों से जितना कर्जा दिलाया, कांग्रेस के 30 साल के शासन में नहीं मिला। कांग्रेस शासन के अन्दर गरीब नवाज के नाम पर। अजमेर के ख्वाजा साहब, उनकी सीट के लिये दुनिया भर के मुसलमान नेताओं ने कहा, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, हमने सीट लगाई। टोंक के अन्दर सुनहरी कोठी, विदेशों से भी कोरस्पोन्डेन्स होती रही, कांग्रेस के राज में रिसर्च सेन्टर का काम नहीं हुआ, जो जनता पार्टी के शासन में काम हुआ।.........

श्री खेतसिंह राठोड़ : और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे साथ 7 बैठे हुए हैं और आपके साथ एक भी नहीं हैं.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इस आधार पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कम्युनल इनफेक्शन फैला है वह आदमी कह सकता है जो संकीर्ण दायरे में फंसा हुआ हो। इसलिये निवेदन इतना ही करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से, पहले गम्भीरता से विचार कर लिया करें, फिर बाद में इस प्रकार की बात करें। मुख्य मंत्री जी, जब से मुख्य मंत्री बने हैं, समाचार पत्रों को पहले तो बोल जाते हैं, जब छप जाता है तो नाराज होते हैं। एक समाचार-पत्र ने लिख दिया बलात्कार के लिये कोई एजेन्सी काम कर रही है, बड़ी शर्म आती है, मुख्य मंत्री जी के मुंह से यह बात निकले कि वह एजेन्सी हम हैं। मुख्य मंत्रीजी ने समझा क्या है। एक तरफ बलात्कार की घटनायें होती चली जायें, मुख्य मंत्रीजी घटनाओं को रोकने के लिये, मुल्जिमों को सजा दिलाने के लिये जितना चाहें हमारा सहयोग लें, हम आपके साथ खड़े होंगे, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय, हम आपके साथ हैं। मुझे दुख: इस बात का है कि मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार के हालात में इस प्रकार की बात कह कर टाल दें जिसका कोई आधार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप राजस्थान की विधान सभा में नये आये हैं, आपको अनुभव होगा लोकसभा का। साल में कोई पांच मिनट बोलने का काम पड़ता है। यहां तो आपको रोज बोलना पड़ेगा। बोलो तो गम्भीरता से बोलो हमने गलती की हो, हमको सजा दो, एक्सपोज करो। यदि आरोप-प्रत्यारोप की भावना से बोला गया, मैं समझता हूं कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है। लॉ एण्ड आर्डर की जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, आंकड़ों के आधार पर मत बोलिये जनता पार्टी के शासन में कितने रेप हुए आपके शासन में कितने रेप हुए, जनता पार्टी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के शासन में कितनी चोरियां हुई, आपके शासन में कितनी चोरियां हुई इन आंकड़ों में जाकर चोरियां नहीं रोकी जा सकतीं। आपको इस संबंध में सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। इधर महंगाई बढ़ रही है, लॉ एण्ड आर्डर की समस्या खड़ी हो रही है, सरकारी कर्मचारियों में ट्रांसफर्स और पॉलिटिक्स के कारण असंतोष बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है आपके सामने चुनौती है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं यह बड़े जोरों से फैला जा रहा है, किस प्रकार से हटाया जाय, आप बता दें।.......

(व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : जो चार्जेज भैरोंसिंह शेखावत के विरुद्ध लगाये हैं, मैंने लगाये हैं। दो आरोप मैंने लगाये हैं कार व बंगले खरीदने का, क्योंकि अभी अभी शेखावत जी ने कार व बंगला खरीदने के लिये आपने भाषण में इन्कार किया है और कहा है कि किसी सदस्य ने उनके लिये झूठा आरोप लगाया है किन्तु यह असत्य है मैं यह सिद्ध करूंगा कि उन्होंने कार व बंगला खरीदा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य......

श्री ईश्वर लाल सैनी : एक मिनिट के लिये मुझ बोलने का मौका दिया जावे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वर लाल सैनी : कार और बंगला खरीदने की बात मैंने कही है। श्री शेखावत ने अम्बेसडर कार व जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड में बंगला खरीदा है उसको मैं इसी सदन में सिद्ध करके रहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री ईश्वर लाल सैनी : जो आरोप लगाये हैं, मैंने लगाये हैं। स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि ये आरोप सही हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। आप नियमों को देखिये। आपने कोई आरोप लगाये, उनका उत्तर दे दिया। आप पर कोई आरोप लगाये तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं....

श्री ईश्वर लाल सैनी : श्री भैरोंसिंह शेखावत × × × बोल रहे हैं, और सदन को गुमराह किया है जैसा कि उनकी आदत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। नियमों का अध्ययन करिये। इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जिससे कोई माननीय सदस्य इस प्रकार से कह सके।

श्री ईश्वर लाल सैनी : उन्होंने श्री शेखावत ने साफ कहा है। माननीय सदस्य श्री शेखावत पर जो कार बंगले का आरोप लगाया है। वह आरोप मैंने लगाया है जो सही है, जांच करा सकते हैं। इन्होंने अम्बेसडर कार व बंगला निश्चित रूप से खरीदा है।

श्री सभापति : मैं अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(142)

(श्री सभापति)

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचित सदस्यों का नाम

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, राजकीय उपक्रम समिति के सभी निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:--

जन लेखा समिति

(1) श्री धारा राम
(2) श्री सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज
(3) श्री राम कुमार बैरवा
(4) श्री मोहन लाल मोदी
(5) श्री प्रद्युम्नसिंह
(6) श्री शोभाराम
(7) श्री बुलाकी दास कल्ला
(8) श्रीमती कमला भील
(9) श्री देवेन्द्र सिंह
(10) श्री हीरलाल देवपुरा
(11) श्री राम किशोर मीना
(12) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
(13) श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
(14) श्री सुरेन्द्र व्यास
(15) श्री जगतार सिंह

प्राक्कलन समिति

(1) श्री सूरजपाल सिंह
(2) श्री रामसिंह विश्नोई
(3) श्री हरेन्द्र मिर्धा
(4) श्री उम्मेदसिंह
(5) श्री गुलाबचन्द कटारिया
(6) श्री तेजपाल
(7) श्री रतनलाल ताम्बी
(8) श्री परसराम मोरदिया
(9) श्री अहमद बक्श सिंधी
(10) श्रीमती सूरज देवी
(11) श्री मोहनलाल शर्मा
(12) श्री सम्पतराम
(13) श्री भैरूलाल मीणा
(14) श्री नानूराम
(15) श्री बिहारीलाल
(16) श्री नानालाल
(17) श्री उदयराम
(18) श्री समर्थलाल
(19) श्री फतेह सिंह
(20) श्री श्रीराम गोटेवाला
(21) श्री सी. पी. जोशी

राजकीय उपक्रम समिति

(1) श्री शिवदान सिंह
(2) श्री विष्णु प्रकाश बजारी
(3) श्री रामरघुनाथ चौधरी
(4) श्री महाराम चौधरी
(5) श्री देवदत्त तिवाड़ी
(6) श्री दाऊ दयाल जोशी
(7) श्री शिवचरण माथुर
(8) श्री घासीराम
(9) श्री सी. एल. कंवरिया
(10) श्री देवी सहाय गोपालिया
(11) श्री भंवरलाल शर्मा
(12) श्री महादेव सिंह
(13) सुश्री पुष्पा जैन
(14) श्री नरपतराम बरवड़
(15) श्री माणकमल मेहता।

तीनों कमेटियां हो गईं।

विधेयक पर विचार

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब मुख्य मन्त्री जी रिप्लाई देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, हमारे दल को बिलकुल समय नहीं मिला। यह क्या अन्याय हो रहा है......

श्री सभापति : अब समय नहीं है, माननीय सदस्य......

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं सदन के नियमों का पालन करता हूं ..

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य . .

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बोलने के लिये कभी इधर से बलात्कार होता है तो कभी उधर से बलात्कार होता है। यह मेरी भावनाओं के साथ बलात्कार हो रहा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, हल्ला करने वालों को सदैव समय मिलता है, तो क्या हम भी उस प्रक्रिया को अपनायें ?

श्री सभापति : उस प्रक्रिया को नहीं अपनायें, आप बोल लीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, गत लोकसभा चुनावों में और विधान सभा चुनावों में इन्दिराजी की पार्टी ने दो बातों के आधार पर चुनाव लड़ा—एक तो महंगाई और दूसरी कानून व्यवस्था। इसी प्रक्रिया में राजस्थान में जगन्नाथजी पहाड़िया यहां के मुख्य मन्त्री बने, वे पूर्वी राजस्थान से पहले मुख्य मन्त्री हैं भरतपुर का मुख्य मन्त्री होने से हम लोगों को खुशी हुई और बहुत आशा लगी कि जो पूर्वी राजस्थान अब तक इग्नोर्ड है वे इस ओर ध्यान देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया हमारी भावनाओं पर पानी फिरता गया। उनसे जब मन्त्रिमण्डल के विस्तार के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि परफार्मेन्स देखता हूं और परफार्मेन्स देखकर ही मन्त्रिमण्डल का विस्तार करूंगा। बड़े खेद की बात है खुद पहाड़ियाजी अपनी परफार्मेन्स नहीं दिखा पाये, पता नहीं दूसरों की क्या देखेंगे ? कहां तक सत्यता है और कहां तक नहीं है यह तो पहाड़ियाजी जानें पर जो मन्त्रिमण्डल अब तक बनाया गया है उसमें यह आम चर्चा का विषय है कि कुछ मन्त्रिमण्डल के सदस्य ऐसे हैं जो मिडिल पास भी नहीं हैं, प्राइमरी भी नहीं हैं और तीन मन्त्री तो कक्षा 4th पास हैं। क्या पता कितनी सत्यता है इसमें। हम चाहते हैं पहाड़िया जी पांच साल चलें। अभी भैरोंसिहजी ने कहा था पहाड़ियाजी का चलना जनता पार्टी के लिये लाभदायक है लेकिन हम तो पहाड़ियाजी को इसलिये चलाना चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो पाये। हम भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इसलिये हम यह नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में भी अस्थिरता आये। लेकिन बहुत से कांग्रेसी माननीय सदस्यों से बात हुई और उनकी भावना से यह पता लगता है कि वे उनको टिकने नहीं देंगे। इसलिये मेरी आपसे सहानुभूति है। आपके साथ में मैं पूरा सहयोग देने को तैयार हूं अगर आपकी विकासोन्मुखी परफार्मेन्स हो। अब थोड़ी सी चर्चा . .

(व्यवधान)

144

(श्री यदुनाथ सिंह)

मैं निवेदन करूंगा जब आप सब बोलते हैं तो मैं कभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूं और मैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय को, और माननीय बी जे. पी. के सचेतक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जो आप हल्ला मचाने वालों की लिस्ट है, उसमें कमी करें। जब सदन में ही ला एण्ड आर्डर नहीं रख सकते हैं तो बाहर तो ला एण्ड आर्डर की स्थिति को आप कैसे कन्ट्रोल कर पायेंगे और पूरे राजस्थान में कैसे कर पायेंगे इसलिए मेरा निवेदन है जब आप बोलते हैं तो मैं कभी हल्ला नहीं करता हूं। सभापति महोदय, आप गवाह है, कभी आपने मुझे हल्ला करते देखा नहीं होगा, इसलिये मुझे डिस्टर्ब न करें।

जो आज देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब हो रही हैं उसमें गंभीरता से विचार करना है। जो बजट भाषण पहाड़िया जी ने दिया है उसमें कमी की पूर्ति करने के लिये सरकारी खर्चों को कम करने के लिये कहा गया था और यहां सदन में हल्ला मचा कर एक घंटा खराब करके 9 हजार रुपया बर्बाद कर देते हैं, जब स्वयं 9 हजार रुपया घंटा बरबाद करते हैं तो बाहर हम क्या उम्मीद करते हैं? जब आप सफेद खादी के कपड़े पहन कर बाहर निकलते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता कि इस सरकार के प्रति कितनी दुर्भावना जनता में फैल गई है इसलिये मेरे जैसे पहन कर निकला करें तो कम से कम जनता की भावना का तो पता आपको लगेगा। सभापति जी सदन में जो हल्ला मचाने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर पब्लिक में भेजने की व्यवस्था करें, ताकि जनता भी समझ सके कि ये किस प्रकार सदन में हो-हल्ला मचा कर जनता के साथ धोखा करते हैं। आज जनता में वैसे ही आपके प्रति बड़ी दुर्भावना फैली हुई है।

देश में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, मंहगाई बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, चीजें बाजार में मिल नहीं रही हैं। 45,000 करोड़ का केन्द्रीय घाटा, और आपका 85 करोड़ का जो घाटा है बजट में वह लगता है दो अरब तक पहुंच जाएगा और अब 6 महीने निकल गये हैं और पहाड़िया जी कहते है जो कुछ टाइम निकल गया सही है अतः वह हम नहीं प्राप्त कर पायेंगे जो चाहते हैं, साथही वह संजय की मृत्यु को भी राज्य के विकास में बाधा मानते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति से राज्य या राष्ट्र का विकास क्योंकर अवरुद्ध हो सकता है यह दूसरी बात है इससे पहाड़िया जी का राजनैतिक विकास अवरुद्ध है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको बड़ी गंभीरता से किसी कनक्ल्यूजन पर पहुंचना होगा कि यह समस्यायें किस प्रकार दूर हो, और उनके लिए कुछ व्यवस्थायें करनी होगी। कुछ अनप्लीमेंट फैसले करने होंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत की 8 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और उनके लिये किसी प्रकार कुछ नहीं कर सकेंगे तो न तो गरीबी दूर कर सकते हैं और न देश की समस्याओं को ही दूर कर सकते हैं। इसलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा निवेदन है कि कृषि के विकास के लिए किसानों को सस्ते दामों पर खाद दें? सस्ते दामों पर बीज का वितरण करें, सस्ते दामों पर उनको औषधियां मुहैया करें, सस्ता

(श्री यदुनाथ सिंह)

पानी दें, सस्ती बिजली दें। आज बिड़ला और डालमिया को तो दो पैसे यूनिट में बिजली देते हैं और हमको, किसान को 23 पैसे यूनिट देते हैं और उसमें भी बिजली की कटौती की जाती है, किसानों की बेकद्री की जाती है।

आज एक जूता बनाने वाला, कुर्सी बनाने वाला अपने माल की खुद कीमत तय करता है और वह लागत निकालकर यह तय करता है कि इतनी कीमत तो कम से कम आ जाय लेकिन किसान जो माल पैदा करता है उसको स्वयं को पता नहीं रहता है कि उसके माल की क्या कीमत आयेगी वह दूसरों के भरोसे पर निर्भर रहता है। इस बार सदन में किसान भाई अधिक हैं इसलिए मुझे उम्मीद है सरकार पर दबाव डालकर किसानों की बहबूदी के लिये कुछ करेंगे। किसान की बहबूदी होगी तो सारे देश की बहबूदी होगी, किसान के खरीदने की ताकत बढ़ेगी, वह भी अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खायेगा और यह तभी होगा जब उसको सस्ते दर पर बिजली मिले, सस्ते दर पर खाद और बीज मिले, सस्ते दर पर उसको डीजल मिले और उसकी जरूरत की सब चीजें सस्ते दर पर मिलें लेकिन जब से यह नई सरकार आई है किसानों के सारे हितों पर कुठाराघात किया है। जल और खाद के भाव बढ़ाये हैं और इसके साथ ही किसानों की जो पैदावार होती है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। भगवान की मर्जी से उसको नुकसान हो जाता है तो भी उसे कोई राहत नहीं दी जाती है।

अभी पिछले दिनों हिन्दुस्तान में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें संजय गांधी का देहावसान हुआ, वे प्लेन से मर गये और उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। अधिकारियों की मर्जी के विपरीत वह हवाई जहाज उड़ाते थे। लेकिन उनको एक लाख का मुआवजा मिलेगा लेकिन जब किसान की फसल मरती है सरकार की गलती से, बढ़ती हुई महंगाई से, खाद और बीज समय पर नहीं मिलने से डीजल नहीं देने से तो उसका कोई मुआवजा उसको नहीं मिलता है। उसके मुआवजे की किसी प्रकार की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है तो मेरा निवेदन है सरकार किसान को प्राकृतिक आपदाओं तथा सरकारी गलती का मुआवजा दे तथा फसल बीमा का प्रावधान करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, और सभापति महोदय, अपने को हम अधीन ग्रामोन्मुखी अर्थ-व्यवस्था अपनानी होगी। खेती पर कम से कम आदमी काम करें और अधिक से अधिक पैदावार लें, इस प्रकार की व्यवस्था होगी तभी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। गांवों में छोटे-छोटे कारखाने खोल रोजगार मुहैया कराना होगा। बड़ी बड़ी योजनायें बनाई जाती हैं, रोजगारों के लिये योजनायें बनाई जाती हैं और जिस लेबर के वेलफेयर के लिये बात की जाती है उससे केवल दो परसेन्ट लोगों को फायदा मिलता है, जो आर्गेनाइज्ड हैं, बाकी को फायदा नहीं मिलता है।

अब थोड़ा सा मेरा निवेदन है जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनके चुनावों के लिये कहना चाहूंगा। सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव कराना अति आवश्यक है। हम शक्ति का डीसेन्ट्रलाईजेशन करेंगे तभी प्रशासन पर पकड़ मजबूत होगी। जनता का प्रशासन में

(146)

(श्री यदुनाथसिंह)

अधिकाधिक इन्वाल्वमेन्ट हो तभी हम गांधी के सपनों को साकार कर सकेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अतः इनके चुनाव तुरन्त कराये जाने चाहिये । पंचायतों के, पचायत समितियों के चुनाव ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कराये जाने चाहिये । सुनने में तो यह भी आ रहा है कि सरकार चाह रही है, कोशिश कर रही है कि को-आपरेटिव बैंकों में नामीनटेड बोर्ड बनाये जायेंगे तो यह मेरा निवेदन है कि नामीनेटेड बोर्ड का षड्यन्त्र न किया जाय । यह बैंकों के लिये एक खतरनाक स्थिति होगी।

अन्त में दो शब्द और निवेदन करना चाहूंगा जो आपने ट्रान्सफर्स के बारे में शोर मचा रखा है राजस्थान म, उसको बन्द करें । ऐसा करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिये निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा । आप फोर्थ क्लास का ट्रान्सफर करते हैं या एक एल. डी. सी. का ट्रांसफर करते हैं तो जब वह नई जगह पर पहुंचता है तो वहां के अधिकारियों की बात को नहीं मानता है और कहता है मैं तो मिनिस्टर का आर्डर लाया हूं। तुम कौन होते हो।

इसलिये बहुत जरूरी हो तभी वह शिकायत के कारण ट्रांसफर किया जाय । इस तरह से आप किसी को आर. एस. एस. का बताये या किसी दल की भावना का बता कर उसका दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो जो वह आन्दोलन फैलाता है, उस आन्दोलन को वहां भी फैलायेगा । इसलिये आदमी एक सामाजिक प्राणी है, आदमी एक राजनैतिक प्राणी है, उसकी किसी न किसी तरफ भावना होती है तो सिर्फ इसलिए कि यह किसी विचारधारा का रहा तो उसका ट्रांसफर किया जाय, यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है । मैं पहाड़िया जी के लिए शुभ कामनाएं रखते हुए कि वे किसी तरह 5 साल चलें, यह उम्मीद करता हूं कि राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होगा ।

श्री चांद खां (कामां) : सभापति महोदय, एक मिनट ।

श्री सभापति : मानमीय सदस्य अब आप समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री चांद खां : बस एक मिनट दे दें ।

श्री सभापति : अच्छी बात है, कहिये।

श्री चांद खां : श्रीमान् सभापति जी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आप मुझे दे भी नहीं रहे हैं, मैं ज्यादा बोलना भी नहीं जानता । सारे सदन से दरख्वास्त करता हूं अभी मैं ईद की छुट्टियों में गांव गया जाकर देखा, वहां पर देखा कि इस समय किसानों पर कितने कर्ज हैं, चाहे वह बैंक के हों, सोसायटी के हों, माल गुजारी के हों या जितनी भी वसूली आज वसूल हो रही है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है । क्या यह वसूली का समय है ? जब कि गांव की जनता काम, 50 पर्सेन्ट दूसरी जगह मजदूरी करने बाहर गये हैं लोगों के पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं है लेकिन ये सरकार आज, किसानों से वसूली कर रही है । यह क्या वसूली का टाइम

(श्री चांद खां)

है। मैं जिला भरतपुर की बात कर रहा हूं अन्य जिलों के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपने इलाके के अन्दर जिला भरतपुर के अन्दर वसूली के आर्डर कलेक्टर के दिये हुए हैं। पटवारी वसूल कर रहे हैं लोग परेशान हैं, उनको तंग किया जाता है इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस समय किसानों के पास खाने का अनाज नहीं, कहां से दे सकते हैं वसूली को, कहां से दे सकते हैं मालगुजारी व सिंचाई वगैरह को कहां से दें। इसलिए वह माफ किया जाय, या माफ न करें तो थाम दी जावे। इस तरह से किया जाय और राजस्थान में जहां भी ऐसी चीज हो रही है, उसको खत्म किया जाय।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मन्त्री का जब तक भाषण समाप्त हो और यह एप्रोप्रिएशन बिल पास हो तब तक के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि बिल पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, लगातार कई घण्टों की चर्चा में कई माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले। जैसा हमेशा से होता रहा है, उसी प्रकार से जहां कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये वहां कई माननीय सदस्यों ने, जिस प्रकार आम तौर पर उनका रवैया रहता है सरकार की आलोचना करना उचित समझा। मैं उन सभी सुझावों का स्वागत करता हूं जो राजस्थान के हित में हैं और आपके जरिये से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी सुझावों पर हम विचार करेंगे और यथासम्भव इस बात की कोशिश करेंगे कि उन पर फैसला कर सकें; उनको क्रियान्वित किया जाय।

श्रीमन्, मैं उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सरकार की आलोचना की, क्योंकि उनसे भी कई बातें अच्छी सीखने को मिलती हैं। जहां कई नयी बातें हमारे ध्यान में आती हैं, सरकार कई बार उन बातों को सुन कर सतर्क होती है। अच्छा है हमारे माननीय सदस्य अपने इस कर्तव्य का निर्वाह भी कर देते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्रीमन, मैं समझ रहा था कि इस मौके पर कई सुझाव ऐसे आयेंगे जिनकी तत्काल जानकारी करके हम कुछ और सुधार कर सकते हों तो सुधार करें। कुछ छूट दे सकते हों तो छूट दें जिससे और राहत राजस्थान के विभिन्न वर्गों को मिले। ऐसे कई वर्गों की चर्चा होती है, जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार के लिए सब वर्ग समान हैं इस बात की कोशिश की जानी जरूरी है कि कमजोर तबके, पिछड़े वर्ग के लोग

(148)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
चाहे वह किसी भी जाति, भाषा, धर्म और सम्प्रदाय के हों लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं; उनको जो सरकार राहत दे सकती है, वह दे ।

श्रीमन्, मैं यह समझ रहा था कि माननीय सदस्य कुछ और सामाजिक सुविधाओं की मांग करेंगे । मुझे खुशी है कि कोई इस बात की मांग नहीं की गयी लेकिन सरकार अपना कर्त्तव्य समझती है, उन बातों की ओर पूरा ध्यान देना जो समाज के नीचे तबके के लिए हों । इसमें कोई जाति बिरादरी, धर्म, भाषा और सम्प्रदाय का सवाल नहीं । श्रीमन्, मैं उन सभी सवालों को एक-एक करके बाद में लूंगा, जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं ।

शिक्षा के बारे में कालेज की चर्चा यहां हुई । मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो फैसला हमने किया था, उन फैसलों को मुख्य मन्त्रीजी, जो आज विपक्ष के नेता हैं, ने क्यों किया, मैं दोहराना नहीं चाहता । श्रीमन्, क्योंकि इतना बड़ा मसला है ही नहीं । उन्होंने कहा था, बिल्डिंग जनता दे दे, पब्लिक दे दे और फण्ड्स भी उपलब्ध हो जायं । तो यही बात तो अब भी कह रहे हैं; आज फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बिल्डिंग अगर जनता दे दे, जनता पार्टी की बात नहीं है, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं और फण्ड उपलब्ध हो जायं तो यह करने की बात क्या करते हैं । श्रीमन्, पीछे भी उसको कर सकते हैं लेकिन सवाल तो बिल्डिंग का और फण्ड का ही है । इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा की ओर तो जितना ध्यान देना चाहिए, सीमित साधनों को देखते हुए दिया ही जायगा, लेकिन सरकार ने इस बात का फैसला किया है, हमने पहले 600 प्रायमिक स्कूल खोलने का प्रावधान किया था, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको 600 से बढ़ा कर 800 कर दिया जाय, क्योंकि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिल सके, यह आवश्यक है । बजाए इसके कि उच्च शिक्षा, जो उपयोगी हो सकती है, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, वह दी जाय लेकिन सरकार के साधन सीमित हैं, समय आयेगा तो निश्चित रूप से इस बात को भी धीरे-धीरे लिया जायगा । अभी तक तो चूंकि कई वर्गों के बच्चे खास तौर से दूर दराज में रहने वाले लोगों के बच्चे, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज में ज रहते हैं; उनको कई गांवों से आना पड़ता है, इसलिए कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और 200 स्कूल और बढ़ा दें ।

श्रीमन्, एक बात का प्रस्ताव और कर रहा हूं । मैंने अपनी बजट स्पीच में यह कहा था कि अब तक इस बात की व्यवस्था थी कि कक्षा एक और कक्षा दो में पढ़ने वाले बच्चों को अनुसूचित जाति और हरिजनों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और पोशाकें दी जाने की व्यवस्था हो । मैंने प्रस्ताव किया था कि यह सुविधा बढ़ा कर कक्षा तीन तक कर दी जाय, लेकिन, श्रीमन्, मैं जानता हूं कि आदिवासी और हरिजन वर्ग के लोगों के पास में इतनी व्यवस्था होती ही नहीं कि वे अपने बच्चों को ठीक पोशाक पहना सकें । स्वयं मेरा अनुभव है, श्रीमन्, देहात के अन्दर आज भी कपड़े

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अच्छे नहीं पहनने से बच्चे के अन्दर हीन भावना पैदा होती है। जब हीन भावना पैदा होती है तो वे अपने आपको तिरस्कृत अनुभव करते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि तीसरी कक्षा के बजाय प्राइमरी कक्षा तक के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध करायें।

श्रीमन्, हमारे बुजुर्ग नेता राजबहादुरजी

श्री यदुनाथ सिंह : वे तो कह कर चले जाते हैं। गैर हाजिर रहते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस समय वे यहां पर नहीं हैं। उन्होंने एक मुद्दे की बात दोहराई। मेरी समीक्षा पर तो उन्हें बहुत विश्वास नहीं हो रहा है, मैं उनको विश्वास कराना भी नहीं चाहता, मुझे काम करना है

श्री यदुनाथ सिंह : पुरानी आदत है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसलिये अभी विश्वास जम नहीं रहा है कि जो प्रावधान रखे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। उनको इस बात की चिन्ता है कि भविष्य में इन्फ्लेशन बढ़ जायेगा, कीमतें बढ़ जायेंगी। इसलिये जो टार्गेट रखे हैं वे अचीव नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, वे बहुत सालों तक मंत्री रहे हैं उनको मालूम है कि प्रावधान नहीं रखे जाते हैं और कैसे टार्गेट हासिल किये जाते हैं। अधिकांश तौर पर टार्गेट हासिल किये जाते हैं। अधिकांश तौर पर यह देखा जाता है कि टार्गेट लगभग पूरे हो जाते हैं। हो सकता है कि कभी-कभी डाइवर्शन हो जावे। मैं इस सारी चर्चा में नहीं पड़ना चाहता लेकिन हमारी कोशिश यह रहेगी कि जो टार्गेट हमने रखे हैं उनको हम पूरा करें और समय के अन्दर पूरा करें। उन्होंने इस बात की बहुत चिन्ता व्यक्त की कि टार्गेट तो रखे, प्रावधान भी रखे लेकिन सैंक्शन बहुत कम क्यों रखी। श्रीमन्, सरकार के अन्दर जो काम चल रहा है और जो नया काम मेरे आने के समय से चला है या नहीं चला है, सरकार एक कन्टीन्यूड प्रोसेस है जो चलती रहती है। प्लानिंग होते रहते हैं, स्कीमें बनती रहती हैं। सारी योजनायें तैयार हैं, श्रीमन्। जैसे ही सदन मुझको मंजूरी देगा वैसे ही उनको निकाल दिया जायेगा। देरी होने का प्रश्न नहीं है। इसलिये उनको जो दुविधा पैदा होती है, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वे दुविधा की स्थिति को त्याग दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे उनको भी फायदा होगा और बहुत ज्यादा भ्रम जो सदन में पैदा करते हैं वे सदन में और बाहर पैदा नहीं कर सकेंगे।

प्रायरिटीज की उनको बहुत चिन्ता रहती है और प्रायोरिटीज की वे बहुत चर्चा करते रहते हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि हमने कई प्रायोरिटीज तय की हैं। उनकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं। ड्रिंकिंग वॉटर की प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटीज इस बात की है कि वितरण की व्यवस्था ठीक हो, जो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं वे भली प्रकार से मिलें। हमारी प्रायोरिटीज है कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो। ये चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। और जिस बात की चर्चा होती रहती है वह हमारी प्रायोरिटी है। अकाल और बाढ़ की समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। अब, श्रीमन्, मैं उचित

150

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)....
नहीं समझता कि उन चर्चाओं को फिर यहां पर दोहराऊं, मैं आशा करता हूं कि दुबारा दोहराना भी नहीं पड़ेगा।

श्रीमान, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में तीन-चार बार सदन में कह चुके हैं मैं जानबूझ कर उनकी चर्चा सदन में नहीं करना चाहता था। वे हमारे बुजुर्ग हैं, उनका काफी तजुर्बा है, मैं उनकी बातों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जान बूझकर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिये, हवा बनाने के लिये कोई बराबर इस बात को कहे, जैसे बारबार कहा जा रहा है और आज तो अंग्रेजी में कहा कि—नान परफार्मिंग गवनर्मेंट है It is the Government that works? श्रीमान्, उन्होंने यह कहा कि it is a Government which is prisoner of indecision. अब मैं पहली बात को नहीं लेकर आखिरी बात को लेता हूं। यह बात कहना चाहता हूं। कि whether we are prisoners of indecision or not आप स्वयं फैसला कर लें, हमारी जो भी समस्यायें हैं उनका समाधान करने का हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, स्टेप लेते चले जा रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी का फैसला तो आज तक नहीं हो पाया कि उनकी पार्टी का नेता कौन है। हमारी सरकार को कहते हैं कि we are prisoners of indecision और उनकी पार्टी कैसी है आज तक फैसला नहीं कर पाये कि उनकी पार्टी का नेता कौन है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, कि....

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अनएपाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन। माननीय सभापति महोदय, यह हमारी पार्टी का अन्दरूनी मामला है।

(व्यवधान)

हमारा नेता कौन होगा, इसका निर्णय हमें करना है। हमने निर्णय कर लिया है। हम आपको यह सूचना दे रहे हैं। अगर मान लो कि सूचना में देरी कर दी तो इस मामले को मुख्य मंत्री अगर सदन में कहें तो यह शोभाजनक बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : सभापति महोदय, आज फाइनेंशियल कमेटीज के चुनाव थे। उस समय नेता तो आप स्वयं बने हुए थे। कभी कहते ये हैं और कभी कहते वे हैं। क्या यही व्यवस्था है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपको सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जानकारी थी, उसी के आधार पर कहा था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमान्, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। बहुत जोरों से कहा कि मुझे में कांफिडेंस होना चाहिये। मुझे तो कांफिडेंस हमेशा से है लेकिन मैं इसको किस तरह से इजहार करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। क्या जोर से बोलने से कांफिडेंस का इजहार हो सकता है या जिस प्रकार का व्यवहार कई माननीय सदस्य विरोधी दल के बठे-बैठे करते रहते है, वैसा व्यवहार करने से उस तरह का कांफिडेंस नजर आ सकता है। मैं इतना

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

ही निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है। कोई बहुत जोर के साथ बोलता है तो कोई बहुत धीरे बोलता है। कोई किस तरह से काम करता है, कोई किस प्रकार से काम करता है। मुझे पूरा कांफिडेंस अपने आप पर है। जिस विश्वास के साथ मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे सरकार का काम सौंपा है, उसी विश्वास के साथ हम सरकार को चलायेंगे और निश्चित रूप से चलायेंगे। जो भी सरकार के सामने उतार-चढाव आयेंगे उनका सामना निश्चित रूप से विश्वास के साथ करेंगे। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, श्रीमन्, चाहे विपक्ष के ये दल हों, चाहे ये दल हों, चाहे ये दल हों और चाहे दल-दल हो, हमें इस बात की चिन्ता नहीं है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से यह अपेक्षा करके चलता हूं कि जिस प्रकार के कांफिडेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, आप अपने आप में कांफिडेंस रखिये। आप जब अपने कांफिडेंस सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो एक दल में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसी बात करना शुरू कर देते हैं कि जिसका ताल्लुक न सदन से है, न सरकार से है। श्रीमन्, कांफिडेंस ये लोग रखें और जो जो बात हो, कोई ऐसी बात हो उसको ध्यान में लायें तो निश्चित रूप से जैसा मैंने आप से कहा कि कोई अच्छा सुझाव होगा तो मान कर चलेंगे, उनका सहयोग भी लेंगे। इसलिये मेरा कांफिडेंस तो है लेकिन उनका कांफिडेंस शेक हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका कांफिडेंस जमे इसलिये मैं बहुत जोर से नहीं बोलता। कई बातें कहना चाहता था किन नहीं कर रहा हूं। मैं आपका विश्वास जमाना चाहता हूं कि ...

श्रीमन्, अब विरोधी दल के नेता महोदय हैं, उनके बारे में मेरा पहला-पहला तजुर्बा है। उन्होंने पूछा कि समस्याओं का समाधान किस सीमा तक किया जा सकता है। मैं क्या करूं, श्रीमन्, चाहे तो सारा बजट भाषण पढ कर उन्हें सुना दूं। मैंने सारे टार्गेट तय किये हैं, बिजली के किए हैं पावर के किए हैं, वाटर के किये हैं, कितने स्कूल खुलेंगे, कितने अस्पताल खुलेंगे, कितनी सड़कें बनायेंगे। क्या ये सारे टार्गेट कम हैं? क्या छूट हम इण्डस्ट्रीज को दे रहे हैं क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दे रहे हैं, इन सब की चर्चा बहुत विस्तृत रूप में इसमें की हुई है। अगर और कोई बात पूछने के लिये रह गयी हो तो चाहे तो खत लिख दें, चाहे तो मुझ से मिल लें। वैसे मुझसे मिलने की चर्चा उन्होंने काफी तौर पर करा दी है। मैं जानता हूं कि वह चर्चा क्यों कराई गई। जिस तरीके से वह चर्चा हुई, मुझे मालूम है कि सरकार के और गैर सरकार के बहुत सारे आदमी उनके पास जाना शुरू हो गए। मुझे यह भी मालूम है कि मेरी पार्टी के अन्दर कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए जान बूझकर उनके द्वारा चर्चा करवाई गई है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों से हमारी पार्टी में कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। कोई कन्फ्यूजन पैदा होने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया था और फिर दोहराना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस (आई) ही एक पार्टी है जिसको पार्टी कहा जा सकता है, जिसका विधान है, जिसका एक नेता है, जिसका कार्यक्रम है और एक सूत्र में हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समस्याओं पर

(जगन्नाथ पहाड़िया)
चर्चा करने के बजाय बजट स्पीच पढ़ लें तो उनको आसानी हो जायगी।

श्रीमन्, इन्होंने इस बात को कहा, जनता की प्रतिक्रिया क्या है? और खुद ने ही उत्तर दिया कि पहली प्रतिक्रिया यह है कि पहली सरकार इस सरकार से अच्छी थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अब यह फैसला केवल मैं कैसे कर लूं।

एक माननीय सदस्य : आपको करना भी नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे करना भी नहीं है। यह फैसला जनता को करना है। आज से कुछ चन्द महीनों पहले, मुझे तो लगभग दो महीने हुए हैं सरकार को संभाले हुए, उससे पहले राजस्थान की सारी जनता ने इस बात का फैसला कर दिया है। बहुत लम्बी बात तो नहीं है, श्रीमन् दो महीने निकल गये, पांच साल में से दो महीने निकालें, फिर आगे फैसला हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : यह सपने तो आप देखते रहो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दिल को बहलाने के लिये, गालिब यह ख्याल भी अच्छा है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह भी बात कही कि मेरा मुख्य मंत्री रहना जनता पार्टी के हित में है। राजस्थान के हित में है या नहीं इस पर उनको शक है। यह शक हमेशा बना रहेगा। इस शक को मैं निकालना भी नहीं चाहता हूं पांच साल बाद जरूरत पड़ेगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान में मेरा रहना कितना हित में था, कितना नहीं। लेकिन जनता पार्टी के हित में कितना है, आज वह अपने दिल पर हाथ रख कर पूछ लें। आज उनके दिल को सांप सूंघ गया है। सारे हरिजन, सारे आदिवासी, सारे माइनोरिटीज के लोग, सारे किसान, सारे व्यापारी, सारे मजदूर और सारे विद्यार्थी सारे के सारे कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। इसलिये आज उनको पता है कि मेरा रहना कितना हित में है। किस प्रकार से कन्फ्यूजन पैदा किया जाय, यह इस बात की कोशिश में रहते हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं बाहर भाषण देना बहुत अच्छा लगता है लोग बहुत असर मानते हैं आपकी बात का, सदन के सदस्यों पर इन बातों का असर नहीं हुआ करता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पीछे की लाइन आपके भाषण पर हंस रही है।

श्रीमती कमला : आपको देख-देख कर हंस रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि बाहर आपको सुनते हैं तो बाहर भी कौन सुनता है। अब की 32 से 12 पर आयेंगे यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुख्य मंत्री जी के भाषण पर गर्दन नीचे करके मत हंसो।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
हंसना है तो खुले आम हंसो ।

एक माननीय सदस्य : हंस ही रहे हैं, रो तो नहीं रहे हैं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, विपक्ष के नेता महोदय, जो मुख्य मंत्री रहे हैं, ने कई ऐसी बातें कही हैं जिनके बारे में उन स्थानों के लोगों को कन्फ्यूजन पैदा हो जाय जिनकी चर्चा उन्होंने की है और उन जिलों की चर्चा मैंने आपके सामने कर दी । इन्होंने जो फैसला किया था, वह फैसला हम बढ़ा-चढ़ा करके नहीं कर रहे हैं । केवल इतना ही कहा, इन्होंने 13 का फैसला किया था वही सारी की सारी शर्तें जो उन्होंने लगायी थीं, कायम रखें तो हम 13 के बजाय 31 करने को तैयार हैं । लेकिन शर्तें वही रहेंगी शर्तें वही रहेंगी, श्रीमन्, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरे दल के, एक माननीय सदस्य, जो हमारे बुजुर्ग हैं पंडितजी ने एक बात कही रतनगढ़ के अन्दर कालेज खोलने की । उन्होंने कहा कि मेरे रहते-रहते उनका सपना पूरा होगा या नहीं । पंडितजी, अभी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है । पूरे पांच साल बाकी हैं और पक्के हैं । इन पांच सालों के अन्दर पंडितजी का सपना जरूर पूरा कर देंगे । लेकिन एक बात जो विपक्ष के नेता महोदय ने कही, चार जिले बनाने की । श्रीमन्, उनकी आदत है, जब आप आसन पर विराजमान होते हैं, तो कुछ आश्वासन आपको जरूर उनको देना चाहिये ।

श्री सभापति : उस समय मैं आसन पर नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : और इसलिए उन्होंने धौलपुर, दौसा, बारां इत्यादि की चर्चा की । वैसे तो अगर श्रीमन्, मुझे क्षमा करें और पूरी गंभीरता के साथ लें, केबिनेट के अन्दर फैसला किया था उसकी चर्चा यहां करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वह करना ही पसन्द करते हैं तो उन्हीं के फैसले की चर्चा मैं कर रहा हूं । उन्होंने कोई चार जिले बनाने का फैसला नहीं किया था, उन्होंने केवल एक कमेटी बनायी थी, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की चेयरमैनशिप में, जिसमें कहा गया था कि प्रेक्टिकली, फिजिबल, इकानोमिकल, पता नहीं क्या-क्या चर्चा की, उनको देख कर भी फैसला कुछ नहीं किया था । एक कमेटी का निर्माण किया था । यह कहना कि उन्होंने चार जिले बनाने का फैसला किया था, अगर मैं वाकई सच कह रहा हूं, श्रीमन्, तो उसकी दोबारा से जांच कर लेवें, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं मुख्य मंत्री जी की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि सदन की प्रोसिडिंग्स उनके पास होगी मेरे पास तो नहीं है । चार जिले बनाने का फैसला किया इस फैसले को इम्पलीमेंट कैसे किया जाय, इसमें वित्तीय भार कितना आयेगा, एकोमोडेशनल समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, इस संबंध में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की चेयरमैनशिप में कमेटी बनायी ताकि वह इन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
सारी बातों को देख कर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दें और गवर्नमेंट उस पर डिसीजन कर दे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और इनकी गवर्नमेंट गई।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : ऐसा कर लिया होता, श्रीमन्, अगर फैसला कर लिया होता तो उसका इम्पलीमेन्टेशन भी जरूर हुआ होता। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। धौलपुर के लोगों, दौसा के लोगों, बारां के लोगों को इस तरह से आप बहका नहीं पाओगे। आपने फैसला किया होता तो इम्पलीमेंट पहले हुआ होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं बना रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने कमेटी बनायी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप नहीं बना रहे हैं जिले। आप यह कहिये कि जिले बना रहे है या नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने कमेटी बनायी थी। मैं, श्रीमन्, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इस बात में सलाह नहीं ले रहा हूं। आवश्यकता पड़ेगी तो ले लूंगा। अभी तो मुझे सलाह लेने की आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सलाह लेने का प्रश्न नहीं है। तात्पर्य यही है कि आप जिले नहीं बना रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : एक बात मुझे, श्रीमन्, दुःख के साथ कहनी पड़ती है। विपक्ष के नेता को निवेदन करना चाहूंगा, उनके पास पार्टी का कार्यालय जरूर होगा, सरकार का कार्यालय तो रहा नहीं, आगे आने वाला भी नहीं है, आप अपने कार्यालय से कह कर बजट के सारे के सारे प्रावधान दिखवा लिया करें तो आपको आसानी हो जावेगी, हमको भी आसानी हो जायगी। इसके अन्दर प्रावधान किया है ग्रामीण विकास के लिये योजना चलती थी, उसमें विकास कार्य किये जायेंगे। इस योजना को और आगे ले जाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं।

एक बात उन्होंने और कही, श्रीमन भ्रष्टाचार के बारे में। कभी उनके ऊपर किसी बाहरी माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का लांछन नहीं लगाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात कही है सदन में कही है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसको एक्सपंज कर दिया। लेकिन परसों एक समाचार-पत्र में पढ़ा मुझे जानकारी मिली है कि सदन में इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं, वरना मैं इसकी सफाई देने की आवश्यकता भी नहीं समझता हूं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : खैर, अगर किसी माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है तो आपने उसकी सफाई दे दी। मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक पूरे तथ्य मालूम नहीं हों और सबूत नहीं हों तब तक किसी माननीय सदस्य के प्रति आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो बात कहते हैं, अधिकार पूर्वक कहते हैं।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री सभापति)

बोल रहे हैं, कृपया आपस में बात न करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं उसकी जिरह में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वह बात उन्होंने बहुत जोर से उछाली है। भ्रष्टाचार की जांच करा कर सजा दो। केवल राजनैतिक द्वेषता से जांच करानी है, सजा देना है तो उन्हीं को दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हम राजनैतिक द्वेषता के आधार पर ना किसी की जांच करना चाहते हैं, ना किसी को सजा देना चाहते हैं, राजनीति का खेल राजनीति के आधार पर खेलते है। राजनीति का खेल पब्लिक के वोटों से हुआ करता है। पब्लिक ने फैसला किया हुआ है, आप कितने बैठे हैं। और हम कितने बैठे है।

श्रीमन, मैंने पहले भी उनको निवेदन किया कि कुछ अपने आप ही कल्पना कर लिया करें। एक कल्पना और उन्होंने कर ली और सदन में व्यक्त कर दी। बजाय इसके उनको चाहिये था कि वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं देते तो सरकार को दे देते। मुझे नहीं सरकार को देना चाहते थे, सरकार को दे देते। 25 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने, योजना कमीशन ने राजस्थान को सहायता के तौर पर एडीशनल और दे दिया इसलिये राजस्थान के विकास में और कुछ कर पायेंगे बजाय यह कहने के उन्होंने यह कह दिया कि मैं योजना कमीशन में वायदा करके आया हूं कि प्राहिबिशन को स्क्रेप कर देंगे। मुझे डर लगता है, भैरोंसिंह जी छाया बन कर मेरे पीछे-पीछे तो नहीं चलते हैं। मेरा ख्याल है उस समय तो आप कमरे में हाजिर नहीं थे, जब मेरी बात वहां पर हो रही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपने मिलते ही नहीं हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं इस प्रकार का कोई वायदा योजना कमीशन के सामने, भारत सरकार के सामने नहीं किया कि प्राहिबिशन को स्क्रेप कर दिया जायगा। मैं नहीं कहना चाहता, श्रीमन् सदन की क्या भावना है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि विपक्षी दल के माननीय नेता की क्या भावना है, सदन में क्या उनका भाषण होता है, बाहर क्या कहते हैं, वह तो हमारे मुख्य संचेतक ने कह दिया। मैं उनसे पूछना नहीं चाहता, वह अपने दिल पर हाथ रख कर देख लें, उनका दिल क्या गवाही देता है। मैं इतना कह सकता हूं भारत सरकार की नीति यह है, भारत का संविधान यह कहता है प्राहिबिशन होना चाहिये और इसी के तहत प्राहिबिशन किया गया है। लेकिन एक बात फिर याद दिलाना चाहता हू, पहले भी उनको याद दिलायी थी, प्राहिबिशन पूरे तौर पर आपने नहीं किया........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस ने किया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : राष्ट्रपति शासन में प्राहिबिशन हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस ने किया। मैं तो इसलिये कर रहा हूं कि आप इसकी घोषणा कर दें कि प्राहिबिशन स्क्रेप नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं क्या घोषणा करूंगा, क्या नहीं करूंगा, यह तो मैंने कहा,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आवश्यकतानुसार फैसला किया जायगा । मैं, तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि योजना कमीशन के सामने, भारत सरकार के सामने इस तरह की कोई योजना नहीं गई है कि प्रोहिबिशन को स्क्रेप कर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मन मांग रहा है, कांग्रेस कह रही है तो आप यह घोषणा कर दीजिये कि प्रोहिबिशन को स्क्रेप· · · ·

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आप सरकार को, विपक्ष के नेता महोदय, बाध्य नहीं कर सकते घोषणा करने के लिये । माननीय विपक्ष के नेता ध्यान रखें । आर्डर प्लीज ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, एक बात की चर्चा इस सदन में तीन बार हो चुकी, आज भी काफी देर तक हुई । मैं नहीं चाहता था कि इस बिन्दु को यहां पर लिया जाये लेकिन विपक्ष के नेता महोदय ने यह मौका भी चूका नहीं और तबादलों की चर्चा कर ही डाली । श्रीमान्, मैं मानता हूं तबादला कम से कम होना चाहिये जहां तक संभव हो इस बात का ध्यान रख कर चलें किसी की हारी-बीमारी है, किसी की बहिन बेटी का सवाल है, और कई कठिनाइयां हैं । इसके अलावा जो तबादले किये जाते हैं, श्रीमन, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन पाइन्ट आफ व्यू से किये जाते हैं । बिलकुल ही तबादले न हों यह संभव नहीं है । लेकिन हमने कितने तबादले किये उन्होंने कितने तबादले किये, मैं आकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा । मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं माननीय चतुर्वेदी जी, आपके समय में, माननीय शेखावत जी के मुख्य मंत्रित्व काल में 44 हजार तबादले मास्टरों के कुल मिला कर हुए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, चूंकि मुझे इंगित करके माननीय मुख्य मंत्री जी महोदय ने कहा है······

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ओन रिक्वेस्ट, वेकेंसी, ओन रिक्वस्ट और प्रमोशन इनको छोड़ कर·····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, कृपया ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, 18 हजार तबादले पिछली साल जब इनकी सरकार थी तब किये· · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : लेकिन कुल मिला कर 44 हजार तबादले हुए इनके जमाने में । 18 हजार तो पिछली साल जब इनकी सरकार थी तब किये । श्रीमन्, मैं मानता हूं तब जो कुछ हुआ वह गलत हुआ । आज भी कोई ऐसे हुए जिनसे किसी को

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कठिनाई हो, मैंने नार्म्स बताये उनके अनुसार नहीं हुए हैं। तो वे गलत हुए हैं मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि ऐसा कोई हार्ड केस हमारे नोटिस में लाया जायेगा तो हम विचार करेंगे। एक बात इन्होंने सरसरी तौर पर कह दी, कम्युनल इन्फेक्शन की बात मजाक में मैंने कही थी। आज आपने मुझ पर जातिवाद का आरोप भी लगा दिया। जातिवाद मैंने कितना फैलाया और आपके जमाने में जातिवाद की क्या चर्चा थी इस बात को दिल पर हाथ रख कर ......

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : एक के बाद दूसरी रुकावट डालें, यह क्या तरीका है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि ललित-किशोर जी के जमाने में 44 हजार टीचर्स के ट्रांसफर हुए, मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात की जांच करेंगे कि जो कुछ इन्होंने सूचना दी वह कितनी सही है ।

(व्यवधान)

मेरी सुन लीजिये ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । यह क्या तरीका है, माननीय सदस्य । स्थान ग्रहण करें । आपके नेता महोदय बोल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था, इन्होंने जो संख्या बताई है अगर मुख्य मंत्री जी की बात को सही भी मान लिया जाय तो पिछले ढाई वर्ष में 44 हजार टीचर्स के ट्रांसफर्स का आरोप लगाया लेकिन यहां तो दो महीने में ही 22 हजार टीचर्स के ...

(व्यवधान)

10 हजार टीचर्स की डिजायर पहुंच गई ।

एक माननीय सदस्य : सरकार के मुख्य मंत्री जी आंकड़े गलत बता रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह गुर्जर : प्वाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को चुनौती देकर कहना चाहता हूं, मेरे पर जातिवाद का आरोप लगाया है, एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य; कृपया आपस में बातें न करें । माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि जितने भी तबादले हुए हैं उनमें से अधिकांश ऐसे लोगों के हैं जो इनके जमाने के सताये हुए लोग हैं । राजनैतिक आधार पर एक व्यक्ति को 100-100, 200-200 मील भेज दिया गया । श्रीमन्, आज भी अगर कोई आदमी फरियाद लेकर आता है तो सरकार का कर्त्तव्य होता है कि उसकी मदद करे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय सदस्यगण ।

श्री जगन्नाथ पहाडिया : श्रीमन्, एक बात इन्होंने जयपुर उद्योग के बारे में कही विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कह दी। ढ़ाई साल के करीब इनका शासन था उस समय इन्होंने इस बात को समझा कि जयपुर उद्योग को राज्य सरकार ले ले । मैं इनकी सूचना के अनुसार बता रहा हूं, राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा हुआ है कि जयपुर उद्योग को राज्य सरकार लेना चाहती है, श्रीमान्, हम इंतजार कर रहे हैं भारत सरकार के पत्र का । जैसे ही उनका पत्र हम को प्राप्त होगा उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे ।

श्रीमन्, हमारे राजबहादुर जी ने कुछ बातें कहीं मैं उनकी जानकारी के लिये दुबारा बता देता हूं कि पिछली योजना 275 करोड़ की थी । अब योजना का आकार बढ़कर 353 करोड़ का हो गया है। श्रीमन्, अलग अलग मुद्दों में जाने के बारे में भी कहा था एक माननीय सदस्य ने, मैं नाम नोट नहीं कर पाया। एजूकेशन में पिछली साल 126. 26 करोड़ का प्रावधान था जो इस साल 136. 99 करोड़, मेडिकल में 36. 42 करोड़ के मुकाबले में 46. 42 करोड़, पब्लिक हैल्थ में 45. 48 करोड़ के मुकाबले में 54. 25 करोड़, कृषि में 121.00 के मुकाबले में 143 41 करोड़ और वाटर एण्ड पावर डवलपमेंट में 185. 37 करोड़, के मुकाबले में 218. 57 करोड़, प्रावधान किया गया है। इस तरह से आप देख लीजिये हर सेक्टर में अधिक प्राव-धान किया गया है ।

श्रीमन्, मैं और बातों में जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता । क्योंकि अन्य बहुत सारी जो बातें कही गई हैं वे राजनीति से प्रेरित है । हांलाकि कई बार इस सदन में ला एण्ड आर्डर की चर्चा की गई । बलात्कार, चोरी की चर्चा की गई मैं इस बारे में केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिये । हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्प है इसको मैं पुन दोहराना चाहता हूं और सभी माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं । कि जो भी अपराध हो वह हमारे नोटिस में लाया जाएगा तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी । मैं पुनः सदन की मार्फत आपसे अपील कर रहा हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही में कहीं ढिलाई हो रही हो तो आपसे अनुरोध है कि मेहरबानी करके हमारे नोटिस में लावें । उसको गंभीरता से लेते हुए चाहे वह बलात्कार का केस हो, चाहे वह चोरी का केस हो, उस पर कड़ाई से जब तक कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक हमको सरकार को सन्तोष नहीं होगा । मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता कि उनके राज में अधिक चोरियां हुई और हमारे राज में कम हो रही हैं । मैं इन आंकड़ों की चर्चा में बिलकुल नहीं पड़ना चाहता परन्तु यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे नोटिस में यह अपराध लाए जाएं । मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि हमारे नोटिस में इन अपराधों को लावें, तो हम गहराई के साथ इन पर कार्यवाही करेंगे ।

सभापति महोदय, यहां पर एक बात

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

और कही गई। महंगाई की चर्चा करते करते यह कहा गया कि जनता जाग्रत हो गई है। गुजरात का उदाहरण भी दिया गया, विरोधी दल के नेता हंसते हंसते ऐसी बात कह जाते हैं जिसकी मार दूर तक जाती है। महंगाई के बारे में इस सदन में भी चर्चा हुई। महंगाई बढ़ी है मैं इससे इन्कार नहीं करता। महंगाई कुछ हद तक बढ़ी है परन्तु यह सारे देश में बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। सरकार ने कोशिश की है। सरकार के संकल्प को यहां पर मैं दोहराना चाहता हूं कानून के जरिये यदि आवश्यकता हुई तो महंगाई को रोकने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था ठीक नहीं है तो उचित व्यवस्था करेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां पर आपका सहयोग, लेकर ठीक करेंगे। मैं इसके अन्दर माननीय दृष्टिकोण लेकर चलना चाहता हूं कोई राजनीतिक आधार पर नहीं चलना चाहता हूं जो समस्या हो उसका समाधान ढंग से ही होगा। कानून के सहारे यह समस्या हल नहीं होगी। कानून से ही सुधार हुआ होता तो कई कानून बने हुए हैं उसके बावजूद अपराध हो रहे हैं। हमारी कोशिश यह होगी कि आपके सहयोग से इसको रोक सकेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल राजनैतिक हित के लिए इस भावना से इसको फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए चाहे वह बलात्कार का मामला हो, चोरी का मामला हो, महंगाई का मामला हो। माननीय भैरोंसिंह जी को मैं यह कहना चाहता हूं हमने आर. एस. एस. का कभी नाम नहीं लिया। कांग्रेस वाले आर. एस. एस. का नाम नहीं लेना चाहते। यह तो आर. एस. एस. के साथ उनकी नहीं पटती है इसलिये वे उसको बदनाम कराने के लिए कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर. एस. एस. की बुराई तो आप मत करो।....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं तो आपको फायदा दिला रहा हूं।

श्रीमन्, मेरी बजट स्पीच में एक लाइन दो लफ्ज गलती से गलत छप गये हैं। मैं इसे खुलासा कर देना चाहता हूं। यह लिखा गया है, वर्तमान परिस्थिति में करों का अधिक बोझा नहीं बढ़ाना चाहता हूं। हांलाकि विकास में और गति देने के लिए जन सहयोग कर के रूप में लेना आवश्यक होता है लेकिन माननीय सदस्यों की आशंकाओं के विपरीत निम्न रियायतें दे रहा हूं। इसमें मैंने जैसा कि कहा है सुधार कर सकूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं और विशेषत अन्तिम वक्ता का उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनको मैंने नोट किया है। उन पर उचित कार्यवाही करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्य माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया और उपयोगी सुझाव दिए।

श्री सभापति आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

मुख्य मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सभापति महोदय,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980 को पारित किया जाए।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : काफी हो गया।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: मुख्य मंत्री महोदय ने काफी ऐसी बातें कह दी हैं जिनका मैं उत्तर देना चाहूंगा।

श्री **सभापति**: विपक्ष के नेता महोदय।

आर्डर प्लीज। कृपया बात न करें।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार का भाषण दिया उससे राजस्थान की तीन करोड़ जनता का भला होगा इस प्रकार का उन्हें भ्रम हो गया है। सभापति महोदय, मैं आशा नहीं करता था कि सदन के नेता महोदय का इस प्रकार का भाषण होगा। इस भाषण से राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं इसका किसी प्रकार का कोई संकेत या किसी प्रकार का दिशा बोध उनके भाषण से नहीं होता है। उन्होंने.......

श्री **सभापति** : आर्डर प्लीज।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : केवल इस बात की चेष्टा की है कि उनके भाषण का प्रभाव उन माननीय सदस्यों पर पड़ जाए जो माननीय सदस्य उनके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। इसमें उनको कितनी सफलता मिली है यह तो मैं नहीं कह सकता परन्तु इसका असेसमेन्ट श्रीरामजी ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते है।

श्री **श्रीराम गोटवाला** : आज मेरे ऊपर ही......

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : और किसी दूसरे से नहीं होगा

माननीय मुख्य मंत्री स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सके कि राजस्थान में प्रोहिबिशन स्क्रेप नहीं किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा अहम मसला है। उत्तर प्रदेश में प्रोहिबिशन को स्क्रेप किया गया बिहार में प्रोहिबिशन स्क्रेप किया गया। यहां पर माननीय सदस्य प्रोहिबिशन को स्क्रेप करने के लिए बात कह रहे हैं। इसलिए मुख्य मंत्री स्पष्ट रूप से कह देते कि वे प्रोहिबिशन को स्क्रेप करना चाहते हैं इसके बजाए वे सदस्यों के दिल में गए, मेरे दिल में गए। वे दिलों में पहुंचने लगे हैं।

श्री **सभापति** : यह अच्छी बात है

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : बहुत अच्छी बात है :

मैं समझता हूं कि मेरे दिल में पहुंच जाएं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु पीछे पहुंच जाए तो उनको वहां पता लगेगा कि उनके दिल में क्या होता है।

मान्यवर, सबसे बड़ी आवश्यक चीज यह है कि हम बजट पेश कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल को पारित कर रहे हैं। इस सदन को कम से कम इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि क्या सरकार प्रोहिबिशन को हटाना चाहेगी या नहीं? उन्होंने तो यह कहा कि मैं माननीय सदस्यों की भावना को जानता हूं। विरोधी दल के सदस्यों की भावना को जानता हूं। मैं अपने दल के सदस्यों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हम राजस्थान में प्रोहिबिशन को रखना चाहते हैं। इसलिए मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वे स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा करें कि राजस्थान में प्रोहिबिशन को रखेंगे या राजस्थान में प्रोहिबिशन स्क्रेप होगा ? यह बात मुख्य मंत्री महोदय को स्पष्ट करनी चाहिए ।

सभापति महोदय, दूसरी बात मुख्य मंत्री महोदय ने यह कही कि 44,000 स्थानान्तरण किए गए । मुख्य मंत्री महोदय को यह मालूम है कि पिछले ढाई साल में जितने स्कूल, कालेज राजस्थान में खुले हैं उतने राजस्थान में पिछले 30 वर्षों में नहीं खुले......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए ।

इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भाषण दिये कि इतने स्कूल खोल दिए हैं कि वहां पर टीचर्स नहीं थे । ये टीचर्स वहां पर नियुक्त किए गए । इस नियुक्ति को स्थानान्तरण की संज्ञा दी गई ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : बजट प्रोविज़न नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी पूरी बात सुन लीजिए ।

जितने स्कूल खोले गये—प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, वहां प[illegible] नियुक्त किए गए । यह स्थानान्तर[illegible] हैं । 44 हजार स्थानान्तरण [illegible]टीकरण कर दें । इनमें नयी [illegible]ई, गवर्नमेंट आर्डर्स से कितने स्थानान्तरण हुए ? मैं आपको चैलेन्ज करके कहता हूं इस समय, इस सदन में कि गवर्नमेन्ट आर्डर से इस सरकार की दस हजार डिजायर डाइरेक्टोरेट में पिछले दो महीने में पहुंच गयी हैं जब कि ढाई साल में यह दस हजार भी नहीं थी, 44 हजार का फिगर आप करेक्ट कर लें या फिर आप मुझे करेक्ट कर दें ।

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि टीचर्स में आम रिक्वेस्ट कितने ट्रान्सफर्स हुए । म्युचुअल ट्रान्सफर की संख्या आप निकालें, जिनकी नियुक्ति हुई है वह संख्या निकालें और गवर्नमेंट आर्डर्स से कितने ट्रान्सफर हुए हैं, उनको भी आप देखें, मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में अगर किसी ने रिकार्ड कायम किया है गवर्नमेन्ट आर्डर का तो वह रिकार्ड हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कायम किया है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने भी रिकार्ड कायम किया है ।

एक माननीय सदस्य : टेलीफोन के बिल देख लीजिये । जोधपुर हाउस का खर्चा देख लीजिये ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें निवेदन कर रहा था कि एक आपने टीचर्स के मामले में भ्रम पैदा किया वह तो अपने आप ही आप उस भ्रम में फसेंगे । कितने ट्रान्सफर्स किये, कितने नहीं किये यह मैं नहीं कहता, तो इतना ही कह सकता हूं कि आपने मानवता के आधार पर ट्रान्सफर करने की बात कही, अगर मानवता के आधार पर ट्रान्सफर करने का

(162)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कारण बनता तो मैं समझता हूं कि सदन के किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होती।

एक माननीय सदस्य : किसी को नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मानवता के आधार को छोड़कर, राजनैतिक आधार पर स्थानान्तरण किये जायं तो निश्चित रूप से सबको आपत्ति होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : केवल आपको दुख हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जयकृष्ण जी। क्या क्लेरिफिकेशन आप दे रहे, हैं ? माननीय सदस्य, की ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, मानवता के आधार की बात विपक्ष के नेता महोदय को आज याद आ रही है। मैं जब अपोजिशन की बैंचेंज पर था और मैंने यह एलीगेशन लगाया था उस समय की जनता सरकार के खिलाफ कि 17 हजार टीचर्स के तबादले किये, 1600 वैद्यों की जगह 2200 वैद्यों के तबादले किये, 232 विकास अधिकारियों के स्थान पर 400 विकास अधिकारियों के तबादले किये। उस समय आप बैठे हुये थे किन्तु आपने कोई जवाब नहीं दिया था।

मैंने इसी हाउस में यह कहा था कि रायपुर के थर्ड ग्रेड के टीचर की औरत ने वह सब कुछ देने से मना कर दिया जो इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर चाहते थे, सूर्यनारायण चौधरी ने तो उसका बाड़मेर तबादला कर दिया। इसी हाउस के अन्दर दो कानूनगों के तबादलों के बारे में उस समय अपोजिशन के नेता परसराम जी थे। उन्होंने कहा था कि दो कानूनगों के तबादले बाड़मेर कर दिये गये, क्योंकि वे घासीराम यादव के सपोर्टर थे जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। मैंने अध्यापकों के लिये कहा, इनके घर पर गया, इनसे हमेशा बिनती की, परन्तु फिर भी मैं उसको सही नहीं मानता और आज भी कह सकता हूं कि.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसलिये कहना चाहता हूं कि मानवता का पाठ पढ़ाना छोड़े, यह गरीबों के साथ अन्याय नहीं करें.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप समाप्त करें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसको राजनैतिक अखाड़ा मत बनायें। आपने बनाया, आपने गलत परम्परायें डाली हैं, आपने इस देश को गर्त में पहुंचाया है। इन्दिरा गांधी से नाराज थे, आयोग बिठाये, संजय गांधी से नाराज थे आयोग बिठाये। राजनैतिक नेताओं से नाराज थे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रयोग बनाया यह सब कार्यवाही की है। इस देश की राजनीति को गंदा करने की । इस देश के प्रजातंत्र को धूमिल किया। अगर इसका कोई जिम्मेदार है, तो वह भैरोंसिंह शेखावत है और जनता पार्टी की सरकार है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सारी राजनीति को धूमिल करने की बात कह दी । मुझे यह भी कहा कि वह कम से कम मुझे मानवता का पाठ नहीं पढ़ाये, यह बिल्कुल सही बात है । लेकिन वह अपने बारे में विचार करें । आप मेरे पास आये और कहने लगे कि कानून से तो अधिकृत नहीं हूं, लेकिन चूंकि मेरी लड़कियां रह रही है इसलिये मुझे उस मकान में रहने दिया जाय । मैंने आपको क्या कहा ? रहिये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह आपका स्टेण्डर्ड है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

माननीय सदस्य, आप बैठिये । माननीय जयकृष्ण जी को.......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । विपक्ष के नेता महोदय ने जय कृष्ण के बारे में कहा । वे अपनी बात पूरी कर लें । मैं उनको भी अवसर दूंगा । मैं माननीय सदस्य को पूरा अवसर दूंगा कहने का, ताकि वे अपनी बात कह सकेंगे । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । स्थान ग्रहण करें । विपक्ष के नेता को अवसर दें ।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इनफार्मेशन पर विपक्ष के नेता ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की है, इस सदन में सूचना दी थी कि प्लानिंग कमीशन में मुख्य मंत्री जी यह वायदा कर आये हैं कि प्रोहिबिशन स्कैप कर लिया जायेगा और मुख्य मंत्री ने इसको टोटली रिफ्यूट किया है । सदन को यह जानने की उत्सुकता है कि विपक्ष के नेता ने यह बात किस आधार पर कही ? गलत कही गयी है। तथ्य क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैंने यह प्रश्न इस आधार पर रखा था, माननीय सदस्य ने मानवता के आधार की बात कही, मैंने जो कहा उसको दोहरा कर यह बात कही । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कई टीचर्स के नाम बताये, किसी को केंसर के कारण, किसी को किसी बीमारी के कारण, कहीं पति-पत्नी अलग हो रहे हैं इसके कारण, कहीं आर्थिक स्थिति खराब है इसलिये उसको मानवता के दृष्टिकोण से दूर स्थानान्तरण न किया जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि आप उदाहरण देना चाहते हैं जनता पार्टी का, जनता पार्टी ने यह किया

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
है इसलिये हम भी करेंगे......

श्री शिवचरण माथुर : आप कहने के अधिकारी नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कहने का अधिकारी हूं । आप अभी तक बता नहीं रहे हैं कि कौन सा किया । यहां लोगों ने उदाहरण तक दिये कि आपने कहा किया और कहा नहीं किया......

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिये कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि टीचर्स को राजनीति में नहीं घसीटें । अगर यह करें, कि पिछली सरकार ने जो कुछ किया उसका बदला निकालें तो यह तो राजनीति स्पष्ट रूप से आ गयी । राजनीति तो आ गयी इसमें । राजनीति लाना चाहते थे वह तो आ गयी । मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स के मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं आये । मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही उसके लिये तो मैं दाद देना चाहता हूं कि किसी बीमारी के कारण या और किसी कारण से कोई गलत आदेश हो गये हैं, तो अगर माननीय सदस्य कोई नोटिस में लायेंगे तो उसके ऊपर विचार करेंगे । इसी आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 44 हजार का आंकड़ा दे दिया तो क्या आप प्रभाकर जी को यह छूट दे रहे हैं कि 22 हजार के तो हो गये, और 22 हजार के और हों । मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इन सब पर जाने की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय, एक बात और मुख्य मंत्री जी से कह दूं । जयपुर उद्योग के संबंध में उन्होंने कहा, पत्र लिखा है कि जयपुर उद्योग को राज्य सरकार द्वारा लिया जाय । मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में इस संबंध में एक बिल इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया हैं उस बिल के अन्दर जो प्रोविजन हैं, वह राजस्थान सरकार को जयपुर उद्योग मिल जाये इस संबंध में नहीं है । उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट नहीं होगा तो जयपुर उद्योग, सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को जायगा, जयपुर उद्योग राजस्थान सरकार को नहीं मिलेगा । उन्होंने पत्र क्या लिखा, इसका तो मुझे पता नहीं है लेकिन इसके साथ साथ एक राय है कि जो बी. ओ. पी. एल. के खिलाफ पुलिस कार्यवाही चल रही है आप, मैं समझता हूं, उसको जल्दी करायें । जो दूसरी पार्टी का प्रेसर आ रहा है कि राज्य सरकार इसको नहीं ले पाये, और सी. सी. आई. को भी नहीं मिले, यह सारी कोशिश हो रही है कि यहां वापस जैन समूह को मिल जाय, वह वापस जैन समूह को नहीं मिले । आपने पत्र लिखा यह तो ठीक है । हम सबको मिलकर यह कोशिश करनी होगी कि जयपुर उद्योग राजस्थान सरकार को मिल जाये, इसलिये यह प्रश्न आपके सामने रखा था । जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, मुझे कुछ नहीं कहना है । मुख्य मंत्री जी ने विकास की बात कही । स्कूल ज्यादा खोलने की बात कही लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जनता पार्टी के शासन के अन्दर एक हजार स्कूल हर वर्ष खोले, आपकी संख्या उससे बहुत कम है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दिवाला निकाल दिया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिवाला उस वक्त नहीं निकला।

सभापति महोदय, एक बात ग्रौर कही गयी, नय जिले कायम करने के संबंध में, वह मुझे दोहराने की ग्रावश्यकता नहीं है मुख्य मंत्री जी स्पष्टरूप से कह दें कि नये जिले नहीं खोलेंगे। मैं समझता हूं कि वह कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय लिया था, कमेटी बना कर उस कमेटी की भी घोषणा कर दी कि कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद नये जिले बनाने की बात होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव हमने रखा था, पास किया था या निर्णय लिया था उसको वर्तमान सरकार मंजूर करती है या नहीं, मेरा बिल्कुल पाइण्टेड क्वेश्चन है। उसी ग्राधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास की दृष्टि से जो नई हवा बनाई गई है, 353 करोड़ रुपये की योजना बन गई है, ग्रौर 353 करोड़ रुपये की योजना से इतने विकास के काम होंगे, श्री राजबहादुर जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस बजट में किसी प्रकार के लक्ष्य नहीं हो, यही बात मैंने भी ग्रपने बजट भाषण में कही थी जिसमें किसी प्रकार के लक्ष्य नहीं हों वहां विकास कैसे होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जहां जून का महीना निकल गया, जुलाई निकल गई, ग्रब 6 महीने के ग्रन्दर एक वर्ष का काम पूरा हो जाय, यह सम्भव नहीं है। ग्राज ग्राप कह सकते है कि गवर्नमेंट एक कण्टीन्युइंग प्रोसेस है। मैं भी मानता हूं। लेकिन उस गवर्नमेंट की जब तक दिशा नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी कि कौन सा लक्ष्य कहां प्राप्त करना है वह तो ग्रापके लिये टाइम 6 महीने का रहा है ग्रौर छः महीने में सब पूरा काम हो जाय, यह सम्भावना मुझे नजर नहीं ग्राती। यह तो 31 मार्च को पता लगेगा, जिस दिन नया बजट पेश होगा उस दिन पता लगेगा कि एक्चुग्रल्स कितने हुए, एक्सपेण्डीचर कितना हुग्रा, कितना सरप्लस हुग्रा, ग्रौर कितने लैप्स हो गया। इस ग्राधार पर जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है, उसका उत्तर देना मैंने ग्रावश्यक समझा।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण शर्मा।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री जयकृष्ण शर्मा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, मानवता का जो प्रश्न मैंने रखा उस पर विपक्ष के नेता महोदय ने एक बात बड़े जोर शोर के साथ कही। यह विपक्ष के नेता महोदय को भी मालूम है कि मैं उस कोठी के ग्रन्दर सन 67 से बैठा हुग्रा हूं मैं भी सन 77 में भी विधान सभा का चुनाव लड़ कर ग्रौर जीत कर ग्राया था। राजस्थान की विधान सभा का सदस्य था। मैंने कोशिश की कि मुझे कोई भी एम. एल. ए. क्वार्टर, चाहे सी. हो, चाहे डी. हो, मिलना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ग्रापकी पार्टी गलत परम्परा डाल रही है, जो भी लोग है, उनको मकान तरीके से मिलना चाहिए। मेरे बच्चे यहां पढ़ते हैं। मैंने कोई उनसे भीख नहीं मांगी, मैंने कोई दया नहीं मांगी, जितना भी ग्रसेसमेंट ग्राफ रेण्ट होगा, वह मैं दूंगा इन्होंने कलम कभी नहीं चलाई। कलम ऐसे चलती है राजबहादुर जी ने ग्रभी मकान मांगा, विपक्ष के नेता महोदय, राजबहादुर

(166)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जी को मकान अलाट होकर 3 नम्बर की कोठी मिल गई। मुझे पूरे तीन साल में आपने कोई अलाटमेंट नहीं किया। मैं बैठा रहा। मैं उसी में अनधिकृत कब्जे के तौर पर बैठा रहा। आपने कभी कभी यह कह दिया होगा, कि हां इनसे खाली न करायें, लेकिन आपने कानूनी अपनी कलम चलाकर कोई मेहरबानी मेरे ऊपर की हो यह बात नहीं है। मैं एक बात आपसे खासतौर से कहना चाहता हूं कि आप खड़े होकर कहिये। साफ तौर पर मैंने आपसे कानूनगो के ट्रांसफर के लिये नहीं कहा। आप खड़े होकर कहो मैंने टीचर के ट्रान्सफर के लिये नहीं कहा कि यह गरीब लोग हैं, बाहर जा रहे हैं, आप उस बात को क्यों इधर उधर करते हैं? साइडट्रेक करने की आपकी आदत है। आप खड़े होकर कहदें कि मैंने किसी कानूनगो, टीचर के लिए कहा नहीं कहा, मैं जो कह रहा हूं उसको भी तो कहो। आपको मैंने भी कहा था इस हाउस में कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, आक्शन में जब मकान के लिये मिला, उस दिन मैंने कहा था, मुख्य मंत्री जी यह मकान मुझे अलाट कर दो अब थोड़े ही दिन हैं जब आपको खाली करना है और शायद मुझे अभी नहीं करना है। इसलिये मुझे इस मकान का अलाटमेंट कर दो। मैंने यह भी कहा था, मेरे साथ 3 आदमी थे। आज इस विधान सभा के सदस्य घासी राम यादव, रामसिंह यादव, एम.पी. यह बात मैंने आपसे कही है। सो आपने दया तो क्या की, केवल इतनी सी जरूर मेहरबानी की कि समय समय पर खाली होने का मामला आया आपने उसको कह दिया। फाइल पर कलम चलाने का काम आपने नहीं किया। फाइल पर कलम चली है, राजबहादुर जी की जो एम.एल.ए. हैं, उन्होंने हमारे मुख्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट की, मैं हिन्दुस्तान का सीनियर राजनीतिज्ञ रहा हूं, एम.पी. रहा हूं, सेन्टर का मिनिस्टर रहा हूं, पहली दफा एम.एल.ए. बना हूं। अगर विधान सभा की तरह से देखें तो उनका पहला टर्म है। उनको अलाट किया है, तो दया तो आपने की नहीं, और जो दया के कारण है वह आप भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूं।

श्री सी.पी. जोशी : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न है, श्री सी.पी. जोशी का।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, जब जब विरोधी दल के नेता भैरोंसिंह जी सदन में स्टेटमेंट देते हैं तो ××× स्टेटमेंट देते हैं।

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज। ××× शब्द को कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, माननीय सदस्य भाषण में संयम बरतें, कृपया।

श्री सी.पी. जोशी : मैं व्यवस्था चाहता हूं जब जब विरोधी दल के नेता सदन में भाषण देते हैं, तब तब वह कोई न कोई चीज कोट करते हैं, प्लानिंग कमीशन में मुख्य मंत्री जो ने यह बात कही थी, कभी यह कहते हैं कि हमने यह लैटर लिखा। मेरा निवेदन है

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपमार्जित किया गया।

(श्री बी. पी. जोशी)

कि जब तक उनके पास आर्थेंटिक इनफार्मेशन नहीं हो तब तक सदन का समय खराब करते रहें तो जो मुख्य बात है वह नहीं होती है। इस बात की व्यवस्था दें कि आर्थेंटिक हो वह बात सदन में कहें।

श्री सभापति समाप्त करें, माननीय सदस्य। This is not point of order यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, यही व्यवस्था है

माननीय मुख्य मंत्री जी

विधेयक का पारण

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीय सभापति महोदय, इससे पहले मैं कोई बात कहूं मैं आपसे और विरोधी दल के नेता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, कि कोई व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप चाहे परिवार के सदस्यों पर हों, या किसी अन्य व्यक्ति जो यहां जवाब नहीं दे सकते हैं, पर लगायें तो बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए। मुझे बहुत दुख है कि ऐसी चर्चा हुई। मैं जानता हूं कि ऐसी मंशा नहीं थी। ऐसा होता है कि जो बात निकल गई लेकिन ऐसा ध्यान रखकर चलेंगे, तो अच्छा होता। यह तो मैंने कहा कि मैंने कोई अहसान नहीं किया है। हम इस बात की कोशिश करते हैं। चाहे पक्ष का हो या विपक्ष हो लेकिन अगर कोई बात कही है तो उसको मानकर काम करने की कोशिश करते हैं उसका राजनैतिक आधार पर फैसला नहीं किया जाता है। राजनैतिक आधार के फैसले रीति नीति के होते हैं। जैसा कि मैंने दोहराया कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी जीती है तो रीति नीति का प्रश्न होता है। हम पार्टी के आधार पर निश्चित रूप से तय करते हैं। लेकिन उसको भी सदन में लाकर हम अप्रूव नहीं करावें, क्रियान्वित नहीं करते हैं। इसलिए इस पर हम चलते हैं, चलते रहेंगे, राजनीति से अलग हम हो नहीं सकते, हम राजनीति में हैं, अपक्ष, इसलिए इसके नियम बने हुए हैं, इसलिए हम सबको यहां बात करने का मौका मिलता है। लेकिन जितना हमसे सम्भव हो सके, राजनीति को कम से कम प्रवेश करें। मैंने कहा, शुरू में ही स्पष्ट कर दिया ट्रान्सफर की चर्चा मेरे कहने के बावजूद फिर होगी। फिर दोहरा देना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा केस हो गया जिसके अन्दर मानवता के दृष्टिकोण से आप समझते हैं कि कोई गलती हो गई या हम समझते हैं गलती हो गई और उसको राहत देना जरूरी है तो ऐसे केसेज नोटिस में लायें। उसको हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम बार बार आरोप लगाना कि हमने ऐसा कर डाला या वैसा कर डाला। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि आपने किया वह भी अच्छा नहीं किया। कोई गलती हो गई आपने की या हम से भी कोई गलती हुई उस गलती को हम दोहराना भी नहीं चाहेंगे। आपकी भी जो अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते चले जा रहे हैं। लेकिन वह इसलिए नहीं मानते कि आपने की हैं। वह इसलिए मानते हैं कि वह अच्छी है। हमारी समझ में नहीं आती हैं बहुत सारी बातें तो उनको नहीं मानते हैं, जो बात अच्छी है वह तो अच्छी है। उसको गलत नहीं मान सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राजनैतिक आधार बनाने की कोशिश नहीं की जाये। तबादलों के अन्दर मास्टरों को फांस लें, रैली का इन्तजाम करें, बहुत सारी हड़तालें करें तो उससे कोई लाभ निकलने वाला नहीं है। आखिर सरकारी कर्मचारी हैं। वह समाज के अच्छे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

तबके के लोग हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे वह गुरू हैं, शिक्षक हैं, इन सब को हमें परेशान नहीं करना चाहिये। वह बार बार कोशिश कर रहे हैं, उनको अपना बना लेंगे उसमें सफल नहीं हो सकते। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार उनको मानकर चलती है। उनमें किसी के साथ ज्यादती हो गई है, उसके बारे में आपको बार-बार दोहरा रहा हूं हमारे नोटिस में ला दें। लेकिन मानवता के आधार पर विचार किया जायगा।

एक बात मुझे और कहनी पड़ रही है, श्रीमन्, लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे। 6 महीने का समय रह गया है। बाबू राजबहादुरजी चले गये हैं उनकी बड़ी कृपा है भाषण देकर चले जाते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बजट भाषण के पेज 9 पर यह कहा गया है "अब से शुरू होने वाले अगले 12 महीनों में लगभग 2500 गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है, जिनमें लगभग 1800 गांव इसी वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत हो जायेंगे। मैं ध्यान में रख कर चला हूं साल क्या होता है और छः महीने क्या होते हैं, हमें मालूम है कि कितना समय हमारे पास में है। इसी प्रकार से जो और प्रावधान हमने रखे हैं चाहे बिजली का सवाल हो, चाहे पानी का सवाल हो, या दूसरी बातों का सवाल हो, यह जो टाइम गेप है, इसका हमको बराबर ध्यान है और राजस्थान के विकास का हमारा बराबर प्रयत्न होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेज दो की आठवीं लाइन पढ़ कर सुना दें।

श्री केसरीसिंह राठौड़ : एक लाइन से क्या होगा ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सबको पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इससे क्या फायदा ? मैं आग्रह कर रहा हूं कि राजस्थान के विकास में सभी माननीय सदस्य मिल कर सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1980 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 27 अगस्त, 1980 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.01 बजे शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

काम के बदले अनाज योजना में संलग्न श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

651. श्री **भंवरलाल शर्मा** (हवा महल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट (जयपुर) की ग्राम पंचायत, कालवास के गुढा सम्पतपुरा गांव में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत धर्मशाला का निर्माण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 8 मार्च, 1980 तक कार्यरत 40 श्रमिकों की मजदूरी की कुल राशि रु. 6829.32 पैसे का भुगतान सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 1 जुलाई, 1980 के बावजूद भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि लालसोट तहसील की ग्राम पंचायत, कालवास के गुढा सम्पतपुरा ग्राम में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत धर्मशाला का निर्माण कार्य किया गया था

(2) जी हां। यह सही है। सरपंच ने 1-1-80 से 8-3-80 तक इस कार्य पर कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए तीन बार रुपया 5356.04 पैसे के मस्टर रोल विकास अधिकारी लालसोट को पेश किये थे। 1-7-80 को कनिष्ठ अभियन्ता ने अपनी रिपोर्ट में इस कार्य का 6886.92 पैसे का मूल्यांकन किया था। चूंकि पंचायत को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अपने स्तर पर ही 7 हजार रुपये तक के कार्य चालू करने के अधिकार थे, इसलिए पंचायत द्वारा भेजे गये मस्टर रोल के आधार पर विकास अधिकारी ने गेहूं व नकद राशि इस कार्य के लिये पंचायत को आवंटित करदी परन्तु इस बीच में यह शिकायत प्राप्त हुई कि सरपंच ने जन-सहयोग से जो पत्थर आदि डलवाये थे उसका भुगतान भी सरकारी रकम से करना बताया है। इसके अतिरिक्त पंचायत के 2/3 पंचों ने भुगतान का विरोध किया और पंचायत के कोरम के अभाव में भुगतान की स्वीकृति सरपंच पंचायत से प्राप्त नहीं कर सके। इन कारणों से इस कार्य पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। दिनांक 27-6-80 को विकास अधिकारी, लालसोट को शिकायत की शीघ्र जांच के निर्देश दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंचों को सन्तुष्ट करके मजदूरों के उचित भुगतान के आदेश दे दिये जावेंगे।

(170)

झुंझुनू जिले की पंचायत समितियों व जिला परिषद् के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

653. श्री **लच्छूराम** (मण्डावा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झुंझुनू जिले की पंचायत समितियों व जिला परिषद् में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो एक ही पदों पर तीन से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं ? ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण के विषय में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

ऐसे कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1- अध्यापक	980
2- ग्राम सेवक	60
3- वरिष्ठ लिपिक	14
4- कार्यालय सहायक	2
5- कनिष्ठ लिपिक	21
6 स्टाकमैन	9
7- जीप चालक	6
8- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30
योग ...	1131

कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धित कर्मचारी के आवेदन-पत्र प्राप्त होने या उसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर या प्रशासनिक कारणों से किये जाते हैं।

प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी सड़क के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा

654. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ :— छोटी सादड़ी मार्ग का डामरीकरण कब पूरा हुआ ?

(2) उक्त मार्ग पर प्रतापगढ़ से अम्बामाता के मन्दिर तक कितने खातेदार किसानों की कितनी-कितनी जमीन सड़क हेतु अवाप्त की गई है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन किसानों की जमीन सड़क हेतु ली गई है उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया ?

(4) सरकार इन किसानों को अब कब तक मुआवजा देने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर डामर का कार्य 1975 में पूरा हुआ था ।

(2) इस मार्ग पर 93 खातेदार किसानों की जमीन सड़क में ली गई।

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

जिन किसानों की जमीन सड़क में ली गई है उन्हें मुआवजा दे दिया गया है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण भूमि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गई प्रतापगढ़ छोटी-सादड़ी रोड

क. सं.	नाम खातेदार	नाम गांव	खसरा सं.	रकवा	मुआवजे की राशि जो भुगतान की गई
1	2	3	4	5	6
1.	श्री किशना पिता भागीरथ	घामनी	488	7 बिस्वा	35.00
2.	श्री मोतीलाल पिता किशन	कुलमीपुरा	523	3 बिस्वा	45.00
3.	श्री मोती पिता रूपा	कुलमीपुरा	872	1 बीघा 12 बिस्वा	480.00
4.	श्री लाला पिता रूपा	कुलमीपुरा	880	10 बिस्वा	100.00
4.A	श्री लाला पिता रूपा	कुलमीपुरा	389/345	2 बिस्वा	20.00
5.	श्री कानापुरी पिता हीरापुरी	धमोतर	251/252	1, 3 बिस्वा	30.00
6.	श्री अम्बालाल पिता मन्नालाल	धमोतर	257	9 बिस्वा	67.50
7.	श्री [illegible]कार पिता परथा	अम्बामाता रोड	5.6.7	1 बीघा	137.50
8.	श्री गफूरखां पिता वक्षीखां	धमोतर	602/256	1 बिस्वा	5.00
9.	श्री गोरिया पिता भावासिंह	सिधपुर	3	6 बिस्वा	30.00
10.	श्री कानापुरी पिता हीरापुरी	कुलमीपुरा	8.28	2 बिस्वा	20.00
11.	श्री हुकमीचन्द पिता लक्ष्मीचन्द	कुलमीपुरा	—	3 बिस्वा	20.00
12.	श्री रामचन्द्र पिता सरूपा	दुधलीटोडा	356	14 बिस्वा	140.00
13.	श्री घीसी पिता हीरा	दुधलीटोडा	357	10 बिस्वा	100.00
14.	श्री रतनलाल पिता गंगाराम	कुलमीपुरा	843	1 बीघा 2 बिस्वा	300.00

1	2	3	4	5	6
15.	श्री हीरा पिता गोधा	बगवास	186 से 188	6 बिस्वा	100.00
16.	श्री अम्बालाल पिता नानूराम	बगवास	190	6 बिस्वा	600.00
17.	श्री अम्बालाल पिता प्यारा	बगवास	346/ 85	11 बिस्वा	165.00
18.	श्री फतेहलाल पिता वरदीचन्द	प्रतापगढ	448/192	7 बिस्वा	70.00
19.	श्री निमाल पिता धूला	कामडीखेड़ा	123/124	4 बिस्वा	85.00
20.	श्री गोबरलाल पिता गंगाराम	सिधपुर	164	4 बिस्वा	40.00
21.	श्री रामलाल पिता सुमान	सिधपुर	320,319, 247,242	2 बिघा 2 बिस्वा	950.00
22.	श्री भूवान सिह पिता राना	सिधपुर	252	7 बिस्वा	70.00
23.	श्री चोखा पिता हेमा	सिधपुर	257	13 बिस्वा	162.50
24.	श्री रूपा पिता हेमा				
25.	श्री मेघा पिता हेमा				
26.	श्री हेमा पिता भोपा वन्जारा	मलेसारिया	330	4 बिस्वा	30.00
27.	श्री हेमा पिता देवा	मलेसारिया	276	4 बिस्वा	30.00
28.	श्री हेमा पिता भग्गा	मलेसारिया	336	4 बिस्वा	30.00
29.	श्री धापू पिता हेमा	मलेसारिया	277	6 बिस्वा	45.00
30.	श्री गोरिया पिता पृथा	मलेसारिया	—	—	—
31.	श्री किशन पिता भग्गा	मलेसारिया	394,279	1 बीघा	7.50
	श्रीकिशन पिता पृथा	अम्बामाता रोड	399,397	19 बिस्वा	385.00
32.	श्री गोरिया पिता भंवरसिंह	मलेसरिया	337	2 बिस्वा	10.00
33.	श्री चम्पा पिता नन्दा नाई	प्रतापगढ़	339,342	2 बिस्वा	80.00
34.	श्री ऊंकार पिता पृथा	अम्बामाता	359	1 बिस्वा	10.00
35.	श्री अम्बा लाल पिता गंगाराम	कुलमीपुरा	437,431	23 बिस्वा	205.00
36.	श्री कन्हैया लाल पिता गणेश राम	कुलमीपुरा	438	6 बिस्वा	120.80
37.	श्री भंवर लाल पिता केसरालाल	कुलमीपुरा	444	11 बिस्वा	110.00

38.	श्री ऊंकार पिता देवा	कुलमीपुरा	442	3 बिस्वा	75.00
39.	श्री शंकरपुरी पिता हीरापुरी	कुलमीपुरा	452, 450, 479		
40.	श्री पेमापुरी पिता सांगीपुरी	कुलमीपुरा	455, 478	13 बिस्वा	180.00
41.	श्री रामापुरी पिता हीरापुरी	कुलमीपुरा	454	7 बिस्वा	140.00
42.	श्री उदा पिता भोरा	कुलमीपुरा	485	6 बिस्वा	30.00
43.	श्री गुलाब पिता सवामीना	कुलमीपुरा	447, 48	8 बिस्वा	60.00
44.	श्री कमला राम पिता भवनी राम	कुलमीपुरा	534	4 बिस्वा	20.00
45.	श्री मोहन लाल पिता मंगनी राम	धमोतरा	491	6 बिस्वा	60.00
46.	श्री चम्पा लाल पिता भवाना	कुलमीपुरा	841	1 बिस्वा	15.00
47.	श्री मांगी लाल पिता ग्रम्बालाल	कुलमीपुरा	840	1 बिस्वा	15.00
48.	श्री भंवर लाल पिता नन्दराम	कुलमीपुरा	839	3 बिस्वा	45.00
49.	श्री वजीजीजे पिता सिताराम	कुलमीपुरा	531	6 बिस्वा	90.00
50.	श्री ऊंकार लाल पिता चुन्नीलाल	कुलमीपुरा	527	6 बिस्वा	90.00
51.	श्री बालमुकन्द पिता कालू	कुलमीपुरा	528	2 बिस्वा	30.00
52.	श्री गोतम पिता हरिया	,,			
53.	श्री फतिया/ब्रिजलाल	कुलमीपुरा	866	1 बिस्वा	15.00
54.	श्री दली/चन्दभवाना	,,			
55.	श्री मथुरा लाल	कुलमीपुरा	869	5 बिस्वा	75.00
56.	श्री सरीराम/रूपा	कुलमीपुरा	870	12 बिस्वा	180.00
57.	श्री जयलाल/कुला	करमदीखेड़ा	391|345	1 बिस्वा	5.00
58.	श्री गोबर लाल पिता जेयराम	करमदीखेड़ा	390|345	4 बिस्वा	40.00
59.	श्री गोतम पिता हरी राम	दुधलीटांड़ा	343	11 बिस्वा	110.00
60.	श्री दिया पिता राण	दुधलीटांड़ा	347	6 बिस्वा	30.05
61.	श्री नन्दा पिता भेरा मीना	बगवास	157	16 बिस्वा	120.00
62.	श्री ऊंकार पिता कालू	बगवास	159	4 बिस्वा	30.00
63.	श्री कालू पिता फकीरा	बगवास	167	3 बिस्वा	22.50
64.	श्री जोमीबेवा पिता ग्रम्बादास	बगवास	168	6 बिस्वा	140.00

1	2	3	4	5	6
65.	श्री शंकर पिता भुवाना	वगवास	161	3 विस्वा	22.50
66.	श्री लच्छीराम पिता नन्दा मीना	वगवास	169/2	11 विस्वा	82.50
67.	श्री केशुराम पिता नन्दा	वंगवास	170,283-84	21 विस्वा	205.00
68.	श्री नानूराम पिता नवलजी	बगवास	125,454,128	31 विस्वा	455.00
69.	श्री धनराज पिता नीमचन्द	प्रतापगढ	129,124,127 119	1 विस्वा	10.00
70.	श्री धन्ना पिता भेरा	बगवास	91/296	17 विस्वा	255.00
71.	श्री उदा पिता लखमा	बगवास	92	14 विस्वा	210.00
72.	श्री लालू पिता नन्दा	वगवास	88	9 विस्वा	135.00
73.	श्री अमृत लाल पिता सामर्थसिंह	दुधलीटांडा	107	9 विस्वा	135.00
74.	श्री रामवाण पिता गणपत	धमोतर	650	2 विस्वा	30.00
75.	श्री निहालचन्द पिता शिव राम	धमोतर	365	8 विस्वा	120.00
76.	श्री मंगल पिता नगजी	धमोतर	642,399	12 विस्वा	240.00
77.	श्री ऊंकार पिता किशन	धमोतर	202	2 बीघा 15 विस्वा	825.00
78.	श्री थावर चन्द पिता लच्छमी चन्द	धमोतर	383	1 बीघा 14 विस्वा	510.00
79.	श्री बाल मुकुन्द पुत्र किशन लाल	प्रतापगढ़	385,86	1 बीघा 2 विस्वा	630.00
80.	श्री रमजान खां पिता बोहम खां	बमोतर	387,389,393	2 बीघा 4 विस्वा	980.00
81.	श्री हरक पिता गल्ला	वमोतर	397	7 विस्वा	175.00
82.	श्री गौतम पिता शंकर				
83.	श्री परथीराज पिता रामलाल	बमोतर	143	6 विस्वा	150.00
84.	श्री गवजीया पिता देवा मीना	बमोतर	142	13 विस्वा	325.00
85.	श्री परथा पिता रामा	वमोतर	14,142	1 बीघा 2 विस्वा	520.00
86.	श्री भगवानिया पिता विलिया	वमोतर	28/ 438	1 बीघा 4 विस्वा	180.00
87.	श्री अम्बालाल पिता कुशला				
88.	श्री विजिया पिता	वमोतर	433	1 विस्वा	10.00
89.	श्री मांगीलाल पिता बाला	बमोतर	435	8 विस्वा	200.00

90.	श्री हंकरिया पिता पुंजिया	बमीतर	439—40	1 बीघा 7 बिस्वा	720.00
91.	श्री तेलाराम पिता नानूराम	बमीतर	1753/710	3 बिस्वा	30.00
92.	श्री चांदमल पिता पन्नालाल	प्रतापगढ	705, 709/2	9 बिस्वा	90.00
93.	श्री बाल मुकुन्द पिता शम्भू	प्रतापगढ	710	3 बिस्वा	45.00

(176)

सहायक वनपाल की सेवामुक्ति का प्रकरण

655. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गौरी शंकर गुप्ता, जिला वन अधिकारी, वन उप खण्ड, अजमेर द्वारा श्री रामा, सहायक वन पाल को सेवा मुक्त कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री रामा सहायक वनपाल, जिसकी जन्मतिथि सेना के रिकार्ड के अनुसार 23 मार्च, 1946 है को सेना के सेवा काल में प्रशंसा-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो फिर सेवा मुक्त करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) मण्डल वन अधिकारी, अजमेर द्वारा श्री रामा को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर 30 जून, 1980 को सेवा निवृत्त किया गया है।

(2) श्री रामा, सहायक वनपाल के सर्विस रिकार्ड में, उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई, 1925 प्रमाणित है। वे वन विभाग में दिनांक 14-7-1953 से सेवारत थे यथा इनकी जन्म तिथि 23 मार्च, 1946 होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें प्रमाणित जन्म तिथि के आधार पर ही नियमानुसार सेवा निवृत्त किया गया है।

जिला बूंदी की बंजर भूमि के बारे में भावी योजना

656. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बून्दी में कितनी बंजर भूमि पड़त है तथा कितनी बंजर भूमि को समतल किया गया है ? विभाग की इस संबंध में क्या भावी योजना है ?

उत्तर

जिला बून्दी में 29641 हैक्टेयर बंजर भूमि है। इसके अतिरिक्त 71554 हैक्टेयर भूमि बेहड़ खाल दरड़ा की ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-में कन्दरा सुधार योजना के अन्तर्गत 32696 एकड़ बिलानाम राजकीय बेहड़ भूमि में तथा 46 एकड़ कृषकों की निजी कन्दरा भूमि में समतलीकरण कार्य कराया गया है। इस समय बून्दी जिले में यह कार्य चालू नहीं है, और न ही भविष्य में क्रियान्वित करने की अभी कोई योजना है।

बीकानेर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में विद्यालयों की क्रमोन्नति

657. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1980-81 में कितने प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है ? उसके क्या आधार हैं ?

(2) सरकार बीकानेर जिले में सन् 1980-81 में कितने और कहां कहां पर नये प्राथमिक विद्यालय खोलने जा रही है ?

उत्तर

(1) विद्यालय क्रमोन्नत करने के सभी

(शिक्षा मंत्री)

प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। विद्यालय स्थान-विशेष की आवश्यकता, भवन की व्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्रमोन्नत किये जावेंगे।

(2) यह अभी विचाराधीन है।

नाथद्वारा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

658. श्री **सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सन् 1980-81 में नये प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने जा रही है? यदि हां, तो नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के कौन कौन से गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। केवल भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं कोटा जिलों में यू.एन.एफ.पी.ए. (UNFPA) की सहायता से 100 उप केन्द्र खोले जायेंगे। नाथद्वारा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

धवान-गोलेटा सड़क (सवाई माधोपुर)

659. श्री **चेतराम** (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धवान-धोलेटा सड़क, जिला सवाई माधोपुर की मंजूरी किस वर्ष में हुई तथा इस पर मिट्टी डालने का कार्य किस वर्ष हुआ?

(2) क्या इस सड़क को पक्की बनाने का कार्य भी हुआ है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण देने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि इस सड़क के पक्की बनाने में जो धनराशि लगी वह सेंट्रल रोड फंड से खर्च की गई है? यदि हां, तो उस फंड से इसे पूर्ण क्यों नहीं कराया गया?

(4) क्या सरकार का अब इस सड़क को पूर्ण कराने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) इस सड़क के लिये सन् 1971-72 में एक लाख रुपये एवं 73-74 में 4 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। उपरोक्त स्वीकृतियों के तहत मिट्टी का कार्य 72-73 व 74-75 में हुआ था।

(2) जी हां।

इस सड़क पर 11 किलोमीटर डामर सड़क का कार्य किया गया है।

(3) जी हां।

जो धन राशि सेन्ट्रल रोड फंड से स्वीकृत हुई थी वह पूर्ण लम्बाई (27 कि. मी.) में सड़क निर्माण कार्य के लिये अपर्याप्त थी। इस कारण सड़क पूरी नहीं कराई जा सकी।

(4) धनाभाव के कारण शेष लम्बाई में सड़क निर्माण कार्य अभी विचाराधीन नहीं है।

तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से सीधी बस सेवा से जोड़ना

660. श्री **भंवरलाल** (सुजानगढ़): क्या

(श्री भंवरलाल)

यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने तहसील मुख्यालय हैं जो जिला मुख्यालय से सीधी बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं और क्यों ?

(2) ऐसे तहसील मुख्यालयों को सरकार कब तक मुख्यालयों से सीधी बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ?

(3) सुजानगढ़ तहसील मुख्यालय सीधी बस सेवा से जिला मुख्यालय से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में 6 तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय से सीधी बस सेवा द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं। यह तहसील मुख्यालय ज़िला मुख्यालय से लिंक सेवा से जुड़े हुए हैं। इन तहसील मुख्यालय पर निगम की बस सेवाएं नहीं जाती हैं निजी वाहन जिला मुख्यालयों से इन तहसील मुख्यालयों पर सीधी बस सेवा नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि इन मार्गों पर 10 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीयकृत मार्ग आता है।

(2) ऐसे तहसील मुख्यालयों से सम्बंधित मार्गों को राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जिला मुख्यालयों से सीधी बस सेवा द्वारा जोड़ा जाना संभव है।

(3) यह निगम द्वारा संचालित झुंझुनू डीड ाना वाया चूरू, सुजानगढ़ एवं चूरू, नागौर वाया रतनगढ़, सुजानगढ़ सीधी बस सेवा से जुड़ा हुआ है।

जयपुर में चांदी की टकसाल स्थान पर बस स्टेण्ड व शेड की व्यवस्था

661. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर, दिल्ली आदि स्थानों के लिए चांदी की टकसाल, जयपुर से राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सवारियां ली जाती हैं ? यदि हां, तो सरकार यात्रियों की सुविधा हेतु छांव व कोई शेड या स्टेण्ड की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां।

यद्यपि इस माग में संचालित वाहनों के लिये बस स्टेण्ड घोषित किया हुआ नहीं है लेकिन वाहनों में स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में चांदी की टकसाल पर वाहनों को 1-2 मिनट रोक कर यात्री ले लिये जाते हैं।

इस स्थान पर पैसेन्जर शेड लगाने हेतु कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। अतः शेड बनाना संभव नहीं है।

रायपुर के भूतपूर्व नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

662. **श्री मुखलाल सेणचा** (रायपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रायपुर के भूतपूर्व नायब तहसीलदार श्री बाघसिंह के विरुद्ध जिलाधीश, पाली को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उन्हें पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच कराने पर शिकायत गलत व आधारहीन पाई गई है।

(2) जी हां। आवश्यक / अस्थाई आधार पर पदोन्नत किया गया है, जो कि

(राजस्व मंत्री)
नियमानुसार हैं।

सागवाड़ा कस्बे में महाविद्यालय खोलना

663. **श्रीमती कमला** (सागवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर में एक लम्बे अर्से से कालेज स्थापित किये जाने की मांग चली आ रही है? यदि हां तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि सागवाड़ा तहसील में माध्यमिक शाला स्तर के कई स्कूल एवं पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी भी हैं?

(3) क्या यह सही है कि सागवाड़ा कस्बे में कॉलेज के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध है?

उत्तर

(1) सागवाड़ा में 1978 में एक नया कॉलेज खोलने की मांग प्राप्त हुई थी।

(2) सागवाड़ा पंचायत समिति में 9 माध्यमिक विद्यालय हैं किन्तु कालेज में प्रवेश लेने के लिये माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का कोई संबध नहीं है।

(3) इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जोधपुर नगर में राशन की दुकानें

665. श्री **मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा): क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार जोधपुर नगर में हर 2000 यूनिट पर अलग से राशन की दुकान खोल रही है जबकि सन् 1950 से सहकारी उपभोक्ता भंडार सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं?

(2) क्या सरकार ने नई प्राइवेट दुकानें खोल कर सहकारी आन्दोलन को संकट में डाल दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार नयी खोली गयी दुकानें वापस निरस्त करने का विचार कर रही है?

(3) सरकार गेहूं, चीनी, केरोसिन की बिक्री पर उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को कितना कमीशन देती है?

उत्तर

(1) भारत सरकार के निर्देशानुसार 2000 की यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान खोलने के निर्देश सभी जिलाधीशों को दिये गये हैं। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जनता की कठिनाईयों के निराकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में एक उचित मूल्य की दुकान अवश्य हो।

(2) पूर्व में कार्यरत निजी दुकानें जिनका कार्य संतोषप्रद है, यथावत रखने के निर्देश दिये गये हैं। जहां सहकारी संस्थायें नहीं हैं अथवा सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो ही निजी दुकानें दिये जाने के निर्देश हैं।

(3) गेहूं पर 1.00 रुपया, चीनी पर 1.50 रु. प्रति क्विन्टल कमीशन एवं खाली बोरी मुफ्त दी जाती है। केरोसिन पर 3 पैसे प्रति लीटर कमीशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवहन व्यय पृथक से देय है।

(180)

नदबई में मुंसिफ कोर्ट खोलना

667. श्री **यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर मुन्सिफ कोर्ट में नदबई तहसील के प्रति वर्ष लगभग कितने केस आते हैं।

(2) क्या नदबई में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की कोई योजना थी ? यदि हां, तो उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) नदबई तहसील से उद्भूत औसतन मुकदमें 200-225 भरतपुर न्यायालयों में प्रति वर्ष दायर होते हैं।

(2) जी, नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं थी।

टौंक नगर में सिटी बस सर्विस प्रारम्भ करना

668. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार टौंक नगर में पक्के बन्धे से चमड़े का कारखाना, चुंगी चौकी, मयूर बीड़ी फैक्ट्री, घण्टाघर तथा बड़ा कुआं के लिये सिटी बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

टौंक शहर में पक्के बन्धे से चमड़े का कारखाना, चुंगी चौकी, मयूर बीड़ी फैक्ट्री, घण्टाघर तथा बड़ा कुआं के लिए सिटी बसें चलाने हेतु परिवहन विभाग को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ और न ही इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में टौंक में सिटी बसें चलाने का कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है। जहां तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सिटी बस चलाने का सम्बन्ध है निगम के लिये यह योजना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अतः निगम द्वारा उक्त बस चलाने का कोई विचार नहीं है।

थाना खारची में दर्ज विद्युत तारों की चोरी का प्रकरण

669. श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में पाली जिले खारची थाने में विद्युत तारों की चोरी का मामला दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मुकदमे की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जांच के दौरान चोरी का माल प्रेम केबल फैक्ट्री, पीपलिया कलां, जिला पाली, के यहां बरामद हुआ था जिसे कहीं अन्य स्थान पर बरामद होना बताया गया था ?

(3) क्या सरकार किसी उच्चस्तरीय अधिकारी से पुनः मामले की जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री मोहन सिंह, एस. एच. ओ., थाना खारची ने तफतीश की।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। चोरी गया माल मुल्जिम उदाराम की सूचना पर ब्राइट मैटल फैक्ट्री के पीछे श्री सलीम उर्फ नथ्थू के कब्जे से बरामद किया गया ।

(3) इस अभियोग में अभियुक्तगण उदाराम, मंगाराम व सलीम को गिरफ्तार किया जाकर अभियोग का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जहां विचाराधीन है। अतः पुनः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

तहसील माण्डल में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु जिला स्तरीय कार्यालय खोलना

670. श्री **बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डल तहसील में अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है ?

(2) क्या उक्त तहसील में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोग एक ही जगह बसे हुए हैं या बिखरे हुए हैं ?

(3) सरकार ने अब तक इन अनुसूचित जाति एवं जन जाति बहुल क्षेत्रों के लिये क्या-क्या सुविधा प्रदान की हैं ?

(4) इन लोगों के उत्थान के लिये क्या सरकार माण्डल नगर में समाज कल्याण विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) माण्डल तहसील में 1971 की जन गणना के अनुसार अनुसूचित-जाति की आबादी 17,475 तथा जन जाति की आबादी 6,389 है ।

(2) तहसील के हर गांव व माण्डल कस्बे में अलग-अलग मौहल्लों में बसे हुए हैं ।

(3) सरकार इन जातियों के लिये शैक्षणिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य तथा आवासीय सुविधायें प्रदान करती है । माण्डल तहसील में दी गई सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) भीलवाड़ा जिले का समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय भीलवाड़ा शहर में स्थित है ।

तहसील माण्डल में वर्ष 79-80 में अनुसूचित जाति तथा जन जाति के व्यक्तियों को दी गई सुविधाएं एवं सहायता की सूची

1. राजकीय पाठशालाओं एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क से छूट तथा बायज फण्ड भी आधी दर से लगभग 200 बच्चों को प्रति वर्ष ।
2. नौकरियों में 28 प्रतिशत स्थान आरक्षित ।
3. अनुसूचित जाति के 10 परिवारों को मकान सहायता ।
4. कृषि कूप हेतु बैंक आदि से लिये गये ऋण के ब्याज का पुनर्भरण:—

अनुसूचित जाति	जन जाति
11,644 रु.	2,340 रु.

परावर्तित नियमित कार्य प्रभारी श्रमिकों की पदोन्नति

671. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में परावर्तित नियमित कार्य प्रभारी श्रमिकों की पदोन्नति पर सरकार द्वारा पाबन्दी लगी हुई है? क्या इस पाबन्दी के कारण ही सन् 1972 से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस पाबन्दी को हटाने और इन श्रमिकों को उनकी पदोन्नति का अधिकार पुनः लौटाने का विचार कर रही है? इसी दौरान गत सरकार द्वारा कितने कार्य प्रभारी श्रमिकों को पदोन्नतियां दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

वर्कचार्ज कर्मचारियों के पद जो नियमित पदों में परिवर्तित कर दिये गये थे, उनके विषय में पदोन्नति संबंधित राज्य सरकार के आदेशानुसार यह पद स्थायी है और पद सेवा निवृत्ति अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उक्त पदों को भरा नहीं जावेगा। पद स्वतः ही समाप्त समझें जाएं।

इन आदेशों के अन्तर्गत किसी भी परिवर्तित नियमित कार्य प्रभारी श्रमिक की पदोन्नति किया जाना संभव नहीं है। किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति पिछली सरकार के द्वारा उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत नहीं की गई।

पाली में स्टेडियम निर्माण की योजना

श्री माणिकमल मेहता (पाली):

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री असलम खां (बाली) एवं

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित नगर में एक स्टेडियम बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब स्टेडियम के निर्माण का विचार रखती है?

(3) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित स्टेडियम के लिये उपयुक्त स्थल का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो कहां और किस स्थान पर?

उत्तर

(1) पाली में 6.20 लाख रु. की अनुमानित लागत से जन सहयोग द्वारा स्टेडियम बनाने की योजना जिलाधीश द्वारा बनाई गई थी। इसके लिये जिलाधीश, पाली ने 1.20 लाख रु. का अनुदान स्वीकृत कराने के लिये राज्य सरकार को लिखा है जो विचाराधीन है।

(2) संख्या 1 में दिये गये उत्तर को देखते हुए और उत्तर आवश्यक नहीं है।

(3) प्रस्तावित स्टेडियम के लिये उपयुक्त स्थान का चयन जिलाधीश द्वारा कर लिया गया है।

पाली नगर के खसरा नम्बर 66 में से 52 बीघा (20.8 एकड़) भूमि नगर परिषद,

(शिक्षा मंत्री)

पाली को स्टेडियम पवेलियन के निर्माण हेतु आवंटित की गई है। यह भूमि दुग्ध संवर्धन केन्द्र के समीप है।

जयपुर में नाहरगढ़ का नाका क्षेत्र के वर्षा के पानी के निकास की व्यवस्था

673. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल बाजार): क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका का वर्षा का पानी चांदपोल में आता है ? यदि हां, तो इसके निकास की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खेतड़ी हाउस के पीछे से सड़क के एक ही ओर नाली बनी होने से तेज वर्षा में यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो सड़क के दूसरी ओर नाली बनाकर यह समस्या कब तक दूर कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) सामान्यतया नाहरी के नाके की पहाड़ियों का बरसात का पानी अमानी शाह के नाले से बहकर निकलता है और जब बरसात ज्यादा होती है तो कुछ पानी कब्रिस्तान से होकर शास्त्री नगर वाले नाले से निकलकर बह जाता है। आम तौर पर चांदपोल की तरफ पानी का निकास नहीं होता है जब तक अतिवृष्टि न हो। अतिवृष्टि की स्थिति में वर्षा का पानी नाहरी का नाका से चांदपोल न आवे इसके लिये विभिन्न पुलियां एवं नाले का निर्माण हो चुका है। सिर्फ एक पुलिया का निर्माण शेष रहता है वह भी अन्तिम चरणों में है।

(2) दूसरी ओर नाली बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जिला टौंक के श्री रूघा गुर्जर की हत्या

674. श्री चतुरभुज (टोडा रायसिंह): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15 फरवरी, 1978 की रात के 11-00 बजे श्री रूघा गुर्जर निवासी पांटा की झुपड़ियां, तहसील टोडा रायसिंह, जिला टौंक को ग्राम बीसलपुर, तहसील देवली, जिला टौंक से वापस घर लौटते वक्त, एक नाले में हत्या कर दी गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या पुलिस ने हत्यारों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है ? इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। हत्या खेत में की गई थी।

(2) जी नहीं। अभियोग का अनुसंधान सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है।

राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र स्टेज II फेज I के विकास की परियोजना

675. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र स्टेज II फेज I

(184)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के विकास हेतु 191 करोड़ रुपये के लागत की परियोजना बनाई गई हैं ? यदि हां, तो विकास के मुख्य मद क्या हैं और प्रत्येक मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) राजस्थान नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र II, फेज I की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस परियोजना के मंद गति से विकास करने के कारण प्रस्तावित योजना में विलम्ब हो रहा है एवं व्यय भार बढ़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसे द्रुत गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार अभी तैयार की जा रही है इसके अन्तर्गत वन विकास सड़कों का निर्माण, भूमि सुधार एवं जलदाय योजनाएं सम्मिलित हैं ।

(2) अभी स्पष्ट नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

ग्राम पंचायत वास के सरपंच के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

676. श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत वास, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर ने माह मई, 1980 का शक्कर का कोटा उठाया था ?

(2) क्या यह सही है कि माह मई के शक्कर के कोटा का वितरण नहीं होने पर भी माह जून, 1980 का कोटा भी उठा लिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम वासियों की शिकायत पर डी. एस. ओ., उदयपुर द्वारा जांच करने पर शक्कर कम पाई गई ? यदि हां, तो उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) शक्कर कम पाई गई, जांच की जा रही है ।

तहसील रामगंज मंडी व लाडपुरा की कृषि योग्य भूमि

677. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील राम गंज मण्डी व लाडपुरा में कृषि योग्य भूमि किस विभाग के अन्तर्गत है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां के किसानों को आर्थिक दण्ड वन विभाग तथा राजस्व विभाग दोनों को देना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार ऐसी भूमि के सम्बन्ध

(श्री हरीश शर्मा)
में कब तक निर्णय लेगी ?

उत्तर

(1) तहसील रामगंज मंडी में कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग एवं वन विभाग दोनों के अन्तर्गत है।

तहसील लाडपुरा में कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग के अन्तर्गत है।

(2) यह सही नहीं है कि किसानों को एक ही भूमि के विषय में राजस्व तथा वन विभाग दोनों को आर्थिक दण्ड देना पड़ता है।

तहसील रामगंज मंडी की कृषि योग्य भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्व विभाग द्वारा राजस्व सम्बन्धी आराजी पर तथा वन विभाग द्वारा वन विभाग से सम्बन्धित भूमि पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत जुर्माना कायम कर वसूल किया जाता है।

तहसील लाडपुरा में राजस्व विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्व विभाग ही आर्थिक दण्ड राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत तावान कायम करता है।

(3) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तो भी राजस्व विभाग की कृषि योग्य सिवाय चक अनाधिवासित भूमि के आवंटन सम्बन्धी नियम बने हुये हैं।

186

परिशिष्ट 2

अतारांकित प्रश्न संख्या 523 की सूचना

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में विभिन्न वर्गों को एवम् श्रेणियों के आवंटन की सूची माह जून, 1980 तक

क्र.सं.	नाम श्रेणी	आवंटन का विवरण			आवंटित क्षेत्रफल (एकड़ों में)		
		अनु. वर्ग	अन्य	योग	अनु. वर्ग	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भूतपूर्व जागीरदार	—	951	951	—	27,629	27,629
2.	भाखरा भूमिहीन	640	696	1,336	24,209	11,341	35,550
3.	पैतासीधा के गैर दाखिलकार	107	981	1,088	4,541	18,315	22,856
4.	विभिन्न युद्धों के शहीदों के आश्रित, विकलांग व शौर्य पदक विजेता	1	1,231	1,232	16	17,170	17,186
5.	विस्थापित मुसलमान	—	64	64	—	1,000	1,000
6.	घुमक्कड़ पशुपालक	—	4	4	—	187	187
7.	स्वतंत्रता सेनानी		36	36		568	568
8.	पदमश्री	—	1	1	—	62	62
9.	विश्वेदार	—	10	10	—	169	169
10.	जैसलमेर कवरिंग रेंज के विस्थापित	93	201	294	1,453	2,516	3,969
11.	पुख्ता नीलामी	—	114	114	—	2,329	2,329

12.	कृषि स्नातक	—	157	157	—	2,377	2,377
13.	पौंग बांध विस्थापित	—	9,169	9,169	—	1,05,921	1,05,921
14.	विशिष्ट श्रेणी	—	7	7	—	109	109
15.	भूमिहीन 1967, 1971 एवं 1975 के नियमों के अधीन मय टी. सी. होल्डर्स	19,920	36,245	56,165	2,31,536	4,69,034	7,00,570
16.	ग्राम पंचायत	—	—	—	—	130	130
17.	राजकीय विभाग	—	—	—	—	27,470	27,470
	योग (1 से 17) ..	20,761	49,867	70,628	2,61,755	6,86,327	9,48,082

18.	खातेदारी की भूमि	1,03,136
19.	भूदान बोर्ड के अधीन भूमि	15,149
20.	रोजड़ी फार्म के अधीन सुरक्षित भूमि	19,563
21.	अकृषि प्रयोजनार्थ रखी भूमि (आबादियों के लिए)	41,292
22.	आरक्षित भूमि व अन्य	34,316
	योग (18 से 22) ..	2,13,456
	महायोग (1 से 22) ..	11,61,538
		11,615 लाख

187

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 526 की सूचना

कार्यालय पंचायत समिति, कोलायत, जिला बीकानेर

क. सं.	नाम ग्राम पंचायत	कितनी राशि का कार्य हुआ	कितने निर्माण कार्य हुए तालाब खुदाई संख्या	सड़क निर्माण संख्या	कितना अनाज आवंटन किया गया क्विटल किलो ग्राम
1	2	3	4	5	6
1.	कोलायत	1,90,000—00	1	1	1300
2.	गुड़ा	7,000—00	1	—	50—30
3.	गजनेर	1,62,600—00	1	1	550
4.	खारी चारनान	1,06,300—00	2	1	750
5.	सुरजड़ा	37,100—00	1	—	170
6.	झझंनूं	4,90,700—00	1	3	2000
7.	मोलासर	1,37,320—00	4	—	600
8.	सियाणा	7,29,600—00	1	5	4040
9.	दियातरा	4,07,080—00	—	3	1600—664
10.	माणेका गांव	7,72,400—00	—	3	4310
11.	बरसलपुर	3,50,500—00	1	3	1270

12.	माणकसर	21,000—00	3	—	150
13.	बीठनोक	6,23,750—00	—	3	1900
14.	गोडू	4,10,900—00	3	3	1100
15.	बीकमपुर	3,14,000—00	2	3	1400
16.	हदां	4,70,800—00	2	2	2980
17.	गड़ियाला	3,11,895—00	1	1	1500
18.	खिदासर	5,53,500—00	—	1	2780
19.	दासोड़ी	5,45,280—00	3	1	3060
20.	नगरासर	1,66,500—00	—	1	800
21.	गिराजसर	4,78,100—00	—	3	1300
	कुल योग ..	72,91,225—00	27	38	33610—694

ह
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, कोलायत।

(190)

कार्यालय पंचायत समिति, बीकानेर

काम के बदले अनाज योजना के तहत अकाल राहत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	कितनी राशि का कार्य हुआ	कार्य तालाब खुदाई की सं.	सड़क निर्माण की सं.	अन्य कार्यों की सं.	अनाज आवंटन क्विंटलों में
1.	मालासर	323391151	1	1	3	2161.93
2.	वरसिहसर	108810141	3	3	3	711.15
3.	सूजानदेसर	35178164	1	—	1	213.25
4.	शिवबाड़ी	263807124	2	—	1	687.34
5.	पुगल	6999124	1	—	—	49.64
6.	करणीसर भाटियान	51442172	4	—	—	350.58
7.	कानासर	160407112	1	1	5	886.32
8.	बम्बलू	68272184	1	—	3	321.49
9.	करमीसर	49297118	—	1	2	331.79
10.	गाढवाला	28876184	1	—	3	51.61
11.	जामसर	53539197	2	—	3	356.86
12.	लालमदेसर	6925114	1	—	—	46.59
13.	तेजरासर	6983173	1	—	—	40.00
14.	सत्तासर	20686180	3	—	—	146.72
15.	सींथल	9593101	—	—	1	22.18
16.	रिड़मलसर	328409140	3	—	2	2009.77
17.	नौरंगदेसर	161286100	—	1	—	1341.96
18.	गुसाईंसर	25360100	1	—	1	100.00
19.	उदासर	26176164	—	1	2	123.00
20.	जयमलसर	22884109	3	—	1	180.22
21.	रामसर	13874185	2	—	—	96.35
22.	अमरपुरा	14000100	2	—	—	99.28
23.	पलाना	85000100	1	—	1	793.92
24.	कोलासर	79926171	—	—	6	347.37
25.	केसरदेसर जाटान	13996185	—	—	2	16.60
26.	अम्बासर	18202155	—	—	3	60.00
27.	शेरेरा	154173168	3	—	3	760.00
	योग . .	2137502.50	37	+8	+46	13305.91

ह.
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, बीकानेर।

कार्यालय पंचायत समिति, नोखा (बीकानेर).

काम के बदले अनाज योजना के तहत अकाल राहत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	कितनी राशि का कार्य हुआ	तालाब खुदाई सं.	सड़क निर्माण की सं.	अन्य कार्यों की सं.	अनाज आवंटन क्विंटल में
1.	रोडा	51216	1	1	—	266
2.	ढींगसरी	150990	3	1	2	883
3.	मेनसर	197743	2	—	1	1078-50
4.	गजसुखदेशर	138439	2	1	3	498
5.	रायसर	6726	1	1	—	—
6.	बार्दनू	58400	5	—	1	222
7.	लाथूसर	250958	—	2	3	1249
8.	सिजगुरु	347229	1	1	1	1840
9.	मोरखाणा	153000	—	1	2	505
10.	सलडिया	120110		1	—	486
11.	नैसलसर	186182	—	2	3	798
12.	सोमलसर	252344	—	4	1	1576
13.	थावरिया	134261		2	—	839
14.	ऊडसर	130712	—	2	1	832
15.	बीकासर	4316		—	1	6-01
16.	धरनोक	68141	4	—	3	282
17.	नोखागांव	158514	—	1	1	625
18.	ढावा	28544	—	—	1	72-57
19.	कूचोर अगूणी	65917	—	—	1	303
20.	सारुण्डा	248947	3	—	—	1358-14
21.	चरकड़ा	45469	2	—	2	144
22.	केरासर	74848	—	1	—	400
23.	कूचोर आथूणी	61743	—	1	1	178
24.	सांघासर	145500	1	2	4	812-75
25.	गजरुपदेसर	103523	2	2	1	488
26.	जैसिंहदेसर मगरा	24306	1	—	1	121
27.	जांगलू	32829	1	—	1	192
28.	जसरासर	40000	—	—	1	20-65
29.	कोकड़ा	43000	—	—	1	50
30.	मुकाम	38619	2	—	1	119-98
31.	भादला	7000	—	—	1	—
	योग ..	33,69,526	31	27	42	15745-60

ह.
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, नोखा ।

(192)

कार्यालय पंचायत समिति, लूणकरनसर (जिला बीकानेर)

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	कितनी राशि का कार्य हुआ	कितने निर्माण कार्य हुए तालाब खुदाई संख्या	सड़क निर्माण संख्या	कितना अनाज आवंटन किया गया क्वि. किलो ग्राम
1	2	3	4	5	6
1.	जैतपुर	2,84,079—00	3	2	2,227—00—000
2.	सूई	5,65,700—00	2	1	2,925—98—300
3.	राजासर-उर्फ-करणीसर	14,67,400—00	3	2	2,942—79—700
4.	गारबदेसर	10,27049—00	4	2	6,199—15—000
5.	लूणकरनसर	3,30,040—00	1	1	563—46—900
6.	रावासर	6,49,820—00	1	2	1,719—45—000
7.	रामबाग	3,46,050—00	9	1	4,379—97—500
8.	महाजन	2,60,210—00	2	1	600—00—000
9.	जागोर	98,975—00	7	—	773—00—000
10.	कालू	2,51,940—00	10	—	3,469—35—600
11.	खोखराना	33,600—00	1	—	170—55—200
12.	सोढ़वाली	3,62,900—00	5	2	1,870—44—800
13.	हंसेरा	12,000—00	—	—	50—00—000
14.	कैला	1,26,635—00	8	—	300—00—000
15.	कुजटी	1,00,000—00	—	1	1,800—00—000
16.	काकड़वाला	72,100—00	2	—	220,—00—000
17.	मोटासर	21,000—00	3	—	150—00—000
18.	कपूरीसर	65,100—00	1	1	550—00—000
19.	शेखसर	2,07,000—00	—	1	3,000—00—100
20.	घीरेरा गांव	21,000—00	3	—	120—00—000
	कुल योग..	63,02,598—00	65	17	34,131—18—100

ह.
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, लूणकरणसर।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 527 की सूची

वर्ष 1977–78, 1978–79 एवं 1979–80 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत की गई शालाओं की सूची—

क्र.सं.	जिला	वर्ष 77–78 प्रा.	वर्ष 77–78 उ.प्रा.वि.	वर्ष 78–79 प्रा.	वर्ष 78–79 उ.प्रा.वि.	वर्ष 79–80 प्रा.	वर्ष 79–80 उ.प्रा.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	9	12	30	12	33	7
2.	अलवर	12	19	132	14	66	11
3.	भरतपुर	13	35	135	23	72	15
4.	जयपुर	39	45	139	20	117	21
5.	झुंझुनू	16	19	26	10	38	7
6.	सीकर	20	25	37	18	46	11
7.	बीकानेर	8	8	11	8	32	4
8.	चूरू	20	19	29	7	17	3
9.	गंगानगर	36	27	63	24	54	9
10.	बाड़मेर	11	5	22	17	34	2
11.	जैसलमेर	7	2	16	9	5	—
12.	जोधपुर	15	4	10	17	22	3
13.	जालौर	5	3	8	12	17	4
14.	सिरोही	4	—	4	6	12	2
15.	नागौर	21	18	35	13	40	5
16.	पाली	13	8	14	9	17	4
17.	कोटा	55	36	36	10	63	12
18.	बूंदी	17	4	9	5	24	5
19.	झालावाड़	19	10	30	6	39	5
20.	सवाई माधोपुर	16	21	63	11	77	14
21.	टोंक	3	5	14	5	33	6
12.	बांसवाड़ा	41	14	92	7	26	1
23.	भीलवाड़ा	31	14	33	6	48	7
24.	डूंगरपुर	11	6	33	12	19	1
25.	चित्तौड़	22	12	38	5	56	6
26.	उदयपुर	42	32	125	26	119	15
	योग ..	506	403	1184	312	1127	180

(194)

राजस्थान में सत्र 1977-78 से अक्टूबर, 1979 तक खोले गये माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	1977-78	1978-79	1979-80	योग
1	अजमेर	12	8	11	31
2.	अलवर	17	8	16	41
3.	भरतपुर	27	8	15	53
4.	जयपुर	41	18	19	78
5.	गंगानगर	19	28	09	56
6.	झुंझुंनू	09	13	08	30
7.	सीकर	16	14	08	38
8.	चूरू	12	03	05	20
9.	बीकानेर	07	05	05	17
10.	जोधपुर	04	30	02	36
11.	सिरोही	04	05	03	12
12.	नागौर	14	14	09	37
13.	बाड़मेर	05	11	01	17
14.	जालौर	03	08	02	13
15.	पाली	10	17	03	30
16.	सवाई माधोपुर	21	11	11	43
17.	कोटा	23	09	13	45
18.	टोंक	08	03	05	16
19.	उदयपुर	35	17	14	66
20.	भीलवाड़ा	11	05	07	23
21.	डूंगरपुर	07	05	01	13
22.	झालावाड़	08	01	06	15
23.	बूंदी	13	03	04	20
24.	बांसवाड़ा	08	03	01	12
25.	चितौड़गढ़	13	02	05	20
26.	जैसलमेर	03	05	02	10
	कुल योग ..	350	257	185	792

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 530 की सूची

प्रपत्र (क)

क्रम संख्या	नाम समिति		कुल सदस्यता	कुल में से	
				जन-जाति सदस्य	अन्य सदस्य
1.	असावता ग्राम सेवा सहकारी सं. लि.		512	147	365
2.	अवलेश्वर	,,	674	137	537
3.	कुलथाना	,,	464	153	311
4.	वरमण्डल	,,	560	47	513
5.	कल्याणपुरा	,,	456	59	397
6.	सेलारपुरा	,,	780	83	697
7.	हाडीजी का पीपलिया	,,	425	45	380
8.	पीलू	,,	356	105	251
9.	पानमोडी	,,	556	153	403
10.	रठान्जला	,,	588	88	500
11.	सिद्धपुरा	,,	291	124	167
12.	अचलपुरा लेम्प	,,	2395	1077	1318
13.	कुल्मीपुरा	,,	1902	946	956
14.	अरनोद	,,	1934	826	1108
15.	दलौट	,,	1714	751	963
16.	नागदेडा	,,	433	196	237
17.	चूपना	,,	397	112	285
18.	मोहेडा	,,	416	240	176
19.	वरखेडी	,,	635	390	245
20.	सालमगढ	,,	363	198	165
21.	कोटडी	,,	586	182	404
	योग ..		16437	6059	10378

(196)

प्रपत्र (ख)

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	नाम समिति	जन-जाति सदस्यों में बकाया			जन-जाति के सदस्यों में अवधिपार बकाया ऋण का वर्षवार विवरण						
		सदस्यों की संख्या जिसका ऋण मियाद में है	राशि	अवधिपार सदस्यों की संख्या	राशि	एक वर्ष से कम	एक से दो वर्ष तक	दो वर्ष से तीन वर्ष तक	तीन वर्ष से चार वर्ष तक	चार वर्ष से पांच वर्ष तक	पांच वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असावता ग्रा.से.स.स.लि.	45	61300	47	68346	—	0.80	0.20	0.07	0.06	0.06
2.	अवलेश्वर ,,	28	14700	74	46391	—	0.15	5.15	0.06	0.05	0.05
3.	कुल्थाना ,,	4	31600	67	44652	—	0.15	0.10	0.10	0.05	0.02
4.	सरमण्डल ,,	27	10900	15	11884	—	0.03	0.03	0.01	0.03	0.02
5.	कल्याण पुरा ,,	3	1300	12	8892	—	—	0.01	0.02	0.01	0.05
6.	सेलारपुरा ,,	21	11860	46	22933	—	0.07	0.05	0.05	0.04	0.02
7.	हाडीजी का पीपलिया	28	15710	19	12881	0.03	0.02	0.03	—	0.02	0.05
8.	पीलू ,,	6	3560	8	1660	0.02	—	—	—	—	—
9.	पानमोडी ,,	51	31100	54	18402	—	—	—	0.03	0.00	0.05
10.	रठान्जना ,,	—	—	24	11108	—	—	—	—	0.06	0.05
11.	सिद्धपुरा ,,	2	880	43	14219	—	—	0.05	0.05	0.02	0.02

12.	अपलपुरा प्रा. से. स. स. लि.		—	—	460	95340	—	0.20	0.26	0.30	0.10	0.09
13.	कुल्मीपुरा लेम्प	"	—	—	312	41542	—	0.15	0.15	0.04	0.04	0.04
14.	अरनी लेम्प	"	124	22670	311	60658	—	0.20	0.10	0.15	0.10	0.06
15.	दलो लेम्प	"	78	18390	280	50260	—	0.18	0.15	0.10	0.03	0.04
16	नागदेडा	"	53	37160	51	25863	—	0.21	0.05	—	—	—
17.	चूपना	"	36	13560	22	3059	—	0.03	—	0.01	—	—
18	मोहेडा	"	140	85130	20	4934	—	0.03	—	—	—	0.02
19	बरखेडी	"	133	57770	74	42450	—	0.21	—	—	0.12	0.09
20	सालमगढ	"	43	19960	84	34939	—	0.10	0.05	5.05	0.05	0.10
21.	कोटड़ी	"	57	26960	40	15368	—	0.01	0.01	0.03	0.03	0.07
	योग	..	918	470830	2066	638576	0.05	2.04	1.39	1.07	0.91	0.90

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 202 की सूची

सूची वृद्धावस्था पेन्शन के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों की पेन्शन का भुगतान बकाया है।

क्रमांक	नाम जिला	नाम तहसील	पेन्शनर का नाम	कारण जिस वजह से भुगतान नहीं हो सका है।
1	2	3	4	5
1.	कोटा	अटरू	गणेशी पत्नी पन्ना	पासपोर्ट फोटो के अभाव में
2.	कोटा	अटरू	सरवर पुत्र बक्सुजी	,, ,,
3.	कोटा	अटरू	कल्याण पुत्र जालिम	,, ,,
4.	कोटा	अटरू	नुरकाबाई पत्नी कल्याण सिंह	,, ,,
5.	कोटा	अटरू	केसरबाई पत्नी रामलाल धाकड़	,, ,,
6.	कोटा	अटरू	केसरबाई पत्नी मोतीलाल	,, ,,
7.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	चोवली पत्नी खेमाजी मीणा	सम्बन्धित व्यक्तियों को पेन्शन लेने हेतु उप-कोषाधिकारी प्रतापगढ़ ने दो बार नोटिस दिये है पेन्शनर स्वयं उपस्थित होने पर उप कोषाधिकारी द्वारा भुगतान कर दिया जायगा।
8.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	रघुनाथसिंह पुत्र रतन सिंह	
9.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	बाला पुत्र रुपा कुमावत	
10.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	होमला पुत्र नायु	
11.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	अनवर खां पुत्र यासीनखां	
12.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	भैरा पुत्र ऊंकार मीणा	
13.	चित्तौड़गढ़	कपासन	मोडी पत्नी मथुरालाल	,, ,, ,,
14.	चित्तौड़गढ़	बडीसादड़ी	लाला पुत्र हरजी मीणा	पेन्शनर बावजूद सूचना के पेन्शन लेने नहीं आ रहा है।
15.	चित्तौड़गढ़	छोटीसादड़ी	भैरुलाल पुत्र पीथा ब्राह्मण	
16.	चित्तौड़गढ़	छोटीसादड़ी	अमरा पुत्र खुमा मेघवाल	पेन्शनर पेन्शन नहीं लेना चाहता।
17.	झालावाड़	झालावाड़	रामचन्द्री बाई पत्नी सीताराम	भुगतान लेने हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण
18.	झालावाड़	झालावाड़	जगन्नाथ पुत्र भगवन्ता	,, ,,
19.	झालावाड़	झालावाड़	केसरबाई पत्नी नाथुलाल	,, ,,
20.	झालावाड़	झालावाड़	कजोड़बाई पत्नी मोती सिंह	,, ,,
21.	झालावाड़	झालावाड़	मोहम्मदखां पुत्र भुरेखां	,, ,,
22.	झालावाड़	झालावाड़	नन्दूबाई पत्नी कवंरलाल	,, ,,
23.	झालावाड़	झालावाड़	चतरसिंह पुत्र माधोसिंह	,, ,,
24.	झालावाड़	झालावाड़	केसरबाई पत्नी पन्नालाल	,, ,,
25.	झालावाड़	झालरापाटन	[illegible] पत्नी पानियां	वर्षा व पेन्शनर के अन्य स्थानों पर चले जाने के कारण।

1	2	3	4	5
26.	झालावाड़	झालरापाटन	धनकवंर पत्नी देवीसिंह	वर्षा व पेन्शनर के अन्य स्थानों पर चले जाने के कारण
27.	झालावाड़	झालरापाटन	बिसमिल्ला बाई पत्नी बसीर खां	,, ,,
28.	झालावाड़	झालरापाटन	नन्दूबाई पत्नी भैंरूलाल	,, ,,
29.	झालावाड़	झालरापाटन	कवंर लाल	,, ,,
30.	झालावाड़	झालरापाटन	मडीबाई पत्नी देवा	,, ,,
31.	झालावाड़	झालरापाटन	नन्दा पुत्र देवा	,, ,,
32.	झालावाड़	झालरापाटन	उदा पुत्र देवा	,, ,,
33.	झालावाड़	झालरापाटन	नन्दाबाई पत्नी किशनलाल	,, ,,
34.	झालावाड़	झालरापाटन	देवीलाल पुत्र मोती	,, ,,
35.	झालावाड़	झालरापाटन	लुंगीबाई पत्नी नारायण	,, ,,
36.	झालावाड़	झालरापाटन	भूरी बाई पत्नी घीसा	,, ,,
37.	झालावाड़	झालरापाटन	बरजीबाई पत्नी दुवा	,, ,,
38.	झालावाड़	झालरापाटन	मालबाई पत्नी पूंगा	,, ,,
39.	झालावाड़	झालरापाटन	भैंरूलाल पुत्र उदा	,, ,,
40.	झालावाड़	झालरापाटन	पारवती पत्नी सांकली	,, ,,
41.	झालावाड़	झालरापाटन	मतली बाई पत्नी मांगीलाल	,, ,,
42.	झालावाड़	झालरापाटन	घीसीबाई पत्नी रामा चमार	,, ,,
43.	झालावाड़	झालरापाटन	उदा पुत्र मोती	,, ,,
44.	झालावाड़	झालरापाटन	माधु पुत्र हरजी	,, ,,
45.	झालावाड़	झालरापाटन	भैंरू पुत्र कालू गूजर	,, ,,
46.	झालावाड़	झालरापाटन	ग्यारसीबाई पत्नी हीरा	,, ,,
47.	झालावाड़	झालरापाटन	नाथी बाई तेलन	,, ,,
48.	झालावाड़	झालरापाटन	पूरीलाल पुत्र भवाना	,, ,,
49.	झालावाड़	झालरापाटन	गेंदीबाई पत्नी रामा	,, ,,
50.	झालावाड़	झालरापाटन	गुलाब बाई पत्नी बाबू	,, ,,
51.	झालावाड़	झालरापाटन	घीसा पुत्र बाबा	,, ,,
52.	झालावाड़	झालरापाटन	नन्दा पुत्र अमरा	,, ,,
53.	झालावाड़	झालरापाटन	नाथू पुत्र हरि राम	,, ,,
54.	झालावाड़	झालरापाटन	मांगीलाल पुत्र भैंरू चमार	,, ,,
55.	झालावाड़	पिड़ावा	देवीसिंह पुत्र गोकुलसिंह	,, ,,
56.	झालावाड़	पिड़ावा	अमेरबाई बेवा भैंरूलाल	,, ,,
57.	जयपुर	आमेर	गोर्धी पत्नी गंगाबक्स	पेन्शनर के द्वारा प्रथम भुगतान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण
58.	जयपुर	आमेर	गणेश पुत्र किशना एवं भूरी पत्नी गणेश	,, ,,
59.	जयपुर	आमेर	अहमतशाह पुत्र मिश्रीशाह	,, ,,
60.	जयपुर	आमेर	राधा पत्नी लादू	,, ,,

200

1	2	3	4	5
61.	जयपुर	आमेर	भूरा पुत्र भागीरथ एवं किशनी पत्नी भूरा	पेन्शनर के द्वारा प्रथम भुगतान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण
62.	जयपुर	आमेर	कानी पत्नी कजोड़	
63.	जयपुर	आमेर	ग्यारसी पत्नी लालराम	
64.	जयपुर	आमेर	सुन्दरी पत्नी बालू	
65.	जयपुर	आमेर	छोटी पत्नी बालू राम	,, ,,
66.	जयपुर	आमेर	नाथी पत्नी रामनाथ	,, ,,
67.	जयपुर	आमेर	कज्जू पुत्र रामदेव	,, ,,
68.	जयपुर	आमेर	धापा पत्नी नानू	,, ,,
69.	जयपुर	आमेर	चतरी पत्नी ओंकार	,, ,,
70.	जयपुर	आमेर	भेरी पत्नी लक्ष्मीनारायण	,, ,,
71.	जयपुर	आमेर	रामू पत्नी गोजा बलाई	,, ,,
72.	जयपुर	आमेर	उमा पत्नी चन्द्रा	,, ,,
73.	जयपुर	आमेर	बालू पुत्र मूना	,, ,,
74.	जयपुर	आमेर	राधा पत्नी मंगला राम	,, ,,
75.	जयपुर	आमेर	नानू पुत्र मंगलाराम	,, ,,
76.	जयपुर	आमेर	नारायणी पत्नी मांगू	,, ,,
77.	जयपुर	आमेर	रामली पत्नी भैंरूराम	,, ,,
78.	जयपुर	आमेर	नानगराम पुत्र नानूराम	,, ,,
79.	जयपुर	आमेर	गंगा पत्नी गंगल्या	,, ,,
80.	जयपुर	आमेर	सुपन देवी पत्नी लालूराम	,, ,,
81.	जयपुर	आमेर	रामेश्वर पुत्र भैंरू जोशी	,, ,,
82.	जयपुर	आमेर	छोटी पत्नी दीपा	,, ,,
83.	जयपुर	आमेर	वन्शी पुत्र बालू	,, ,,
84.	जयपुर	आमेर	विरछी पुत्री चिमना	,, ,,
85.	जयपुर	आमेर	धापा पत्नी मांगूराम	,, ,,
86.	जयपुर	आमेर	वाली पत्नी घीसा	,, ,,
87.	जयपुर	आमेर	पांची पत्नी हरदेव	,, ,,
88.	जयपुर	आमेर	सुरजी पत्नी मंगला	,, ,,
89.	जयपुर	आमेर	डाली पत्नी ग्यारश्या	,, ,,
90.	जयपुर	आमेर	गोरी पत्नी गंगाराम	,, ,,
91.	जयपुर	आमेर	झवरी पत्नी नानूराम नानगराम पुत्र नगाराम	,, ,,
92.	जयपुर	आमेर	रकमा पत्नी हरनाथ	,, ,,
93.	जयपुर	आमेर	मानगी पत्नी नन्दा	,, ,,
94.	जयपुर	आमेर	गोरा पत्नी गोविन्दा	,, ,,
95.	जयपुर	आमेर	चौथू पुत्र दूला राम	,, ,,
96.	जयपुर	आमेर	भूरी पत्नी रामू	,, ,,
97.	जयपुर	आमेर	मनफूली पत्नी नाथू	,, ,,
98.	जयपुर	आमेर	भूरी बेवा चोखला	,, ,,
99.	जयपुर	आमेर	मंगलाराम पुत्र गोधाराम	,, ,,

1	2	3	4	5
100.	जयपुर	आमेर	हीरादेवी पत्नी डालूराम	पेन्शनर के द्वारा प्रथम भुगतान प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण
101.	,,	,,	मोदी पत्नी नानगा	
102.	,,	,,	बिहारीलाल पुत्र गोपीराम	
103.	सवाई माधोपुर	खण्डार	लड्डी पत्नी लोहड्या	
104.	,,	,,	हीरा पुत्र मान्या बैरवा	,,
105.	,,	,,	सोन्या पुत्र तेन्या कोली	,, ,,
106.	,,	,,	मोत्या पत्नी जगन महाजन	,, ,,
107.	,,	,,	बन्शी पुत्र गोरया गूजर	,, ,,
108.	,,	,,	मूली पत्नी छितर बैरवा	,, ,,
109.	,,	,,	चतरु पुत्र नेता भंगी	,, ,,
110.	,,	,,	नारायणी पत्नी शंकर गूजर	,, ,,
111.	,,	बामनवास	मान्या पुत्र बालू मीणा	संबंधित व्यक्ति ग्राम बाटोद का निवासी बताता है जिसके लिये उपजिलाधीश, गंगापुर को जांच हेतु वापस भेजा है ।
112.	,,	टोडाभीम	भोरजी पुत्र भोरी गूजर	कोषाधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त पी.पी.ओ. आक्षेप में उक्त उपजिलाधीश, हिन्डौन आवश्यक पूर्ति हेतु भिजवाये गये हैं, वहां से आने पर भुगतान करा दिया जायगा ।
113.	,,	,,	सीडूली पुत्र धूडेराम	
114.	,,	,,	साझा पुत्र धूल्या चमार	
115.	,,	,,	नथोली पुत्र लालचन्द	
116.	,,	,,	केसर उर्फ नारायणी	
117.	,,	सपोटरा	तुरस्या बेवा फूला मीणा	बहुत से पेन्शनर बार 2 सूचना देने के उपरान्त भी अपने फोटो नहीं दे रहे हैं जिसका कारण सपोटरा में फोटोग्राफर नहीं है तथा अधिकतर पेन्शनर डांग क्षेत्र के होने के कारण कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
118.	,,	,,	नेमी पुत्र चिरंजी	
119	,,	,,	राधाकिशन पुत्र मूल्या	
120.	,,	,,	रामपुरी बेवा छिग्गा	
121.	,,	,,	धानी बेवा नारायण ब्राह्मण	
122.	,,	,,	सेड़या पुत्र मन्ना गूजर	
123.	,,	,,	धूड़या पुत्र बक्सा	
124.	,,	,,	भोरया पुत्र किशन्या मीणा	,, ,,
125.	,,	,,	देवी राम पुत्र रेखा बैरवा पत्नी देवीराम गोरधनपुरा	समाज के दृष्टिकोण से रुढ़ीवादी होने के कारण बहुत से पेन्शनर पेन्शन लेने से इन्कार कर रहे हैं फिर भी इन बाकीदार पेन्शनरों को पेन्शन का भुगतान कराये जाने का प्रयास जारी है ।
126.	,,	,,	केसर बेवा सूखपाल माली	
127.	,,	,,	भोरया उर्फ मूल्या पुत्र हरबक्सा कुमार	
128.	,,	,,	रामनाथी बेवा मिसरिया	

(202)

1	2	3	4	5
129.	सवाई माधोपुर	गंगोटरा	किल्या पुत्र सांवल वरवा	समाज के दृष्टिकोण से
130.	,,	,,	पांचया पुत्र वलदेव	रूढ़ीवादी होने के कारण
131.	,,	,,	कमल वेवा मुरली	बहुत से पेन्शनर पेन्शन
132.	,,	,,	पांची वेवा भोरया	लेने से इन्कार कर रहे
133.	,,	,,	गोरवन पुत्र वन्शी	है फिर भी इन बाकीदार
134.	,,	,,	काना पुत्र तेलू	पेन्शनरों को पेन्शन का
135.	,,	,,	सुखियां पुत्र हजारी मीणा	भुगतान कराये जाने
136.	,,	,,	सूरजन पुत्र परवाल मीणा	का प्रयास जारी है।
137.	,,	,,	छितर पुत्र श्रिया मीणा	,, ,,
138.	,,	,,	लल्लू पुत्र वालकिशन मीणा	,, ,,
139.	,,	,,	सोजी वेवा नथया वेरवा	,, ,,
140.	,,	,,	मिश्री वेवा सेडया	,, ,,
141.	,,	,,	कन्हैया पुत्र कल्ला गूजर	,, ,,
142.	,,	,,	मूल्या पुत्र गोपाल	,, ,,
143.	,,	,,	फोरी वेवा नथी गूजर	,, ,,
144.	,,	,,	गेंदी वेवा घिस्या मीणा	,, ,,
145.	,,	,,	रामदेव पुत्र गेस्या मीणा	,, ,,
146.	,,	,,	नारायणी बेवा नानगा	,, ,,
147.	,,	,,	सूकरण पुत्र कन्हैया मीणा	,, ,,
148.	,,	,,	गेन्दया पुत्र रामहेत मीणा	,, ,,
149.	जैसलमेर	जैसलमेर	चान्दणी पत्नी अमरदीन	पेन्शनर के द्वारा प्रथम
150.	,,	,,	गोरकंवर पत्नी अर्जुनसिंह	भुगतान प्राप्त करने हेतु
151.	,,	,,	पारवती पत्नी बिरधाराम	नियमानुसार कार्यालय में
152.	,,	,,	फातमा पत्नी लोगूं	उपस्थित नहीं होने के कारण
153.	,,	,,	बगरी पत्नी अर्जुन	,, ,,
154.	,,	,,	तुलसी पत्नी नानगाराम	,, ,,
155.	,,	,,	बाला पत्नी अनाराम	,, ,,
156.	,,	,,	तारकवंर पत्नी जवारसिंह	,, ,,
157.	,,	,,	गवरी पत्नी कस्तूरा राम	,, ,,
158.	,,	,,	सभाई पत्नी करीम खां	,, ,,
159.	,,	,,	भूरी पत्नी गुलाबा	,, ,,
160.	,,	,,	जामा पत्नी कूपा	,, ,,
161.	,,	,,	लाछो पत्नी झन्डा	,, ,,
162.	,,	,,	पारवती पत्नी गंगू	,, ,,
163.	,,	,,	वची पत्नी तालव	,, ,,
164.	,,	,,	धूलो पत्नी सुलेमान	,, ,,
165.	,,	,,	उसमान पुत्र अमीन	,, ,,
166	,,	,,	हयात पुत्र मोरखान	,, ,,
167.	,,	,,	लाछों पत्नी गुलीदानसिंह	,, ,,
168.	,,	,,	मूकनसिंह पुत्र रोवडसिंह	,, ,,

1	2	3	4	5
169.	टोंक	टोंक	अखतर बेवा भूरा खां	वृद्धावस्था पेन्शन जो
170.	टोंक	टोंक	छुट्टी बेवा हिसालूदीन	एम. ओ. रसीद अंकित
171.	टोंक	टोंक	मसिहा बेवा अनवर अली	माह नहीं आने के कारण
172.	टोंक	टोंक	छूटटो बेवा हबीदूल्ला	नहीं भेजी ।
173.	टोंक	टोंक	खातून बेवा मिरआलम खां	,, ,,
174.	टोंक	टोंक	मछू उर्फ गूगां पुत्र मियां	,, ,,
175.	टोंक	टोंक	केसर बेवा सोकरण	गत दो या दो से अधिक
176.	टोंक	टोंक	नाथी बेवा भोजा	माह व्यतीत होने पर रसीद
177.	टोंक	टोंक	मुन्ना पुत्र नाथू	प्राप्त नहीं हुई ।
178.	टोंक	टोंक	मांगीलाल पुत्र धन्ना	,, ,,
179.	टोंक	टोंक	लक्ष्मीबाई बेवा पांचू	,, ,,
180.	टोंक	टोंक	केसर बेवा देवा	,, ,,
181.	टोंक	टोंक	ग्याना बेवा मंगला	,, ,,
182.	टोंक	टोंक	मेथी बेवा छालू मल	,, ,,
183.	टोंक	टोंक	भगवानदास पुत्र रामनाथ	,, ,,
184.	टोंक	टोंक	सियानू बेवा नानू	,, ,,
185.	टोंक	टोंक	रफीकूनिसा बेवा जेनून आवेदीम	,, ,,
186.	टोंक	टोंक	सुन्दरबाई बेवा घन्ना	,, ,,
187.	टोंक	टोंक	सुन्दर बेवा मांगीलाल	,, ,,
188.	टोंक	टोंक	केसर बेवा अजीत सिंह	,, ,,
189.	टोंक	टोंक	सारू बेवा गिरधारीलाल	,, ,,
190.	टोंक	टोंक	गोरा बेवा कालू	,, ,,
191.	टोंक	टोंक	जोहरा बेवा इनायतअली	,, ,,
192.	टोंक	टोंक	रामकूरी बेवा मांगीलाल	,, ,,
193.	टोंक	टोंक	मसीदा पुत्र मनू खां	,, ,,
194.	टोंक	टोंक	लाधी बेवा धूला	,, ,,
195.	टोंक	टोंक	पानी बेवा रामा	,, ,,
196.	टोंक	टोंक	सरवण पुत्र गेंदीलाल	,, ,,
197.	टोंक	टोंक	सुखदेव पुत्र रामलाल	,, ,,
198.	टोंक	टोंक	पांची बेवा हरनाथ	,, ,,
199.	टोंक	टोंक	शिवरामा पुत्र कामड	,, ,,
200.	टोंक	टोंक	गोरू पुत्र भैरू	,, ,,
201.	टोंक	टोंक	फूली बेवा नन्दलाल	,, ,,
202.	टोंक	टोंक	फतमा बेवा असीदूल्ला	,, ,,
203.	टोंक	टोंक	गोखा बेवा जैराम	,, ,,
204.	टोंक	टोंक	रामनिवास पुत्र छोगा	,, ,,
205.	टोंक	टोंक	नुरजां बेवा अब्दुल	पेन्शनर मुख्यालय छोड़कर गये।
206.	टोंक	टोंक	शाजहां बेवा अब्दुला	,, ,, ,,
207.	टोंक	टोंक	खादीजा बेवा अहमदखां	मासिक पहचान के लिये नहीं
208.	टोंक	टोंक	रफीकन बेवा भूरा	आये ।

1	2	3	4	5
209.	टोंक	टोंक	अब्दुल क्यूम खां पुत्र नरखों	मासिक पहचान के लिये नहीं आये।
210.	,,	,,	जैनब बी बेवा रहमतखां	
211.	,,	,,	गंगा बाई बेवा भैरूलाल	,, ,,
212.	,,	,,	सुन्दरबाई बेवा धन्ना	,, ,,
213.	,,	,,	केसर बेवा अजीतसिंह	,, ,,
214.	,,	,,	गोरी बेवा कालू	,, ,,
215.	,,	,,	रामकूंरी बेवा मांगीलाल	,, ,,
216.	,,	,,	गुलाब बेवा झिता	,, ,,
217.	,,	,,	सियामी बेवा मांगीलाल	,, ,,
218.	,,	,,	कुंवरी बेवा जगन्नाथ	,, ,,
219.	,,	,,	राधाबाई बेवा ओंकार	,, ,,
220.	,,	,,	लक्ष्मीनारायण पुत्र माधोलाल	,, ,,
221.	,,	,,	छोटी बेवा लखमा	,, ,,
222.	,,	,,	भूली बेवा नन्दलाल	,, ,,
223.	,,	,,	खेतसिंह पुत्र शैतानसिंह	,, ,,
224.	,,	,,	नानगा पुत्र भागीरथा	,, ,,
225.	,,	,,	अख्तर बेवा भूरा खां	पेन्शनर घर के पते पर नहीं है
226.	,,	,,	मसिता बेवा अनवर अली	,, ,,
227.	,,	,,	खातून बेवा अमीर आलम	,, ,,
228.	,,	,,	फातमा बेवा भूरा	,, ,,
229.	,,	,,	मेवी बेवा ढालू	,, ,,
230.	,,	,,	भगवानदास पुत्र रामनाथ	,, ,,
231.	,,	,,	रफीकुन्निसा बेवा जेनुलबेदीन	,, ,,
232.	,,	,,	जोहरा बेवा इनायत अली	,, ,,
233.	,,	,,	सुखदेव पुत्र रामलाल सोरन	,, ,,
234.	,,	,,	मोरू पुत्र भैरू चौगाई	,, ,,
235.	,,	,,	फातमा बेवा असिदुल्ला	,, ,,
236.	,,	,,	खेतसिंह पुत्र शैतान सिंह	,, ,,
237.	,,	,,	गोरा बेवा कालू बैरवा	,, ,,
238.	,,	,,	सुन्दर बेवा मांगीलाल मूडिया	,, ,,
239.	,,	,,	मच्छू गंगा पुत्र मियां	,, ,,
240.	,,	मालपुरा	भूरा पुत्र सोना जाट	पेन्शनर अपने निवास स्थान से बाहर जाने, सत्यापन न होने तथा उसके द्वारा पते संबंधी कोई सूचना नहीं देने के कारण।
241.	,,	,,	उद्दी बेवा रोडूलाल	
242.	,,	,,	भाणु पुत्र बोदू गंधारियां	
243.	,,	,,	गट्टू बेवा छोटू गंधारिया	
244.	,,	,,	गुलाब देवी बेवा जगन्नाथ भांड	,, ,,
245.	,,	,,	सियारामदास चेला रणछोड़दास	,, ,,
246.	,,	,,	कजोड़ी पत्नी कल्याण ढोली	इस पेन्शनर को अजमेर कार्यालय से भी पेन्शन नहीं दी गई है।

1	2	3	4	5
247.	टोंक	अलीगढ	नन्दू देवी पत्नी गणेश ब्राह्मण	ये किसी अन्यत्र स्थान पर चले गये हैं घर के पते पर नहीं हैं।
248.	,,	,,	छोटूलाल पुत्र गोपाल कीर	,, ,,
249.	,,	,,	केसर देवी पत्नी बजरंगलाल	,, ,,
250.	,,	,,	भूरी देवी पत्नी पांचूला बैरवा	,, ,,